खण्ड-201, अंक-5
शुक्रवार, 1 फाल्गुन, शक संवत् 1880
(20 फरवरी, 1959 ई0)

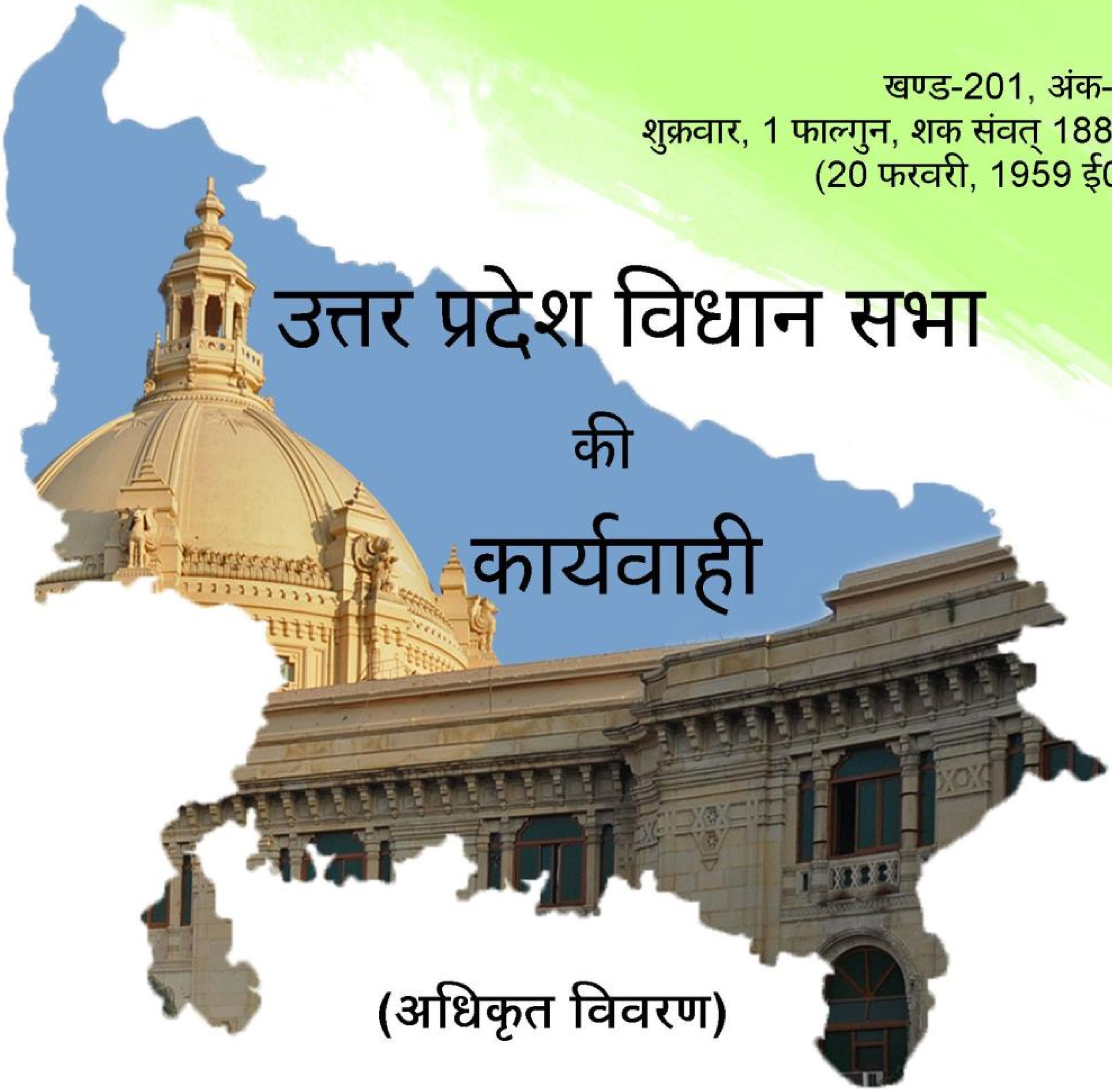

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 201 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २० फरवरी, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६०

अक्षयवरसिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़यूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती

गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री

बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासी लाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री

रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीनखां, श्री
रूर्मासिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री

सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २० फरवरी, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

नई लिपि में प्रकाशित हिन्दी पुस्तकें

१—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कक्षा १ से ५ तक की नई लिपि की पुस्तकें सरकार के १९५७ व १९५८ ई० के आदेशानुसार जो जून सन् १९५८ तक छपी थीं अब नई लिपि समाप्त होने पर पब्लिशर्स के यहां बेकार पड़ी हैं ? यदि हां, तो सरकार उनके लिये क्या कर रही है ?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जी नहीं। दो प्रकाशकों को, जिन्होंने पुस्तकों का पुनः मुद्रण स्वयं अस्वीकार कर दिया था, छोड़कर सबने विभाग के आदेश से इन पुस्तकों को पुनः संशोधित लिपि में मुद्रित कर लिया है।

विभाग ने ऐसे सभी प्रकाशकों को पुराने आवरण पृष्ठों के प्रयोग करने की अनुमति दे दी और इस प्रकार छपी पुस्तकों को मान्यता प्रदान की।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पुनः संशोधित पुस्तकें लगभग कितनी हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस वर्ष से चलने के लिये जितनी पुस्तकें छपी हैं वे सभी संशोधित पुस्तकें हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पुस्तकें संशोधित हुईं वे पहले छपी थीं या नहीं ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—जी हां, छपी थीं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो पुस्तकें संशोधित होने के पहले छपीं, उसकी हानि के लिये सरकार ने कुछ सोचा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, उनको कुछ अधिक पुस्तकों की तादाद देकर के उनकी कुछ क्षति की पूर्ति की गई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पुस्तकें बेकार हुईं उनकी संख्या क्या है और उनकी लागत कितनी थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरा खयाल है कि कई लाख हैं। ७—८ लाख शायद होंगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि लिपि के परिवर्तन के कारण जो पुस्तकें बेकार हुईं उसकी वजह से कुल कितना नुकसान सरकार को हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---विभाग को तो कोई हानि नहीं हुई ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने पब्लिशर्स को आर्डर दिया गया कि वे किताबें छपवाएं ?

श्री अध्यक्ष---संशोधित या पहली ?

श्री झारखंडेराय---संशोधित ।

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, उसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी । लेकिन दो ही पब्लिशर्स ने इजाजत नहीं मांगी थी ।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दो प्रकाशकों ने जिन्होंने पुनः संशोधित नहीं छापीं उनकी हानि के लिये सरकार ने कुछ सोचा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उन्होंने तो अस्वीकार ही कर दिया छापने को ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लिपि समाप्त करने के क्या कारण थे जिसकी वजह से पुस्तकें बेकार हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---समाप्त करने की बात नहीं थी, संशोधन फिर से किया गया ।

लखनऊ-से कानपुर व सुल्तानपुर जाने वाली बसों में स्त्री का शव

**२---श्री झारखंडेराय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या फरवरी, १९५९ के आरम्भ में लखनऊ से कानपुर और सुल्तानपुर जाने वाली रोडवेज बसों में रहस्यमय एवं सनसनीखेज तरीके से एक लड़की के क्रमशः धड़ एवं हाथ-पैर (बिना सर के) बरामद हुये हैं ? यदि हां, तो इस जघन्य अपराध के हत्यारों की पकड़ की दिशा में पुलिस को अब तक क्या सफलता प्राप्त हुई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां । मामले की जांच अनुसंधान शाखा के सुपुर्द कर दी गई है ।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि साधारण पुलिस की प्रारम्भिक जांच से कौन से तथ्य प्रकाश में आए हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---प्रारम्भिक जांच से यह अंदाजा होता है कि किसी अधेड़ स्त्री का कत्ल लखनऊ में शायद हुआ है और करीब ७ तारीख को हुआ ।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अखबारों में जो छपा था कि शरीर के कुछ हिस्से सुल्तानपुर में भी मिले हैं, तो वह कैसे मिले हैं इसकी कुछ सूचना सरकार दे सकती है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, कानपुर में भी बस की छत से कुछ भाग मिले और सुल्तानपुर में भी मिले । दोनों को मिलाकर यह अन्दाजा हुआ कि वे एक ही शरीर के भाग हैं, उसमें सिर नहीं था ।

श्री गज्जूराम (जिला झांसी)---क्या सरकार को मालूम है कि लड़की कहां की रहने वाली थी ?

श्री रामस्वरूप यादव---अभी इसका पता नहीं लगा है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चारबाग बस स्टेशन के कन्डक्टर के बयान पुलिस ने कानपुर ले जाकर ले लिये ? यदि लिये हैं तो वे क्या है ?

श्री कमालापति त्रिपाठी---अभी अनुसंधान शाखा द्वारा जांच हो रही है, इसलिये अभी बताना कठिन है ।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन्वेस्टीगेशन में मदद देने के लिये जो विभाग के पास ट्रेन्ड कुत्ते हैं क्या इस सम्बन्ध में उनका भी प्रयोग किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इन्वेस्टीगेशन तो जारी है और जितने भी साधनों से उसमें सहायता मिल सकती है उनका प्रयोग किया जायगा ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह अनुसंधान और जांच के बाद उसकी फाइन्डिन्ग्ज को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अभी रिपोर्ट नहीं आई है, जांच हो रही है, बाद में देखा जायगा कि उसका स्वरूप क्या है ।

तारांकित प्रश्न

तलाक के मुकदमें

*१---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)---क्या सरकार बतायेगी कि राज्य की अदालतों में १ जनवरी, १९५७ से १५ अक्तूबर, १९५८ तक महिलाओं द्वारा कितनी अर्जियां एवं दावे तलाक दिये जाने हेतु प्राप्त हुये ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)---१००१ ।

*२---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन तलाक के मुकदमों में से कितने फैसला किये जा चुके हैं और कितने विचाराधीन हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---६८० मुकदमों में फैसला हुआ तथा ३२१ मुकदमे विचाराधीन थे ।

*३---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी---क्या सरकार बतायेगी कि इन मुकदमों में से कितने में सम्बन्ध-विच्छेद की इजाजत दी गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---२३७ ।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन महिलाओं ने सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया और जो अपने पैरों पर खड़ी होने में असमर्थ हैं, उनकी सुरक्षा और सहायता के लिये कोई कदम सरकार उठायेगी या उठाने का विचार है ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---मुझे नहीं मालूम है कि वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकतीं ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो तलाक दिये गये हैं उनके दिये जाने की खास क्या वजह है ?

श्री अध्यक्ष--इसमें ६८० मुकदमों का फैसला हुआ और ३२१ अभी विचाराधीन है किसी खास मुकदमे में आपकी दिलचस्पी होती तो बताया जा सकता था, मैं इस पूरक प्रश्न की इजाजत नहीं देता ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसी अवधि में कितनी अर्जियां पुरुषों द्वारा तलाक की प्राप्त हुईं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री उग्रसेन (जिला खीरी)--क्या यह सही है कि जो तलाक का प्रतिशत इतना अधिक हो गया है उसका विशेष कारण गृह कलह रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह तो माननीय सदस्य खुद ही जान सकते हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन बढ़ते हुए तलाकनामों के सम्बन्ध में सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना बनने जा रही है जिससे ये तलाकनामे रुक जायं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह तो माननीय सदस्यों को कोशिश करनी चाहिए अपने-अपने क्षेत्र में कि सब को राजी रखें ।

सीतापुर जिले में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय

*४--**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले में सरकार द्वारा चालित कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--सात हैं ।

*५--**श्री गनेशीलाल चौधरी**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने १९५७-५८ के वित्तीय वर्ष में उन औषधालयों पर कितना धन व्यय किया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--३२,०४२ रुपया ९५ नया पैसा व्यय किया है ।

श्री गनेशीलाल चौधरी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये औषधालय कहां-कहां पर हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--सूचना की आवश्यकता होगी ।

हरिजन कल्याण विभाग में हरिजन वेलफेयर सुपरवाईजर्स

*६--**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरिजन कल्याण विभाग में कुल कितने हरिजन वेलफेयर इन्स्पेक्टर व हरिजन सुपरवाइजर हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--हरिजन कल्याण विभाग के अन्तर्गत कुल १३० हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजर कार्य कर रहे हैं । कोई हरिजन वेलफेयर इन्स्पेक्टर नहीं हैं ।

*७--**श्री रामशरण यादव** (अनुपस्थित)--उक्त विभाग में कितने वेलफेयर इन्स्पेक्टर व सुपरवाइजर पिछड़ी जातियों के हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजरों में दस पिछड़ी जाति के हैं ।

स्त्री शिक्षा की रूपरेखा

*८--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार के पास लड़कियों की शिक्षा हेतु कोई ऐसी योजना भेजी है कि जिसके परिचालित होने पर होने वाले व्यय का ७५ प्रतिशत भार केन्द्रीय सरकार वहन करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां। लेकिन अब केन्द्रीय सरकार १०० प्रतिशत भार वहन करेगी।

*९--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार कृपया उक्त योजना की रूपरेखा सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--भारत सरकार की इस योजना में निम्नलिखित उपयोजनायें सम्मिलित हैं :

(१) ग्रामीण क्षेत्र की अध्यापिकाओं के आवास का प्राविधान।
(२) स्कूल मदर की नियुक्ति।
(३) प्रौढ़ महिलाओं के हेतु विशेष प्रशिक्षण का प्रबन्ध।
(४) अध्यापिकाओं को छात्र वेतन।
(५) अल्पकालीन प्रशिक्षण।
(६) छात्राओं को पाठन तथा अन्य शुल्क के हेतु छात्रवेतन।
(७) उपस्थित छात्रवृत्तियां।
(८) पाठन शुल्क से मुक्ति।

*१०--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--योजना पर शासन विचार कर रहा है। अब यह निश्चय हुआ है कि प्रस्तुत वित्तीय वर्ष में १३.८५ लाख रुपयों के केन्द्रीय अनुदान द्वारा २,५०० रु० प्रति आवास-गृह की दर से ग्रामीण विद्यालयों की अध्यापिकाओं के लिए आवास-गृह शिक्षा परिषदों द्वारा बनवाये जायं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--एक प्वाइंट आफ आर्डर मेरा यह है कि सवाल का उत्तर अमेंड किया गया है। उत्तर शिक्षा मंत्री द्वारा दिया गया है और अमेंडमेंट एक इंडिविजुअल द्वारा किया गया है। तो यह किस प्रकार से ? मिनिस्टर के सवालों के उत्तर का अमेंडमेंट तो मिनिस्टर ही कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--जो मेरे पास लिखकर आया है वह तो उन्हीं का है। गृह मंत्री यहां हैं, रामस्वरूप यादव जी उनके सामने बोल रहे हैं और वह उपमंत्री हैं। उपमंत्री हैं, इतना तो सब को मालूम है। यह कोई उनकी ओर से व्यक्तिगत उत्तर नहीं है। यह उचित अवश्य है कि उन्हें नीचे 'उपमंत्री' लिख देना चाहिए। उत्तर के नीचे यह नहीं लिखा है, सिर्फ 'रामस्वरूप यादव' लिख दिया है, यही उनके आक्षेप का मतलब है। 'उपमंत्री' भी लिख दें तो उचित होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार जब हंड्रेड परसेंट भार वहन करने जा रही है तो सरकार आइटम १ को कर रही है, सारी स्कीमें परिचालित करने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री रामस्वरूप यादव--केन्द्रीय सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में १३·८५ लाख रुपया दिया है और उसमें यह सम्भव नहीं हो सकता है कि आठों ही योजनाएं एकदम ले लें। इसलिए एक योजना में ५५४ मकान बन सकेंगे जिनमें यह रुपया व्यय हो जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत कितना रुपया देना स्वीकार किया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने तो अभी निवेदन किया कि १३.८५ लाख इस वित्तीय वर्ष में और वह सन् १९६१ तक देंगे, १९६१ के बाद वह नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष---शायद गड़बड़ यह हो रही है कि उनके पूछने का तात्पर्य यह है कि गृह के लिए भी केन्द्रीय सरकार रुपया दे रही है या उसके लिए प्रान्तीय सरकार देगी, यह उसमें स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए तभी प्रश्न ठीक पूछा जा सकता है।

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, यह सब रुपया केन्द्रीय सरकार से आया है और उन्होंने उस रुपये के लिये आठ उप-योजनायें जो मैंने उत्तर में निवेदन की थीं बना दी हैं जिनमें से किसी भी एक या सबके ऊपर वह रुपया खर्च कर सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि जो १३.८५ लाख रुपया दिया गया है यह इस योजना के अधीन नहीं है बल्कि बेकारी दूर करने वाली जो योजना है उसके अन्तर्गत है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं। अगर आपने अनुपूरक अनुदान जो अभी स्वीकार किया है देखा होता तो स्पष्ट हो गया होता। बेकारी दूर करने के लिये केवल २ लाख रुपया उसमें मांगा गया है। यह बालिकाओं की शिक्षा सम्बन्धी मांग रखी गयी थी जिसे आपने स्वीकार किया है।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस स्कीम से कितनी लड़कियां लाभान्वित होंगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अधिक से अधिक स्कूल खोलेंगे। दिक्कत इसमें यह हुआ करती थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापिकाओं के रहने के लिये कोई स्थान नहीं हुआ करता था जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा पर बड़ा असर पड़ता था। बहुधा ऐसा भी होता था कि अध्यापिका अविवाहित है या विवाहित भी है तो पति उसके साथ नहीं है, किसी के घर में रहने में भी संकोच होता है। तो ये तमाम कठिनाइयां थीं। जब भारत सरकार से बात-चीत हुई तो उन्होंने कुछ रुपया हमको अध्यापिकाओं के आवास के लिये दिया कि ढाई-ढाई सौ रुपये की लागत के घर उनके लिये देहाती क्षेत्रों में बनवा सकते हैं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये आवास-गृह उन्हीं स्थानों पर बनवाये जायंगे जहां पर इस समय कन्या पाठशालायें चल रही हैं, लेकिन अध्यापिकाओं के लिये आवास-गृह नहीं हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह योजना अभी शासन के विचाराधीन है। वस्तुतः जहां आवास-गृह नहीं हैं वहीं बनवाने की कोशिश करेंगे या कहीं नये स्कूल खोलें तो वहां भी बनवाने की कोशिश करेंगे। रकम जो मिली वह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत काफी स्कूलों की आवश्यकता है। फिर भी कोशिश की जायगी, जहां तक हो सकेगा बनवायेंगे।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार इस बारे में जिला अन्तरिम परिषदों से परामर्श करेगी कि कहां-कहां पर आवास गृह-बनवाये जायं ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह अनुदान देने का विचार अभी यही है कि उनको ही दे देंगे।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---क्या इस योजना के अन्तर्गत अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हो रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने अभी निवेदन किया कि इसमें प्रशिक्षण तो हो रहा है लेकिन इस योजना में भी एक योजना है जिसमें प्रशिक्षण का प्रबन्ध है लेकिन इस वर्ष हम प्रशिक्षण पर खर्च नहीं कर रहे हैं।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि इस योजना का एक अंग अभी लागू है और सन् १९६१ के बाद केन्द्रीय सरकार अनुदान देना बन्द कर देगी। तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६१ तक पूरी योजना लागू हो जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--पूरी योजना के माने यह है कि ७-८ आइटम्स दिये हैं। उनमें से जिन आइटम्स की आपके यहां आवश्यकता हो, १, २, ३, ४ की, उनको ले सकते हैं। आप चाहें तो पूरी आठों को ले सकते हैं। तो कई जो जरूरी आइटम्स हमारे हैं जिनकी वजह से बालिकाओं की शिक्षा के प्रसार में कठिनाई पड़ रही है उनको एक के बाद दूसरे को लेते चलेंगे। इस समय हमको सबसे बड़ी कठिनाई आवास-गृहों की मालूम हो रही है इसलिये इस काम को हम आरम्भ करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी जो केन्द्रीय सरकार ने दोबारा संशोधित योजना भेजी है उसको संक्षेप में बताने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--पहले भारत सरकार ने ७५ फीसदी रुपया देने को कहा था, अब उन्होंने १०० फीसदी रुपया देने को कहा है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ये आवास-गृह प्राइमरी कन्या पाठशालाओं की अध्यापिकाओं के लिये बनाये जायंगे या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की अध्यापिकाओं के लिये ?

श्री रामस्वरूप यादव--प्राइमरी तथा पूर्व माध्यमिक कन्या पाठशालाओं की अध्यापिकाओं के लिये बनायेंगे जो गांव में हैं।

कुर्सी सड़क पर इमली बांधन की समाधि पर हत्यायें

*११--कुंवर श्रीपालसिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उसके पास इस विषय की कोई सूचना आई है कि लखनऊ-बाराबंकी की सीमा पर भटेरी से आगे कुर्सी रोड पर एक जंगल में एक समाधि है जिस पर इस युग में भी प्रतिवर्ष नर बलि दी जाती है ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--मटियारी ग्राम से आगे एक समाधि है जो इमली बांधन की समाधि कहलाती है। इस समाधि पर नर बलि दी जाने की कोई सूचना सरकार को नहीं है।

*१२--कुंवर श्रीपालसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्न एक में कही गई समाधि किसकी तथा कब की है ?

श्री रामस्वरूप यादव--यह समाधि पुरानी है और यह नहीं कहा जा सकता किसकी है या कब बनी। सम्भव है किसी संन्यासी की हो।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या मंत्री जी को पता है कि सन् १९५७ में किसी युवक का कटा हुआ सिर मिला था जो हरदोई से ट्रैक्टर खरीदने आया था ?

श्री रामस्वरूप यादव--यह सही है कि इस हिस्से में एक कत्ल हुआ है लेकिन यह समझा जाय कि नरबलि थी तो यह मालूम नहीं होता है। कत्ल कर दिया गया अगर ऐसी अफवाह हो गई हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या मंत्री जी को पता है कि क्या यह सही है कि हर साल इस समाधि पर लटका हुआ और कटा हुआ सिर मिला करता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसी कोई सूचना नहीं है। सूचना यह है कि वहां पर एक-दो क़त्ल हुये और सुनसान जगह में वह समाधि है। इस तरह की घटनायें न हो सकें इसके लिये पुलिस का प्रबन्ध कर दिया गया है। लेकिन नर बलि की कोई सूचना नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १९५७ में जो कत्ल की जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट में कत्ल का कारण मालूम हुआ था ? क्या वह नर बलि था या कोई और कारण था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--तफतीश से तो कुछ पता नहीं चला। सन् १९५३-५४ में वहां पर एक कत्ल हुआ था, १९५७ में हुआ और इसके बीच में १९५५ में भी हुआ। अन्दाजा यह लगता है कि वह बहुत सुनसान जगह है और जहां इस तरह की घटना हो गई है वहां अब पुलिस का प्रबन्ध कर दिया गया है। अगर ऐसी प्रथा चालू होती तो उसकी सूचना रहती है या अफवाह रहती है, लेकिन ऐसी कोई सूचना या अफवाह इस क्षेत्र में नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मंत्री जी को पता है कि जिला कप्तान लीला सिंह द्वारा थाना मड़ियाहूं, अनेरे जंगल में बहुत-सी ऐसी लाशें पाई गईं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मुझे पता नहीं है। अगर माननीय सदस्य को पता हो तो वह सूचना दे दें तो मैं जांच-पड़ताल करा लूंगा।

श्री उग्रसेन--क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि ऐसी हत्यायें न हों और इसके लिये एक पुलिस चौकी खोल देंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वहां पुलिस का प्रबन्ध कर दिया गया है, अगर इसकी आवश्यकता होगी तो वह भी किया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन कत्लों का क्या कारण मालूम हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जैसा कि मैंने निवेदन किया कि कुछ पता नहीं चल सका। अगर हत्या करने वाले का पता चल गया होता तो मालूम हो जाता कि किस कारण से हत्या की गई।

राजघाट, वाराणसी में विस्फोट

*१३--**कुंवर श्रीपालसिंह**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसको इस बात की कोई सूचना मिली है कि ४ अक्तूबर, १९५८ को राजघाट, वाराणसी में एक दूकान में किसी वस्तु के विस्फोट से धड़ाका हुआ जिससे कई आदमी घायल हो गये ? यदि हां, तो वह क्या चीज थी जो फटी तथा उससे कितनी धन-जन की हानि हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां। ३ अक्तूबर, १९५८ को एक तांबे की परकुशन कैप (Percussion cap) के विस्फोट से चार व्यक्तियों को साधारण चोटें आईं। कोई धन की हानि नहीं हुई।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह तांबे की परकुशन कैप क्या चीज है और यह किस काम में आता है ?

श्री रामस्वरूप यादव--यह एक अर्द्ध विस्फोटक चीज है जिसके दोनों किनारे पर तार लगाते हैं और ऐसा मालूम होता है कि वह तांगे में कोई छोड़ गया था। जब वह बेचने के लिये ले जाया गया तो वहां पर टैस्ट करने पर वह विस्फोट हो गया।

कुंवर श्रीपालसिंह--मैंने यह प्रश्न पूछा था कि यह किस काम में आता है ?

श्रीकमलापति त्रिपाठी--यह ब्लास्टिंग के काम में आता है, पत्थर वगैरह उड़ाने के लिए, जैसे गंगा जी पर घाट बन रहा है काशी में तो पत्थर को उड़ाने के लिए या पहाड़ों वगैरह में जहां कहीं नहरें वगैरह बनती हैं वहां पर पहाड़ की चट्टानों को उड़ाने के काम में आता है।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या माननीय मंत्री जी के पास इसकी कुछ सूचना है कि यह उस तांगे वाले को कहां से मिला था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--लगता ऐसा है कि वह तांगे पर किसी सवारी से छूट गया। उसमें तमाम तार लग रहे हैं। अंदाज ऐसा लगता है कि तांगे वाले ने देखा कि इसमें से तार निकल सकते हैं और तांबे वगैरह के दूकानदार के पास ले गया। दूकानदार ने बैटरी में लगाया और उसमें से विस्फोट हुआ।

सोनपीपर, जिला खीरी में डकैती

*१४--**श्री शिवप्रसाद नागर**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सोन पीपर, थाना मीरा, जिला खीरी में दिनांक २०-२१ अगस्त, १९५८ को डाका पड़ा था ? यदि हां, तो इस डाके में कितना धन लूटा गया ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां, इसमें लगभग १,४७५ रुपये का माल लूटा गया।

*१५--**श्री शिवप्रसाद नागर**--क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त डकैती की रिपोर्ट नामजद थी ? यदि हां, तो नामजद मुलजिमान में कितने पकड़े गये और कितने अब तक पकड़े नहीं गये ?

श्री रामस्वरूप यादव--उक्त डकैती की रिपोर्ट नामजद थी और सब नामजद अभियुक्त पकड़े गये।

*१६--**श्री शिवप्रसाद नागर**--क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस डकैती में कितने आदमी जख्मी हुये और किस औजार से जख्मी हुये ?

श्री रामस्वरूप यादव--दो व्यक्ति जख्मी हुये, बन्दूक के छर्रों और लाठी से।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो धन लूटा गया था उस धन में से कुछ माल बरामद भी हुआ ? यदि हां, तो कहां और कितना ?

श्री रामस्वरूप यादव--माल प्राप्त नहीं हुआ और मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नामजद मुलजिम जितने पकड़े गये उनके अलावा कुछ और भी मुलजिम पकड़े गये जिनका पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट में नाम नहीं है ?

श्री अध्यक्ष--चूंकि यह मामला अदालत के सुपुर्द है इसलिये मैं इस पूरक प्रश्न की इजाजत नहीं देता।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस डकैती से पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए कोई गन लाइसेंस भी दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव--अगर वह गन लाइसेंस चाहते हैं तो दरख्वास्त देना चाहिए। मुझे यह सूचना नहीं है कि उन्होंने दरख्वास्त दी या नहीं।

कथित रीजनल सूचना केन्द्र

*१७--**श्री गंगाप्रसाद सिंह** (जिला बलिया) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रदेश के कुछ नगरों में रिजनल सूचना केन्द्र (Regional Information Centre) खोले जा रहे हैं ? यदि हां, तो कहां और कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सूचना विभाग द्वारा कोई रीजनल सूचना केन्द्र, इस प्रदेश में नहीं खोला जा रहा है।

उन्नाव जिले के कत्ल

*१८--**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम गौरा, थाना अजगैन, जिला उन्नाव के अन्तर्गत श्री सत्तीजी का कत्ल अगस्त, सन् ५८ में कर दिया गया है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां, २६ अगस्त, सन् ५८ को श्री सत्ती का कत्ल हुआ। इस सम्बन्ध में एक मामला भारतीय दंड विधान की धारा ३०४ के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया किन्तु कोई ठीक गवाही न होने के कारण २ नवम्बर, १९५८ को अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई ।

*१९--**श्री सजीवनलाल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सलेहनगर, थाना सफीपुर, जिला उन्नाव में श्री मदारी लाल का कत्ल अक्तूबर, सन् ५८ में कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही उस सम्बन्ध में की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्री मदारी लाल का कत्ल १८ सितम्बर, सन् ५८ को हुआ। एक मुकदमा भारतीय दंड विधान की धारा ३०४/१४८/३२५/३२४ के अन्तर्गत कायम किया गया और जांच के पश्चात् २९ सितम्बर, सन् ५८ को न्यायालय में भेजा गया ।

*२०--**श्री सजीवनलाल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम रावतपुर सरौहा, थाना अजगैन, जिला उन्नाव में दो व्यक्तियों श्री छोटकन व छेदा जी का कत्ल दिनांक ५ नवम्बर, सन् ५८ को कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां, उक्त दिन श्री छोटकन और श्री छेदा का कत्ल हुआ। इस संबंध में आवश्यक जांच के बाद एक मुकदमा न्यायालय में भेज दिया गया ।

श्री सजीवनलाल--क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि जो ठीक से गवाही देना चाहते थे उन्हें बाद कत्ल के जेल भेज दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, किसी मुकदमें के गवाहों को जेल नहीं भेजा जाता। लेकिन अगर गवाह हैं और उन्होंने कहीं जुर्म किया हो तो सम्भव है कि जेल भेज दिये गये हों । लेकिन मुझे इसकी सूचना नहीं है ।

श्री सजीवनलाल--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस व्यक्ति का कत्ल हुआ है उसने चार रिपोर्टें और कई दरख्वास्तें अपनी जान माल की हिफाजत के सम्बन्ध में पहले ही दी थीं ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री भीखालाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सत्ती अपने मरने से पहले जब थाने में पहुंचा तो उसने कातिलों के नाम लिखवाने का प्रयास किया लेकिन उनके नाम रिपोर्ट में दर्ज नहीं किये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव--सीताराम, दुलारे, श्यामलाल और रामप्रसाद का नाम आक्रमणकारियों में लिखाया गया था, लेकिन छानबीन से यह ज्ञात हुआ कि ये लोग कत्ल के लिये जिम्मेदार नहीं थे ।

श्री भीखालाल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन चार व्यक्तियों के कत्ल का तीनों प्रश्नों में जिक्र है ये कम्यूनिस्ट पार्टी के सक्रिय कार्यकर्त्ता थे ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, इसका इल्म तो माननीय सदस्य को सरकार से ज्यादा होना चाहिये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह छोटकन व छेदा जिनका कत्ल हुआ है इनके सम्बन्ध में किस सेक्शन के अन्तर्गत रिपोर्ट लिखाई गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, रिपोर्ट किस सेवशन में लिखी गई है इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी ।

राधेलाल इन्टर कालेज, जिला बदायूं में गबन की शिकायत

*२१--**श्री टीकाराम** (जिला बदायूं)--क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि राधेलाल इंटर कालेज, जिला बदायूं के हिसाब-किताब में गबन की शिकायत जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा सरकार के पास इस वर्ष ५८ में आई है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां । जांच हो रही है ।

*२२--**श्री टीकाराम**--क्या यह सही है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बदायूं को ६ व ९ नवम्बर को बरेली में उप-शिक्षा संचालक के यहां उपरोक्त विद्यालय की मैनेजिंग कमेटी के लोगों व जिला निरीक्षक को उपरोक्त जांच के लिये बुलवाया गया था ? यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां । स्थिति मालूम की गई, किन्तु निश्चित परिणाम पर अभी नहीं पहुंचे ।

*२३--**श्री टीकाराम**--क्या यह सही है कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने उपरोक्त गबन के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट सरकार को इस वर्ष दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां । रिपोर्ट का अभी प्रकट करना जांच के हित में उचित नहीं है ।

श्री टीकाराम--क्या यह सही है कि जो रिपोर्ट गबन की हुई है उसमें सरकारी कृषि फार्म जो इस स्कूल से सम्बन्धित है उसकी आमदनी भी गबन में शामिल है ?

श्री रामस्वरूप यादव--शिकायतें तो कई हैं और शायद कृषि सम्बन्धी भी शिकायत है ।

श्री टीकाराम--क्या यह जो गबन हुआ इसकी तफसील भी कुछ बता सकेगी सरकार ?

श्री रामस्वरूप यादव--गबन हुआ है कि नहीं हुआ है इसका पता नहीं है । अभी उसकी जांच कराई जा रही है । इंसपेक्टर के यहां जो शिकायतें पहुंची थीं वह शिकायतें थीं ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--क्या यह सही है कि इस गबन के सिलसिले में जिला विद्यालय निरीक्षक ने रिपोर्ट दी है कि यह गबन सही है जिससे क्रुद्ध होकर मैनेजिंग कमेटी के लोगों ने उस जिला विद्यालय निरीक्षक के ट्रांसफर का प्रयास किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह तो गलत मालूम होता है कि किसी ने प्रयास किया है कि ट्रांसफर हो जाय । ऐसी बात तो नहीं है । ट्रांसफर तो मामूली ढंग से होते ही रहते हैं और यदि कोई ट्रांसफर हुआ है तो वह उसी तरह से जैसे कि होते रहते हैं हुआ होगा । किसी ने सरकार पर कोई दबाव इसके लिये नहीं डाला ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास ऐसी शिकायत भी आयी है कि यह जिला विद्यालय निरीक्षक व्यक्तिगत रूप से इस विद्यालय से नाराज हैं और इसको हानि पहुंचाने पर तुले हुये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां । इस तरह की भी शिकायत आयी थी ।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन मामलों में गबन की शिकायत की गई है उस सम्बन्ध में जितने भी कागजात हैं उन सबको सरकार ने हस्तगत कर लिया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--क्या कार्यवाही की गई है यह नहीं पता है । स्पेशल आडिट हो रहा है । अब वह कागज सब कब्जे में किये गये या नहीं किये गये या कहां रखे हैं, इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)---क्या माननीय मंत्री जी उन रकमों का जोड़ बताने की कृपा करेंगे जिनके गबन की शिकायत डी० आई० ओ० एस० के पास आई है ?

श्री रामस्वरूप यादव--शिकायत जो आई है उसमें ३० हजार रुपये कहा गया है ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये सारी शिकायतें जब से वहां के प्रिंसिपल को सस्पेंड किया गया है और एक और टीचर को डिस्मिस किया गया है उसके बाद आयी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां । ऐसा भी मालूम होता है ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि उन्होंने अभी एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि और शिकायतें भी कई प्रकार की हैं तो क्या एक शिकायत उसमें यह भी आयी है कि वहां के छात्र संघ ने इस बात की शिकायत भेजी है कि गांधी जी के जन्म दिन पर हरिजन छात्रों को हाल में नहीं घुसने दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---ऐसी शिकायत के मुताल्लिक मुझे स्मरण नहीं है कि गांधी जन्म दिवस के समय कहीं किसी को घुसने नहीं दिया, लेकिन जो शिकायत है वह इस तरह की है कि जिस काम के लिये ग्रान्ट मिली थी उस काम में वह नहीं लगाई गई या टीचरों का जो वेतन होता है उसके लिये रसीद कुछ ली जाती है और पैसा कुछ दिया जाता है । वह पैसा स्कूल में बचाया जाता है ।

श्री टीकाराम---क्या सरकार को ऐसी सूचना है कि इस स्कूल में ऐसी जगह है जहां हरिजन छात्रों को घुसने नहीं दिया जाता है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार के पास ऐसी सूचना नहीं है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या यह सही है कि इस स्कूल की बाउंडरी में एक मन्दिर है जहां पर हरिजन छात्रों को रोका जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है । यदि कोई सूचना माननीय सदस्य के पास हो और वह मुझे लिखें तो मैं उसकी जांच करा लूं । ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी स्कूल में कोई मन्दिर हो और उसमें हरिजनों को प्रवेश करने की अनुमति न रहे ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक की जो रिपोर्ट सरकार के पास आई है उसमें गबन सिद्ध है ? यदि हां, तो कितने रुपये का गबन हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैंने निवेदन किया कि गबन ३० हजार रुपया बताया जाता है । जो रिपोर्ट आई है उसमें यह लिखा गया है कि इस तरह की शिकायत की गई थी । उन शिकायतों के आधार पर जो थोड़ी बहुत जांच हुई उस जांच से मालूम होता है कि इस तरह से अध्यापकों के वेतन में कमी की गई है । अब उस सारे हिसाब-किताब का स्पेशल आडिट करने की चेष्टा की जा रही है ।

श्री शिवराजसिंह यादव--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अब इस स्कूल के गबन की जांच किस अफसर से कराई जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैंने निवेदन किया कि वह नियम है। जितने एडेड इंस्टीट्यूशन्स होते हैं उनके हिसाब-किताब की जांच आडीटर करता है और वह ३ साल में हिसाब की जांच होती है । चूंकि इस स्कूल की शिकायत आई है इसलिये आदेश दिया जा रहा है कि किताब तुरन्त आडिट हो और इसकी स्पेशल तरीके से जांच कर ली जाय ।

*२४--**श्री गौरीराम गुप्त** (जिला गोरखपुर)--[राजस्व मंत्री से सम्बन्धित पन्द्रहवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ११५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

राजकीय सम्पत्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारी

*२५--**श्री रामबली** (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय सम्पत्ति विभाग के अन्तर्गत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में कितने स्थायी हैं और कितने अस्थायी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--राज्य सम्पत्ति विभाग में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के स्थायी कर्मचारी ४३ व ७९ हैं तथा अस्थायी कर्मचारियों की संख्या क्रमशः २५ व ११० है ।

साहित्यरत्न उत्तीर्ण हिन्दी अध्यापकों का वेतन

*२६--**श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहायता प्राप्त हायर सेकेन्डरी स्कूलों में जो साहित्यरत्न हिन्दी अध्यापक हैं और ११ वीं, १२ वीं कक्षा को हिन्दी पढ़ाते हैं उनका वेतन-क्रम क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव--चूंकि माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यतानुसार केवल साहित्य रत्न पास अध्यापक मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की ११ तथा १२ कक्षाओं में हिन्दी पढ़ाने के योग्य नहीं हैं अतः इन्हें केवल ७५--५--११० द० रो० ६-१४० द० रो०-७-१७५ का वेतन क्रम ही मिलता है ।

*२७--**श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी**-- क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि साहित्यरत्न परीक्षा जो हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की है उसे एम० ए० (हिन्दी) के समकक्ष मानती है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी नहीं ।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो माध्यमिक शिक्षा परिषद् के द्वारा न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है उसकी तिथि और सन् क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसकी तारीख नहीं है । यह तो पहले से ही है कि जो रिफ्रेशर कोर्स पास नहीं हुआ है या बी० ए० संस्कृत पास नहीं है उसको एल० टी० का ग्रेड नहीं दिया जाता है ।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी--जो सन् १९५० में पे कमीशन बैठा था उसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने जो नियम बनाये थे उसमें साहित्यरत्न ११ वीं और १२ वीं को पढ़ाने के लिये क्वालिफाइड था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सन् ५० में क्या था यह तो मुझे स्मरण नहीं है । अगर वह एक नया प्रश्न आ जाय तो सन् ५० में क्या था और फिर उसके बाद क्या परिवर्तन हुये, तब मैं बता सकता हूं ।

श्री चन्द्रजीत यादव--साहित्य सम्मेलन की साहित्यरत्न परीक्षा को कुछ विश्वविद्यालय एम० ए० के बराबर मान्यता प्रदान करते हैं, इस बात को विचार में रखते हुये क्या सरकार विचार कर रही है कि उसे मान्यता प्रदान की जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--साहित्य रत्न को मान्यता प्राप्त है ।

श्री गौरीशंकर राय--क्या यह सही है कि इंटर क्लासेज को पढ़ाने के लिये जो न्यूनतम योग्यता चाहिये उसमें साहित्यरत्न भी है ? यदि हां, तो इन अध्यापकों को वही ग्रेड देने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैंने निवेदन किया कि जो माध्यमिक शिक्षा परिषद् है उसने स्वीकार कर लिया है कि साहित्य सम्मेलन की साहित्यरत्न परीक्षा पास व्यक्ति इंटर क्लासेज को पढ़ा सकते हैं बशर्ते कि वह बी० ए० भी हों संस्कृत के साथ । इस सरकार के किसी विभाग ने साहित्य रत्न की परीक्षा किसी यूनिवर्सिटी की किसी परीक्षा के समकक्ष घोषित की हो, जैसा कि माननीय सदस्य पूंछ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है ।

श्री गौरीशंकर राय--तो क्या जो बी० ए० और साहित्य रत्न दोनों पास हैं उनको वह ग्रेड मिलता है ?

श्री रामस्वरूप यादव--हां, उनको एल० टी० ग्रेड मिलता है ।

गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल, मऊनाथ भंजन की अध्यापिकाओं को वेतन वृद्धि न मिलना

*२८--**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कालेज, आजमगढ़ और गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ में कितनी अध्यापिकाओं को वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव--गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कालेज में प्रत्येक अध्यापिका को वार्षिक वेतन वृद्धि मिली है । गवर्नमेंट जूनियर हाई स्कूल, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ में ३ अध्यापिकाओं को वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी गई है ।

श्री विश्रामराय--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि तीन अध्यापिकाओं को वेतन वृद्धि क्यों नहीं दी गई ?

श्री रामस्वरूप यादव--इनमें से एक का बस्ती से तबादला हुआ था । एरियर्स आफ बिल उनका नहीं आया और उसके लिये पत्र-व्यवहार हो रहा है । दूसरी अध्यापिका की सेवा पंजिका मिर्जापुर से आने में देर हुई । इसके लिये भी पत्र-व्यवहार हो रहा है और तीसरी का प्रि-आडिट के लिये बिल चला गया है, जो आने पर दिया जायगा । उन सब को कायदे से वृद्धि मिलेगी ।

आजमगढ़ जिला परिषद् के अध्यापक

*२९--**श्री विश्रामराय**--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिला अन्तरिम परिषद् के अध्यापकों की ग्रेड लिस्ट का प्रकाशन कितने वर्ष से नहीं हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव--लगभग अट्ठारह वर्ष से ।

श्री विश्रामराय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १८ वर्षों से ग्रेड लिस्ट क्यों नहीं प्रकाशित हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव--वैसे तो आशा की जाती है कि हर वर्ष अन्तरिम जिला परिषद् की ग्रेड लिस्ट बननी चाहिये, लेकिन कोई खास नियम नहीं है इस वजह से अधिकतर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स इसको नहीं बनाया करते और इसी वजह से नहीं बनी ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी अब इस ग्रेड लिस्ट के तैयार कराने के लिये कोई आदेश जारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---आदेश की आवश्यकता नहीं है, वे तैयार करवा रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री जी आजमगढ़ जिला परिषद् के अध्यक्ष से इस बात का कारण जानने की कोशिश करेंगे कि इन १८ सालों से यह ग्रेड लिस्ट क्यों प्रकाशित नहीं की गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने निवेदन किया कि कोई खास नियम नहीं है। लेकिन इसकी आवश्यकता इसलिये है कि हर वर्ष नियुक्ति होती है और इसलिये ग्रेड लिस्ट जरूर तैयार होनी चाहिये।

पुलिस विभाग में नान गजटेड अधिकारियों की पदोन्नति के नियम

*३०-श्री गौरीशंकर राय---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि २७ दिसम्बर, सन् १९५६ को किसी (जी० ओ०) राज्याज्ञा के अनुसार पुलिस विभाग के नान-गजटेड अधिकारियों की पदोन्नति का आधार वारिष्ठ (seniority) एवं सेवाकाल माना गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं।

*३१-श्री गौरीशंकर राय---यदि हां, तो क्या रिजर्व इन्स्पेक्टरों, सब-इंस्पेक्टरों एवं गुप्तचर विभाग के इंस्पेक्टरों की इस आधार पर पदोन्नति हुई है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव---प्रश्न नहीं उठता।

श्री गौरीशंकर राय---क्या माननीय गृह मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि अगर वरिष्टता उनकी पदोन्नति का माप दंड नहीं है तो फिर कौन-सा माप दंड नान गजटेड आफिसर्स के लिये है ?

श्री रामस्वरूप यादव---पुलिस रेगुलेशन्स में दिया हुआ है और उसी हिसाब से होता है।

श्री गौरीशंकर राय---रेग्युलेशन्स तो बड़े लम्बे-चौड़े हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि पदोन्नति का माप दंड सीनियारिटी है या एफीशिएन्सी है ?

श्री रामस्वरूप यादव---उनका काम भी देखा जाता है और सीनियारिटी भी देखी जाती है। रेग्युलेशन्स के परिच्छेद ४५४ और ४५५ में जैसा दिया हुआ है वैसा किया जाता है।

श्री प्रतापसिंह---माननीय मंत्री जी ने प्रमुख प्रश्न के जवाब में सीनियारिटी पर "जी नहीं" कहा और अब कहा कि सीनियारिटी पर भी ध्यान रखा जाता है तो मैं जानना चाहता हूं कि उनका कौनसा जवाब सही है ?

श्री अध्यक्ष---वह उन्होंने एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा था। उत्तर देने की पद्धति अलग-अलग होती है और सम्बन्धित सदस्य उस उत्तर से संतुष्ट हो गये हैं।

श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार ने कोई ऐसा आदेश पिछले दिनों में निकाला है जिसमें विभागीय कार्यकौशल का तरीका देख कर वरिष्ठता को अधिक प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, ऐसा है और इसीलिये जो सेलेक्शन पोस्ट्स नहीं हैं उनमें वरिष्ठता का ही विशेष प्राथमिक स्थान रखा जाता है। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि जब तक किसी व्यक्ति को निकम्मा, अनफिट न घोषित कर दें तब तक यदि कोई सीनियर है उसे साधारणतया प्रमोशन मिल जाता है। लेकिन जो सेलेक्शन पोस्ट्स होती हैं खासकर जैसे हेड कांस्टेबिल, सर्किल इन्स्पेक्टर, सब-इन्स्पेक्टर, रिजर्व इंस्पेक्टर, ये सब सेलेक्शन पोस्ट्स हैं और इनके लिये पुलिस रेगुलेशन में नियम ४५४ और ४५५ दिये हुये हैं जिसमें यह है कि वरिष्ठता के साथ-साथ और कौन से विषय हैं जिनको विशेष प्राथमिकता दी जायेगी और उसी के अनुसार सेलेक्शन किया जाता है।

सीतापुर शहर में कत्ल

*३२---**श्री मूलचन्द** (जिला सीतापुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अगस्त, सन् १९५८ से २ दिसम्बर, १९५८ तक सीतापुर शहर में कितने कत्ल हुए? उनमें से कितने मामलों के सम्बन्ध में मुकद्दमे चल रहे हैं और कितने मामले उसी समय समाप्त कर दिये गये?

श्री रामस्वरूप यादव---इस अवधि में केवल एक कत्ल हुआ जिसकी तफतीश जारी है।

श्री मूलचन्द---क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस कत्ल के होने के क्या कारण हैं?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने जैसा निवेदन किया कि इसकी तफतीश जारी है इसलिये कारण क्या है वह तो उसके बाद ही पता चलेगा।

श्री मूलचन्द---क्या माननीय गृह मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि सरकार को यह ज्ञात है कि इसके पहले भी कई मर्तबे इस तरह के कत्ल हुये और तफतीश जारी रखने के बाद खत्म हो गये?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह तो ज्ञात नहीं है कि तफतीश हुई और सब इस तरह खत्म हो गये। इस मामले में तफतीश के कुछ प्रारम्भिक कारण भी बताये जाते हैं पर यह उचित नहीं होगा कि इस अवसर पर उन प्रारम्भिक कारणों को सदन के समक्ष रखा जाय।

जैथरा, जिला एटा का कत्ल

*३३---**श्री भूपकिशोर** (जिला एटा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस स्टेशन जैथरा, जिला एटा के ग्राम जैथरा में १ अगस्त सन् १९५८ से ३० नवम्बर सन् १९५८ ई० तक कितने कत्ल हुये?

श्री रामस्वरूप यादव---पुलिस स्टेशन जैथरा, जिला एटा के जैथरा ग्राम में कथित अवधि में एक कत्ल हुआ।

श्री इन्दुभूषण गुप्त का राजनीतिक पीड़ित सहायता सम्बन्धी शिकायती पत्र

*३४---**श्री इन्दुभूषण गुप्त** (जिला आजमगढ़)---दिनांक १ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३८ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता द्वारा भेजा गया कोई शिकायती-पत्र ग्राम अजमतगढ़, जिला आजमगढ़ के किसी परिवार द्वारा प्राप्त राजनीतिक पीड़ित सहायताओं के सम्बन्ध में गत वर्ष के अगस्त मास में मिला था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई और शिकायतों का विवरण क्या है?

श्री रामस्वरूप यादव---इस प्रकार के किसी शिकायती पत्र का प्राप्त होना ज्ञात नहीं होता। अतः उस पत्र का विवरण देने का या उस पर किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री इन्दुभूषण गुप्त---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इस पत्र के भेजने के बाद जब मैं उनसे मिला था तो उन्होंने कहा कि जांच करवा रहा हूं और उसके बाद बतलाऊंगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उत्तर तो हमने दे दिया। यदि आप यह बतायेंगे कि जो पत्र आपने भेजा था उसमें कौन-सी बातें लिखी थीं तो मैं जांच करवा लूंगा और देखूंगा कि क्या कार्यवाही हुई और सूचना दे दूंगा।

श्री इन्दुभूषण गुप्त---मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र भेजा था और उनसे इस सम्बन्ध में मिला था तो उन्होंने मुझको यह उत्तर दिया था, तो अगर उचित समझें तो माननीय मुख्य मंत्री ही इस पर कुछ प्रकाश डाल दें।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---मुझे ठीक ब्योरा तो याद नहीं लेकिन ऐसा याद पड़ता है कि उनसे बात हुई थी इस विषय पर।

श्री इन्दुभूषण गुप्त---क्या उस पत्र का पता लगा कर सरकार उत्तर देने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---माननीय मुख्य मंत्री के यहां कोई पत्र आया होगा तो वह मेरे यहां भेज दिया गया होगा क्योंकि राजनैतिक पीड़ितों का विषय मेरे यहां है। माननीय सदस्य उस पत्र के कनटण्ट्स बतला दें तो मैं जांच करा लूंगा।

करोड़ीमल हायर सेकेन्डरी स्कूल, धामपुर में गबन

*३५---**श्री इन्दुभूषण गुप्त**---दिनांक १ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३९ और ४० के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि (क) जिला विद्यालय निरीक्षक से मांगी गई आख्या की तिथि क्या है ? (ख) जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा भेजी गई आख्या की तिथि क्या है ? (ग) सिविल कोर्ट में चल रहे मुकदमे की दाखिले की तिथि क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव---(क) १६ अप्रैल, १९५७, (ख) २ जुलाई, १९५८, (ग) २४ जुलाई, १९५८।

श्री इन्दुभूषण गुप्त---जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपनी आख्या भेजने में जो १४ महीने की देर की इसकी जांच की गई ? अगर नहीं तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव---दफा ४०६, ४०८ और ४७१ का मुकदमा उनके विरुद्ध विचाराधीन है। हो सकता है कि जांच में देर हुई हो।

श्री इन्दुभूषण गुप्त---मान्यवर, देर होने पर प्रबन्ध समिति के लोगों ने मुकदमा दायर किया, तो सरकार की ओर से, जब उसने मुझे पहले उत्तर में गम्भीर आरोप माने, जांच में क्यों देर हुई, यह मैं पूछता हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---बहुधा इस प्रकार की जांच में समय लग ही जाया करता है। विद्यालय के निरीक्षक को और बहुत से काम होते हैं और गबन वगैरह के मामले में खासी जांच की आवश्यकता होती है। १६ अप्रैल, सन् १९५७ को लिखा गया था कि आख्या भेजिये। करीब १३ महीने में उन्होंने भेजी। कुछ विलम्ब हुआ। अब तो उनके विरुद्ध केस अदालत के विचाराधीन है।

श्री इन्दुभूषण गुप्त---जब सरकार के नोटिस में इतने गम्भीर आरोप आ गये तो उसने क्या कार्यवाही की ? मुकदमा तो पब्लिक की ओर से चल रहा है।

श्री रामस्वरूप यादव---जब अदालत में मुकदमा चल रहा है तो सरकार को कुछ न करके सामान्यतः उसका इन्तजार करना चाहिये।

आजमगढ़ जिले में चोरी से फसल की कटाई

*३६---**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के प्रत्येक थाने में पृथक-पृथक माह अगस्त, १९५८ से ३० नवम्बर, १९५८ तक कच्ची या पक्की फसल कटाई के कितने मामले दर्ज किये गये और कितनों पर कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४८४ पर)

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उस जिले में ४ महीने के अन्दर कुल ४४० फसल कटाई के मामले हुये, तो इस विषम परिस्थिति को देखते हुये सरकार इसकी रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---फसल कटाई के किस्से तो ज्यादा हो गये हैं। उनके विरुद्ध जांच की जा रही है और मुकदमे भी कायम कर दिये गये। पुलिस सतर्क है कि आगे इस प्रकार के जुर्म न हों।

श्री मुक्तिनाथ राय---लिस्ट को देखने से मालूम होता है कि ३८५ पक्की फसल काटने के मामले दर्ज हुये लेकिन केवल ७ की जांच की गई। बाकी की जांच क्यों नहीं की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---पक्की फसल की कटाई में ४६ मामलों में अनुसंधान हुआ। ९ मामलों में अनुसंधान नहीं किया गया। ३६ का चालान किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन हैं। ४ मामलों में अनुसंधान किया जा रहा है। शेष ६ मामलों में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई। ३७८ की जांच इसलिये नहीं हो सकी कि शहादत नहीं मिली।

श्री मुक्तिनाथ राय---३८५ केसेज में ३७८ मामलों की जांच नहीं की गई, इसका क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अभी बतलाया कि शहादत न मिलने से जांच नहीं की जा सकती। दूर-दूर गांवों में पुलिस को जांच का अवसर भी कम मिलता है उसके और कामों को देखते हुये। अब ग्राम सुरक्षा समितियां कायम की गई हैं जिससे इस प्रकार की घटनायें यथासम्भव वहीं रोकी जा सकें।

विद्यालय उप निरीक्षक

*३७---**श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने उप-विद्यालय निरीक्षक नियुक्त हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---५१ विद्यालय उप-निरीक्षक तथा
५ मुस्लिम विद्यालय उप-निरीक्षक

कुल ५६ हैं।

*३८---**श्री भगवतीसिंह विशारद** (अनुपस्थित)---क्या गृह मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि इन उप-विद्यालय निरीक्षकों में कितने उपविद्यालय निरीक्षक प्रधानाध्यापकों में से सरकारी आदेशों के अनुसार लिये गये हैं और क्या उनकी संख्या या प्रतिशत उक्त आदेशों के अनुसार पर्याप्त है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---प्रधानाध्यापकों में से उप-विद्यालय निरीक्षक नहीं लिये जाते। अतः उनकी संख्या का प्रश्न ही नहीं उठता।

जलालपुर, जिला बाराबंकी की डकैती

*३९--**श्री मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल** (जिला बाराबंकी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी थाना भेलखर के ग्राम जलालपुर में जो डकैती नवम्बर, १९५८ में पड़ी है उसमें किस प्रकार की और कितनी क्षति गांव वालों को उठानी पड़ी ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस डकैती में वादी को ३१७ रुपया ७ आने की क्षति उठानी पड़ी तथा एक व्यक्ति जो वादी का पट्टीदार था, डकैतों द्वारा मारा गया ।

*४०--**श्री मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल**--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त डकैती से सम्बन्धित अब तक कितने लोग पकड़े गये या फरार हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--एक व्यक्ति पकड़ा गया है, जो लोग फरार हैं, उनकी संख्या निश्चित नहीं है । जांच सी० आई० डी० द्वारा की जा रही है ।

श्री मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस डकैती में कोई डाकू मारा या पकड़ा भी गया ?

श्री रामस्वरूप यादव--एक व्यक्ति पकड़ा गया था ।

श्री मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल--वह जिन्दा पकड़ा गया था या मरा हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव--पकड़ा तो जिन्दा ही जाता है ।

*४१-४२--**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)--[६ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

इंचार्ज, थाना सादाबाद के विरुद्ध शिकायत

*४३--**श्री टीकाराम पुजारी** (जिला मथुरा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मथुरा के थाना सादाबाद के इंचार्ज के खिलाफ कोई दरखास्त उसे प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उसमें क्या शिकायतें थीं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां, श्री छेदालाल आर्य, निवासी ग्राम मंस्या-कला का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ । इसमें थाना सादाबाद के इंचार्ज के विरुद्ध झूठे मुकदमें चलाकर धन कमाना, दलालों का गोल बनाना, भले आदमियों को परेशान करना आदि शिकायतें की गई थीं । शिकायतों की जांच करने पर उनमें कोई तथ्य नहीं पाया गया ।

श्री टीकाराम पुजारी--आज तो मुझे उत्तर ही नहीं मिला क्योंकि मेरे यहां लोग कहते हैं कि खेती कर बनज कू ढावै, दोनों में से एकहू न पावे । क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जिस तारीख में जांच की थी तो छेदालाल को साथ में ले लिया था ?

श्री रामस्वरूप यादव--नोटिस की आवश्यकता है । लेकिन जांच तो जिलाधीश द्वारा की गई थी, छेदालाल दो बार के सजायाफ्ता हैं ।

श्री टीकाराम पुजारी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इसे एक पक्ष की जांच मानकर वह इसकी दोबारा जांच करावें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--चूंकि एक पुलिस के सब-इंसपेक्टर के विरुद्ध शिकायतें थीं इसीलिये यह जांच जिलाधीश द्वारा कराई गई थी और आम नचर की शिकायतें थीं ।

नोट:--तारांकित प्रश्न ४३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

अल्प बचत योजनान्तर्गत पुलिस कर्मचारियों के वेतन में कटौती

*४४--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या प्रदेश में नवम्बर, १९५८ में थानेदारों, हेड-कान्स्टेबिलों तथा कान्स्टेबिलों के मासिक वेतन में पांच रुपया, दो रुपया तथा एक रुपया क्रमशः काटा गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सदा की भांति अल्प बचत योजना के अन्तर्गत प्रदेश के कुछ जिलों में थानेदारों, हेड-कान्सटेबुलों तथा कांस्टेबुलों के वेतन से उनके इच्छानुसार धनराशि प्राप्त हुई थी ।

*४५--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार के पास पुलिस यूनियन की ओर से कोई शिकायत उपर्युक्त विषय में वेतन काटने की आई है ? यदि हां, तो वह क्या शिकायत है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं ।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*४६--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या यह सही है कि बहुत से पुलिस मैनों ने वेतन लेने से इन्कार किया ? यदि हां, तो वे कितने थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं ।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

श्री अब्दुल समद पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही के लिये न्यायाधीश ए० एन० मुल्ला का संकेत

*४७--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह (जिला गोंडा), श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या यह सही है कि न्यायाधीश ए० एन० मुल्ला महोदय ने २५ नवम्बर, १९५८ को हरदोई के छैलबिहारी प्रभृति की फौजदारी अपील मंजूर करते हुये प्रदेश के उच्च पुलिस अधिकारियों को लिखा है कि श्री अब्दुल समद और उसके साथी पुलिस वालों के खिलाफ उत्पीड़न (टार्चर) के अपराध में विभागीय कार्यवाही की जाय ? अगर हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, न्यायाधीश महोदय ने उक्त अपील से सम्बन्धित अपने २० नवम्बर, १९५८ के निर्णय में यह संकेत किया कि श्री अब्दुल समद आदि पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाय । इस सम्बन्ध में पुलिस रेगुलेशन्स के पैरा ५०० के अन्तर्गत जांच की जा रही है । यदि जांच से उत्पीड़न का आरोप सही पाया जायगा तो पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री श्रीकृष्ण, सरपंच, पंचायत अदालत कटियारा का कत्ल

*४८--श्री छेदीलाल (जिला खीरी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सीतापुर, थाना हरगांव अदालत पंचायत कटियारा के सरपंच श्री श्रीकृष्ण का कत्ल तारीख २५ सितम्बर, १९५८ को बाजार से वापस आते समय रास्ते में हो गया ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उसकी जांच की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने और कौन-कौन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां । इस घटना की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है । इस सम्बन्ध में अभी तक मंगल सिंह नामक एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है ।

*४९--श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)--[हटा दिया गया ।]

*५०--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--[१३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

सहसवान तहसील में बन्दूक और रिवाल्वरों के लाइसेन्स

*५१--श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)--क्या सरकार बतायेगी कि जिला बदायूं, तहसील सहसवान में सन् १९५७-५८ में बन्दूकों और रिवाल्वरों के लाइसेन्सों के लिये कितने प्रार्थना-पत्र आये, कितने मंजूर हुये और कितने खारिज हुये और क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सन् १९५७ तथा १९५८ में बंदूक एवं रिवाल्वरों के लिए क्रमशः ३१३ व १० नये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से १३९ व २ स्वीकृत तथा १८१ व ८ अस्वीकृत हुए । अस्वीकृत होने के कारण प्रार्थीगणों को शस्त्र की आवश्यकता न होना तथा उनकी अयोग्यता थी ।

*५२--श्री उल्फतसिंह--[६ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

शाहजहांपुर जिले में नार्मल ट्रेनिंग के लिये बैकवर्ड तथा अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार

*५३--श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर में इस वर्ष नार्मल की ट्रेनिंग के वास्ते कितने व्यक्ति लिये गये । इनमें से कितने बैकवर्ड क्लास के तथा कितने अनुसूचित जाति के थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कुल ५४ व्यक्ति लिये गये उनमें से ९ बैकवर्ड क्लास के तथा ९ अनुसूचित जाति के थे ।

*५४--श्री रूमसिंह--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि नार्मल ट्रेनिंग पाने के वास्ते बैकवर्ड क्लास तथा अनुसूचित जाति के लड़कों ने अलग-अलग कितने प्रार्थना-पत्र दिये थे ?

श्री कलमापति त्रिपाठी--
बैकवर्ड क्लास--१७७,
अनुसूचित जाति--४१ ।

जे० टी० सी० तथा जे० बी० टी० सी० अध्यापकों के वेतन में अन्तर

*५५--श्री टम्बरेश्वरप्रसाद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जे० टी० सी० तथा जे० बी० टी० सी० ट्रेनिंग प्राप्त अध्यापकों का वेतन-क्रम जुलाई, सन् १९५७ के पूर्व समान था ? यदि हां, तो अब अन्तर करने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां । इसका कारण यह है कि जे० बी० टी० सी० के प्रशिक्षण का स्तर जे० टी० सी० के प्रशिक्षण से ऊंचा है ।

विदेश शिक्षा

*५६--श्री भूपकिशोर--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० सरकार ने इस वर्ष १९५८ ई० में विदेश शिक्षा प्राप्त करने को कितने विद्यार्थियों को सरकारी खर्च से भेजा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--किसी भी विद्यार्थी को नहीं भेजा ।

कृषि डिगरी कालेजों को विशेष सहायता देने की प्रार्थना

*५७--श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी, (जिला देवरिया), श्री चन्द्रदेव (जिला देवरिया), श्री चन्द्रिकाप्रसाद (जिला रायबरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह मान्यता प्राप्त कृषि डिग्री कालेजों को राजकीय सहायता के साधारण नियमों को निलम्बित कर विशेष रूप से सहायता देने के सिद्धान्त को स्वीकार करने पर विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं ।

बस्ती, गोरखपुर तथा देवरिया जिलों में अनशनकारियों की गिरफ्तारी

*५८--श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अगस्त, १९५८ में बस्ती, गोरखपुर तथा देवरिया जिले में कितने अनशनकारियों को किस दफा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अगस्त, १९५८ में बस्ती, गोरखपुर तथा देवरिया जिले में दफा ३०९ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत सात अनशनकारियों को गिरफ्तार किया गया ।

*५९--श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन अनशनकारियों की मुख्य मांगें क्या थीं तथा सरकार ने उनकी मांगों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इन अनशनकारियों की मुख्य मांगें तथा उनके सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४८५-४८६ पर)

अलीगढ़ जिले में आग्नेय अस्त्रों के लाइसेन्स

*६०--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले में अस्लहा की कितनी दरख्वास्तें इस समय विचाराधीन हैं और उनमें से सबसे पुरानी दरख्वास्तें कितनी पुरानी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अलीगढ़ जिले में आग्नेय शस्त्रों के ३९५ आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं जिनमें से १३ साल भर से ऊपर के हैं ।

*६१--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले में तहसीलवार कितने गांवों में लाइसेन्सदार बन्दूकें हैं और कितने गांवों में एक भी बन्दूक नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वांछित सूचना संलग्न प्रपत्र में प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४८७ पर)

*६२--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या सरकार अलीगढ़ जिले में जिन व्यक्तियों के पास पांच से अधिक लाइसेन्स हैं उनकी एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह सूचना अभी एकत्रित की जा रही है ।

कल्याणपुर सेटलमेंट में अव्यवस्था की शिकायत

*६३--श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार को यह शिकायत प्राप्त हुई है कि १४ सितम्बर, सन् १९५८ ई० को कल्याणपुर सेटिलमेंट, कानपुर के अधिकारियों व कर्मचारियों ने सेटिलमेंट के अन्दर रहने वाले कुछ व्यक्तियों के मकान का ताला तोड़कर सामान निकाल कर बाहर फेंक दिया ? यदि हां, तो उक्त शिकायत पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं ।

जिलेवार डकैतियां

*६४--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७ ई० में उत्तर प्रदेश में जिलेवार कितनी-कितनी डकैतियां पड़ी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मांगी गई सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४८८-४८९ पर)

अलीगढ़ जिले में अपराध सम्बन्धी घटनायें

*६५--श्री अनन्तराम वर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ शहर में १ जनवरी, सन् १९५८ से २० सितम्बर, सन् १९५८ तक कितनी चोरियां, राहजनी, डकैतियां तथा कत्ल हुये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

चोरियां	..	..	..	२९५
राहजनी	..	..	..	१
डकैती	..	..	..	१
कत्ल	..	..	..	७

*६६--श्री अनन्तराम वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त चोरियों, राहजनी तथा डकैतियों में से किन्हीं में माल बरामद हुये हैं ? यदि हां, तो कितनी चोरियों, कितनी राहजनी तथा कितनी डकैतियों के माल बरामद हुये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--८८ चोरियों में तथा १ डकैती में माल बरामद हुआ ।

खाद्य आन्दोलन में गिरफ्तारियां

*६७--श्री भीखालाल तथा श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सितम्बर, १९५८ ई० के खाद्य आन्दोलन के संबंध में प्रांत के प्रत्येक जिले में भिन्न-भिन्न राजनैतिक दलों के कितने-कितने कार्यकर्त्ता गिरफ्तार हुये और किन दफाओं में गिरफ्तार किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वांछित सूचना †संलग्न तालिका "अ" व "ग" में दी गई है ।

हिन्दी-संस्कृत के ट्रेण्ड अध्यापकों का ग्रेड

*६८--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे revised course-trained आचार्य, साहित्यरत्न व शास्त्री डिग्रियां प्राप्त अध्यापकों को L. T. grade देने जा रही है। यदि हां, तो कब से ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां। ३० जून, १९६० के पश्चात् ।

विधायकों को फ्री रेलवे पास देने के लिये केन्द्र से पत्र-व्यवहार

*६९--श्री रामचन्द्र विकल--क्या न्याय मंत्री तारीख २ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९ के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने विधायकों के रेलवे पास के संबंध में कब-कब केंद्रीय सरकार को लिखा और केंद्रीय सरकार द्वारा जो उत्तर प्राप्त हुआ उसे भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--प्रथम बार २९ जून, १९५४ को। द्वितीय बार १३ अक्तूबर, १९५४ को केंद्रीय सरकार द्वारा भेजे गये उत्तरों की प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४९०-४९१ पर)

*७०--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--[६ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

---

†सूचना छापी नहीं गई ।

कानपुर में आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की बेंच

*७१--श्री एस० अहमद हसन (जिला कानपुर)--क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में कुल कितनी आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की बेंच सन् १९५७ में थीं और अब कितनी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सन् १९५७ में तीन थीं और अब भी उतनी ही हैं।

न्यायालयों के लिये भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति

*७२--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह कृपया बतायेगी कि क्या उसने १९५८ में न्यायालयों में भ्रष्टाचार के निर्मूलन के उपायों के विषय में सुझाव देने के लिये उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अध्यक्षता में कोई समिति नियुक्त की है अगर नहीं तो क्या निकट भविष्य में सरकार कोई ऐसी समिति नियुक्त करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सरकार ने १९५८ में न्यायालयों से भ्रष्टाचार के निर्मूलन के संबंध में कोई समिति नहीं नियुक्त की। किन्तु सरकार ने शीघ्र ही एक ऐसी समिति नियुक्त करने का निश्चय कर लिया है।

आजमगढ़ जला जज के विचाराधीन दीवानी के मुकदमें

*७३--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला और सेशन जज के इजलास में इस समय दीवानी के कितने मामले निर्णय के निमित्त विचाराधीन हैं और कब से ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--आजमगढ़ जिला और सेशन्स जज की अदालत में ९ फरवरी, ५९ को विचाराधीन दीवानी के मुकदमें वर्षवार इस प्रकार थे :--

१९५६ ..	..	२
१९५७ ..	..	१८
१९५८ ..	..	८३२
१९५९ ..	..	१६९

मैनपुरी जिले में दफा १०९ व ११० के पुराने मुकदमे

*७४--श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जाप्ता फौजदारी की दफा १०९ व ११० के ऐसे मुकदमें मैनपुरी जिले में कितने हैं, जो कि कलेक्टरी या सेशन अदालतों में सन् १९५७ से अब तक विचाराधीन हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कोई नहीं।

'रामसिंह बनाम राज्य' क्रिमिनल अपील

*७५--श्री रामअधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)--क्या सरकार का ध्यान रामसिंह बनाम राज्य क्रिमिनल अपील नं० ४८४, सन् १९५७, तारीख निर्णय १३ मई, सन् १९५७, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच द्वारा दिये गये निर्णय की ओर आकर्षित हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने उन अधिकारियों के प्रति जिनके कार्यों की निर्णय में निन्दा की गई है, क्या कार्यवाही की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

डी० डी० टी० छिड़काव योजना

*७६--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश के जिलों में डी० डी० टी० के छिड़काव की कोई व्यवस्था सरकार ने की है।

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां, उत्तर प्रदेश के ४३ जिलों में डी०डी०टी० छिड़काव की योजना सफलता पूर्वक काम कर रही है।

*७७--श्री मुक्तिनाथ राय--यदि हां, तो वह व्यवस्था किस प्रकार की है और किन-किन जिलों में यह व्यवस्था चालू की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मलेरिया उन्मूलन योजना के अन्तर्गत डी० डी० टी० का छिड़काव राज्य में किया जा रहा है। बहराइच, खीरी, बिजनौर, और नैनीताल (तराई) के कुछ आवश्यक भागों में प्रतिवर्ष ३ बार डी० डी० टी० का छिड़काव किया जावेगा। इसके अतिरिक्त सब यूनिटों और ऊपर के जिलों के बचे हुये भागों में प्रतिवर्ष २ बार डी० डी० टी० का छिड़काव किया जावेगा। जिन जिलों में डी० डी० टी० का छिड़काव हो रहा है उनके नाम निम्नलिखित हैं :--

जिलों के नाम :--

सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, इटावा, मैनपुरी, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, एटा, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, बांदा, हमीरपुर, झांसी, कानपुर, उन्नाव, इलाहाबाद, बाराबंकी, देहरादून, टेहरी,-गढ़वाल, बिजनौर, पौरी-गढ़वाल, नैनीताल, अल्मोड़ा, खीरी, जालौन, बहराइच, मिर्जापुर और फर्रुखाबाद।

*७८--श्री हरिदत्त कांडपाल (जिला अल्मोड़ा)--[६ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

रजिस्टर्ड होमियोपैथिक डाक्टर

*७९--श्री गनेशीलाल चौधरी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५६-५७ व अगस्त, १९५८ तक कितने होमियोपैथिक डाक्टर रजिस्टर्ड किये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--१९५६-५७ में १६६० और अगस्त, १९५८ तक ८३२७।

मैनपुरी जिले के सेनेटरी इन्स्पेक्टर

*८०--श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में इस समय सिनेटरी इन्स्पेक्टर कुल कितने हैं और उनमें से प्रत्येक की एक ही सर्किल में कार्य करने की अवधि क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४९२ पर)

पडरौना तहसील के आयुर्वेदिक औषधालय

*८१--श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील पडरौना जिला देवरिया में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालयों की संख्या कितनी है, और कितने औषधालयों के पास निजी भवन हैं और कितने औषधालय किराये के भवन में हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---तहसील पडरौना, जिला देवरिया में तीन राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय हैं। उक्त सभी औषधालय के पास निजी भवन हैं।

संतति-निग्रह योजनान्तर्गत कार्य

*८२-**श्री रामहेतसिंह** (जिला मथुरा)---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संतति-निग्रह योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कहां-कहां कार्य हो रहा है तथा अभी तक इसमें क्या सफलता मिली है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस प्रदेश में अभी तक ७ नगर तथा २६ ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किये जा चुके हैं और उनमें कार्य हो रहा है। उनकी सूची संलग्न है।

योजना की सफलता पिछले तीन वर्ष के लिखित आकड़ों से स्पष्ट है :

	१९५५	१९५६	१९५७
(१) जिन महिलाओं ने आपरेशन कराया ..	१,०३०	१,२७३	२,०००
(२) जिन पुरुषों ने आपरेशन कराया ..	१२९	१७१	१९४
(३) जिन महिलाओं को परामर्श दिया गया ..	१६,५५०	१९,५५०	२४,६५९
(४) जिन पुरुषों को परामर्श दिया गया ..	५,२८८	२,८२१	५,८५८

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४९३ पर)

*८३-८४ **श्री बलदेवसिंह** (जिला गोंडा)---[हटा दिये गये।]

होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों को सहायता देने का आधार तथा इलाहाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कालेज को सहायता

*८५---**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कालेज ऐण्ड हास्पिटल कितने वर्षों से रिकगनाइज्ड है तथा उसे चालू वित्तीय वर्ष में कितनी सहायता राज्य सरकार की ओर से किन-किन मदों में दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इलाहाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कालेज ऐण्ड हास्पिटल, इलाहाबाद अप्रैल, १९५६ से होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड से सम्बद्धित (affiliated) है। चालू वित्तीय वर्ष में (१९५८-५९) १२,००० रु० की धनराशि मद "ठ. .. विकास योजनायें (५३) गैर-सरकारी होम्योपैथिक संस्थाओं को सहायक अनुदान" से दी गई है।

*८६---**श्री मदन पांडेय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में होमियोपैथिक मेडिकल कालेजों को मान्यता तथा सहायता किन शर्तों को पूरा करने पर दी जाती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---होम्योपैथिक शिक्षा संस्थाओं को मान्यता (recognition) प्रदान करने एवं उन संस्थाओं को होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड से सम्बद्ध करने के लिये विनियमों की †प्रतिलिपियां संलग्न हैं। इनको आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रश्न किसी शर्त पर निर्भर नहीं है।

†प्रतिलिपियां छापी नहीं गईं।

*८७—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य के किन-किन होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों ने मान्यता प्राप्त करने की शर्तें पूरी कर ली हैं ? जिन्होंने अब तक उक्त शर्तें पूरी नहीं की हैं उनसे पूरा कराने के लिये सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—राज्य के दो होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों (१) नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ तथा (२) इलाहाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, इलाहाबाद ने मान्यता प्राप्त करने की शर्तें पूरी कर ली हैं। तद् उपरान्त होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड ने उन्हें सम्बद्धित भी कर लिया है।

जहां तक होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के मान्यता प्राप्त करने की शर्तों के पूरा करने का प्रश्न है यह सम्बन्धित कालेजों के कार्य-कारिणी समितियों के ऊपर निर्भर है कि वे उसके लिये प्रयत्न करें क्योंकि शर्तों को पूरा न करने पर उन्हें मान्यता प्रदान नहीं की जायगी। सरकार शर्तों को पूरा करने के लिये बाध्य नहीं करती है।

आगरा में शिशु चिकित्सालय की आवश्यकता

*८८—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में शिशु-चिकित्सालय खोलने के लिये कोई धनराशि W. H. O. U. N. I. C. E. F. से सरकार को प्राप्त हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं।

पार्वती बागला संक्रामक रोग अस्पताल तथा सरोजिनी नायडू अस्पताल, कानपुर संबंधित शिकायती-पत्र

*८९—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार के पास १९५८ के उत्तरार्ध में कानपुर के (१) पार्वती बागला संक्रामक रोग अस्पताल, कानपुर तथा (२) सरोजिनीन नायडू अस्पताल, आगरा की बाबत कोई शिकायती-पत्र आया है ? वह शिकायत क्या है ? सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। जहां तक पार्वती बागला संक्रामक रोग अस्पताल, कानपुर का सम्बन्ध है एक शिकायत दैनिक नागरिक, कानपुर में २१-६-५८ को प्रकाशित हुई थी जो सरकार को १९५८ के उत्तरार्थ में प्राप्त हुई। उसमें लिखा था कि दो दिन से गरीब रोगियों के निशुल्क खाने का प्रबन्ध अस्पताल से नहीं किया गया है। जांच करने पर पता चला कि उक्त शिकायत में कोई सत्यता नहीं है। एक और शिकायती-पत्र उक्त अस्पताल तथा सरोजनी नायडू अस्पताल, आगरा की बाबत प्राप्त हुआ था। वह शिकायत ये थी कि दो बच्चों की मृत्यु कानपुर के तथा आगरा के अस्पतालों में डाक्टरों की असावधानी के कारण हुई। ये शिकायती-पत्र स्वास्थ्य सेवा संचालक को तुरन्त जांच करने व सरकार को रिपोर्ट भेजने के हेतु प्रेषित किया गया। संचालक ने सूचित किया है कि जहां तक एक बच्चे की मृत्यु, जो सरोजनी नायडू अस्पताल, आगरा में हुई है, वह डाक्टरों की असावधानी से नहीं हुई है। दूसरे बच्चे की मृत्यु जो पार्वती बागला संक्रामक रोग अस्पताल में हुई है उस पर अभी जांच जारी है।

*९०—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[६ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*९१-९३—श्री प्रतापसिंह—[६ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

जैथरा अस्पताल के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

*९४—श्री भूपकिशोर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सन् १९५६ व १९५७ व सन् १९५८ ई० में सरकारी अस्पताल, जैथरा, जिला एटा के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत की अर्जियां सरकार को दी गई थीं ? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या थीं ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—सन् १९५६ व १९५७ ई० में सरकार को जैथरा जिला एटा के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत की कोई अर्जियां नहीं प्राप्त हुईं। सन् १९५८ में सरकार को जैथरा चिकित्सालय के मेडिकल आफिसर तथा वहां की एक क्रिश्चियन मिडवाइफ के विरुद्ध दुराचार के आरोप की अर्जी प्राप्त हुई थी।

अलीगढ़ जिले में हरिजन कल्याणार्थ सहायता

*९५—श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५७–५८ में अलीगढ़ जिले में हरिजन-कल्याण विभाग की ओर से हरिजनों को पीने के पानी के कुयें बनाने, मकान निर्माण करने और उद्योग धंधों के लिये कितनी सहायता तहसीलवार दी गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आवश्यक सूचना संलग्न सूची में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४९४ पर)

*९६—श्री हरदयालसिंह पिपल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या निर्माण के उक्त सब कार्य पूरे हो चुके हैं और सब को पूरा रुपया दिया जा चुका है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—निर्माण के उक्त कार्यों में से तीन कुयें पूरे हो चुके हैं और पूरा रुपया भी दिया जा चुका है। मकान अभी पूरे नहीं हो पाये हैं यद्यपि केवल १०० रु० छोड़कर पूरा रुपया दिया जा चुका है।

हरिजन-कल्याण समिति, गाजीपुर

*९७—श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ ई० के लिये गाजीपुर हरिजन-कल्याण समिति द्वारा कितने हरिजन छात्रों को कितना धन छात्रवृत्ति के रूप में दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१९५७–५८ में १३८ हरिजन छात्रों को छात्रवृत्तियां स्वीकृत की गईं तथा १३,१२८ रु० व्यय हुआ।

*९८—श्री रघुवीरराम—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किन विशेष योग्यताओं और आधार पर उक्त हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—छात्रों की योग्यता तथा निर्धनता के आधार पर।

*९९—श्री रघुवीरराम—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हरिजन समिति, गाजीपुर का गठन किन आधारों पर किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—शासकीय आदेश संख्या २६७०/२६ : ८३४/१९५५, दिनांक सितम्बर २२, १९५६ के अनुसार किया गया है (जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।)

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ४९५–४९७ पर)

जौनपुर जिले में हरिजन छात्रों को सहायता

*१००–श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले की प्रत्येक तहसील में पृथक पृथक कितने हरिजन छात्रों को १९५७ में किताब के रूप में और कितनों को नकद रुपया दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना संलग्न †तालिका में दी गई है ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का १९५५–५६ का वार्षिक प्रतिवेदन††

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद ३२३ के खंड (२) के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के १९५५–५६ के वार्षिक रिपोर्ट (प्रतिवेदन) को तत्संबंधी ज्ञापन सहित सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, इस पर वाद-विवाद के लिये कोई समय नियत करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री मुझसे इस सम्बन्ध में बातें करके समय नियत कर लें ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं इस विषय में श्रीमन् को सूचना दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—मैं सदन को बाद में सूचित कर दूंगा ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८–५९ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९५९

सचिव, विधान सभा—मैं सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८–५९ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९५९ जो विधान सभा द्वारा १६ फरवरी, १९५९ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के १९ फरवरी, १९५९ को वापस प्राप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश गोदाम विधेयक, १९५८

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोदाम विधेयक, १९५८ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ३० जुलाई, १९५८, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ८ सितम्बर, १९५८, की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति १० फरवरी, १९५९ को प्राप्त हो गयी और वह १९५९ का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया ।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—अब नियम ५२ के अनुसार २ सूचनाएं मेरे पास आयी हैं । जिनमें से मैंने एक की अनुमति दी है और दूसरी को अस्वीकृत कर दिया है जो श्री नन्दराम गुप्ता जी की है क्योंकि

---

†तालिका छापी नहीं गई ।

††छापा नहीं गया ।

[श्री अध्यक्ष]

मैं समझता हूं वह विशेष अविलंबनीय जानकारी प्राप्त करने की नहीं है वे उसका जिक्र बजट के समय कर सकते हैं। उनको कोई जल्दी नहीं है। दूसरी मोतीलाल अवस्थी जी की है, जिसकी मैंने अनुमति दे दी है। वह इस प्रकार है—

"ग्राम बैरी अकबरपुर, नानकारी, बारासिरोही, अधमपुर, माखनपुरवा और नानाउ जिला कानपुर के किसानों की भूमि शकर प्राविधिक शिक्षण केंद्र एवं कृषि-इंजीनियरिंग कालेज हेतु ली जा रही और उनकी खड़ी फसल काटी जा रही है।

परिणामस्वरूप लगभग ३०० परिवार जीविका विहीन हो रहे हैं।

पास ही अन्य पूंजीपतियों की जमीन ले ली जाकर छोड़ दी गयी है।

इस आवश्यक विषय पर विवाद के लिये नियम ५२ के अन्तर्गत समय का आवंटन होना चाहिये।"

इसमें विवाद नहीं होगा। इसमें केवल संबंधित मंत्री जी वक्तव्य देंगे और उससे जो कुछ जानकारी सदन को प्राप्त होगी उसके बाद स्पष्टीकरण के हेतु प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या वह वक्तव्य आज ही मिल जायगा ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—मैं निवेदन कर दूं कि आज इसका उत्तर देना संभव न होगा।

श्री अध्यक्ष—कल प्रारम्भ में इसके बारे में वक्तव्य दिया जायगा।

आय-व्ययक पर विवाद के समय मंत्रियों के सदन में उपस्थित रहने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—मान्यवर, बजट में सामान्य वाद-विवाद प्रारम्भ होते समय यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था कि वाद-विवाद के समय सभी माननीय मंत्रियों को उपस्थित रहना चाहिये और उसका फैसला आपके द्वारा दिया गया था। इसमें एक निवेदन मुझे यह करना है कि इसी माननीय सदन में इस संबंध में पहले दो रूलिंग हो चुकी हैं। आपकी आज्ञा से मैं उनको पढ़ देना चाहता हूं। पहली रूलिंग ८ मार्च, १९५० की है जिसमें उपाध्यक्ष कहते हैं "मुझे उम्मीद है कि बजट की जब आम बहस हो तो सब माननीय मंत्री मौजूद रहें तो बेहतर है, लेकिन मजबूरी की हालत भी हो सकती है।" जब ग्रांट्स पर विवाद हो तो उसके लिये रूलिंग माननीय स्पीकर की यह है "एक मिनिस्टर जिनका यह विभाग है वह तो मौजूद हैं, यह उम्मीद करना कि सब मिनिस्टर मौजूद रहें यह तो मुझे मुनासिब से दूर बात मालूम होती है, लेकिन मैं इसमें आपसे सहमत हूं कि जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा मिनिस्टर मौजूद रहें। जिन मिनिस्टर की जिम्मेदारी हो उनका तो यहां रहना जरूरी है और मैं देखता हूं वह यहां मौजूद हैं।"

मान्यवर, अधिक समय न लेते हुए मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो स्वस्थ परम्परा पहले रही है उस स्वस्थ परम्परा को कायम करने में वे भी सहयोग प्रदान करें। आपसे मेरा निवेदन है कि इस स्वस्थ परम्परा के बारे में आप अपना निर्णय दें।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस विषय में कोई दो मत तो हैं नहीं। इस विषय में पहले के फैसले से यह स्पष्ट हो चुका है कि क्या प्रथा होनी चाहिये। कोई वैधानिक तो यह प्रश्न है नहीं, प्रश्न तो केवल औचित्य का है कि सदन में जिस वक्त सबसे महत्वपूर्ण विषय यानी वार्षिक बजट पेश हो और उस संबंध में सामान्य वाद-विवाद हो और जिस पर वित्त

मंत्री जी का पहले महत्वपूर्ण भाषण होता है, तो बजट उपस्थित करने पर उसके सामान्य वाद-विवाद में वित्त मंत्री जी को अवश्य उपस्थित रहना चाहिये। यह उचित है। लेकिन कोई ऐसी भी अवस्था हो सकती है कि वे बीमार पड़ जायं या दूसरे सदन में उनको जाना पड़े या अचानक कोई दूसरी प्रकार की अड़चन बीच में आ जावे तो ऐसी ही अवस्था में जो उनके उपमंत्री उनके साथ काम करने वाले हों तो वे उपस्थित रह सकते हैं, साथ ही सामान्य वाद-विवाद के अवसर पर जितने अधिक मंत्रीगण सदन में रह सकें रहने का प्रयत्न करें, लेकिन वित्त मंत्री के लिए खास-तौर पर यह आवश्यक है जब तक कि कोई ऐसी कठिनाई न आ जाय जिसका मैंने पहले जिक्र कर दिया है सर्वत्र यही प्रथा रही है।

दूसरे जब अनुदानों के ऊपर कोई चर्चा हो उस वक्त जिस मंत्री के अनुदान पर विचार चल रहा हो उस समय उनका या उनके उपमंत्री का रहना आवश्यक है। उस में वही अपवाद लागू होगा कि यदि वे बीमार हो जायं या और कोई अड़चन की बात अचानक उपस्थित हो तो ऐसी अवस्था में वे गैरहाजिर रह सकते हैं और उसमें उनकी एवज में कोई भी मंत्री उपस्थित रह सकता है और सभी मंत्रियों के रहने की आवश्यकता उस विषय में नहीं होती। सामान्य विवाद के मौके पर अधिक से अधिक मंत्रियों का रहना इसलिये आवश्यक है कि माननीय सदस्य जो टीका-टिप्पणी करते हैं तो संबंधित विभाग के मंत्री उन को सुन सकें और जवाब देते समय उनका उत्तर दे सकें। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वित्त मंत्री किसी विभाग पर की हुई आलोचना पर अपनी समझ से कम महत्व दें और उस संबंध में की हुई टीका-टिप्पणी का उत्तर न दें। ऐसी हालत में यदि संबंधित विभाग के मंत्री या उप मंत्री सदन में मौजूद रहेंगे तो वे अपने विभाग के संबंध में उत्तर दे सकते हैं। यह साधारण परिपाटी की बात सबको विदित है परन्तु उसकी याददाश्त पुरानी होने से भूल न हो जाय इस वजह से उसको ताजा करने के लिये ही शायद यह प्रश्न माननीय सदस्यों ने उठाया है। मैं समझता हूं कि यह परिपाटी स्मरण में अब ताजी हो गयी है और उसी के अनुसार चलने में सभी प्रयत्नशील रहेंगे। इसमें मैं समझता हूं कि कोई वैधानिक प्रश्न नहीं है, लेकिन औचित्य का प्रश्न है कि सदन में कैसी परिपाटी हो और मैं समझता हूं कि इसी प्रथा के अनुसार यहां विवाद होता रहा है और उस का अनुसरण सरकार की तरफ से सदैव किया जायगा।

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को कुछ कहना है ?

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**---जी हां, अध्यक्ष महोदय, आपने जो फरमाया बिलकुल १६ आने सही है और प्रयत्न भी हम इस बात का करते हैं कि इसी परम्परा का पालन हो कि जो वित्त मंत्री हैं वे प्रायः यहां मौजूद रहें और अगर किसी मजबूरी की वजह से वे न रह सकें तो फिर कोई और मंत्री थोड़ी देर के लिये रह जायं। एक ही निवेदन करना है कि आपने दो बातों का जिक्र किया कि वे यकायक बीमार पड़ जायं या दूसरे सदन में उनको जाना हो, लेकिन एक और जरूरत पैदा हो सकती है। वित्त मंत्री मनुष्य हैं। शारीरिक जरूरत पड़ सकती है और वे खाने पीने के लिये जा सकते हैं थोड़ी देर के लिये, इस वजह से भी गायब हो सकते हैं। जो व्यवस्था आपने दी है उसके अन्तर्गत यह चीज जरूर सम्मिलित हो।

श्री अध्यक्ष---यह तो स्पष्ट बात है। तीसरी परिस्थिति से तो सभी लोग सहानुभूति रखते होंगे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, इस संबंध में मुझे एक निवेदन यह करना है कि आपने अभी जो व्यवस्था दी है इसकी एक प्रति आप अपने तमाम अधिष्ठाताओं के पास भिजवा दें। शायद वे आपकी व्यवस्था से अनभिज्ञ रहते हैं और कभी-कभी ऐसी व्यवस्था

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

दे देते हैं जो आपकी व्यवस्था के विपरीत चली जाती है। कल भी इस सदन में एक अधिष्ठाता महोदय ने एक व्यवस्था दे दी थी और उन्होंने कहा कि जब तक मैं बैठा हूं तब तक उसी को उचित समझता हूं। इसकी प्रति करा लीजिये और उनके पास भेज दीजिये।

श्री अध्यक्ष--मैं उसकी प्रति सभी माननीय सदस्यों के पास भेजवा दूंगा, अधिष्ठाता भी उसमें सम्मिलित हैं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं। जैसा आपने कहा यह प्रश्न औचित्य का है, वह आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन अगर औचित्य का उल्लंघन हो तो वह हाउस का अवमान है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--इसके बाद जब कोई ऐसा प्रश्न उपस्थित होगा उसी वक्त उसका निर्णय होगा। यह कोई मैं निर्बंध नहीं कायम कर सकता हूं कि अमुक परिस्थिति हो तो अमुक फैसला होना चाहिये, ऐसा कोई अध्यक्ष या अधिष्ठाता के निर्णयों के लिये कोड नहीं हो सकता है।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---इस संबंध में मेरा निवेदन भी यह है कि हर पार्टी के नेता हैं जिस दिन बोलने का मौका होता है उस दिन तो घंटे भर पहले आ जाते हैं और स्पीच देने के बाद उनके दर्शन नहीं होते हैं, उन्हें भी कुछ समय देना चाहिये यहां पर।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि एक बात तो यह जरूरी है और कम से कम विरोधी दल के नेता तो इस बात का खयाल रखते ही हैं। जब कभी वे भाषण दे चुके होते हैं तो अपने भाषण पर दूसरों की टीका भी सुनना वे चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह अनुकरणीय चीज है। वे सदन के बाहर जाते हैं तो ऐसी सूचना भी मुझे दे देते हैं कि इस वजह से जा रहे हैं। मैं उनको सूचना देने के लिये बाध्य नहीं कर सकता हूं क्योंकि यह बात फार्मल बहुत हो जाती है और मैं ऐसी बात के जरा विरुद्ध रहता हूं कि इतनी फार्मेलिटीज व्यवहार में बरती जायं और मैं एक हेडमास्टर की तरह बन जाऊं। यह बात मैं समझता हूं कि उचित नहीं है क्योंकि हम सभी लोग प्रौढ़ हैं और बराबरी के हैं। हर एक सदस्य से हम लोग आशा करते हैं कि वह अपने कर्त्तव्य का पालन स्वयं ही करेगा, यह आशा करते हुए ही हम लोग काम करते हैं।

श्री गौरीशंकर राय--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा के बाद एक निवेदन यह करना है कि एक दिन जब कामरोको प्रस्ताव २९ आये और उनको आपने माना नहीं तब से या तो कामरोको प्रस्ताव आते नहीं या आते हैं तो आप मानते नहीं। इधर १,२ रोज से नियम ५२ के अन्तर्गत अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न को भी स्वीकार नहीं किया गया और व्यवस्था आपने अभी यह दे दी है कि सभी विभागों के मंत्रियों का रहना जरूरी नहीं है। तो यह भी हो सकता है कि सभी मंत्री उत्तर देने को भी तैयार न हों और नियम ५२ के अन्तर्गत जिन विषयों की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहते हों उन विषयों पर उत्तर भी न दें, तो फिर किस प्रकार हमें जानकारी प्राप्त हो सकेगी इस संबंध में मैं आपकी राय चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष--यह जरूरी बात नहीं है कि हर एक प्रश्न जो नियम ५२ के अन्तर्गत दिया जाता है वह यकसां महत्व का होता है और उसका जवाब देना आवश्यक हो। मैं जिनको अस्वीकृत करता हूं तो मैं भी यही समझता हूं कि अविलम्बनीय उत्तर देने योग्य वह नहीं है। दूसरा रास्ता मौजूद है माननीय सदस्यों के लिये कि वे अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर सकते हैं। मंत्री जी यदि अपने वक्तव्य के स्पष्टीकरण में किसी प्रकार का जवाब न दें, तो जिसका जवाब पाना आप आवश्यक समझते हों और मंत्रीगण न दें तो उस संबंध में आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न बाद में दे सकते हैं। आप उसका जवाब अल्पसूचित तारांकित प्रश्न द्वारा मांग सकते हैं और वह प्रश्न स्वीकृत हो जायगा।

श्री गौरीशंकर राय--बजट का विवाद कार्य-स्थगन प्रस्ताव के मार्ग में बाधक नहीं होना चाहिये। जब अल्पसूचित तारांकित प्रश्न की दूसरी व्यवस्था है तो फिर कृपया यह न कहा जाया करे कि इसके बारे में आम विवाद के समय चर्चा हो सकती है।

श्री अध्यक्ष--बात यह है कि कई जगह तो वक्तव्य से समाधान हो जाता है जो नियम ५२ के अनुसार दिया जाता है और इसी कारण बहुत दफा मैं इजाजत दे देता हूं। लेकिन कामरोको प्रस्ताव जो है वह किसी विषय पर विवाद का प्रस्ताव है इस कारण उस विषय पर बजट के विवाद में सदस्यगण कह सकते हैं। और कामरोको प्रस्ताव के बारे में जो विवाद होता है उसमें सरकार की ओर से उत्तर मिल ही जायगा यह निश्चित नहीं होता, क्योंकि समय के अन्दर ही उसको समाप्त होना होता है। इसलिये कामरोको प्रस्ताव के लिये मैं कहता हूं उसको मैं साधारणतः बजट के विवाद के दिनों में स्वीकार नहीं करता हूं। कोई असाधारण बात हो तो बात दूसरी है।

१९५९-६० के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष--कल माननीय बलदेवसिंह जी भाषण दे रहे थे और ८ मिनट बोल चुके थे। अब उनके ७ मिनट बाकी हैं।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)--अध्यक्ष महोदय, मैं कल कह रहा था कि इस सदन में कई बार इस बात की चर्चा आयी कि देश में खाद्य समस्या बहुत जटिल हो गई है और वास्तव में यहां भी और बाहर भी बराबर इस बात की चर्चा आयी। मैं बता रहा था कि उसका कारण यही नहीं है कि कांग्रेस की नीति के कारण हो गया है या दूसरे दलों के कारण हो गया है। इसका एक मुख्य कारण है और वह यह है कि किसान निरुत्साह होता जा रहा है बराबर नारेबाजी से कि तुम्हारे खेत निकल जायेंगे, कम होंगे, सीलिंग होगी, कहीं कहा जाता है कि बंट जायेंगे। इन सारी चीजों का असर पड़ा है। और उसका मुख्य कारण यह भी है जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने बताया कि ८,००,००० कुयें कच्चे और २,००,००० पक्के कुयें इस प्रदेश में कम हो गये और कोई इस समय बना नहीं रहे हैं वह डरते हैं कि आज हम बनवायें और कल हमारे रहेंगे कि नहीं। तो यह रात दिन की जो सारी बातें हैं इनसे किसान हिम्मत तोड़ता जा रहा है, वह डरता है कि न मालूम उसके भविष्य का क्या फैसला होगा। इसके अलावा जो भी इंतजाम हो रहा है वह गांव वालों के लिये ही हो रहा है। सीलिंग की चर्चा आयी, सीलिंग जो हो रही है वह सिर्फ देहात के लिये हो रही है न कि शहरों के लिये। तो किसान भयभीत है। कभी सीलिंग, कभी सहकारी खेती, इससे भी किसान भयभीत है। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि जो भी कार्यवाही होनी हो वह एक बार आप कर जरूर लें, लेकिन रोज-रोज नये नारे लगा कर किसान को भयभीत न करें।

सीलिंग की जहां तक चर्चा है मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, कि वह सिर्फ देहात के लिये कही जाती है और वह भी २,४ परसेंट लोगों के लिये जिनके पास ज्यादा खेती है लेकिन शहर में हजारों लोग ऐसे बसे हैं जिनके रहने का स्थान फुटपाथ है और कोई जगह नहीं है जब कि दूसरी तरफ सैकड़ों लोगों के पास बंगले हैं जिनमें सैकड़ों, हजारों बीघे जमीन पड़ी है। उसकी चर्चा कोई नहीं करता है। तो मैं इस बात को बड़ी नम्रतापूर्वक कहूंगा कि इस चीज का जरा आप ध्यान रखें कि जब कोई मजबूत कदम उठावें, ठोस कदम उठावें तो वह खाली देहात के लिये न हो, बल्कि शहर के लिये भी हो। और मैं तो दावे से कहता हूं कि अगर सीलिंग की चर्चा है और अगर उसका करना वास्तविक है तो हमारे देहात की आमदनी इस समय एक वर्ष में प्रति व्यक्ति की १८३ रु० है और शहर की आमदनी ६५० रुपया है। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाय

---

†१९ फरवरी, १९५९ को कार्यवाही से।

[श्री बलदेवसिंह]

तो २०० रुपये से कुछ ज्यादा होती है। अगर उसी प्रकार सीलिंग करें कि २०० रुपया साल ही तनख्वाह मिले तो मैं साथ दूंगा। लेकिन यह न हो कि सिर्फ देहात में सीलिंग हो और यहां कार में लोग घूमें। तो इस प्रकार से सीलिंग करनी होगी। बहुत बार देहातों को तकलीफ पहुंचाई जा चुकी है। सारा प्रबन्ध ऐसे लोग कर रहे हैं जो जानते नहीं हैं कि खेती कहते किसे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि जब सीलिंग की चर्चा हो तो सारे देश की सीलिंग हो, सारे प्रदेश के लोगों की सीलिंग हो और उसमें मुझे वास्तविक खुशी होगी और मैं तमाम खेतिहरों से कहता हूं कि उन्हें भी इसमें खुश रहना चाहिये।

सहकारी खेती के संबंध में बड़ी चर्चा है। १० लाख कुयें इस देश में कम पड़ गये। तो जिस देश और प्रदेश में सिंचाई के साधन इतने अनुपलब्ध हो जायं कि १० लाख कुयें कम हो गये तो इसका मतलब है कि १० कुयें हर गांव में कम हो गये। यह इस बात का स्पष्ट सबूत है कि किसान आगे कोई काम इसलिये नहीं करना चाहता है कि कहीं हमारा खेत न चला जाय। जिस आदमी को पता हो कि उसकी बीबी भागने वाली है २-४ दिन में तो वह जेवर नहीं बनवायेगा बल्कि उसकी निगरानी रक्खेगा। उसी तरह से अब किसान जमीन की तरक्की करे यह बड़ा मुश्किल हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं तमाम माननीय सदस्यों का इधर के और उधर के कि जो कदम भी सरकार उठावे सही उठावे।

एक कहावत है "कांटा बुरा करील का और बदरी का घाम, सौत बुरी है चून की और साझे का काम।" इसी तरह से सहकारी खेती कभी भी सफल नहीं हो सकती। मैं विश्वास के साथ कहता हूं और माननीय सदस्यों को चुनौती देता हूं जिनको इस पर विश्वास है उनको एक जगह कर दिया जाय और सहकारी खेती दो वर्ष भी करके बता दें तो मैं मान लूंगा और सारा सदन मान लेगा। यह सिर्फ हमको धोखा देने की और किसानों की प्रगति रोकने की बात है। इससे कोई लाभ नहीं हो सकता। यहां तो दो सदस्य भी एक कमरे में नहीं रह सकते हैं। रात दिन झगड़े होते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदयों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गरीबों के लिये कोई सहायता पाना भी बड़ा दुर्लभ हो गया है। एक आदमी की मिसाल है। उसको १०० रुपये की तकावी मंजूर हुई। उसके ५० रुपये खर्च हो गये तब तकावी मिल पाई। जो ५० रुपये शेष रहे उसको उसने एस०डी०ओ० के सामने रख दिया कि सरकार सबको हिस्से देकर यह बचा है जो आपका हिस्सा हो वह ले लो, बाकी घर ले जाऊं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि इस चीज को चेक-अप करें ताकि गरीब तक अनुदान पहुंच सके वरना कोई काम नहीं हो सकेगा और देश कंगाल होगा।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चहता हूं। हमारी प्रक्रिया नियमावली के नियम २८७ में दिया हुआ है कि जब अधिक माननीय सदस्य खड़े होंगे तो जिस पर माननीय अध्यक्ष की निगाह पड़ जायगी उसी को वह पुकार लेंगे, लेकिन मैं यहां देखता हूं कि एक लिस्ट पहले से दी जाती है, तो इस तरह से लिस्ट देना उचित है या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---यह तो उचित है ही क्योंकि बात यह है कि यह पद्धति मान ली गई है कि जहां पार्टी सिस्टम है वहां यदि सहूलियत के लिये बोलने वालों की फेहरिस्त दे दी जाती है तो उससे दिक्कत नहीं होती है। दोनों तरीकों का समन्वय सदन में होता है कुछ लिस्ट के हिसाब से और कुछ दृष्टिपात के हिसाब से अध्यक्ष को चलना पड़ता है क्योंकि दृष्टि तो डालनी ही पड़ती है कि कौन कहां बैठा है। फिर भी लिस्ट से अध्यक्ष अपने को बाध्य नहीं समझता यह स्पष्ट है। अगर अध्यक्ष समझे कि कोई अनुचित बात हो रही है और कुछ

लोगों का बोलना आवश्यक है, जोकि कभी नहीं बोल सके हैं तो हो सकता है कि वह पार्टी लिस्ट की परवाह न करे। लेकिन अगर किसी लिस्ट की परवाह अध्यक्ष करता है तो उसमें कोई अवैधानिक कार्य नहीं होता ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के सुनियोजित विकास को ध्यान में रखते हुये, प्रदेश में सर्वत्र शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य की रक्षा, यातायात की सुगमता और सिंचाई के साधनों की वृद्धि के लिये दिन रात प्रयत्नशील रहने वाली यह सरकार अपनी कोशिश में सफल होती जा रही है। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने इस नये बजट में कुछ सक्रिय कदम निम्नतर श्रेणी के कर्मचारियों के लिये उठाये हैं उसके लिये मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं । जैसा कि सभी माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि कई साल पूर्व निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिये वेतन में २ रुपया प्रतिमास की वृद्धि की गई थी और सन् ५७ में भी ९५ रुपया तक प्रतिमास वेतन पाने वालों के लिये ५ रुपया प्रतिमास की वृद्धि की गई थी । चालू वित्तीय वर्ष में भी ४०० रुपये तक वेतन पाने वालों का आधा मंहगाई का भत्ता उनके वेतन में शामिल कर दिया गया था और इस वर्ष एक और नया कदम उठाया गया है । १०० रुपया वेतन पाने वालों को ढाई रुपया और १०० रुपये से २०० रुपये तक वेतन पाने वालों को ५ रुपया प्रतिमास वृद्धि के रूप में वेतन में दिया गया है । मैं यह स्वीकार करता हूं कि आज इस तेजी के जमाने में यह बहुत ही कम है, लेकिन प्रदेश की सरकार अपने सीमित साधनों को सामने रखते हुये यदि इतनी सहायता भी अपने छोटे कर्मचारियों को दे सकती है तो वह बधाई की पात्र है । हर किसी काम के करने में इन्सान की नीयत देखी जाती है । सरकार की सदैव से यह नीयत रही है कि उसके निम्न श्रेणी के कर्मचारियों का भला हो और इस प्रदेश का सीमित साधनों के अन्दर विकास करते हुये उन्नति की ओर बढ़ते चले जांय ।

इसके अलावा समय चूंकि कम है इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय मुख्य मंत्री जी तथा अन्य मंत्रियों के सामने कुछ सुझाव भी रखने की चेष्टा करूंगा जिनको कि मैं सक्रिय समझता हूं । माननीय पालीवाल जी ने बजट प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में, उसके रूप और प्रकार के सम्बन्ध में कुछ सक्रिय सुझाव सदन के सम्मुख प्रस्तुत किये थे, मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री जी उन पर ध्यान देंगे और उनके अलावा और माननीय सदस्य चाहे वे इधर के हों या उधर के हों, जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख करें उन पर ध्यान दिया जाना चाहिये । यह भी सही बात है कि मंत्रिगण को यहां रहना चाहिये और सुझावों पर ध्यान देना चाहिये जिससे प्रदेश की तरक्की हो सके ।

इस सदन में कोआपरेटिव फार्मिंग और सीमिंग का बड़ा भारी जिक्र हुआ । अधिकतम जोत की किसान कितनी होनी चाहिये ? मैं समझता हूं कि यह प्रश्न इस सरकार को पेश्तर ही हल कर देना चाहिये था । हल करने की कोशिश भी थी दूसरे ढंग से, लेकिन नागपुर के अधिवेशन ने जो रास्ता दिखाया है, मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही एक अधिकतम जोत की सीमा निर्धारित करने की चेष्टा हमारे प्रदेश की सरकार करेगी । लेकिन उसमें इस बात का ध्यान जरूर होना चाहिये कि ऐसी सीमा निर्धारित की जाय जिससे कि किसान प्रगतिशील मार्ग पर चल कर अपने देश में अधिकतम उत्पादन कर सके और अपनी योजनाओं में सफल भी हो सके ।

जहां तक सहकारी खेती का प्रश्न है इसमें लोगों की राय भिन्न हैं । "सहकारी" शब्द का अर्थ कितना सुन्दर है । इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं कि सहकार्य के साथ, मिलजुल कर हम अपने देश के उत्पादन को बढ़ायें, किन्तु देश में इग्नोरेंस और इल्लिटरेसी तथा, अज्ञानता को बगैर ध्यान में रखते हुए यदि कोआपरेटिव फार्मिंग को हम लोग लाते हैं तो उससे बजाय फायदे के नुकसान भी हो सकता है । इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि किसान को उसके लिये काशस किया जाय, उस कोआपरेटिव फार्मिंग के काम में रुचि पैदा की जाय, उसमें जानकारी हम सब लोग पैदा करें ।

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

जहां तक फूड सिचुएशन (खाद्य स्थिति) का सवाल है यह हमारे देश और प्रदेश का बड़ा भारी दुर्भाग्य है। उसमें कई एक कसूरवार हैं। सबसे बड़ा कसूर मैं कुदरत का समझता हूं। सरकार ने चाहे कितनी ही कोशिशें की हों, बांध भी बनाये, बरसाती पानी के निकास के लिये नालियां भी बनायीं, ड्राट (सूखा) का मुकाबला करने के लिये नहर का विस्तार किया नये ट्यूब वेल बनाये गये लेकिन हिन्दुस्तान साइंस में इतना आगे अभी नहीं बढ़ा है कि वह कुदरत का मुकाबला कर सके। १० साल के बाद सम्भवतः हम कर सकेंगे।

(लाल बत्ती होने पर)

अध्यक्ष महोदय, ५ मिनट मुझे और दे सकें तो अधिक शुक्रगुजार हूंगा।

श्री अध्यक्ष--आज अतिरिक्त समय मिलना मुश्किल है। आपकी ही तरफ के बहुत लोग झगड़ा कर रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--कल तक तो २०-२० मिनट थे। खैर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर सकें तो कर लें।

तो इसलिये कुदरत का कसूर भी बड़ा भारी है। दूसरी बात यह कि हम लोग सभी जितने इस सदन के माननीय सदस्य हैं, सरकारी पक्ष के या विपक्ष के इस बड़े प्रश्न को अगर हम एक्सप्लायट करने की कोशिश करें तो यह सबसे बड़ा हमारा दूसरा कसूर और हमारे प्रदेश और देश का दुर्भाग्य है। किसान का भी कुछ कसूर है, लेकिन मैं समझता हूं कि किसान के कसूर से पेश्तर हम सब लोगों का भी कसूर है कि पूर्व से अनाज की वह रेम्युनरेटिव प्राइस नहीं मुकर्रर की जाती है जिससे किसान अपने फायदे को ध्यान में रखते हुए इंटेंसिव कल्टीवेशन की तरफ अपना ध्यान दे सके। मैं समझता हूं, इन सभी बातों की तरफ सरकार ध्यान दे कि किसान को एक लाभप्रद मूल्य अपनी पैदावार का मिल सके और हम सभी लोग मिलकर सिचुएशन को एक्सप्लायट करने के बजाय इस बड़े प्रश्न को हल करने की कोशिश करें तो हमारे देश और प्रदेश का भी कल्याण हो सकता है। हर किसी काम में सिचुएशन को एक्सप्लायट करना बहुत आसान होता है, लेकिन अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार प्रदेश के सामने आज एक सबसे बड़ी समस्या है, उसको हल करने के लिये जितना भी सक्रिय सहयोग हम दे सकें, सक्रिय सुझाव हम सरकार को दें। मैं यकीन करता हूं कि माननीय विरोधी दल के नेताओं और विरोधी दल के सदस्यों का कोई सक्रिय सुझाव इस प्रदेश के उत्थान के लिये अपने प्रदेश की सरकार के सामने उपस्थित किया जायगा तो मुझे शत् प्रतिशत विश्वास है कि सरकार उसका हृदय से स्वागत करेगी। आज आवश्यकता है कि रचनात्मक हमारा सहयोग अपने प्रदेश के विकास के लिये हो और रचनात्मक उसके लिये सुझाव हों, न कि विध्वंसात्मक तरीके से हम लोगों की फीलिंग्स को एक्सप्लायट करने की सदैव कोशिश करते रहें। यह हमारे देश और हमारे सयासी जीवन का एक विध्वंसात्मक कार्यक्रम रहा है और यही कारण है कि हम इस प्रदेश को जहां तक बढ़ाना चाहते थे न बढ़ा कर, जहां तक हम अपनी समस्याओं को हल करना चाहते थे उनको न हल करके हम एक दूसरे रास्ते पर, सिर्फ बदनाम करने के रास्ते पर चलते जा रहे हैं।

कल सोशलिस्ट पार्टी के एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया था कि सन् १९४५-४६ में चीनी का भाव ८ रु० मन था और गन्ने का भाव १ रुपया ४ आने मन था। आज चीनी का भाव ३८ रुपये मन है और गन्ने का भाव १ रुपया ५ आने और १ रुपया ७ आने मन है। लेकिन मैं यह जरूर साफ कर देना चाहता हूं कि सन् १९४५-४६ में एक्साइज ड्यूटी नहीं थी जब कि सन् १९५६-६० में पहले के मुकाबले तीन चार गुनी और इससे भी अधिक एक्साइज ड्यूटी बढ़ चुकी है। लेकिन यह सब होते हुये आज यह जरूर है कि जब गुड़ का भाव १९ रुपये मन है और खांडसारी का भाव ३३, ३४ रुपये मन है तो जो चीनी का उत्पादन हमारे यहां बढ़ने वाला था वह न बढ़ सकेगा। फलस्वरूप जैसे आज अनाज के अत्यधिक ऊंचे भाव हो गये हैं वैसे मिल बन्द होने के पश्चात् चीनी के भी ऊंचे भाव होने की पूरी सम्भावना है। इन सब बातों को

ध्यान में रखते हुये सक्रिय ढंग से केन्द्रीय सरकार को भी सोचना चाहिये था कि अपने चीनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिये तथा किसान के गन्ने की कास्ट आफ प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुये गन्ने के भाव पर विचार करें और प्रदेश व देश की चीनी समस्या को हल करने का प्रयास करें।

श्री हरिदत्त कांडपाल (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बजट पर वाद विवाद के इस अवसर का उपयोग आपकी अनुकम्पा से मैं इस बात को जोर देने में किया चाहता हूं कि मैं जहां से चुन कर आता हूं वह एक ऐसा स्थान है जिसकी परिस्थिति सूबे के बाकी जिलों से बिल्कुल विभिन्न है। चूंकि हिन्दुस्तान में एक प्लांड पीरियड चल रहा है और एक डेमोक्रेटिक सेट अप में हमने एक प्लान के द्वारा इस मुल्क को उठाने का बीड़ा उठाया है और वह प्लान सर्वत्र लागू होती है, मैं आपके जरिये सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां की जैसी परिस्थिति हो यदि प्लान वहीं की परिस्थिति के मुताबिक बने और कार्यान्वित किया जाय तभी वह सफल हो सकती है।

पहाड़ी जिलों की आबादी २२ और २५ लाख के दर्मियान में है और इनमें चार जिले हैं, अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल और टेहरी। इनकी परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। इस बजट भर में आज तीन दिन से इस आदरणीय सदन में विवाद सुन रहा हूं लेकिन ऐसी चीजों की जहां चर्चा रही है जो हमारे यहां कतई होती नहीं। मिसाल के लिये गन्ने की कीमत के विषय को ही ले लीजिये। गन्ना एक ऐसी चीज है जिसका हमें कभी दर्शन भी नहीं होता। शौक के लिये शायद कोई अपने दरवाजे पर एक पेड़ लगा लेता है। इसी प्रकार अन्न एक बड़े भारी चर्चा का विषय बना हुआ है और खेती कोआपरेटिव बेसिस पर की जाय अथवा नहीं, ये सब विवाद के विषय बने हुये हैं। लेकिन पर्वतीय जिलों की स्थिति ऐसी है कि अन्न के मामले में वे कभी भी स्वावलम्बी हो ही नहीं सकते। पर्वतों पर अगर कोई सम्पत्ति है तो वह वनों की सम्पत्ति है। केवल मात्र वनों के जरिये ही हम आशा करते हैं कि पर्वतीय जिले फल फूल सकेंगे।

इस प्लान के सम्बन्ध में और जो कुछ व्यवस्था इस वक्त चल रही है। मैंने मुख्य मंत्री जी से जब मैं प्रारम्भ में चुन कर इस हाउस में आया था तभी निवेदन किया था कि पर्वतों की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये यदि आप अपने मातहत एक "मिनिस्ट्री फार हिल अफेयर्स" के नाम से अलग बना देंगे तो वहां की परिस्थिति को वह देखकर प्लान बनायेगी और उसको कार्यान्वित करने की कोशिश करेगी। यदि ऐसा किया गया तो वह सफल होगी और जनता को भी राहत मिलेगी। परन्तु हमारा दुर्भाग्य है और गवर्नमेंट के पास भी बहुत से काम हैं और यह बहुत बड़ा सूबा है इसलिये अभी तक इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया है।

श्रीमन्, मैं फारेस्ट की बात कह रहा था जो हमारी आशा है और जिसके कारण ही हम फल फूल सकते हैं और हम अपनी समस्याओं को भी हल कर सकते हैं। मैं फारेस्ट नीति के सम्बन्ध में सरकार का और माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राष्ट्रपति की इस सम्बन्ध में घोषित नीति है जो फारेस्ट मैनुअल में ११० आर्टिकिल में है और उसमें इस बात को साफ किया गया है कि स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर वहां के रहने वाली जनता को सहूलियतें प्राप्त होनी चाहिये। वह इस प्रकार है कि "It should be distinctly understood that considerations of forest income are to be subordinated to that satisfaction."

अर्थात् जनता को संतुष्ट रखकर राज्य की आमदनी वनों से बढ़ाई जाय। इसके आगे है कि "No restrictions should be placed upon reasonable local demands merely in order to increase State revenue."

स्थानीय जरूरतों में रुकावट न डाली जाय इस प्रतिबन्ध सहित ही स्टेट की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। इसके आगे कहा गया है कि :—

"The necessities of the inhabitants of these villages must be treated as paramount, and they should be satisfied at the most moderate rates materially lower than might be obtained in the open market."

[श्री हरिदत्त कांडपाल]

इस प्रकार से बहुत काफी लम्बी चर्चा है, लेकिन चूंकि मेरा समय नियत है इसलिये मैं पूरी बात न कहकर केवल संकेत मात्र में ही कहता हूं । जहां तक जंगलों की नीति का ताल्लुक है वहां के रहने वालों को पूरी पूरी सुविधाएं दी जानी चाहिये जो हमें नहीं मिल रही हैं । बल्कि उसके विपरीत काम हो रहे हैं । जहां लिखा हुआ है कि स्टेट रेवेन्यू बढ़ाने के लिये स्थानीय मांगों में कोई रुकावट न डाली जाय । आज वहां के लोगों को ईंधन प्राप्त होने में, इमारती लकड़ी के प्राप्त होने में बड़ी दिक्कत पड़ रही है और फारेस्ट डिपार्टमेंट ने जो रवैया अख्तियार किया है उससे पर्वतीय जिलों में त्राहि त्राहि मची हुई है । कुमायूं के चारों जिलों से जो अखबार निकलते हैं वह सब इस विभाग की बुराई करते हैं । वहां कोई पब्लिक प्लेटफार्म ऐसा नहीं है जिसके द्वारा सरकार को यह शिकायतें न पहुंचाई गई हों और जो प्रतिनिधि संस्थायें हैं उन्होंने भी प्रस्ताव दिये हैं । यही नहीं बल्कि हल्द्वानी में जो रीजनल कौंसिल डेवलपमेंट हुई थी उसमें भी ऐसा प्रस्ताव था कि वन विभाग को जनता के सहयोग की आवश्यकता है तो वह मिलना दुर्लभ हो जायगा क्योंकि उसकी नीति ऐसी है कि जनता का सहयोग तो क्या मिलेगा बल्कि वह असहयोग करेगी । अल्मोड़े में पंच सम्मेलन में भी वन विभाग की ज्यादतियों के बारे में प्रस्ताव था । जनता समझती है कि सरकार की ओर से सब चीज ठीक है और जनता का राज्य है, लेकिन विभाग की तरफ से दिक्कतें होती हैं वह नहीं होनी चाहिये । जो सहूलियतें पहले से प्राप्त थीं वह नहीं मिल रही हैं । वह मिलनी चाहिये ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, इस बजट पर बोलने के पूर्व मैं आज दो शब्द प्रदेश की जनता से भी कहना चाहता हूं और उससे क्षमा प्रार्थी हूं यदि मैं उनकी कुछ खास मांगों को और विशेष परिस्थिति को इस सदन में समय की कमी के कारण न कह पाऊं क्योंकि इसमें प्रदेश की जनता का भी दोष है । उन्होंने न हमारे पास उतनी शक्ति दी न उतनी संख्या दी कि हम उनकी पूरी बात को इस सदन में प्रकाशित कर पायें । यह सही है कि यह पंचवर्षीय योजना जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के नाम से परिचालित है उसको पूरा करने के लिये बजट प्रस्तुत है । जब प्रति वर्ष बजट प्रस्तुत करने का एक नियम बना हुआ है तो हमें इस बात को भी देखना चाहिये कि यदि वर्ष, दो वर्ष, पांच वर्ष, सात वर्ष चलने के बाद भी गलत कार्य हों तो हम सुधार करें । इसलिये मैं आपके द्वारा इस सम्मानित सदन के सदस्यों से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में पहले कुछ निवेदन करूंगा । श्रीमन्, यदि देखा जाय तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस दिशा में जाती है, किधर अभिमुख है, मेरी दृष्टि में कांग्रेस सरकार की जो योजना है उसका उद्देश्य गलत है, उसका लक्ष्य गलत है । क्या लक्ष्य है ? क्या वह प्रदेश और देश की शोषित और पीड़ित जनता का उत्थान करना चाहती है ? क्या इससे उत्थान होगा ? क्या अपने प्रदेश की गरीबी और बेकारी मिट पायेगी ? अगर इस नुक्ते निगाह से सम्मानित सदस्य गौर करेंगे तो सही नतीजे पर पहुंचेंगे ।

आज कांग्रेस सरकार की योजना का लक्ष्य आधुनिकीकरण और औद्योगीकरण करना है । तो यह इसमें किसकी नकल करना चाहती है ? आज के आधुनिकीकरण और औद्योगीकरण का प्रतीक अमेरिका और रूस है । यह सरकार नकल करने जा रही है अमेरिका की, यह सरकार नकल करने जा रही है रूस की, यह सरकार नकल करने जा रही है इंग्लैंड की । तो यह सरकार जो अपनी योजना बना रही है उसका उद्देश्य है अमेरिका और रूस की नकल करना । तो अमेरिका में फी धंधा कितनी पूंजी लगी हुई है ? अमेरिका की क्या आमदनी है ? इन बातों पर ध्यान देना होगा । अमेरिका में फी धंधा पीछे कम से कम १५ हजार की पूंजी है और आज हिन्दुस्तान में फी धंधा पीछे ढाई सौ रुपये की पूंजी है । ढाई सौ रुपये फी धंधा पूंजी रखने वाला देश १५ हजार रुपये फी धंधापूंजी रखने वाले देश की नकल करना चाहता है । तो कितने समय में पहुंच पायेगा और उतने समय में क्या रूस और अमेरिका अपनी जगह पर ही स्थिर रह जायेंगे । क्या वह आगे नहीं बढ़ेंगे ? इसलिये यह माना जाना चाहिये कि आज देश की बेकारी और गरीबी कांग्रेस सरकार की योजनाओं से नहीं दूर की जा सकती । यह नकल करने वाली है अमेरिका और रूस की पद्धति की ।

श्रीमन्, मैं उदाहरण के लिये कहना चाहूंगा क्योंकि सारे देश की योजनाओं का अंग उत्तर प्रदेश भी है। आज देश की आबादी करीब ४० करोड़ है। अगर इसका औद्योगीकरण और आधुनिकीकरण करना है तो कम से कम आधी नहीं तो दो बटा पांच आबादी को उद्योगों में लगाना चाहिये तब तो इसका आधुनिकीकरण अमेरिका के माडल पर हो जायगा। इसका निश्चित मतलब यह हुआ कि १८ करोड़ आबादी, उद्योगीकरण में लगेगी। आज अमेरिका में १५ हजार फी धंधा पीछे रुपया रहता है। अगर उसको देखें तो १८ करोड़ के लिये १५ हजार फी व्यक्ति फी धन्धा पीछे के हिसाब से २७,००,००,००,००,००० (सत्ताईस सौ अरब) रुपया हमको चाहिये जिसको कहेंगे २७ खरब। इतना रुपया कितने समय में आयेगा? अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्रस्तावना को देखा जाय तो कहा गया था कि ४,८०० करोड़ रुपया लगेगा। उसका हिसाब लगाकर देखा जाय तो करीब ३०० साल लगेंगे। ३०० साल में अगर अमेरिका जहां है आज वहीं स्थिर रहे तो हिन्दुस्तान अमेरिका के आज के स्तर पर पहुंच पायेगा। कहा जा सकता है माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से कि आज जो हम प्रति वर्ष साढ़े नौ सौ करोड़ के करीब खर्च कर रहे हैं तो हमारी भी तो आमदनी बढ़ेगी। लेकिन वह बढ़कर कहां तक जायगी? जा सकती है १४ सौ करोड़, १५ सौ करोड़ तक? इससे ज्यादा तो नहीं जायगी? तो अगर १५ सौ करोड़ सालाना की योजना भी बनी तो १५×५ = ७५ सौ करोड़ हो जायगा। उसको भी लिया जाय तो १०० वर्ष तो चाहिये ही। तो क्या हिन्दुस्तान की गरीब जनता हिन्दुस्तान का भूखा किसान, हिन्दुस्तान का नंगा किसान १०० वर्ष तक मुखापेक्षी रहेगा? बैठा रहेगा, और उसी सड़ी गली हालत में कराहता रहेगा। यह सरकार यही तो चाहती है न। इसलिये मैं चाहूंगा कि आज ट्रेजरी बेंचेज के लोग और अन्य विरोधी दलों के लोग भी उन बातों पर विचार करें, गम्भीरता से विचार करें। श्रीमन्, यह मैं इसलिये कहना चाहता हूं क्योंकि यह योजना देश के विकास के नाम पर चल रही है न। तो जो जो लोग पंचवर्षीय योजना के हिमायती हैं वह सब सोचें, अपने अपने दृष्टिकोण को बदलें और अगर इसी दृष्टिकोण को वह रखेंगे तो देश तो रसातल को जा कर ही रहेगा।

मैं दो उदाहरण लूंगा। एक तो यह कि अगर गरीब मुल्क की योजना बने तो सड़कें कैसी हों, गरीब मुल्क की योजना बने तो शिक्षा की पद्धति कैसी हो? कच्ची सड़कें हैं श्रीमन्, कंकड़ की सड़कें हैं, अलकतरा की सड़कें हैं और सीमेंट की सड़कें हैं। हमने कोशिश की है कि इस सरकार के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी सम्मति लें और बाहर के लोगों की भी सम्मति लें, तो जहां तक मैं जानकारी कर पाया हूं एक मील कच्ची सड़क पर करीब ४–५ हजार रुपया खर्च होता है। एक मील कंकड़ की सड़क पर १०–१२ हजार रुपया खर्च होता है। अलकतरा वाली एक मील सड़क पर ४०-५० हजार रुपया खर्च होता है और १ मील सीमेंट वाली जो सड़क बनेगी उस पर २,००,००० रुपया खर्च होगा। लेकिन सरकार क्यों शौक कर रही है सीमेंट वाली सड़कें बनाने की? क्यों आज बनारस में, लखनऊ में, बड़े-बड़े शहरों में सड़कें चौड़ी हो रही हैं, सीमेंट की सड़कें बनायी जा रही हैं? क्योंकि आज हमारे मंत्रिगण विदेशों में भ्रमण करते हैं। उनकी चौड़ी सड़कें हैं, अच्छी सड़कें देखते हैं, साफ सड़कें देखते हैं तो उनके दिल में ख्वाहिश आती है कि हम भी ऐसी सड़कें बनायें चाहे मुल्क रसातल को चला जाय, बर्बाद हो जाय। इसलिये मैं चाहूंगा कि आज सरकार बाध्य हो, मजबूर हो सरकारी पक्ष के सदस्यों द्वारा कि वह जनहितकारी योजनाओं को बनाये और जो आज पंचवर्षीय योजना के नाम पर योजनायें चल रही हैं उनमें जो सही हों, जो गल्ले के उत्पादन की हों और जीवनोपयोगी सामग्री पैदा करने की हों उनको तो चलाये और जो फिजूलखर्ची वाली योजनाएं हैं वह तत्काल, अविलम्ब बन्द हों। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस तरफ ध्यान दिया जाय। सड़कें कच्ची कितनी बनीं? अब मैं दूसरे मुल्कों के आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा। इसी प्रदेश के आंकड़ों से साबित करूंगा कि यह सरकार कहां जा रही है।

उसी तरह से श्रीमन्, शिक्षा प्रणाली को देखा जाय। माननीय कमलापति जी शिक्षा मंत्री हैं। अच्छे आदमी हैं। भले मानस हैं। पढ़े लिखे आदमी हैं। अखबार में सम्पादक

[श्री राजनारायण]

भी रह चुके हैं। लेकिन क्या कर सके हैं, कितनी कोशिश की है? आज सरकारी स्तर और गैर सकरारी स्तर के अध्यापकों में वही अन्तर कायम है? अगर किसी स्थिति में, किसी हैसियत में शिक्षा मंत्री महोदय अपने को पहुंचा पाये हैं तो यही कि जब वह बोलेंगे शिक्षा के अनुदान पर तो कोई घोषणा करेंगे। हो सकता है कि उसमें भी कोई राज हो। राज यह हो सकता है कि अध्यापक कोई हड़ताल करने वाले हों, उनको जरा दबाया जाय, वह दब जांय, घोषणा की तरफ मुख लगाकर देखते रहें। श्रीमन्, आज भी प्राइमरी स्कूल में ६ से ११ वर्ष के विद्यार्थी, पढ़ने वालों की तादाद १०० में ३४ है। १०० में ६६ विद्यार्थी अनपढ़ रह जाते हैं। जिस प्रदेश में ६६ बच्चे अनपढ़ रहें उस प्रदेश में समाजवाद की योजना चल पायेगी या उस प्रदेश में जनतान्त्रिक योजना चल पायेगी, यह आप स्वयं विचार कर लें। आज यह सरकार चाहती है कि लोगों को अक्षिशित रख कर पूंजीपति बनाने वाली पंचवर्षीय योजनाओं को इस देश में चलाया जाय। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह सरकार हम लोगों की बात मान कर अपनी मनोवृत्ति में और अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन करे।

यह सरकार अमेरिका और रूस की नकल करना चाहती है। क्या यह कंगाल देश उन देशों की नकल कर सकता है जो आज दुनियां में सब से आगे हैं। एक तरफ तो यह कंगाल प्रदेश की जनता कंगाली के कीचड़ में कराह रही है और दूसरी तरफ कंगाली के कीचड़ में पूंजीपतियों के कमल खिल रहे हैं। उस देश की कौन नकल कर पायेगा, कौन ख्रुश्चेव और आइजन हावर की नकल कर पायेगा, वह कर पायेंगे प्रधान मंत्री और वह कर पायेंगे राष्ट्रपति या मुख्य मंत्री या गृह मंत्री कर पायेंगे। मगर उत्तर प्रदेश का अध्यापक अमेरिका के अध्यापक की नकल नहीं कर पायेगा। अमेरिका का अध्यापक १,२००, १,३०० रुपये हर महीने पाता है लेकिन हमारे प्रदेश का अध्यापक ५०, ६० रुपये के अन्दर ही रह जाता है। अमेरिका का कुलपति ८ हजार पाता है और उत्तर प्रदेश का कुलपति भी ६ हजार भत्ता, बंगला और मोटर मिला कर पा जाता है। तनख्वाह के नाम पर चाहे आप १,२०० रुपये कहें कि मंत्रियों को इतनी तनख्वाह मिलती है लेकिन एक-एक मंत्री पर ६ हजार रुपये महीने से कम नहीं पड़ता है और जब से अपने कुटुम्ब के लिये मुफ्त दवाई की व्यवस्था भी उन्होंने कर ली है तब से ७ हजार रुपया के करीब पड़ता है। ख्रुश्चेव और आइजन हावर की नकल करने के लिये ये व्यक्ति पैदा हो गये हैं मगर सामान्य अध्यापक वहां की नकल नहीं कर पायेगा। एक सामान्य किसान वहां की नकल नहीं कर पायेगा। एक भंगी वहां की नकल नहीं कर पायेगा। एक नाई नकल नहीं कर पायेगा। श्रीमन्, जरा इस बात को भी देख लिया जाय कि हमारा गला खराब है तो समय कुछ ज्यादा कर दीजियेगा।

(इस समय श्री राजनारायण ने पानी पिया)

श्री अध्यक्ष---आपको पानी पीने के लिये समय दे दिया जायगा।

श्री राजनारायण---मैं निहायत अदब के साथ एक अपील करूंगा और तीन व्यक्तियों के उदाहरण आपके सन्मुख रखना चाहूंगा। डिक्टेटरशिप के प्रतीक, जनतंत्र के प्रतीक और योरोपीय समाजवाद के प्रतीक जो आज तक शासन पर आये हैं। डिक्टेटरशिप के प्रतीक थे हिटलर और स्टैलिन। योरोपीय समाजवाद की अगर सरकार कोई बनी तो वह एटली के जमाने में। हिटलर का भाई जब कि हिटलर जर्मनी का सर्वेसर्वा था और उसके इशारे पर क्या से क्या नहीं हो सकता था लेकिन उसका भाई बर्लिन के एक साधारण रेस्टरां में काम करता था और वह उस रेस्टरां में काम करते-करते मर गया। उसकी पदोन्नति इसलिये नहीं हो गई कि उसका भाई सर्वेसर्वा था। स्टैलिन अपनी बेटी को बड़ा प्यार करता था मगर स्टैलिन ने अपनी बेटी को कम्युनिस्ट पार्टी का किसी साधारण कमेटी का एक सदस्य भी नहीं बनाया। एटली भी अपनी बेटी से बहुत मुहब्बत करता था मगर उसकी बेटी भी एटली के प्रधान मंत्री रहते हुये एक साधारण शिक्षिका रही। हमारे मन्त्रिगण जरा इन उदाहरणों को हृदयंगम करके इस पर चलने की कृपा करें। उनको कितने संकट का सामना करना पड़ेगा। यदि इसके लिये आंकड़े

प्रस्तुत करूं तो उसके लिये बड़ा समय चाहिये। मेरा निवेदन है कि इन मंत्रियों का हिसाब-किताब बैंकों में देखा जाय और यह देखा जाय कि कौन मंत्री किस विभाग का मंत्री रहा है और उनके बेटे बेटी ने उस विभाग में ठेकेदारी ली है या नहीं ? पदोन्नति की है या नहीं, प्रधान बने हैं या नहीं ?

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—आप मंत्रियों के बारे में तो यह कहते हैं जरा डाक्टर लोहिया के बारे में तो खर्चा बता दीजिये कि उनके दौरे पर कितना खर्चा हुआ ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि बहुत वैयक्तिक आक्षेप नहीं होना चाहिये, इसका आप खयाल रखें।

श्री राजनारायण—मैं कितना संयम से हूं इसको आप स्वयं ही समझ रहे हैं। मैं नाम जानता हूं लेकिन ले नहीं रहा हूं।

श्रीमन्, मैं यह कह रहा हूं कि इस विकास की गति भी देखी जाय। १२ साल हिन्दुस्तान को आजाद हुए हो गये। यहां क्या हुआ ? नित्यप्रति औद्योगीकरण का नाम लिया जा रहा है। मैं यहां उदाहरण के लिये दो मुल्कों का नाम लूंगा—चीन और हिन्दुस्तान। हिन्दुस्तान १९४७ में आजाद हुआ और चीन में ठीक सरकार १९५० में बनी। चीन की सरकार में जितनी त्रुटियां, खामियां और दोष हैं उनको छोड़कर भी मैं बतलाना चाहता हूं कि इस्पात, कच्चा लोहा ७० लाख टन वहां पैदा हो रहा है और हिन्दुस्तान में १५ लाख टन से बढ़ कर १८ लाख टन हो पाया। यह प्रगति की गति देखी जाय। चीन में कोयला ४ करोड़ टन से बढ़ कर १५ करोड़ टन पैदा होने लगा जब कि हिन्दुस्तान में ३ करोड़ टन से ४ करोड़ टन हो गया। चीन में ७ सालों में ४,२०० मील रेल की लाइन बिछायी जब कि हिन्दुस्तान में ग्यारह साल में ७०० मील रेल की पटरी मुकम्मिल नहीं है। माननीय सदस्यगण विकास की गति देखें। अंग्रेजी राज्य में ३५,००० मील रेल की पटरी बिछायी गयी, ७ अरब रुपया खर्च हुआ और हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तानी राज्य में ७०० मील की रेल की पटरी बनी नहीं है और साढ़े ६ अरब रुपया खर्च हो गया। हिसाब लगाया जाय। मैं माननीय सम्पूर्णानन्द जी का बड़ा आदर करता हूं, हिसाब किताब काफी पढ़े हैं, अंग्रजी काल को भी देख लिया जाय। प्रति वर्ष एक चीनी मिल बनी, हर तीसरे महीने के औसत से एक कपड़े का कारखाना खुला है, हर रोज का औसत एक प्लेटफार्म का है। लगा लें हिसाब। तो किस माने में यह सरकार आगे बढ़ी ? वह साम्राज्यशाही हुकूमत थी ? गांधी जी ने भी उसको पाजी और बदमाश हुकूमत कहा है। तो उस हिसाब से यह सरकार सही रास्ते से विचलित हुई है। हमारे राज्य में एक सड़क ५ साल से बन रही है गैरोक से तिब्बत की सीमा तक। ३० मील से अधिक लम्बी दूरी नहीं है लेकिन पूरी नहीं हुई।

छोड़िये इन बातों को। मैं माननीय सम्पूर्णानन्द जी और कमलापति जी की सेवा में उन्हीं के दिये हुए उन्हीं के प्रदेश के कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं ताकि दूसरी जगहों, मद्रास या बम्बई जाने का कष्ट उनको न करना पड़े मुकाबला करने के लिये। कृषि का उत्पादन सूचकांक १९५६–५७ में १९४८–४९ को आधार मान कर ११७ था और वह १९५७–५८ में घट कर १०७ रह गया। इतना बढ़ा। जब कहा जायगा कि अन्न का उत्पादन कम हो रहा है तो ताज्जुब होता है, हैरत होती है, परेशानी होती है, बैठना पड़ता है मजबूर होकर क्योंकि कोई डिप्टी मिनिस्टर खड़े होकर कह जाते हैं कि आबादी बढ़ रही है। इन आंकड़ों से साबित नहीं करते कि अन्न का उत्पादन भी कम हो रहा है। पहले यह देखा जाय कि अन्न का उत्पादन बढ़ा या घटा। आबादी बाद में देखी जायगी। १९५६–५७ में व्यापारिक उपज का उत्पादन सूचकांक १३४ था जो १९५७–५८ में १२५ रह गया। सामान्य सूचकांक को देखा जाय। १९५६–५७ में जो १२१ था वह १९५७–५८ में ११२ रह गया। यह उत्पादन की प्रगति है अथवा अधोगति ? सुल्तान आलम साहब क्या समझे यह वह बतलायेंगे। कृषि वस्तुओं का उत्पादन १९५६–५७ में १०,७१३ हजार टन था जो १९५७–५८ में ९,८८८ हजार टन रह गया। खाद्य उत्पादन ८,२८६ टन घट गया। इस सरकार के आंकड़े, हुजूरवाला, बताता हूं जिसमें गेहूं, चावल,

[श्री राजनारायण]

जौ, चना, मटर, बाजरा, मड़ुवा, कोदों, सावां, वगैरह सब जोड़ दिया है। अध्यक्ष महोदय, दालों में अरहर, मूंग, उरद, मटर, मसूर वगैरह को देखा जाय तो जहां ५६–५७ में १,७०१ हजार टन था वह १९५७–५८ में १,२८२ हजार टन रह गया यानी इसमें भी ४१९ हजार टन घट गया। तिलहन में ५६–५७ में ९६७ हजार टन रहा और १९५७–५८ में ७१९ टन रह गया और इसमें भी २४८ हजार टन घट गया। अब श्रीमन्, गन्ने को देखा जाय, इसमें भी १९५६–५७ की बनिस्पत सन् १९५७–५८ में ४४,०५,००० टन गन्ना कम हुआ है। मिलों द्वारा जो गन्ना पेरा गया उसको भी देखा जाय। सन् १९५६–५७ में ३,०३५ लाख मन गन्ना पेरा गया और १९५७–५८ में २,५८१ लाख मन ही रह गया, इसमें भी ४५४ लाख मन घट गया।

इसके साथ ही साथ श्रीमन्, आय को भी देख लिया जाय। सन् १९५०–५१ में २११ रु० औसत आमदनी ग्रामीण जनता की रही और १९५७–५८ में १८३ रु० के करीब रह गई। २८, २९ रु० आमदनी ग्रामीण जनता की घट गई जब से कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजनायें चला रहे हैं।

बिजली के बारे में देखा जाय उसमें भी घटी हुई है। ३,५६२ हजार यूनिट बिजली प्रयोजन योग में भी कमी हुई है। १९५६ की बनिस्बत १९५७ में इसी तरह से चीनी उत्पादन को देखा जाय। मुझे अफसोस है कि मैंने समाचारपत्रों में सुना कि केन्द्र के खाद्य मंत्री श्री अजित प्रसाद जैन ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में साढ़े ४ लाख मन चीनी पैदा हुई, पता नहीं कहां से आंकड़े लाते हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखे जायं तो १९५६–५७ में १,०८० हजार टन चीनी पैदा हुई और १९५७–५८ में ९४२ हजार टन पैदा हुई यानी १३८ हजार टन चीनी में भी कमी हुई। इसी तरह से जूट में भी १९५६–५७ में २२,८५४ टन पैदा हुआ और १९५७–५८ में २२,०१० टन हुआ जिसमें ८४४ टन की कमी हुई।

श्रीमन्, काम दिलाऊ दफ्तर के आंकड़े देखे जायं। बेकारों की संख्या ३,३६,४४० से बढ़ कर ३,४३,६६३ हो गई है। हालत यह है कि लोग उस दफ्तर में जाते हैं, नाम लिखाते हैं और घर वापस चले आते हैं, बेकारी बढ़ने का यह द्योतक है। इसी के साथ-साथ श्रीमन्, प्रशिक्षार्थी की संख्या देखी जाय। सन् १९५५–५६ में ७० फीसदी नतीजा हुआ था। मैं इसके द्वारा यह साबित करना चाहता हूं कि यह सरकार लोगों को शिक्षित नहीं करना चाहती और अगर करना चाहती है तो यह अंग्रेजी को क्यों अनिवार्य कर देती? आज कम से कम यह हायर सेकेंडरी स्कूल तक तो यह अंग्रेजी को हटा देती और जो ज्ञान के लिये पढ़ना चाहते वह पढ़ लेते। आज यहां से अंग्रेज तो चले गये लेकिन सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी चालू है, इससे यह साफ पता चलता है कि यह यहां पर अंग्रेजी व्यवस्था को प्रफुल्लित और विकसित करना चाहती है। अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त हुये आज १२ वर्ष हो रहे हैं लेकिन अंग्रेजी बढ़ती चली जा रही है, इसका क्या कारण है? आज सन् १९५५ की अपेक्षा ७० फीसदी से ४० फीसदी प्रशिक्षार्थी पास होते हैं। अच्छा अब मैं सुल्तान आलम खां साहब के प्वाइन्ट पर आता हूं कि आबादी बढ़ रही है। सन् १९५५ में एक हजार पीछे जन्म होते थे १५.४१ और सन् १९५७ में होते थे १४.८। तो आदमियों का उत्पादन घटा न? अब मृत्यु को देखा जाय। १९५५ में एक हजार पीछे मृत्यु थी, ८.३२ और १९५७ में एक हजार पीछे थीं ८.४६। मृत्यु की तादाद भी सम्पूर्णानन्द जी के राज्य में बढ़ी है। तो अब कितनी आबादी बढ़ी?

अब अपराधों की संख्या लीजिये। माननीय कमलापति जी सन् १९४२ से लेकर ४७ तक प्रदेश में अपराधों की तालिका को देखें और फिर जब से उन्होंने पुलिस का विभाग संभाला है तब से देखें कि कितनी अपराधों की संख्या बढ़ गयी है। डाका, चोरी और कत्ल उनके राज्य में बढ़ते जा रहे हैं। फिर भी चाहते हैं कि जनता उनको वोट दे। अगर नहीं देती है तो उनको रंज होता है।

आमदनी के बारे में, श्रीमन् हमारे दूसरे साथियों ने कह दिया है। उसके बारे में मैं सदन का समय लेना नहीं चाहता। जिन बातों पर मैं अधिक जोर देना चाहता था दे चुका। हर दृष्टि-कोण से, चाहे वह खाद्य का हो, व्यापार का हो, चाहे आमदनी का हो, और चाहे सुरक्षा का, हर दृष्टिकोण से इस सरकार की असफलता प्रकट हो रही है। श्रीमन्, मैं माननीय सम्पूर्णानन्द जी और माननीय कमलापति जी का नाम बार-बार इसलिये लेता हूं कि वे बनारस के रहने वाले हैं इसलिये उनकी बदनामी हमारे ऊपर आती है। लोग कहते हैं कि वे तुम्हारे ही जिले के मंत्री हैं और अधिक से अधिक पोर्टफोलियो भी उन्हीं के पास है फिर क्यों सुधार नहीं होता है। उस कलंक को धो देने के लिये ही मैं इस स्थिति को साफ कर देना चाहता हूं। अब देखिये कि खाद्य पदार्थों की उपज का रकबा घटा है या बढ़ा है। यह रकबा १९५६-५७ में था ४७५.५ लाख एकड़ और सन् १९५७-५८ में वह था ४६७.९ लाख एकड़। वह भी ८ लाख एकड़ के करीब घटा है न? क्यों घटा? बड़े-बड़े पुराने ताल्लुकेदार, बड़े-बड़े जमींदार, आज माननीय चरण सिंह जी के कानूनों के होते हुए भी, सीरदारों को बेदखल करा रहे हैं, गुंडों के बल पर बेदखल करा रहे हैं और जमीन जो पहले काश्त में थी, आज बेकार पड़ी हुई है। इस चीज को मैं देवरिया और बनारस जिलों में चल कर साबित कर सकता हूं।

(इस समय १ बजकर १४ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री गया-बख्शसिंह, पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, अब मैं आपके द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में पूज्य बापू जी को रखना चाहता हूं, क्योंकि सरकारी पक्ष के लोग अक्सर बापू जी की तरफ इशारा करके बोला करते हैं। इसलिये मैं आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों को बापू का तर्क इस सम्बन्ध में बता देना चाहता हूं। यह वाकया २९ जून, सन् १९४८ का है। गांधी जी क्या कहते हैं---आज एक सज्जन आये थे, उनका नाम तो मैं भूल गया हूं, उन्होंने किसानों की बात की। मैंने कहा कि मेरी चले तो हमारा गवर्नर जनरल किसान होगा, हमारा बड़ा वजीर किसान होगा, सब कुछ किसान होगा, क्योंकि यहां का राजा किसान है। हिन्दुस्तान का सचमुच राजा तो वही है, लेकिन आज हमने उन किसानों को गुलाम बना रखा है। क्या वे एम०ए० करें, बी०ए० करें? यदि ऐसा करें तो फिर किसान कहां जायेंगे, पीछे वे कुदाली नहीं चलायेंगे। जो आदमी अपनी जमीन में पैदा करके खाता है उसी को जनरल बनायें, उसी को आफिसर बनावें तो हिन्दुस्तान की शकल बदल जायगी और आज जैसी सड़ी हुई हालत है वह नहीं रहेगी। यह महात्मा गांधी की वाणी है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार के कर्णधारों से कि आपने कितने किसानों को प्रधान मंत्री बनाया, आपने कितने किसानों को ऊंची-ऊंची जगहें दीं। बैक वर्ड और हरिजनों का नाम लिया जाता है, शर्म आती है आंकड़े देख कर। १५ अगस्त, १९४७ को अब अंग्रेजी राज्य का विलोप हुआ तो उत्तर प्रदेश में ३,२०२ गजटेड आफिसर थे जिनमें पिछड़ी जाति के ३४ थे। और ३१ जुलाई, सन् १९५५ के आंकड़े यह हैं कि ५,२८२ गजटेड आफिसर में केवल २५ ही पिछड़ी जाति के गजटेड आफिसर ३४ की जगह पर रह गये। अब पिछड़ी जाति का नाम लेकर लोगों को गुमराह करने से काम नहीं चलेगा, वह जमाना लद गया जब कि माननीय कमलापति जी ऐसी बातें कह-कह कर लोगों को गुमराह किया करते थे।

श्रीमन्, महात्मा गांधी जी ने सन् १९४८ में कहा था---पहले कांग्रेस को एक लाख रुपये जमा करने में भी मुसीबत होती थी, लेकिन आज तो करोड़ों रुपये हमारे हाथ में हैं। करोड़ों रुपये जमा करने की ताकत तो हमारे हाथ में आयी, लेकिन खर्च तो वही अंग्रेजी जमाने के अनुसार ही है। मैं माननीय सम्पूर्णानन्द जी से पूछता हूं कि अंग्रेजी जमाने वाली खर्च करने की प्रणाली में क्या परिवर्तन हुआ है? कृपा करके हमें बतलावें। यह गांधी जी का कहना है, आजादी के बाद १५ अगस्त, सन् १९४७ के बाद के उनके विचार हैं कि जो हमारे गवर्नर और मंत्री हैं वे शान से न रहें तो देश के बाहर भी उनका असर पड़ेगा, लेकिन आज होता यह है कि देश के काम में तो कम पैसा खर्च होता है परन्तु ऐश व आराम की चीजों में, मोटर आदि खरीदने में बेहद रुपये खर्च किये जाते हैं। आज माननीय कमलापति जी के लड़के कहां पढ़ने जाते हैं,

[श्री राजनारायण]

क्या वे उन स्कूलों में जाते हैं जहां ट्यूशन फीस ढाई व तीन रुपये हैं ? नहीं जाते हैं। वे तो उन स्कूलों में जाते हैं जहां सैकड़ों रुपये खर्च होते हैं। ऐसी हालत में उन स्कूलों की तरक्की कैसे हो सकती है ? जो दूसरी बात गांधी जी ने कही है उसको भी मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सदन के लोग गांधी जी को सुनें। गांधी जी ने १६ दिसम्बर, १९४७ को कहा--"मुझको यह क्यों कहना पड़ता है, इसलिये कि अभी आज एक नयी बात और हो गयी है। कांग्रेस ने कहा है कि मंत्री के नीचे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी भी होने चाहिये"। पहले मंत्री रहते थे, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी नहीं। कांग्रेस अब पीछे पड़ गयी है कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी भी रखे जायं। इस तरह से मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और न मालूम कितने पुछल्ले निकलते जाते हैं और इससे कितना खर्च बढ़ता जाता है। सभी को चाहिये कि वे गांधी जी का अनुकरण करें, उनकी वाणी को हृदयंगम करें और उसके मुताबिक चलने की कोशिश करें। श्रीमन्, "कांग्रेसी कहते हैं कि मंत्री के नीचे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी होने चाहिये और वे सिविल सर्विस के नहीं बल्कि बाहर के आदमी कांग्रेस में से बनाये जाने चाहिये वे कोई मुफ्त में तो काम करेंगे नहीं, उनको दरमाहा भी देना पड़ेगा और इस तरह से लाखों रुपये दरमाहा में ही चले जायंगे तो फिर यह कहां से आयेगा। अगर हम इस तरह से पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी बनाते हैं और करोड़ों रुपये उसमें खर्च कर दें तो यह सब मुझे चुभता है"। आज कौन से कारनामे इस सरकार के हैं जो इस बापू को नहीं चुभते होंगे, शिक्षा मंत्री उसकी लिस्ट पेश करें। अधिक न पढ़ कर मैं १० दिसम्बर, १९४७ की बात कहना चाहूंगा। कितना टाइम शेष है यह बतला दिया जाय ?

श्री अधिष्ठता--१० मिनट और हैं।

श्री राजनारायण--५ मिनट और देकर १५ मिनट कर दिये जायं। गांधी जी ने यह कहा है कि--"हम जो राज्य चलाते हैं उसमें धनपति हैं, उनकी तो चलती है और जो हलपति हैं उनकी नहीं चलती। यह एक बड़े दुख की बात है"। मैं जानना चाहूंगा कमलापति जी से कि कितने हलपतियों की आज चल रही है। वे धनपतियों के गुलाम सरकार के रूप में काम चला रहे हैं। हलपति की इस सरकार में नहीं चल पाती है, उस हलपति की जो टिलर आफ दी स्वायल है, जो जमीन खोदता है, जोतता है और बोता है और मेहनत करता है, इन हलपतियों की, सरकार में क्या चल रही है इसके लिये माननीय मंत्री उदाहरण देने की कृपा करें।

श्रीमन्, छबेला गोलीकांड में किसान क्या मांग कर रहे थे ? किसान कह रहा था कि २ रुपये मन गन्ने की कीमत दो और ३२ रुपये मन चीनी करो। हर प्रकार से किसानों की लूट नहीं होनी चाहिये। एक लूट होती है उत्पादक के रूप में, दूसरी होती है उपभोक्ता के रूप में। ५ जनवरी से किसानों ने कह दिया था कि हमारे गन्ने की कीमत २ रुपये मन नहीं होगी तो हम मिल मालिक को गन्ना नहीं देंगे यह किसान का हक है। मैं पूछता हूं क्या हमारा इतना भी हक नहीं रह गया है कि जिस चीज को हम पैदा करें उसका बेचना हमारे हाथ में न रहे। अगर किसानों ने गन्ना रोक दिया था तो उन्होंने सरकार का क्या हरा, मिलमालिकों का क्या हरा ? इस बात को देख कर आंखों में आंसू आ जाते हैं। १६ तारीख को डाक्टर राममनोहर लोहिया उस गांव में गये। श्रीमती फेकू जार जार रो रही थीं। इस कमलापति की पुलिस कहां गोली चलाती है इसके लिये मैं यह काला कुर्ता लाया हूं। यह गोली कन्धे पर चलाई गयी है या कमर के नीचे इसका सबूत यह कुर्ता है, इसको कमलापति जी आंख खोल कर देख लें। गोली किस पर चली है ? किसानों पर चली है। गोली कहां चली है ? अरहर के खेत में और ऊख के खेत में घुस घुस कर, दौड़ दौड़ कर, पुलिस ने चलाई है। इतनी निकम्मी यह पुलिस है जिसकी गोली से कई लोग मर गये और बीसियों घायल हो गये। कौन-सी नैतिकता है, कौन-सी मारेलिटी है ? यह केवल राक्षसी वृत्ति है। रावणशाही नैतिकता है, कंसशाही नैतिकता है। यह है सरकार की नैतिकता कि जो गोली से मरा हुआ हो,

घायल हुआ हो उनको पुलिस छोड़ कर भाग जाय। इससे ज्यादा नालायकी और निकम्मेपन का दूसरा सबूत नहीं हो सकता। वह वाकया तो अभी आयेगा।

श्रीमन्, ८ दिसम्बर, १९५८ की मेरे पास यह रिपोर्ट है। यह डाक्टर सूद की इंजरी रिपोर्ट है जो उन्होंने दी है। उसकी कापी भेज दी है उसे वे पढ़ लें। इसकी कापी मैं करवा लाया हूं माननीय सदस्य इसे देख सकते हैं। डाक्टर सूद को दारुलसफा से क्यों ट्रान्सफर किया गया, क्योंकि एक डिप्टी मिनिस्टर ने उनसे कहा था कि इंजरी रिपोर्ट राजनारायण जी को जो दे रहे हो उसे मत दो। उन्होंने कहा कि मैं रोक कैसे सकता हूं, उनकी इंजरी की रिपोर्ट है। जिस दिन सदन के बाहर सोशलिस्ट पार्टी के अनेकों सदस्य इस बर्बर पुलिस के जरिये घसीटे गये थे उस दिन की इंजरी रिपोर्ट की कापी हमारे पास मौजूद है, इसे आप देखें और पढ़ें।

गांधी जी ने कुछ भाषा के बारे में भी कहा है। गांधी जी ने अंग्रेजी भाषा के बारे में कहा है कि इसे समाप्त कर दो। १ अप्रैल, १९४७ को गांधी जी ने कहा था कि मेरी अब चलती कहां है। मेरी चलती तो पंजाब न हुआ होता, न बिहार होता न नोआखाली। आज तो कोई मेरी मानता नहीं। मैं बहुत छोटा आदमी हूं। हां, एक दिन मैं हिन्दुस्तान में बड़ा आदमी था तब सब मेरी मानते थे। आज तो न कांग्रेस मेरी मानती है, न हिन्दू-मुसलमान। "फिर दूसरा प्रश्न है कांग्रेस आज है कहां? वह तो तितर-बितर हो गई है, मेरा तो अरण्य रोदन चल रहा है आज सब मुझको छोड़ सकते हैं"। यह है १९४६ के बाद के कांग्रेसियों के बारे में, उनसे मैं निवेदन करूंगा वे इसको अच्छी तरह से पढ़ें। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा आज कहना चाहूंगा कि कोआपरेटिव फार्मिंग, स्टेट ट्रेडिंग यह सब क्या नारे हैं? कोआपरेटिव फार्मिंग की कौन मुखालिफत करता है? वह कब हो कैसे हो, कब सफल हो उसके बारे में सोशलिस्ट पार्टी के प्रस्तावों को देखा जाय। एक बार नहीं हजारों बार कोआपरेटिव फार्मिंग की ताईद की गई। मगर कब होगी? केवल वोट कैंचिंग स्लोगन्स (वोट लेने के लिये नारे लगने) से नहीं होगी। एक तरफ तो वहां प्रस्ताव पास होता है कोआपरेटिव फार्मिंग का। दूसरी तरफ जो सम्मानित लोग वहां उपस्थित थे वे उसका विरोध करते हैं। यह क्या करेंगे?

कोआपरेटिव के लिये जमीन का बटवारा करना होगा। एक हल बैल से जितनी खेती होती है उससे तिगुनी से ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं रहनी चाहिये और मैं माननीय बलदेव सिंह जी की ताईद करता हूं कि जब देहात की आमदनी को बांधा जाय, और ऊपर की आमदनी का बटवारा हो तो शहर की आमदनी का भी हो। इसीलिये ऐसा एक मात्र सोशलिस्ट पार्टी है जो डंके की चोट पर कहती आयी है, आज से नहीं १० वर्ष से, कि १ और १० का अनुपात होना चाहिये। १०० रु० से कम नहीं १००० रु० से ज्यादा नहीं। १,००० रु० से ज्यादा जिनकी आमदनी हो चाहे मंत्री हों, मिल मालिक हों, चाहे मकान मालिक हों, चाहे बड़े-बड़े अफसर हों, किसी की ज्यादा नहीं होनी चाहिये। यह सरकार क्यों नहीं करती? इसमें क्या इनका खर्च होगा, क्या रुपया सरकार का लगेगा? लेकिन हो तो तब जब उधर दिल हो, दिमाग हो। तो मैं यह कह रहा हूं कि सरकार के इरादे ही गलत हैं, इसका उद्देश्य ही गलत है। यह आज पदावलम्बन कर रही है करोड़पतियों का, साम्राज्यशाही और पूंजीवादी तबके का। हमें माफ़ करेंगे हमारे वे दोस्त जो कभी-कभी रूस का नाम लेते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा अगर वे अपने को मार्क्सवादी कहने का हक रखते हैं तो मार्क्स के साहित्य को पढ़ें। मार्क्स ने कहा है--"अगर किसी युग का सिंहावलोकन करना हो तो टैक्नालोजी, मीन्स आफ प्रोडक्शन, मेथड आफ प्रोडक्शन, उत्पादन करने के साधन तथा प्रणाली को देख कर के उस युग की कल्पना की जाती है, उस युग के बारे में संज्ञा दी जाती है"। क्या अमेरिका और रूस की मेथोडोलोजी में फर्क है? क्या आज अमेरिका का जो धन पैदा करने का साधन है और जो रूस का है उसमें कुछ फर्क हो पाया है? मैं निहायत अदब से उन कम्युनिस्ट दोस्तों से कहूंगा कि अगर सेकेन्ड फाईव ईयर प्लान के वे पक्षपाती हैं तो देश को रसातल में ले जायेंगे। गरीब किसान, मजदूर, हरिजन, पिछड़ा वर्ग नहीं उठेगा।

[श्री राजनारायण]

श्रीमन्,माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द मुख्य मंत्री का कितना रुपया लगता अगर आज हर हरिजन बस्ती में पानी पीने के कुएं हो गये होते ? मंत्रियों का भत्ता जितना होता है अगर वही रुपया लगा दिया जाय तो हरिजन आज पानी पीने के लिये नहीं तड़पेंगे । मगर मैं जानता हूं, माननीय कमलापति त्रिपाठी जी जानते हैं कि आज हरिजन बस्ती में पानी पीने के कुएं नहीं रहे हैं । क्यों नहीं १२ साल में यह व्यवस्था की गई कि हरिजनों के लिये पानी के कुएं तो हों ? क्या यह सरकार के लिये कलंक की बात नहीं है और यह बात करते हैं हरिजनों के उत्थान की फिर मैं कहना चाहूंगा आपके द्वारा बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट, ,जब से मैं कानपुर जेल से छूटा हूं माननीय मुख्य मंत्री जी की खिदमत में भी हाजिर हुआ, लगातार सदन में कहा, लेकिन वह रिपोर्ट नहीं कार्यान्वित की जा रही है । हरिजन कल्याण विभाग खुला हुआ है, लेकिन उनका विकास नहीं हो पा रहा है ।

स्टेट ट्रेडिंग है । मगर जनाब अगर स्टेट ट्रेडिंग के जरिये आम ३२ रुपये मन गेहूं बेचें, तो इसलिये वे लोग अपनी दृष्टि को खोलें कि स्टेट ट्रेडिंग हो लेकिन प्राइस फिक्स (दाम तय हो) हो। किसान जिस भाव पर गल्ला बेचे चार नये पैसे सेर से ज्यादा उस साल में गल्ला न बिके । आज मूल प्रश्न है कीमतों का । कीमतों में चढ़ाव सरकार करती है तो वह भी नालायक और लुटेरी है और व्यक्तिगत कोई करता है तो वह भी नालायक और लुटेरा है । श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद में मजदूरों के साथ सरकार क्या कर रही है ? अमृतबाजार पत्रिका के बारे में क्यों नहीं कोई कार्यवाही की गयी ? उसी तरफ से रामपुर में हमारे मित्र बाजपेई जी गये । क्यों नहीं उसकी इन्क्वाइयरी की गई ? क्यों हमारे एक मजदूर नेता को भूख हड़ताल करनी पड़ी ? क्यों मजदूरों को एक महीने की तनख्वाह नहीं दी जा रही है ?

सम्पूर्णानन्द जी कहते हैं कि जो गैरकानूनी काम करेगा वह कानून की हिफाजत की बात कैसे करता है । इसके मानी क्या हैं ? जिस प्रदेश का मुख्य मंत्री इस जज़बात को जाहिर करे उसमें कानून की व्यवस्था रह सकती है ? अगर हमने कानून को तोड़ा तो कानून के मुताबिक ही हमें सजा मिलेगी । मगर वह कहते हैं कि तुमने कानून तोड़ा है तो हम कानून के मुताबिक सजा नहीं देंगे बल्कि कानून को तोड़कर सजा देंगे तो कानून संविधान की हत्या यह सरकार स्वयं कर रही है ।

श्रीमन्, भ्रष्टाचार का कितना बोलबाला है । एक उदाहरण दूंगा, शारदा सागर बांध पीलीभीत की कितने रुपये की योजना थी ? इस बांध का पानी निकल पा रहा है या नहीं ? नहर की शाखाओं को खुदवा दिया गया, इनसे पानी जा रहा है या नहीं ? उसमें जो तार लगाया गया है उस तार देने का ठेका किसने लिया था ? इसकी जांच होनी चाहिये मैं यह मांग करता हूं । बांध को मैकेनिकल इंजीनियर के हाथ में दे दिया गया । उसे सिविल इंजीनियर के हाथ में नहीं रहने दिया। बांध खराब हुआ और नुकसान हुआ करोड़ों रुपये का । उसको तार देने का ठेका मंत्री महोदय के ऐसे लाड़लों ने लिया है जो कम्पनी बनाकर सारा कारबार चला रहे हैं । तो श्रीमन्, क्या यह सरकार भ्रष्टाचार को रोक पाएगी ? जब हम हाई आफीशियल्स में करप्शन की बात कहते हैं तो मुख्य मंत्री महोदय कहते हैं कि जांच करेंगे । हम यह कहते हैं कि क्यों नहीं हाईकोर्ट का जज जांच करेगा । जब मथाई की जांच पार्लियामेंट करा सकती है तो उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े लोगों के कुकर्मों की जांच क्यों नहीं होनी चाहिये ? मेरी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिये ।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए सरकार को धन्यवाद देती हूं कि चालू वित्तीय वर्ष के बजट में कोई नवीन कर का प्रस्ताव नहीं है । श्रीमन्, सरकार बधाई की पात्र है कि उसने शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों की चिरकालीन मांग को स्वीकार कर लिया है । मान्यवर,मैं इन संस्थाओं के अध्यापक

वृन्द की ओर से सरकार से प्रार्थना करूंगी कि सरकारी और गैरसरकारी शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों के वेतन में जो भेद है उसे भी मिटाने की कृपा करेगी। मैं सरकार को इ सलिये भी बधाई दिये बगैर नहीं रह सकती कि सरकार ने १०० रुपए तक के और १०० से २०० रुपए तक के वेतन पाने वाले कर्मचारियों को क्रमशः ढाई रुपया अ.र ५ रुपया प्रतिमास की वृद्धि दी है। परन्तु सिद्धान्ततः जिन सरकारी कर्मचारियों के वेतन १०० रुपए से कम हैं उनके वेतन में कुछ और वृद्धि होनी चाहिये थी, मुझे आशा है कि सरकार इस पर सहृदयता पूर्वक विचार करेगी। अभाव, दैव विपति और आर्थिक संकट के समय में सरकार ने बहुत से सराहनीय कार्य किये हैं, समयाभाव के कारण उन सब का जिक्र तो मैं नहीं कर सकूंगी परन्तु मुझे अपनी सरकार के नियोजन में कुछ मौलिक त्रुटि महसूस होती है। किसी भी सरकार की नीतियों की सफलता और असफलता को नापने का एकमात्र पैमाना उसकी योजनाओं के लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति होती है। हमारी दोनों योजनाओं का लक्ष्य यहां के नागरिकों की आय की वृद्धि, बेरोजगारी का खत्म होना, जनता के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन स्तर का ऊंचा करना और नागरिकों की आर्थिक आय के भेद को दूर करना है। संभवतः हमें यह आंकड़े देखने होंगे कि क्या हमारे प्रदेश की आय में वृद्धि हुई है। सन् १९५५–५६ में हमारे प्रदेश की आय १,७६५ करोड़ थी, सन् ५६–५७ में वह घटकर १,७३९ करोड़ रह गई और ५७–५८ में वह १,६९२ करोड़ रह गई और मेरा विचार है कि इस हिसाब से तो अब सन् ५८–५९ में तो वह और भी कम ही होगी। इसी तरह से हमारे ग्रामीण भाइयों की परकेपिटा आय सन् ५५–५६ में १८९.३ रुपया थी, सन् ५७–५८ में वह घटकर १८३.६ रह गई और अब ५८–५९ में वह अनुमानतः १७५ रह गई होगी। यह हमारे प्रदेश की जनता का संकटमय और नारकीय जीवन का मानचित्र है।

प्रस्तुत बजट में विकास के लिये ५० करोड़ की धनराशि रखी गई है। मैं हमेशा बजट के समय पर कहती हूं कि कृषि के विकास के लिये अधिक रुपया रखा जाना चाहिये लेकिन यहां कृषि और सामुदायिक योजना में १६ करोड़ ८९ लाख रुपया ही रखा गया है। हमें इसको थोड़ी तुलनात्मक दृष्टि से भी देखना होगा कि ५ करोड़ जन-संख्या वाले बम्बई प्रदेश में विकास योजनाओं के लिये ८८ करोड़ रुपया रखा गया है और कृषि और सामुदायिक विकास के लिये २५ करोड़। अगर हम बम्बई प्रदेश के समकक्ष खड़ा होना चाहें तो विकास के लिये १०० करोड़ रुपए की व्यवस्था होनी चाहिये थी जिसमें से केवल कृषि और सामुदायिक योजना के लिये २७ करोड़ रुपया होना चाहिये था। पंजाब व बंगाल आदि की दशा भी हमसे अच्छी है। अगले १० वर्षों में भारत के चित्र में हमारा सम्मानपूर्ण स्थान न होगा। हम सबसे गरीब होंगे। हमारी पैदावार घट रही है। अन्य प्रदेशों की अपेक्षा हमारे प्रदेश में ग्रामीण आबादी अधिक है। नियोजन का सर्वप्रथम लक्ष्य कृषि उत्पादन में वृद्धि होना चाहिये। कृषि उत्पादन ही वह मूल आधार है जिससे हमारी दोनों योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति होती है, उसी से छोटे बड़े उद्योग धन्धे चलते हैं, जिनसे बेरोजगारी भी दूर की जा सकती है। उसी से हमारी जनता का जीवन स्तर ऊंचा होता है और आर्थिक समानता भी आती है, इस तरह से हमारे चारों उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में हमारे वित्त मंत्री महोदय ने बजट भाषण में कहा था कि हमारे प्रदेश के अन्नोत्पादन में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा था कि १,०७,९०,००० टन से बढ़ कर वह १,२४,००,००० टन हो गया है। १९५८ में ९८,८८,००० रह गया यानी २५ लाख टन घटा। १९५८–५९ की रबी की फसल ३० प्रतिशत खराब होने के कारण अनुमानतः २० लाख टन खाद्यान्न घट गया होगा। अनुमानतः कृषि का उत्पादन दो तिहाई रहा और इस प्रकार कृषक की क्रय शक्ति भी दो तिहाई से कम हो गयी। क्योंकि ये आंकड़े १९४८–४९ के भावों के आधार पर दिये जा रहे हैं।

श्रीमन्, हमारे प्रदेश की खाद्य समस्या! आज के वित्त मंत्री जो कि कुछ मास पूर्व खाद्य मंत्री थे मेरे दुर्भाग्य से यहां उपस्थित नहीं हैं। बजट पेश करते समय उन्होंने बताया था कि सन् १९५७–५८ में हमारे प्रदेश में ८ लाख टन अन्न की पैदावार कम हुई और १९५८ में रबी की फसल में ३० प्रतिशत की क्षति हुई। इसको लेमैन भी जानता था और श्रीमन्,

[कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री]

में उन जिलों से आती हूं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, जो अन्न के भंडार कहे जाते थे। आज उनकी ३० प्रतिशत जनता दोनों वक्त खाना नहीं खा रही है। मान्यवर, यदि हमारे उस समय के खाद्य मंत्री जी थोड़ी सी भी सतर्कता बरतते और उनके पास उच्चतम वेतन भोगी सरकारी विशेषज्ञ हैं उनसे कार्य लिया होता तो उस समय में भी मोटे अन्न का भंडार भर लेते और फसल के समय में मिल मालिकों को गेहूं खरीदने से रोक लेते। श्रीमन्, ऐसा नहीं हुआ। उसके फलस्वरूप आज ३० प्रतिशत लोगों को दो वक्त भोजन नहीं मिलता, लेकिन "को कहि सके बड़ेन सों लखि बड़िए पर भूल, दीने दई गुलाब को इन डारन वे फूल"। श्रीमन्, हमसे यह एक भूल हुई है। हमको कम से कम इसका प्रायश्चित करना चाहिये और मैं ट्रेजरी बेंचेज के सदस्यों से कहना चाहती हूं नम्र निवेदन के साथ कि वे मेरी त्रुटि को क्षमा करें, मेरी प्रार्थना को महसूस करेंगे कि हम अभी यात्रा में क्या वादा करके आये थे। हमने उन ग्रामीण भाइयों से और उन वोटरों से प्रतिज्ञा की थी कि हम जाकर के आपकी पूरी-पूरी सहायता करेंगे, आपकी बेकसी और बेबसी भूख प्यास में आपका साथ देंगे, आपके बच्चों का साथ देंगे। मान्यवर, यदि हम जो वहां देख कर आते हैं और जो महसूस करते हैं वह यहां आकर निर्भीकता से नेताओं से कहते तो ऐसा नहीं हो सकता था कि हमारी सरकार सहृदयतापूर्वक विचार न करती। मान्यवर, आज भी मैं कहती हूं कि उसका प्रायश्चित करना चाहिये। हुब्बे वतन के नाम पर, काशी काबे के नाम पर, पुराण और कुरान के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर ऐश व आराम की दुनियां को छोड़ कर, जिस दिन यहां से विदाई लेना है उसके नाम पर हमको आज बैठ कर कम से कम एक दिन का खाना छोड़ना चाहिये और एक वक्त अपने बच्चों को खाना नहीं देना चाहिये। खास तौर पर मंत्रीगणों और उच्च अधिकारियों को और फिर इन पवित्र क्षणों में बैठ कर हमको इस बजट की फिजूलखर्ची को रोक कर मितव्ययता करनी चाहिए, २० करोड़ रुपये की बचत करनी चाहिए, जो कि की जा सकती है और उसे कृषि पर व्यय करना चाहिये। एक गरीब आदमी खाद्य समस्या का हल मितव्ययता द्वारा अच्छी तरह कर सकता है।

श्रीमन्, हमारी योजना में १३ लाख व्यक्तियों को रोजगार देने की बात कही गयी थी लेकिन हम ३ वर्ष के आंकड़ों के आधार पर आधे लोगों को भी नहीं दे पाये हैं और ७-८ लाख के करीब अन्य नवयुवक हमारे सामने रोजगार के लिये तैयार हैं और मान्यवर, प्रशासन पर ३ वर्षों में ५५ करोड़ से बढ़ कर साढ़े बासठ करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। हमारे प्रदेश की आय का लगभग ४५ प्रतिशत रुपया हमारे प्रशासन पर खर्च हो रहा है। हमारे प्रदेश के अन्दर नये-नये कर्मचारियों व विभागों का जाल बिछता जा रहा है। आज इन्तजार किया जा सकता है गगनचुम्बी भवनों के निर्माण का, आज इन्तजार किया जा सकता है पुरानी सड़कों को सीमेंटेड सड़कें बनाने का, आज इन्तजार किया जा सकता है सड़कों के खम्बों और सचिवालय में वार्निश करने का। कल अध्यक्ष महोदय के सामने ही माननीय राममूर्ति के पूछने पर इसी सदन के एक सदस्य ने जो विदेश यात्रा से लौटे हैं बतलाया कि ६३० मेम्बरों के हाउस आफ कामन्स के अन्दर पूरी कुर्सियां नहीं हैं, छोटे-छोटे डेस्क, ये पद्धति उस देश की हैं लेकिन आज हमारे यहां स्टेडियम, म्युजियम बन रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश के अधिकारी बगैर पंखे के नहीं बैठ सकते, आज उत्तर प्रदेश के सरकारी अधिकारी और मंत्री ३५ हजार से कम की कार पर नहीं चल सकते . . . . .

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)--पारसाल तो आप कुछ और कहती थीं।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री--पारसाल की और आज की स्थिति भिन्न है। बदलता है मनुष्य परिस्थितियों के साथ-साथ। आज प्रदेश की जनता भूख की विभीषिका से जल रही है। अभी देख कर आयी हूं। तो ये सब चीजें इन्तजार कर सकती हैं। लेकिन मैं कहती हूं कि इसके लिये हमारे और आपके दृढ़ संकल्प की जरूरत है, हमारी और आपकी सच्ची भावनाओं को नेताओं से कहने की जरूरत है, अपने नेताओं तक सच्ची बातें पहुंचाने की जरूरत है।

श्री अधिष्ठाता––आप का समय समाप्त हो गया ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)––अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्य कर्मचारियों के वेतन में ढाई रुपये और पांच रुपये की वृद्धि, महंगाई भत्ते को उनके वेतन में शामिल करने की योजना, अध्यापकों के वेतन-क्रम में वृद्धि और इसी प्रकार नये स्कूलों को खोलने की योजना बना कर उसके द्वारा बजट में नवयुवकों को काम देने के प्राविधान का स्वागत करता हूं । मान्यवर, इस आय-व्ययक के ब्योरे के द्वारा जो दूसरी जनहितकारी योजनायें हैं उनके लिये भी माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं ।

मान्यवर, हमारी योजनाओं का यह नवां वर्ष शुरू हो रहा है और इस बीच में हमने इन योजनाओं के अन्तर्गत अपने प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि की, अपनी पैदावार को भी बढ़ाया और कृषि योग्य बंजर भूमि को भी तोड़ कर उस के अन्तर्गत लाये हैं, परन्तु यह सब होते हुये भी आज समाज में चारों ओर असन्तोष और अविश्वास का वातावरण है । इसके पीछे जहां तक मैं समझता हूं एक ही विचार काम करता है और वह है आर्थिक विषमता को मिटाने की मांग । हम मानें या न मानें जो भी व्यक्ति आज किसी की शिकायत करता है उस शिकायत के पीछे एक ही भावना होती है और वह होती है कि आर्थिक विषमता मिटानी चाहिये । समय कम है, उदाहरण के तौर पर मैं यह कह सकता हूं कि चाहें तो आप सरकारी कर्मचारियों के क्षेत्र में लीजिये , चाहे अधिकारियों के क्षेत्र में लीजिये, चाहे किसानों के क्षेत्र में लीजिये, चाहे मजदूरों के क्षेत्र में लीजिये, यह सब असंतोष इसलिये है कि जब हम यह देखते हैं कि हमारे जैसा व्यक्ति, हमारी ही तरह पैदा होने वाला दूसरा आदमी जब दफ्तर में बैठकर ३ रुपये प्रति दिन की सिगरेट पी लेता है परन्तु कहीं जब टैस्ट वर्क शुरू करते हैं तो वही व्यक्ति दफ्तर में बैठकर मजदूर की मजदूरी १० आने, ८ आने और ६ आने निश्चित करता है । यही विचार और यही भावना आज हमें और हमारे समाज को दुखी बनाये हुये हैं । मेरा निश्चित मत है कि सरकार जितना कदम इस आर्थिक विषमता को दूर करने के लिये उठायेगी, समाज उसका स्वागत करेगा और वह समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये होगा ।

मान्यवर, समय बहुत कम है इसलिये मैं संक्षेप में जिन साथियों ने भूमि की सीमा निर्धारण करने तथा सहकारी खेती के विरोध में अपने विचार प्रगट किये हैं, उनके बारे में इस सदन में अपने विचार रखना चाहता हूं । बात यह है कि जो सीधे-सीधे सीमा निर्धारण का विरोध नहीं कर सके उन्होंने यह आड़ लेकर विरोध किया है कि यह देहात में ही क्यों सीमा निर्धारण की जा रही है, शहरों में क्यों नहीं की जा रही है, उसका इस तरह से विरोध किया है । समय की मांग है इसलिये उनका साहस नहीं होता है कि वह यह कहें कि सीमा न लगाई जाय । लेकिन घुमा-फिरा कर वह यह कहना चाहते हैं कि यह अच्छा कार्य आगे न बढ़ सके । राष्ट्रीयकरण होता तब तो हम कह सकते थे कि शहरों में क्यों नहीं होता देहातों में क्यों हो रहा है । सीमा निर्धारण की जा रही है और इसमें केवल ऐसे लोगों को अधिकार मिल रहे हैं कि जो आज भूमि पर काम करते हैं । आज यों तो किसान कहने में माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी भी अपना फख्र समझते हैं और उन्होंने बड़ी शान के साथ कहा है कि मैं भी एक किसान हूं । यही नहीं जो अपने जुते हुये खेत तक को नहीं देखते वह भी अपने को किसान कहने में शान समझते हैं और अपना अधिकार समझते हैं ।

श्रीमन्, मेरी राय यह है कि किसान वह है जो अपने हल बैल के साथ खेत में काम करता है और कृषि से अन्न उत्पन्न करता है और इसीलिये हमारे पूज्य नेता पंडित जवाहरलाल जी द्वारा जिसे लोग नारा कहते हैं, एक योजना हमारे सामने आई है जो आर्थिक विषमता को मिटाने के लिये एक उच्च कदम है । ऐसे लोग जो सहकारी खेती का विरोधी करते हैं, ऐसे लोग जो आज अधिकतम सीमा निर्धारण करने का विरोध करते हैं, उनके संबंध में मेरा यह निश्चित मत है कि उनकी यह राय समयानुकूल नहीं है और उन्हें अपने

[श्री महीलाल]

विचारों को बदलना चाहिये। यह बात मैं ही नहीं कहता हूं, या यह बात कांग्रेस के पक्षपाती ही नहीं कहते हैं बल्कि इस बात को सदन के सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि खेतों पर काम करने वाले मजदूर सब से ज्यादा दुखी हैं। सीतापुर से आने वाले माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा कि खेतिहर मजदूर तालाब की भुनी मिट्टी से अपनी क्षुधा बुझाते हैं। मैंने देखा है कि मेरे यहां से हजारों मन शीरा पूर्वी जिलों को जाता है और वहां के बड़े बड़े किसान जो हल को छूना पाप समझते हैं वे अपने हलवाहों को मजदूरी में वही शीरा देते हैं और मैं यह कहने में हिचकता नहीं हूं कि वह यह भी नहीं सोचते हैं कि वह हल-वाहा और उसकी संतान जो खेती पर मेहनत करता है उसको भी मानव की तरह जिन्दा रहने का अधिकार है। इसलिए मेरी उनसे नम्रतापूर्वक प्रार्थना है कि सीमा व सहकारी खेती का फैसला कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नहीं, क्रान्ति को दावत देने के लिए नहीं बल्कि क्रान्ति को रोकने के लिए और उन लोगों की रक्षा के लिए ही जो आज सीमा के विरोधी हैं, कांग्रेस ने यह निश्चय किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह प्रोग्राम खेतिहर मजदूरों की रक्षा के लिए ही नहीं है बल्कि पूरे समाज के लिए है। उन्हें स्वागत करना चाहिए और न केवल स्वागत करना चाहिए बल्कि इस कार्यक्रम को पूरा करने में अपना पूरा-पूरा सहयोग देना चाहिए।

जहां तक कि सहकारी खेती के प्रति कुछ भ्रम में डालने वाली और कुछ इस तरह की बातें कही गई जिससे यह मालूम होता है कि सहकारी खेती कोई एक बहुत बड़ा भयंकर भूचाल है जिसमें हम सब भस्म हो जायेंगे, समाज को बहुत बड़ी ठेस पहुंचेगी, उसके सम्बन्ध में मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि अब सहकारी खेती के अलावा दूसरा और कोई जरिया नहीं है जिससे हम अपने कृषि सम्बन्धी आर्थिक स्तर को ऊंचा कर सकें और अपने देश की उपज को बढ़ा सकें। छोटे-छोटे किसान जो अपनी छोटी-छोटी जोतों के मालिक हैं वह बिना सहकारी खेती के तरक्की नहीं कर सकते। सहकारी खेती के बिना उनकी भावी सन्तानें उपज को नहीं बढ़ा सकतीं। जहां तक यह कहा जाता है कि जनता उसे नहीं चाहती, कौन कहता है कि जनता की बिना रजामन्दी के सहकारी खेती शुरू होगी और जो यह कहते हैं कि जनता यह नहीं चाहती, मैं उनको अपने जिले के लिए दावत देता हूं। वह आयें और मेरे यहां देखें कि वहां केवल एक सुपरवाइजर है पूरे जिले के लिए और उसके पास कितनी डिमांड्स आती है कि हमारे यहां आकर सहकारी खेती शुरू कराइए। भगवान की कृपा से मैं यह उम्मीद करता हूं कि एक वर्ष बाद मैं इस स्थिति में हूंगा कि अपने भाई बलदेवसिंह जी से यह कहूं कि आप आयें और सहकारी खेती की सफलता मेरे गांव में और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आकर देखें।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—अधिष्ठाता महोदय, मुझे बहुत दुख: है कि मैं बहुत कोशिश करने के बावजूद, उधर के सभी सदस्यों का भाषण सुनने के बावजूद अपने आपको इस बजट को कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने वाला बजट होने में असमर्थ पाता हूं। अधिष्ठाता महोदय, मुझे दुख है कि बजट भाषण के पहले ही पन्ने पर मैं पाता हूं कि सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी की बात की है माननीय वित्त मंत्री जी ने। मैं इसे किसी भी तरीके से नहीं कह सकता कि इसके जरिये से कभी भी प्रजातांत्रिक समाजवाद की तरफ हमारा प्रदेश जायगा। मैं कैसे मानूं? श्रीमन्, जिस राज्य के जमाने में आमदनी घटी हो—हमारे प्रदेश में १९५५-५६ में आदमनी २६३·१, १९५६-५७ में २६०·४, १९५७-५८ में २४८·८ इस प्रकार से घटी है। तो फिर जब प्रदेश की आमदनी इस तरह से घटे और फिर भी समाजवादी समाज की तरफ प्रदेश जायगा यह मेरी समझ से बाहर की बात है।

साथ ही साथ हमें देखना पड़ेगा कि समाजवादी समाज की स्थापना में आय में फर्क को हमें नियंत्रित करना पड़ता है कि एक और दस से ज्यादा का फर्क न हो। लेकिन इस सरकार के जमाने में मुझे बहुत दुख: के साथ कहना पड़ता है कि गरीब की आमदनी घटी है। आज

गांव के रहने वाले की आमदनी १९५·४ से १८३·६ हो गई। साथ ही साथ टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है श्रीमन्, कि उन लोगों की आमदनी जो २५ हजार रुपये से ज्यादा कमाते हैं, उनकी आय बढ़ी है। सन् १९४०–४१ में वह २० प्रतिशत थे और १९५२–५३ में २० से बढ़कर ३४ प्रतिशत हो गए। तो श्रीमन्, जब किसी सरकार के जमाने में आमदनी में फर्क बढ़े आमदनी घटे और खाद्यान्न की पैदावार में कमी हो, ११४ प्राइस इंडेक्स था श्रीमन्, १९५५–५६ में, १९५६–५७ में १२१ और १९५७–५८ में ११२ और फिर यहां पर यह कहा जाय कि हम तो समाजवादी समाज की स्थापना करने की बात करते हैं तो यह मेरी समझ से बाहर की बात है। श्रीमन्, भ्रष्टाचार बढ़ा, अपराध बढ़े, आमदनी कम हुई, साथ ही साथ विद्यार्थियों पर और निहत्थों पर गोली कांड हुए। अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बजट को कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने वाला बजट नहीं मानता और फिर मैं नहीं समझता कि यह दावा कैसे सच है? मुझे बड़ा दुख: है कि मैं इस मामले में मन्त्री जी से अपने को सहमत पाने में असमर्थ हूं। कहा यह जाता है कि हम समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं और उसकी स्थापना प्रजातन्त्र के ढंग से करना चाहते हैं किन्तु मैं आपको दो उदाहरण केवल इस बात के देना चाहता हूं कि यहां पर प्रजातान्त्रिक ढंग से कैसे समाजवादी समाज की स्थापना की जा रही है।

इसी सदन ने यह पास किया था कि गन्ने की कीमत १ रुपया १२ आना मन हो लेकिन हमारी सरकार ने क्या किया? सरकार ने कहा, भले ही असेम्बली ने पास किया हो, किन्तु उसकी ऐसी राय नहीं है। मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि क्या यह इस असेम्बली का अपमान नहीं है कि यहां के मुख्य मंत्री ने इसके विरुद्ध अपनी राय केन्द्रीय सरकार के पास भेजी? मैं यह भी कह दूं कि जब प्रजातान्त्रिक ढंग से गन्ने की कीमत के विरोध में सरकार को सूचना दी गई तो उसने गेंदासिंह जी को पकड़ कर बन्द कर दिया। हमारी सरकार ने इस सदन का अपमान किया है जो कि जनता के चुने हुये सदस्यों की बनी हुई एक संस्था है। उन सदस्यों के साथ इस सरकार ने विश्वासघात किया है। यह है एक उदाहरण जिसके ढंग पर यह सरकार समाजवाद की स्थापना करना चाहती है।

दूसरी मिसाल है चकबन्दी की। हमारी पार्टी की तरफ से चकबन्दी के लिये यह मांग की गई कि जिस गांव में ५१ फीसदी लोग कहें वहां पर ही चकबन्दी की जाय। लेकिन हमारी सरकार ने इस ५१ फीसदी की मांग को नहीं माना। तो फिर मैं कैसे मानूं कि यह सरकार प्रजातान्त्रिक ढंग पर समाजवाद की बात को लाना चाहती है।

अब गन्ने की कीमत पर एक बात और कहना चाहता हूं। इसके विषय में उधर से बोलने वालों में केवल दो ने ही जिक्र किया। वे दोनों सज्जन बदकिस्मती से इस समय यहां पर मौजूद नहीं हैं। दीपनारायण मणि जी ने बहुत सी बातें बतलाई और पुस्तक भी लिखी है। मुझसे उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वे और बातें बतलायेंगे और मुझे समझायेंगे। वह मास्टर रहे हैं और प्रिन्सिपल रहे हैं। मैं उनका बड़ा आभारी हूंगा अगर वह मुझको समझा दें और अगर वह भी समझ जायं तब भी मैं उनका आभार ही मानूंगा। लेकिन जहां गन्ने की कीमत बढ़ाने की बात आती है उससे उनको बाहर नहीं जाना चाहिये।

कुछ थोड़ी-सी बात वीरेन्द्रवर्मा जी ने कही लेकिन बदकिस्मती से इस समय वह भी नहीं हैं। मैं केवल एक बात बतलाना चाहता हूं मेरे पास फिगर्स मौजूद हैं। आज अगर संतुलित कीमत टैक्स निकाल कर देखी जाय तो १९५१–५२ में चीनी और गन्ने की कीमत में ६२.२ और ६९.७ का अन्तर था लेकिन श्रीमन्, आज १९५१–५२ के बाद गन्ने और चीनी की कीमत के अन्तर को देखा जाय तो वह १९५३ से लेकर १९६० तक का फर्क है। मैं जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार जो १ रुपया ५ आने की कीमत रखना चाहती है तो क्या यह हमारे किसानों के साथ एक भुलावे का खेल नहीं है? किसानों के साथ यह विश्वासघात

[श्री जगवीर सिंह]

नहीं है ? इस असेम्बली ने जिस चीज को पास कर दिया उसको हमारी सरकार मानने के लिये तैयार नहीं है ।

एक कोआपरेटिव फार्मिंग की बात कही गई । मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव फार्मिंग कामयाब होगी या नहीं यह तो समय ही बतलायेगा लेकिन मेरा विश्वास है इस सरकार के जमाने में जबकि चारों तरफ कर्मचारियों का जोर है और जब ऐसे कर्मचारी हैं जैसे कि पुलिस विभाग में हैं, जैसे सहकारी विभाग में हैं, वह कामयाब नहीं हो पायेगी । मेरी राय यह है कि सर्विसेज कोआपरेटिव कामयाब हो सकती है । इससे मुझे मतभेद नहीं है । लेकिन हमको इसका ढांचा बदलना पड़ेगा और सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा । कोआपरेटिव फार्मिंग करने के लिये सरकार को आमूल परिवर्तन अपनी नीति में करना पड़ेगा ।

हमारे प्रान्त में खाद्य समस्या भी एक बहुत व्यापक समस्या है, इसके लिये बहुत तर्क पेश किये जाते हैं । वीरेन्द्रवर्मा जी ने कई जिम्मेदारियां बतलाईं । विरोधीदल का भी कर्त्तव्य बतलाया और कुछ भगवान् को भी कोस दिया और कुछ गलती अपनी भी मान ली । खैर, जहां तक अपने मानने की बात है वह तो ठीक ही किया लेकिन भगवान् को कोसने की जो बात है वह उन्हीं को मुबारक हो । विरोधियों का जहां तक ताल्लुक है, मैं एक बात कहूंगा । हमारा चार्ज है सरकार के खिलाफ कि गल्ले की कीमतें बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी प्रान्तीय सरकार की है । सवाल आता है कि उन्होंने क्या किया । जिस जमाने में जोन्स बन रहे थे हमारी सरकार ने यह कहा कि हम को गल्ले की जरूरत नहीं, हम तो सेल्फ सफीशियेन्ट हैं । हमारा जोन अलग कर दीजिये । पंजाब से अलग हो गये । उस वक्त हमारे नेताओं ने चेतावनी दी थी । इस सरकार ने अगर ध्यान दिया होता तो मुझे विश्वास है कि गल्ले की कीमतें इतनी ऊंची न होतीं ।

जहां तक दैवी आपदाओं का ताल्लुक है उन पर किसी का काबू नहीं होता, लेकिन आखिर पैदा ज्यादा होता क्यों नहीं ? श्रीमन्, सरकार के दिमाग में एक फर्क की बात है । आज सरकार गांव और शहर में फर्क करने लगी है । फेयर प्राइस शाप्स पहले शहरों में खुलेंगी बाद में गांवों में, हाउसिंग की स्कीम पहले शहरों में चलेगी, गांव में नहीं । श्रीमन्, मैं आंकड़ों में ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन पिछले ९ साल के आंकड़े सन् १९४८–४९ से लेकर १९५६–५७ तक के आंकड़े बतलाते हैं कि हमारे गांव के रहने वालों की आमदनी इस सरकार के हिसाब से ज्यों की त्यों रही है, बढ़ी नहीं है, जबकि शहर में रहने वालों की आमदनी ३० प्रतिशत इस सरकार के आंकड़ों के हिसाब से बढ़ी है । मैं जानना चाहूंगा कि आखिर यह फर्क की बात क्यों है । मैं सरकार और उधर के बैठने वालों को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आप यह फर्क कायम रखेंगे तो इसका खमियाजा आप को ही उठाना पड़ेगा । आपको सोचना चाहिये कि आखिर यह खाद्य समस्या हल कैसे हो । यहां कुछ खाद की बात कही गयी, कुछ और बातें कही गयीं । आंकड़ों के जाल में मैं नहीं जाऊंगा, केवल एक बात कहना चाहता हूं । देखने में आया है कि किसान को प्रोत्साहन नहीं मिलता । किसान को इंसेंटिव नहीं है ज्यादा पैदा करने के लिये । खुशी की बात है कि कीमतें ऊंची हैं लेकिन जब तक किसान को यह नहीं मालूम होगा कि पैदा होने के बाद उसे उसकी पैदावार की क्या कीमत मिलेगी, जब तक मिनिमम प्राइस फिक्स नहीं होगी और वह भी एकोनामिक फेयर प्राइस, उस वक्त तक मेरा पूरा विश्वास है कि किसान ज्यादा पैदा नहीं कर सकता । नहीं पैदा करेगा । यह ठीक है कि कीमतें ऊंची हैं लेकिन उनमें संतुलन नहीं है । जब किसान बाजार में जाता है तो उसका गल्ला बिक जाता है, लेकिन जब वह दूसरी नान एग्रीकल्चरल चीजें लेने जाता है तो मैंने निकाला है कि उनके दामों का जो फर्क है वह बराबर बढ़ता जाता है । मैं आंकड़ों में नहीं जाता क्योंकि समय कम है ।

अंत में वाटर लागिंग की बात कहना चाहूंगा। यदि न कहूं तो पश्चिमी जिलों के साथ अन्याय होगा। श्रीमन्, मैंने पहले भी कहा था कि जरूरत किस चीज की है, दो मिनट का समय मुझे दिया जाय, मैं इसे पढ़ दूं। यह इस प्रकार है :

"What is actually needed is long-term planning. We should have well-planned schemes which should be modified as and when circumstances demand, but there should be will and determination to work out and above all what is needed is co-operation of the people. If we succeed there the problem is solved."

श्रीमन्, मुझे बहुत दुख है कि इसके बाद भी हमारी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। उसने एक स्कीम डेढ़ करोड़ रुपये की केन्द्रीय सरकार के पास भेजी। मैं नहीं जानता कि उसका क्या हश्र हुआ, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार के पास प्लानिंग में काफी पैसा बचा था, २० करोड़ रुपया वह खर्च नहीं कर सकी, तो इस स्कीम को वह अपने पास से पूरा करती। श्रीमन्, एक फ्लड डिवीजन खोला गया मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में एक फ्लड डिवीजन खोल दिया गया। मैं मिसाल दे देना चाहता हूं कि वहां पर एक छुइया नाला बनाया गया है और उस पर तीन पुल बनाये गये। कहां पर बनाये गये। एक सड़क १७ मील तो चौड़ी की गई थी और १८ वें मील में सड़क चौड़ी करनी बाकी थी। तो जहां नाला चौड़ा करना था वहां पर तीन पुल बनाये गये और इकला नाले पर दो पुल बनाये गये। तो मैं जानना चाहूंगा और माननीय मंत्री जी इस बात का जरूर उत्तर दें कि ५ पुलों पर ७० हजार रुपये क्यों बेकार खर्च किये गये, क्योंकि जब उनको चौड़ा करना था तो तब वहां पुल बनाये जा सकते थे, फिर से डिसमैंटिल करके उनको क्यों बनाया जाय। मैं चाहूंगा कि ऐसे इलाके में लगान माफ कीजिये और तकावी वसूली मुल्तवी कीजिये।

एक बात के लिये शिक्षा मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं, हो सकता है उनकी बात सच्ची हो। लेकिन जैसे माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने एलान किया था कि ८ वीं क्लास तक शिक्षा मुफ्त होगी, वह सच नहीं निकला। इस बार मन्त्री जी ने कहा है कि अध्यापकों को सहूलियतें मिलेंगी, भगवान करे उनका एलान सच हो और इस बजट के अन्दर वह उनको कुछ दें सकें। इस बजट में जो ढाई और ५ रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है वह तो बहुत मामूली बातें हैं और इससे किसी को कोई खास राहत नहीं होने जा रही है। एलान तो यह होना चाहिये था कि १०० रुपये से कम किसी भी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं दी जायेगी लेकिन आप ढाई रुपया देकर खुश करना चाहते हैं तो वह उनको मुबारक हो।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हो गया।

एक सदस्य—अधिष्ठाता महोदय, क्या कोई लिस्ट है जिसके अनुसार आप सदस्यों को बोलने की अनुमति देते हैं ?

श्री अधिष्ठाता—कोई लिस्ट नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है और जैसा मुनासिब समझा जाता है वैसा किया जाता है।

श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)—अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा इस सदन में प्रस्तुत बजट पर सामान्य विवाद का आज चौथा दिन है। मैं भी अपने कुछ विचार इस पर रखना चाहती हूं। सब से पहले मैं मंत्री जी को इस सौभाग्य पर बधाई देना चाहती हूं। इस सदन में इन चार दिनों के अन्दर बहुत से भाइयों ने अच्छे अच्छे सुझाव दिये और तर्क भी पेश किये। दस मिनट के इस न्यून समय के अन्दर मैं इस सम्बन्ध में कोई अधिक रूप-रेखा न देकर कुछ ऐसी ही बातें कहना चाहती हूं जोकि इस सदन के लिये उपयोगी हो सके। माननीय नेता विरोधी दल ने इस बजट के ऊपर समालोचना करते हुये बहुत सी बातें कहीं लेकिन मुझे खेद है कि उन्होंने हरिजन और पिछड़े वर्ग के जातियों के लिये कुछ भी संकेत नहीं किया। खैर, मनुष्य की मनोवृत्ति के अनुसार उसमें त्रुटियां रह ही जाती हैं। उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार

[श्रीमती चन्द्रावती]

इस बजट पर बहुत से तर्क उपस्थित किये । मैं तो इस बात को मानने वाली हूं कि अपनी "दृष्टि में ही सृष्टि" है । अपनी बहुत सी त्रुटियां नहीं दिखाई देतीं जोकि दूसरे बहुत ही जल्द देखकर बता सकते हैं । मैं उन आदमियों में से नहीं हूं जो एक सत्य को छुपाकर झूठ में हां-हां मिलाकर बात करते हैं । यदि कोई बात सत्य हो तो उसे इन्सान को निःसंकोच कहना चाहिये । यह बजट १ अरब १८ करोड़ से अधिक का है । मुझे दुःख है कि वित्त मंत्री जी ने महिलाओं के कल्याण के लिये इसमें कुछ भी संकेत नहीं किया है । ऐसा मालूम होता है कि इस ओर प्रायः उनकी उदासीनता ही रही है । हो सकता है कि हमारे प्रान्त की समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा के हाथों ही अपनी जिम्मेदारी छोड़कर वह निश्चिन्त हो गये हों ।

बहुत सी बातें यहां कृषि के लिये कही गई हैं । मैं भी एक किसान की हैसियत से कुछ सुझाव देना चाहती हूं । आज हमारे देश में और प्रदेश में महंगाई का प्रश्न बढ़ता ही जाता है । एक कहावत है कि जितने रोग की दवा की उतना ही यह रोग बढ़ा है । सरकार की ओर से बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में उदारता के कार्य किये जाते हैं लेकिन फिर भी उनके परिणाम सुनने को यही मिलते हैं कि जो चार दिन से हम लोग सुन रहे हैं । उसका एक कारण यह है कि सरकार समय पर मदद नहीं करती है । यह कहावत है कि उस वर्षा से क्या फायदा जब खेती सूख जाय । बीज भंडारों से बीज का वितरण तब होता है जब कि बीज डालने का अन्त आता है । यदि यह कार्य एक महीना या २० दिन पहले हो जाय तो किसानों को बहुत सहूलियत हो । किसानों को बीज लेने के लिये समय बरबाद न करना पड़े । इससे पैसों की भी बचत हो सकती है । आप सी० आई० डी० की रिपोर्टों से देखें तो देते समय तो ये बीज भंडार वाले थोड़ा तोलते हैं और लेते समय मालूम नहीं कैसा यंत्र इस्तेमाल करते हैं या तराजू में नीचे क्या लगा लेते हैं कि ज्यादा तोल लेते हैं । वह दुखी किसान जो अपने घर से पूरा तोल कर लाता है और वहां यह सुनता है कि तुम्हारा बीज कम है, इतना और लाओ, वह आश्चर्यचकित हो जाता है । मैं यह निजी अनुभव से कहती हूं, क्योंकि मेरे घर के सामने ही बीज भंडार है । इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

खाद के बारे में यहां पर बहुत से भाइयों ने तर्क दिया । यह बात सही है और निजी अनुभव की है कि साइंटिफिक खाद जमीन की फर्टीलिटी को कम कर देता है यद्यपि कुछ साल तक तो अच्छा चलता है । मैं यह कहना नहीं भूलूंगी कि खाद की समस्या गोबर से अच्छी तरह से पूरी हो सकती है जिसे हम जला देते हैं या फेंक देते हैं ।

वित्त मंत्री जी ने बताया कि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिये बिजली का शुल्क माफ कर दिया गया है । मैं यह कहना उचित समझती हूं कि इसी तरह से डोमैस्टिक कंज्यूमर्स के लिये भी बिजली का शुल्क माफ हो जाय तो अच्छा हो । इससे खाना पकाने की समस्या बहुत हद तक हल हो जायगी और स्त्रियों के स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ेगा । उनके स्वास्थ्य पर जो खर्चा होता है उसमें भी बचत होगी ।

शिक्षा मंत्री यहां पर मौजूद नहीं हैं । दुखः का विषय है । पढ़ने की किताबों की रद्दो-बदल जो हर साल होती है इससे जनता को बहुत हानि होती है और उस पर बहुत अनावश्यक बोझ पड़ता है । ५ साल या १० साल में किताबें बदली जाया करें तो अधिक अच्छा हो । मैं पूछती हूं कि कौन-सी प्रणाली से ये नये शब्द कोर्स बदलना प्रणाली अपनायी गई है । बड़े-बड़े शहरों में तो कोर्स पर जो तबदीली होती उसकी जल्द सूचना भी मिल जाती है मगर देहात में उक्त सूचना ठीक समय से नहीं मिल पाती है ।

*श्री अब्दुस्समी (जिला सुल्तानपुर)---जनाबवाला, आज १९५९-६० का जो बजट आपके सामने है उसे मैं यह महसूस करता हूं कि यह एक तरक्की-पसन्द बजट है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)---मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि इस समय सदन में न तो वित्त मंत्री मौजूद हैं और न मुख्य मंत्री मौजूद हैं । यह एक तरह से सदन का अपमान है, अभी अध्यक्ष महोदय की रूलिंग हो चुकी है ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि अगर दूसरे हाउस में हों या बीमार हों या प्रकृति की आवश्यकता हो तो जा सकते हैं । तो प्रकृति की आवश्यकता को निवृत्त करने के लिये गये हुये हैं, थोड़ी देर बाद आ जायेंगे ।

श्री अब्दुस्समी---जनाबवाला, मैं इस बजट को तरक्की-पसन्द कहता हूं, साथ ही साथ इसे देखते हुये मैं मंत्री जी को शुक्रिया का भी मुस्तहक समझता हूं । लेकिन इस बजट में मैं किसानों की बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । इसमें उद्योग और सनअत की तरक्की के लिये रियायतें हैं, गल्ले के छोटे व्यापारियों के लिये छूटें हैं लेकिन जो मुल्क का खास तबका है, जिसकी आबादी ८० फीसदी तक है उनके लिये मैं देखता हूं कि इस बजट में कुछ भी नहीं है । उनके लिये कोई रिआयत इस बजट में नहीं रखी गयी है । हालात इस तरह के हैं कि पैदावार घट रही है, बढ़ नहीं रही है । कुछ कुदरत भी इस तरीके से काम कर रही है कि जिससे किसानों की हालत कमजोर होती जा रही है । जरूरत इस बात की थी कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाई जाती । इस बात की जरूरत थी उनके ऊपर जो सरकारी जिम्मेदारियां हैं उनमें कुछ कमी की जाती । लगान में कुछ छूट दी जाती, कर्जा बगैर सूद के दिया जाता, इससे शायद किसानों की हालत कुछ अच्छी होती । लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं है ।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि किसानों को जो सहूलियत सिंचाई वगैरह के सिलसिले में दी गयी है, उसमें कुछ इस तरह की गलती हुई है कि बजाय फायदे के उनको नुकसान पहुंच रहा है । मिसाल के तौर पर अपने जिले की बात कह रहा हूं । मेरे जिले में करीब ८० ट्यूबवेल्स हैं लेकिन उनमें से किसी एक ट्यूबवेल की भी नाली ठीक नहीं है और पानी इस वजह से महंगा पड़ रहा है । पिछले दिनों सिंचाई मंत्री जी सुल्तानपुर तशरीफ ले गये थे और कुओं का मुआयना किया था और वे इस नतीजे पर पहुंचे कि नालियां खराब हैं । इस सिलसिले में उन्होंने डेढ़ लाख रुपया मंजूर किया । जो नालियां दुरुस्त हुई हैं वे पक्की हैं और पहली उखाड़ कर फिर से बनायी गयी हैं । पिछले जो काम करने वाले थे, ख्वाह वे ओवर-सियर हों या एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हों, उन्होंने बहुत लापरवाही से काम किया है । नुकसान के अलावा किसानों की मुश्किलात में इजाफा ही हुआ है : ट्यूबवेल चलता है और ८–१० आदमी उसकी निगरानी पर रखते हैं लेकिन सारे दिन चलने के बाद भी सिर्फ ८–१० बिस्वा आबपाशी ही हो पाती है । इस तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ।

तीसरी बात यह है कि हमारे जिले में कुछ तालाब ऐसे हैं जो बरसात के दिनों में भर जाते हैं । उनकी वजह से खेती को तो नुकसान होता ही है, गांव भी कुछ डूब जाते हैं । साथ ही बाज तालाब ऐसे हैं जिनकी वजह से मवेशियों को बड़ा नुकसान होता है । उसमें जब मवेशी चरने जाते हैं तो पानी के लगने से बहुत से मवेशी वहां मर जाते हैं । अगर उन तालाबों का पानी निकाल दिया जाय तो बहुत सा रकबा खेती के लिये निकल आयेगा, गांवों का नुकसान होने से बच जायगा और मवेशी भी मरने से बच जायेंगे ।

हमारे जिले में चकबन्दी हो रही है और बहुत-सा सेहत कागजात का काम खत्म हो चुका है । हमारे यहां के लोग चाहते हैं चकतराशी जल्द हो जाय । वहां के लोग इस बात को पसन्द करते हैं कि चकतराशी जल्दी हो जाय । लेकिन नहर के निकलने से कुछ मतभेद लोगों में है । अगर फिलहाल वहां चकबन्दी करना मुश्किल हो तो परगना मीरानपुर को भी चकबन्दी में ले लिया जाय । अगर यह चकबन्दी का काम जल्द कर दिया जायगा तो किसानों की हालत किसी हद तक दुरुस्त हो सकती है । इसके अलावा मुझे और कुछ ज्यादा कहना नहीं है ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---अधिष्ठाता महोदय, आज हम १९५९–६० के बजट पर विचार करने के लिये इस सदन में बैठे हैं । जहां तक इस बजट के रूप का सवाल है, जिसका कि

[श्री भीखालाल]

विस्तार किया जा चुका है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उसके स्वरूप में किसी भी प्रकार से कोई अंतर पैदा नहीं हुआ । केवल अन्तर इतना ही पैदा हुआ है कि आमदनी और खर्चे दोनों मदों में बढ़ोत्तरी हो गयी है । लेकिन इन ११, १२ सालों में कुछ एक दो बातें जरूर हुई हैं, जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूं । पिछले चन्द सालों से कांग्रेस सरकार ने अपना बजट पेश करते समय कुछ राजनीतिक पैतरेबाजियां जरूर दिखलायी हैं, उनका मैं उल्लेख करना चाहता हूं । सन् १९५३-५४ का बजट पेश करते समय कांग्रेस सरकार ने इस बात का एलान किया कि हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं । सन् १९५५-५६ का बजट पेश करते समय सरकार ने यह एलान किया कि अवाडी कांग्रेस के बाद हमने अपना यह लक्ष्य बना लिया है कि अब समाजवादी व्यवस्था कायम करेंगे । मौजूदा बजट पेश करते समय एक नयी पैतरे-बाजी यह की गयी कि नागपुर कांग्रेस सेशन के बाद अब हमारा दिमाग बिलकुल साफ हो गया है और हमारे उद्देश्य तथा नीति में किसी को कोई शुबहा नहीं होनी चाहिये ।

अधिष्ठाता महोदय, इसको मैं राजनीतिक पैतरेबाजी क्यों कहता हूं, इसलिये इसे राजनीतिक पैतरेबाजी कहता हूं कि नागपुर कांग्रेस ने जमीन की हदबन्दी, बटवारा और सहकारिता पर जोर दिया है और उस पर एक फैसला लिया है, लेकिन इस पूरे बजट भाषण में माननीय वित्तमंत्री जी ने उसका जिक्र तक नहीं किया है और उसे जानबूझ कर टालने की कोशिश की है । यह कहा जाता है कि हमारी नीति से स्पष्ट है कि हम उत्पादन के साधनों को समाज के सुपुर्द करना चाहते हैं ताकि उसका सही रूप में वितरण हो सके , लेकिन दूसरी तरफ बजट में यह भी कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर की तरक्की के लिये काफी धन रखा गया है और उनको कर्जा देने की व्यवस्था की गयी है । जब हम सहकारिता के लक्ष्य को मान चुके हैं और सहकारिता को ही अपना आधार बनाते हैं तो क्यों नहीं वे रुपये जो प्राइवेट सेक्टर में लगाये जाने को हैं उनको सहकारिता के आधार पर लगा कर उद्योगधंधों को बढ़ाया जाय ।

अधिष्ठाता महोदय, यह बात कि सरकार एक समाजवादी व्यवस्था कायम करने जा रही है, मैं समझता हूं कि समाजवादी व्यवस्था कायम करने के पहले और समाजवादी नारा देने के पहले सरकार को अपने दिमाग को कुछ साफ कर लेना चाहिये । मैं समझता हूं कि आज तक हमारी कांग्रेस सरकार का दिमाग इस पर साफ नहीं है कि समाजवाद का क्या आधार होना चाहिये । अभी पिछले दिन एक माननीय सदस्य ने कहा कि नागपुर सेशन के पहले हमारा दिमाग साफ नहीं था, अब नागपुर सेशन के बाद बिलकुल साफ हो गया है लेकिन मुझे शुबहा है कि अभी कांग्रेस सरकार का दिमाग नहीं साफ हुआ है । यह बात कही गयी कि दूसरे देशों में जो समाजवादी व्यवस्था है उसको हम अपना आधार नहीं बनाना चाहते हैं । यह मैं नहीं कहता कि दूसरे देशों में जिस तरह की समाजवादी व्यवस्था कायम है, उसकी आप यहां पर नकल करें । लेकिन समाज-वाद के कुछ मूल आधार हैं, कुछ मूल सिद्धान्त हैं जिन्हें आपको मानना पड़ेगा और जिन्हें दुनिया के बहुत हिस्सों ने माना है । लेकिन यह मैं जरूर कहूंगा कि इसके पहले सरकार को अपने दिमाग को बिलकुल साफ कर लेना चाहिये । मैं इस सिलसिले में एक इतिहास का उदाहरण देना चाहता हूं। अकबर बादशाह ने हिन्दू मजहब में बहुत सी खराबी देखी और मुसलमानी मजहब में भी बहुत सी खराबी देखी । इस पर उसने दीन इलाही नाम का अपना एक अलग ही मजहब चलाया । लोगों ने दीन इलाही मजहब को उस समय तो खूब अपनाया लेकिन अकबर के साथ ही दीन इलाही मजहब भी चला गया । तो अगर कांग्रेस सरकार समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहती है तो समाजवाद की जो रूपरेखा है और उसके जो माने जाने सिद्धान्त हैं उनको मानना पड़ेगा वरना उसका भी समाजवाद उसी दीन इलाही मजहब के रास्ता जायगा । अगर हम थोड़ी देर के लिये मान भी लें कि आपकी समझ साफ है और जिन सिद्धान्तों का उल्लेख नागपुर कांग्रेस के प्रस्ताव में किया गया है उसको आपने सही समझा है, लेकिन मुझको इस बात में शुबहा होता है कि आपकी नीयत साफ है । मैं कोई नीयत की बात नहीं करता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि जानबूझ कर बातों को टाला जाता है । इसलिये मुझे यह कहना पड़ता है कि हदबन्दी की बात का बजट

भाषण में कहीं भी जिक्र न करना और बजट में उसका कहीं भी कोई प्राविजन न करना, मैं समझता हूं कि जानबूझ कर उसको टाला गया है । हदबन्दी की तरफ कदम उठाने के लिये समय-समय पर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि हदबन्दी के पहले कुछ अन्य कार्यवाहियों की बड़ी जरूरत है । जैसे जमींदारी खत्म हुई तो सरकार ने जमींदारी के खातमे के पहले बेदखलियों पर कोई रोक नहीं लगाया जिसका नतीजा यह हुआ कि किसानों की जमीन नीलाम होती गयीं और धड़धड़ा बेदखलियां होती गयीं । तो जो गलती सरकार ने उस वक्त की वही गलती सरकार आज फिर करने जा रही है । हदबन्दी और जमीन के बटवारे के नारे दिये जाते हैं, लेकिन जमीन के बटवारे और उसके ट्रांसफर पर कोई रोक नहीं लगती है । इस अधिनियम को लागू करने से पहले सरकार को एक आर्डिनेन्स के जरिये से हर किस्म के ट्रांसफर्स को रोक देना चाहिये था और अगर जितने ट्रान्सफर्स हुये हैं उनकी जांच नहीं करती है तो सरकार की नीयत नहीं है इसको लागू करने की ।

(इस समय २ बजकर ३५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुये ।)

कैसे मैं समझता हूं कि नीयत नहीं है ? माननीय चरण सिंह जी ने एलान किया मेरठ में कि जमीन की हदबन्दी ५० एकड़ करना चाहते हैं, यह चीज उस उद्देश्य को मुर्दा बना देती है । मैं नहीं समझता कि इसमें जमीनें निकलेंगी जो कि भूमिहीनों को बांटी जा सकें । मैं कुछ आंकड़ों के जरिये बताना चाहता हूं कि ५० एकड़ की हद रखने से कितनी जमीन निकलेगी ? ५० एकड़ के ऊपर अपने प्रदेश में ११,५४४ जोतें हैं उनका रकबा १४,८७,३३६ एकड़ है । अगर जोत की सीमा ५० एकड़ फी परिवार रखी जाती है तो जमीन जो बाकी बचती है सिर्फ ९,१०,१३६ एकड़ बचती है लेकिन उनके कथनानुसार १ जोत में दो भाई शामिल हैं तो दोनों को ५०, ५० एकड़ दी जायगी । मैं थोड़ी देर के लिये माने लेता हूं कि दो आदमियों को देने से दूनी हो जाती है यानी १०० एकड़ दो भाइयों में तो सिर्फ ३,९७,९३६ एकड़ जमीन बचती है । इस तरह ५० एकड़ हद रखने से कानून की और उसकी भावनाओं को यह चीज मुर्दा बनाती है और सरकार की नीयत नहीं है हदबन्दी लागू करने की ।

तीसरी बात यह है कि जब सहकारिता के सिद्धान्त को मान चुके हैं तो चकबन्दी की योजना बिलकुल बेकार हो जाती है । चकबन्दी का लागू करना समय तथा धन दोनों का दुरुपयोग होता है । अगर किसी गांव में चकबन्दी लागू हो गयी है, चक कट गये हैं और फिर दोबारा हदबन्दी करते हैं और मुख्तलिफ टुकड़ों में जमीन निकलती है तो चकबन्दी बेकार-सी हो जाती है । इसलिये चकबन्दी रोक दें और चकबन्दी में लगा हुआ जो स्टाफ है उसे कागजात की दुरुस्ती में लगाया जाय और इस बात की जांच में लगाया जाय कि जमींदारी के खातमें के बाद जितने पट्टे हुये हैं नाजायज तरीके से उनको कैंसिल किया जाय और जितने ट्रान्सफर्स हुये हैं उसी स्टाफ से उनकी जांच कराई जाय और अगर हदबन्दी की योजना को उनसे ठेस पहुंचती है तो उनको ठीक किया जाय ।

मुझे अफसोस होता है कहते हुये कि आज कांग्रेस के अन्दर और बाहर कुछ ऐसे प्रतिक्रियावादी लोग मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि यह हदबन्दी का कानून लागू हो । आज असेम्बली में खड़े हो कर वे लोग हरिजनों व पिछड़ी जातियों के नाम पर बड़े-बड़े नारे देते हैं और शहरों व देहातों का प्रश्न रख दिया करते हैं । लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का तो यह लक्ष्य है कि शहरों में भी हदबन्दी लागू हो और जितने प्राइवेट उत्पादन के साधन हैं उनको समाज के कब्जे में किया जाय । आज जनता की भावनाओं को कुचला नहीं जा सकता । किसानों की हालत क्या है अपने प्रदेश में ? ६० फीसदी किसान ऐसे हैं जिनके पास केवल साढ़े १५ फीसदी जमीन है और ५ फीसदी ऐसे हैं जिनके पास ३४ फीसदी जमीन है और बाकी खेतिहर मजदूर हैं और अगर आप चाहते हैं कि खेतिहर मजदूरों की आर्थिक हालत सुधरे तो फिर हदबन्दी को लागू करना होगा ।

यह भी कहा जाता है कि अगर हदबन्दी लागू की गयी तो क्रान्ति हो जायगी, तानाशाही कायम हो जायगी, गोली और बारूद चलेगी । कल इसी सदन में ये बातें कही गयीं । मैं उनसे कहता हूं कि इस तरह हमको डराने की कोशिश वे न करें, जनता को भयभीत करने का प्रयास

[श्री भीखालाल]

न करें । प्रदेश की जनता ने जमींदारी अबालीशन के समय भी गोली और बारूद की बात सुनी है और उन्हीं लोगों के मुंह से सुनी है जो आज इस सदन में फिर गोली और बारूद की बात कह रहे हैं । इस सवाल को रख करके गोली बारूद की धमकी दे कर इस महत्वपूर्ण सवाल को पीछे नहीं डाला जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक प्लानिंग का सवाल है इस बजट में भी और पिछले बजटों में भी प्लानिंग पर काफी रुपया, विकास के नाम पर खर्च किया गया, लेकिन हम देखते हैं और सरकार भी जानती है कि गांवों में जिनके लिये रुपया खर्च किया जा रहा है उससे गांव की जनता को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है । मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार की दिशा गलत है । आज काश्तकार को प्रचार के जरिये से बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी प्लान की योजनायें चल रही हैं । जब किसान अपने रोजमर्रा के कामों में महसूस करेगा कि हमारा विकास हो रहा है तो वह खुद समझेगा । आज जरूरत इस बात की है कि विकास की योजनायें सेक्रेटेरियेट के कार्यालय से न बन करके देहात में बनें । आप अगर चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में, गरीब किसानों को सहायता दी जाय तो गांवों में बैठ करके प्लान बनवानी होगी किसानों का वर्गीकरण करना होगा कौन छोटा किसान है, कौन बड़ा काश्तकार है, कौन गरीब है, कौन अमीर है । आपको अपने सिद्धान्तों में परिवर्तन करना पड़ेगा । आज आपकी सहायता बड़े किसानों को पहुंचती है गरीब किसानों को नहीं मिलती है । अगर आप सहायता देना चाहते हैं और कृषि में विकास करना चाहते हैं तो गांवों में वर्गीकरण कीजिये और देखिये कि किन काश्तकारों को आपकी सहायता की प्रथम आवश्यकता है, आपको उसी को प्रायरिटी देनी होगी । उसके लिये आपको अपने कानूनों में परिवर्त्तन करना चाहिये ।

सरकार के तकावी के कानून हैं । सरकार कहती है कि काश्तकार की, मेरा मतलब छोटे काश्तकार से है, इतनी हैसियत नहीं होती कि उसको कर्जा दिया जाय । तो उस कानून में आपको परिवर्तन करना होगा । अगर कोई छोटा किसान है, नहीं जमानत दे सकता तो उसकी फसल पर कर्जा देना चाहिये । तभी कृषि में मदद पहुंच सकती है वरना नहीं ।

जहां तक पुलिस के कार्यों का सम्बन्ध है उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के कर्त्तव्यों में और उसके दृष्टिकोण में भी काफी आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है । हमारे आजाद प्रदेश में पुलिस का काम यह नहीं होना चाहिये कि जनता को दबाने के लिये, विरोधी पक्षों को दबाने के लिये इस्तेमाल किया जाय । बल्कि उसका काम अमन चैन कायम करने का होना चाहिये । हम देखते हैं आज पुलिस विरोधी पक्षों को दबाने के लिये इस्तेमाल की जाती है और कहा यह जाता है कि विरोधी पक्ष हमको मजबूर कर देता है कि हम पुलिस का इस्तेमाल करें ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर और बाहर बारबार ऐसी कितनी समस्याओं की सरकार को चेतावनी दी जाती है, पिछली दफा जब अन्न संकट पड़ा तो सदन के बाहर और अन्दर चेतावनी दी गई कि अन्न संकट है । लेकिन सरकार ने इन्कार कर दिया । मजबूर हो कर के आन्दोलन चलाना पड़ा । इसके अलावा कौन-सा हमारे सामने रास्ता है जिसके जरिये से हम आपको चेतावनी दें । आज फिर वही परिस्थिति पैदा हो रही है और बार-बार चेतावनी दी जा रही है लेकिन सरकार नहीं मानती है । फिर कहा जाता है कि हमको मजबूर करते हैं विरोधी पक्ष वाले । आज हम देखते हैं होम्योपैथिक कालेज के ऐफीलियेशन का सवाल काफी दिनों से चल रहा है, इम्तहान नजदीक आ गये हैं । अब अगर वहां के विद्यार्थी हड़ताल करते हैं तो आप लाठी और गोली चलाते हैं । फिर कहते हैं कि विद्यार्थी मजबूर करते हैं । क्यों नहीं उनको ऐफीलियेशन दिया जाता है ?

कल एक माननीय सदस्य ने कहा कि अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन इस सम्बन्ध में उन्होंने एक अजीब बात कही जो आज तक नहीं सुनी गई । उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे विरोधी पक्ष बढ़ता जाता है वैसे-वैसे अपराध बढ़ते जाते हैं इस पर हमको गौर करना होगा । हम कहना चाहते

हैं आप अपने गलत कारनामों को छुपाने के लिये विरोधी पक्ष का नाम न लीजिये । आज हम देखते हैं जितने भी गांवों के नामी गुंडे और बदमाश हैं उनको कांग्रेस से प्रोत्साहन मिलता है । मैं गलत बात नहीं कह रहा हूं । हमारे यहां १४ दिसम्बर को चौधरी चरण सिंह जी गये और एक परचा कांग्रेस की तरफ से निकला था आप उसको मंगा कर देखें कि उसमें ५० फीसदी अगर नामी गुंडे न हों, जिनको कांग्रेस से प्रोत्साहन मिलता है, तो बात साफ हो जायगी । पुलिस भी उनको नहीं दबाती है । और अपने ऐब को छिपाने के लिये विरोधी पक्ष का नाम लिया जाता है । मैं समझता हूं कि यह बड़े शर्म की बात है कि इस तरह की बातें कह कर अपनी काली करतूतों को छिपाया जाय । आज पुलिस के रवैये में तब्दीली होनी चाहिये और गुंडई को जो बढ़ावा हो रहा है उसको रोका जाना चाहिये ।

*श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)---उपाध्यक्ष जी, मैंने आदरणीय वित्त मंत्री जी ने बजट स्पीच में जो विभिन्न विभागों की उन्नति के विवरण दिये हैं उसको बड़े गौर से पढ़ा है । मैं संबंधित मंत्री महोदयों को उन कार्यों के लिये हार्दिक बधाई देता हूं , परन्तु मेरा सुझाव यह है कि बजट स्पीच में जब विभिन्न विभागों के उन्नति कार्य दिये जायं तो गुजिश्ता साल में जो कार्य सम्पादित किये गये हैं उन्हीं का विवरण होना चाहिये और उनका विवरण किसी साल को बेस मानकर एक खास इकाई में दिया जाना चाहिये ताकि उन आंकड़ों की रोशनी में जांच कर हम उनकी सराहना कर सकें ।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि बजट वास्तविक होना चाहिये । वास्तविक से मेरा तात्पर्य यह है कि जो समस्यायें और जो विपदायें गुजिश्ता साल में प्रदेश पर आयी हैं उनके निराकरण के लिये पूरा-पूरा प्रयास बजट में किया जाना चाहिये । यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि गुजिश्ता साल में सैलाब ने पूरब और पश्चिम और हर तरफ लोगों को परेशान कर रखा था । लेकिन यह देखकर मुझे दुख होता है कि इस बजट के अन्दर जब प्रदेश के अन्दर फ्लड्स बढ़ रहे हैं तब उसको रोकने के लिये कोई योजना बजट स्पीच में माननीय वित्त मंत्री ने नहीं रखी है । कहा गया है कि चूंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो रुपया ऐंटी फ्लड मेजर्स के लिये दिया था वह समाप्त हो गया इसलिये चालू वर्ष में कोई योजना ऐंटी फ्लड मेजर्स की नहीं रखी गयी है । द्वितीय पंजवर्षीय योजना इस प्रदेश की समस्याओं के हल करने के लिये है । उसको अलग करके इसको नहीं देखा जा सकता है । इसलिये मैं कहता हूं कि जब अगले वर्षों के बजट बनावें तब उनसे यह अनुरोध करूंगा कि जहां कहीं से हो सके जरूर फ्लड के संबंध में रुपया लावें । जिन क्षेत्रों में फ्लड्स आते हैं वहां के लोगों से जानकारी करके वहां आने वाले वर्षों में फ्लड्स न आवें ऐसी योजनायें अवश्य चालू करें ।

दूसरी जो बड़ी विपदा आज प्रदेश में है वह खाद्यान्न के अभाव की है । खाद्यान्न के अभाव के बहुत से पहलू हैं । उन सब पहलुओं पर बिचार करने के बाद ही बजट बनाना चाहिये । आज जो गल्ले का अभाव है वह हमसे आप से छिपा नहीं है । आज शहर देहात दोनों में गरीब आदमी गल्ले की गिरानी की वजह से परेशान हैं, लेकिन गांव की जनता सबसे ज्यादा परेशान है । मेरा अनुमान है कि कहीं हमको, गांव की जनता को, होली के त्योहार पर पूरियां खाने को नहीं मिलेंगी । एक और पहलू गल्ले के अभाव का यह है कि इस प्रदेश में यह कमी कई वर्षों से चली आ रही है । सन् १९५५–५६ में जो स्थिति हमारी थी आज वह नहीं है । और कोई जखीरा हमारे पास अब नहीं है कि ईश्वर न करे अगर रबी की फसल भी खराब हो जाय तो प्रदेश के लोगों को सहारा दे सकें । अभाव का हाल यह है कि इस प्रदेश में केवल खाने के लिये ही नहीं, बीज के लिये भी गल्ला हमको दूसरे प्रदेशों से मंगाना पड़ता है ।

इसके अतिरिक्त जो टार्गेट सरकार ने नियत किया है उसमें कई बातें हैं । सन् १९५७–५८ के जो टार्गेट सरकार ने मुकर्रर किये हैं वे इतने कम थे कि अगर उनकी पूर्ति भी हो जाती तब भी प्रदेश में ८ लाख टन की ही कमी रही जाती । सन् १९५६–५७ के मुकाबले में १९५७–५८

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शिवराज सिंह यादव]

में १३ लाख टन गल्ला कम पैदा हुआ। सरकार ने जो टार्गेट नियत किया है वह था ५.२१३ लाख टन। इसी प्रकार से सन् १९५७-५८ में गल्ला कम पैदा हुआ और टारगेट भी पूरा नहीं हुआ। सरकार ने जो टारगेट १९५८-५९ में नियत किया है ६.४ लाख टन। मेरा अनुमान है कि इस वर्ष भी वह टार्गेट पूरा नहीं हो सका। लेकिन उसके पूरा न होने के बावजूद भी सरकार ने जो टारगेट १९५९-६० के लिये रखा है वह केवल ५ लाख टन का रखा है। मुझे डर है कि अगर यह टार्गेट पूरा हो भी जाय तब भी इस प्रदेश के अन्दर अन्न का अभाव रहेगा। श्रीमन्, अन्न के अभाव की जो स्थिति है उसकी तरफ सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिये। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब किसी देश ने इन्डस्ट्रीज में या अन्य किसी और तरक्की की है तो पहले खाद्यान्न के संबंध में स्वावलंबन पा लिया है या कहीं से खाने की सप्लाईज प्राप्त कर ली हैं। यूरोप के जितने मुल्कों ने तरक्की की है उन्होंने खाद्यान्न में खुद स्वावलम्बन प्राप्त कर लिया है या और कहीं से इंतजाम कर लिया है। पेश्तर इसके कि इंडस्ट्रीज पर या और किसी चीज पर जोर दें यह जरूरी है कि खाद्यान्न के संबंध में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लें।

आज लैन्ड रिफार्म्स की बहुत बात कही जाती है। यह जरूरी है कि ८० प्रतिशत जनता जो खेती पर निर्भर है उनके मुतल्लिक जो जमीन है उसके संबंध में लैन्ड रिफार्म्स किये जायं। लेकिन लैन्ड रिफार्म्स का एक खास पहलू है और उसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस जमाने में लैन्ड रिफार्म्स किये जाते हैं उस जमाने में खेती की पैदावार जरूर घट जाती है चाहे आगे चल कर किसी मात्रा में क्यों न पैदावार में वृद्धि हो। इसी चीज को देखते हुए वी० टी० कृष्णमाचारी ने कहा था कि जब तक खाद्यान्न के संबंध में देश और प्रदेश स्वावलंबी न बन जाय तब तक कृपा करके लैन्ड रिफार्म फ्रन्ट पर ट्रूस कर ली जाय, जब खाद्यान्न में स्वावलंबन प्राप्त हो जाय तब लैन्ड रिफार्म्स की बात सोंचे। यदि हम लैन्ड रिफार्म्स किसी परिस्थिति की वजह से जरूर करें तो हम इस बात की परवाह करें कि जो कमी खाद्यान्न की पैदावार में हो जाती है वह बाद में न रहे।

चकबन्दी योजना से पैदावार नहीं बढ़ी। चकबन्दी से जो पैदावार में कमी मेरे क्षेत्र में हुई उसके बारे में मैं एक आंकड़ा बता दूं। ४०० गांवों के अन्दर चकों पर कब्जा लोगों को दिलाया गया। हर गांव में औसत ५० बीघा जमीन विलेज ले आउट के लिये छोड़ी तो इस तरह से २० हजार बीघा जमीन हुई। २ मन फी बीघा के हिसाब से ४० हजार मन गल्ला प्रति तहसील कम हो गया। मेरा अनुरोध यह है कि यदि हमको लैन्ड रिफार्म्स करने हैं तो हमको सतर्क रहना चाहिये कि इस वक्त जो कमियां होती हैं वह न होने पावें।

जहां तक सीलिंग का सवाल है, मैं इस राय का हूं कि जमीन पर सीलिंग कायम की जाय। लेकिन साथ ही साथ शहर की आमदनी पर भी एक बड़ी भारी खलीज है उसमें भी की जानी चाहिये। शहर और देहात के बसने वालों में एक बड़ी भारी खलीज है उसको पाटा जाना चाहिये। लैन्ड सीलिंग के बाद जो जमीन बचे वह अलाभकर जोतों के काश्तकारों को दी जानी चाहिये न कि लैन्डलेस लेबरर को, क्योंकि ३३ परसेन्ट भूमि आज अलाभकर जोतों के रूप में है। अगर सीलिंग करने के बाद बची जमीन को लैन्डलेस लेबरर को दे दिया गया तो मुझे डर है कि यह अलाभकर जोत ३३ परसेन्ट की जगह ४५ परसेन्ट हो जायंगी। इसलिये सीलिंग करने के बाद जो जमीन बचे वह अलाभकर जोतों में लगाई जाय।

कोआपरेटिव फार्मिंग के संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि कोआपरेटिव फार्मिंग केवल अलाभकर जोत वाले किसानों के बीच में की जानी चाहिये। अलाभकर जोतों के किसानों को वह जमीन मिल जायगी, तो उनकी जो छोटी-छोटी जोतें हैं वह लाभकर हो जायंगी वर्ना उनके बगैर उन किसानों की इनडिविजुएलिटी या व्यक्तित्व ही खत्म हो जायगा और नतीजा वही होगा कि जिस तरह से ईंट के भट्ठे और कोआपरेटिव की दूसरी चीजें फेल हो रही हैं उसी तरह से कोआपरेटिव फार्मिंग भी हमारे यहां फेल हो जायगी।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप के पास कोई लिस्ट पहुंच गई है तो हम उठक बैठक बन्द कर दें, वह सदन को आउट कर दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष---लिस्ट तो पार्टियों की तरफ से आ सकती है। उसके अलावा माननीय सदस्य, चेयर से, व्यक्तिगत रूप से भी कह सकते हैं कि उन्हें मौका बोलने का दिया जाय। परन्तु चेयर लिस्ट के अनुसार कार्य करने के लिये बाध्य नहीं है। इसलिये आप अपना प्रयत्न जारी रखें।

श्रीमती सुनीता चौहान (जिला रायबरेली)---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन के सम्मुख जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें वास्तव में जनता का बहुत कुछ कल्याण निर्भर है। मैं यह भी कहने में संकोच नहीं करूंगी कि जिस प्रकार हर इन्सान में कुछ न कुछ त्रुटियां होती हैं उसी प्रकार सरकार के भी कार्यों में भी कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय होने या आश्चर्य की बात नहीं है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कितना भी धन सरकार व्यय करे और कितनी ही मेहमत क्यों न करे वह थोड़ी है, क्योंकि हमारे देश की जनता केवल कृषि पर ही आश्रित है, निर्भर है।

श्रीमन्, कृषि के लिये हमारी सरकार जितना पैसा खर्च कर रही है वह वास्तव में बहुत प्रशंसनीय कदम और प्रशंसनीय कार्य है, लेकिन यह कहना भी गलत न होगा कि हमारा देश केवल अमरीका की नकल कर के ही आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे इस बजट में बहुत सी कमियां दिखलाई देती हैं। वह शान्ति व्यवस्था, कृषि, पशुपालन, सहकारिता और समाज-कल्याण आदि विभागों में कुछ धन की कमी हो गई है। इस सब को देखते हुए यह आवश्यक न था कि रिसर्च में, अनुसंधान में सरकार १७४ लाख रुपए की रकम लगा दे, क्योंकि हमारे कृषकों को रिसर्च पर अभी इतना अधिकार नहीं है कि वह अमरीका की नकल कर के सफल हो सकेंगे। अमरीका में तो कृषकों को अपने ऊपर इतना अधिकार है कि वह अपने रिसर्च के प्रयोगों के द्वारा अपने छोटे-छोटे काम स्वयं कर लेते हैं, उनको अधिकार है कि वह किसी पेड़ को ५ फुट ऊंचा कर सकते हैं और उससे यदि कृषि में उनको नुकसान पहुंचता है तो वह उसी पेड़ को ३ फिट ऊंचा कर सकते हैं। हमारे यहां रिसर्च पर अभी इतना अधिकार कृषकों को नहीं है। इसलिये मेरी समझ से १७४ लाख की रकम को रिसर्च में लगाना अभी उचित नहीं है।

कृषि और उद्योग का भी बहुत कुछ संबंध है। हमारे यहां की जन-संख्या को देखते हुए वास्तव में जब तक कि उद्योग यहां नहीं चलाये जायंगे विस्तृत रूप से तब तक यहां की जनता खुशहाल नहीं हो सकेगी। एक चीज और कह दूं कि आजकल कृषकों के कृषि के साधनों की भी अभी दिक्कत है। विशेषकर सिंचाई और खाद की बहुत दिक्कत है समय पर सिंचाई के लिये पानी नहीं मिल पाता। सिंचाई मिलती है तो खाद के साधन नहीं मिल पाते और सहायता का जहां तक प्रश्न है, श्रीमन्, सहायता हमारे यहां आवश्यकता पर नहीं मिल पाती, हैसियत पर मिलती है। तो मेरा यह कहना है कि ग्रामीणों को सहायता उनकी जरूरत के अनुसार देनी चाहिये, हैसियत के आधार पर नहीं देनी चाहिये।

श्रीमन्, जहां तक उद्योग का सवाल है, छोटे-छोटे उद्योग हर जिले में प्रदेश भर में चलाये जा रहे हैं लेकिन पिछले ही साल से इसका गांव से विस्तृत रूप हटाकर शहर में ही केंद्रित कर दिया गया, यह जनता के लिये कुछ लाभकारी नहीं सिद्ध हो रहा है। क्योंकि १५ रुपया स्टाइपेंड के ऊपर गांव के लोग अपने घर में ही एक तरह से उद्योग-धंधों की ट्रेनिंग पाकर अपना भरण-पोषण कर सकते थे, लेकिन शहर में ट्रेनिंग सेंटर हो जाने की वजह से गांव की जनता वहां आकर १५ रुपया स्टाइपेंड पर अपना जीवन बसर नहीं कर सकती। उसके लिये शहर में एक दूसरी गृहस्थी बसाना अनिवार्य है, जो इतने रुपये में संभव नहीं है। तो जिस प्रकार से गांव में उद्योग-धंधों के लिये ट्रेनिंग सेंटर थे उनके बारे में भी उसी तरह से होना चाहिये यह एक ही जगह केन्द्रित करके हमारी सरकार ने उचित नहीं किया।

[श्रीमती सुनीता चौहान]

श्रीमन्, मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं शिक्षा के ऊपर। हमारे प्रदेश में प्रतिवर्ष बहुत से स्कूल खुलते हैं लेकिन वह नये-नये स्कूल खोले जाते हैं। मेरा सुझाव यह है कि सरकार डिस्ट्रिक्ट कौंसिल को ऐसे आदेश क्यों न दे कि जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उनको पहले डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में ले लिया जाय उसके बाद नये स्कूल खोले जायं। होता यह है कि १० नये स्कूल खोल दिये जाते हैं और उस जगह के जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको छोड़ दिया जाता है। मैं इतना और जिक्र कर दूं कि ऊंचाहार स्कूल की बदकिस्मती है कि वहां के लोगों ने मुझे उसका प्रेसीडेंट बना दिया है। मैं यह कहना चाहती हूं कि जब डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के अन्दर में वह स्कूल है और हमारी सरकार हर जगह स्कूल खोलना चाहती है तो क्या आवश्यकता है कि उस स्कूल से १५ रुपया रेंट के लिये जायं? उसको माफ कर देना चाहिये वरना आपके जितने स्कूल प्रतिवर्ष खुलते हैं वह नहीं के बराबर रहेंगे। मैंने तो एक मिसाल के रूप में इसलिये पेश किया कि अपनी बदकिस्मती से वहां के लोगों ने मुझे उसका प्रेसीडेंट बनाकर बैठाया है और उसके लिये मैं कुछ नहीं कर पाती। श्रीमन्, करीब १०-१२ वर्षों से वह स्कूल चल रहा है, लेकिन उसको मान्यता आज तक नहीं मिल पायी, सारी शर्तों के पूरा होने के बावजूद वह स्कूल लापरवाही से पड़ा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। एक जिक्र और कर दूं। डलमऊ क्षेत्र में भी एक स्कूल चल रहा है। हमारे बहुत आग्रह करने पर भी डिस्ट्रिक्ट कौंसिल द्वारा वह स्कूल नहीं लिया गया, जब कि उसी क्षेत्र में ५ नये स्कूल खुले। जब मैं वहां देखने गयी, वहां के मास्टर ने हमसे जिक्र किया कि एक बैल बेंच कर हमने इसकी छत पटवाई है और दूसरा बैल बेंच कर रजिस्टर लाऊंगा। जिस आदमी का इतना उत्साह वहां की जनता के लिये हो तो वह उसका कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं हुआ। उसमें ७०-८० बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं सरकार के द्वारा चाहूंगी कि डिस्ट्रिक्ट कौंसिल को ऐसे आदेश दिए जायं कि वह इस प्रकार से स्कूलों को पहले ले और बाद में नये-नये स्कूल खोलने का प्रयत्न करे।

श्रीमन्, थोड़ा सा जिक्र मैं चिकित्सा का भी कर दूं। प्रति वर्ष नये-नये औषधालय खोले जाते हैं। अब भी ५ तिब्बी क्लिनिक खोले जायंगे। लेकिन जिस डिस्ट्रिक्ट में हजारों रुपया वहां की पब्लिक ने कंट्रीब्यूशन द्वारा इकट्ठा किया है क्यों न उस जगह उसको प्रिफरेंस दिया जाय? क्या वजह है कि पूरा-पूरा पैसा वहां की जनता खर्च करे। रायबरेली में भी २० हजार रुपये टी० बी० अस्पताल के लिये इकट्ठे किये गये हैं। क्यों नहीं सरकार कुछ और रुपया लगा कर वहां पर एक टी० बी० अस्पताल बनवा देती? क्यों २० हजार रुपया केवल बैंक में ही जमा रह जाय?

श्रीमन्, थोड़ा सा और जिक्र मैं वही अस्पताल और स्कूल के बारे में करना चाहूंगी। स्कूल और अस्पताल दोनों ही हमेशा खुलते हैं लेकिन अस्पताल खुला है तो दवायें नहीं हैं, और स्कूल खुला है, तो इमारत नहीं है। रायबरेली का मैं नक्शा दे सकती हूं और शायद दूसरे माननीय सदस्य भी पूरे प्रदेश का नक्शा दे सकते हैं कि बहुत से स्कूलों और अस्पतालों की इमारतें नहीं हैं।

इसके अलावा कानून और कायदा हर कर्मचारी के लिये लागू होना चाहिये, यह नहीं कि एक के लिये लागू हो और दूसरे के लिये नहीं। किसी का ट्रांसफर पीरियड है तीन साल का और किसी का है दस साल का। या तो यही सरकार कर दे कि पीरियड खत्म होने पर ट्रांसफर किया जायगा, लेकिन यदि पब्लिक चाहती है तो उसको वहां रखा जाय। मैं यह नहीं चाहती कि पब्लिक के चाहते हुए उसका ट्रांसफर किसी बुरी जगह किया जाय और पब्लिक के न चाहते हुए उसका ट्रांसफर किसी अच्छी जगह किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--आप का समय समाप्त हो गया।

श्रीमती सुनीता चौहान--श्रीमन्, दो मिनट का समय और चाहती हूं समाज-कल्याण के बारे में कुछ कहना है।

श्री उपाध्यक्ष––संविधान में महिलाओं और पुरुषों को समानता दी गयी है इसलिये मै मजबूर हूं। (हंसी)

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह (जिला गोंडा)––उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे थोड़ा सा समय इस बजट के बारे में अपने विचार प्रकट करने के लिये दिया। आज १२ वर्षों से यह बराबर सुन रहे हैं कि कल्याणकारी समाज स्थापना के लिये यह बजट पेश हो रहा है। अनेक वित्त मंत्रियों द्वारा यही भाषण सुने कि इस वर्ष हमारी प्रगति कल्याणकारी समाज बनाने की ओर अधिक बढ़ रही है। मगर काफी समय हो गया, कुछ दिनों तक तो यह आशा की जाती थी, बात भी सही थी कि ऐसा समाज बनने के लिये कुछ समय चाहिये पर १२ वर्षों का समय अवश्य ऐसा होता है कि जिसमें कुछ झलक तो जरूर दिखलायी देने लगती है कि हमारा समाज, देश और प्रदेश किस ओर जा रहा है। वास्तव में जो बजट पेश होता है उसमें देश में क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है इसकी एक झलक होती है। वह यह बतलाता है कि हमारे प्रान्त ने कितनी प्रगति की है। लेकिन आज वास्तव में अगर कोई देहात में जाय, जनता के बीच में जाय तो उसे मालूम पड़ेगा कि कल्याणकारी समाज कहां से कहां जा रहा है। एक उदासीनता छायी हुई है, लोग परेशान हो रहे हैं, हर वर्ग के लोग, क्या छोटे क्या बड़े, क्या मध्यम श्रेणी के लोग, क्या गांव में रहने वाले लोग, क्या शहरों में रहने वाले लोग, सब एक परेशानी के आलम में घिरे हुए हैं। लोगों का समय इसी चिन्ता में व्यतीत होता है कि कल हमारा समय किस प्रकार कटेगा। अगर ऐसे ही समाजवादी समाज की नींव पड़ रही है तो भगवान ही इस देश और प्रदेश की रक्षा करेंगे।

आज देश में पक्षपात, निपोटिज्म और तरह-तरह की बुराइयां कितनी बढ़ रही हैं। एक साधारण युवक आज इस बात की आशा नहीं रखता कि अपनी योग्यता और क्षमता के बल पर वह आगे बढ़ सकता है, कोई स्थान पा सकता है बल्कि वह सहारा ढूंढता है कि कोई सिफारिश मिल जाय, किसी बड़े मंत्री का संबंध मिल जाय, किसी नेता का मैं कृपा पात्र हो जाऊं। आज जब हमारे युवक इस वास्ते समय ढूढ़ते हैं कि हम किसी की शरण में जाकर बैठ जायं। ऐसी दशा में इस देश की दशा क्या होने वाली है? यह तो हमारे पूज्य नेताओं का पुण्य प्रताप है, हमारे बापू जी जिनकी यहां तस्वीर लगी हुई है उनका आशीर्वाद है जो हमारे साथ चल रहा है, लेकिन अब हम दरिया के किनारे पर पहुंच चुके हैं और अब हम कगार पर चल रहे हैं और जरा भी अगर पैर फिसला तो हमारा देश रसातल को पहुंचने वाला है।

हमारे जो लोग ट्रेजरी बेंचेज पर बैठते हैं वह देश की ओर देखें और टिकट की ओर न देखें कि वह मिलेगा या नहीं। अब वह इस बात को न देखें कि वह असेम्बली में आ सकेंगे या नहीं। अब आपकी सुरक्षा में यहां आने का मार्ग बदल रहा है। इसलिये अब वह जनता की आवश्यकताओं को देखें और जनता की ओर देखें जिसके वोट से वह यहां आते हैं। जनता को यह आशायें देकर आये थे कि हम तुम्हारा कल्य ण करेंगे, लेकिन आज आपके हृदय में कुछ है और जुबान पर कुछ है। इन चीजों को छोड़कर आज वह भगवान के नाम पर जनता की ओर अपना ध्यान दें।

श्रीमन्, मैं कहता हूं कि आज सरकारी अधिकारी जो हैं उनके काम में दखल न दें। आज जो नवयुवक अधिकारी हैं उनकी शिक्षा पर, उनकी विद्या पर और उनकी योग्यता पर विश्वास करें और उनके काम में दखल न दें। आज कामदार से लेकर जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं उनके काम में यहां से दखल दिया जाता है, बड़े-बड़े नेताओं द्वारा दिया जाता है। इससे सरकारी अहलकारान परेशान हैं और अपना काम नहीं कर पाते हैं। एनीमल हस्बेंडरी के सुपरवाइजर्स का मामूली सेलेक्शन है तो वहां चिट्ठी पर चिट्ठी पहुंच जाती है और जो योग्य तथा इंटर होते हैं वह रह जाते हैं और मिडिल पास ले लिये जाते हैं क्योंकि वह मंत्री का पत्र ले आते हैं। पुराने जमाने में राजाओं और ताल्लुकेदारों के बारे में सुना जाता था कि हाथी नजर देकर कारिन्दा बनते थे क्योंकि उनको आमदनी थी। इसलिये आज लोग मंत्रियों के पी० ए० होना चाहते

[श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह]

हैं। तनख्वाह चाहे कुछ मत दीजिये लेकिन नाम के लिये पी० ए० हो जाने दीजिये और दफ्तर में एक आध कागज पेश करने की आज्ञा दे दीजिये जिससे बड़े-बड़े आफिसर्स पर रोब गांठ सकें कि हम मंत्री जी के पी० ए० हैं।

कल्याणकारी समाज के लिये आवश्यक क्या चीज है, देश की प्रगति के लिये क्या जरूरी है? आज अन्न की समस्या सब से बड़ी चीज है। सुख-सुविधाओं को हमें बढ़ाना है, देश के लोगों की सुरक्षा को बढ़ाना है, लेकिन आज क्या हो रहा है, जो आज सोशलिस्टिक पैटर्न बना हुआ है वह गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बना रहा है? देहातों में जमींदार थे वह खत्म हुए और आज उन्हीं के ऊपर प्रहार हो रहा है और इधर टाटा और बिड़ला की मिलें बढ़ती चली जा रही हैं। शहर में कैपिटलिज्म रहे और गांवों में कम्युनिज्म रहे। यदि यही आपका सोशलिस्टिक पैटर्न है तो भगवान ही रक्षा कर सकता है।

आज हम असेम्बली में बैठे हैं इसलिये हम लोग सुरक्षित हैं लेकिन जो माननीय सदस्यगण अपनी कांस्टीट्यूएन्सी में जाते हैं वह जानते हैं कि वहां क्या हालत है। जो पुलिस तथा सरकारी अहलकारों की आलोचना करे उसकी खैर नहीं है। पुलिस ऐसी हो गई है कि उसे भले बुरे की तमीज नहीं है बल्कि उसकी पालिसी यह हो गई है कि जो दरोगा जी की बुराई न करे वही पनप सकता है। आज कितने ही मर्डर बाराबंकी में हो गए। रोज हाई कोर्ट से स्ट्रिक्चर्स पास होते हैं कि पुलिस जाल बनाकर अपने विरोधियों को तंग करती है मगर सरकार के कान में जूं नहीं रेंगती है। गोंडा में जो हुआ उसका उल्लेख राजा यादवेन्द्रदत्त जी ने किया है। इससे मालूम होता है कि पुलिस सरकार से बेकाबू हो गई है। हम भले ही समझें कि हमारी सरकार है। आई० जी० भले ही सलाम बजा लेता हो मगर दरोगा समझता है कि मालिक वही है और सुरक्षा उसी की है जो उससे दब के रहता है।

कल्याणकारी समाज का जो दूसरा अंग है कि जनता को सुविधायें प्राप्त होनी चाहिए उसको देखा जाय कि हमारे देश में क्या हो रहा है? आज साधारण जनता क्या सुख-सुविधा पा रही है? एजूकेशन की तरफ देखिए। सुविधा प्राप्त करने के लिए शिक्षा एक मुख्य अंग है शिक्षा में भी एक खिलवाड़ हो रहा है। नरेन्द्र देव कमेटी से लेकर आज तक हम सुना करते हैं कोई न कोई कमेटी बैठा ही करती है। एक कमेटी खत्म नहीं हुई, दूसरी की स्थापना हो गई। नई-नई योजनायें बनने लगीं। विद्यार्थी जो पढ़ने जाते हैं वह यही नहीं समझ पाते कि कक्षा २ में पढ़ रहे हैं तो किस पद्धति से पढ़ेंगे, और चौथे में पहुंचेंगे तो किस पद्धति से पढ़ेंगे। जो अंग्रेजी स्कूल है, लखनऊ में ही तीन चार ऐसे अंग्रेजी स्कूल हैं जहां दो-दो वर्ष से ऐडमीशन के लिए लोग लालायित रहते हैं कि वहां हमारे बच्चे भर्ती हो जायं क्योंकि उनका एक अपना निश्चित रास्ता है, एक उनकी टेस्ट बुक निश्चित है, उनकी किताबों का एक स्टैंडर्ड निश्चित हो चुका है। हमारे यहां जैसा मैंने शुरू में कहा पक्षपात की बदौलत, आज आप एक टीचर का सेलेक्शन उठाकर देख लीजिए, उसको जो वेतन मिलता है एक तो वही माशा अल्ला होता है, किस तरह से उसमें वह गुजर करता है यह वही जान सकता है, दूसरे जो सोसाइटी का थर्ड क्लास स्टाफ होता है जो पहले दरोगा के लिए कोशिश करता है और वह भी नहीं बन पाता तो टीचरी में जाता है, मगर उसका सेलेक्शन भी क्या होता है? श्रीमन्, अगर सरकार की हिम्मत हो, तो दो वर्षों के अन्दर जो एल० टी० और जे० टी० सी० के आंकड़े हैं, उन्होंने खुद जो सेलेक्शन किये हैं, मंत्रिमंडल ने जो किये हैं, उनको देख लिया जाय, जो लीस्ट क्वालीफाइड रहे हैं, उनको मंत्री जी ने सेलेक्ट किया होगा। हमारे गोंडा जिले में तो जो सेलेक्शन होकर गया है, जो लंगड़ा है या एक आंख का है उसकी भी नामजदगी हो गई है। मन्त्री जी खुद तो देखने गए नहीं। दरबारदारों ने जिसकी सिफारिश कर दी कि हुजूर इसका कर दीजिये उसी का कर दिया।

आप टेक्स्ट-बुक्क को देख लीजिये। रोज टेक्स्ट-बुक बदली जाती है। कितना बोझ पड़ता है इससे बालकों पर और गार्जियन्स पर ? इसके अलावा टेक्स्ट बुक कमेटी में भी सिफारिश चलती है। कोई भी चला जाय पर्चा लेकर। टीचर तो है हिस्ट्री का लेकिन हिस्ट्री की किताब छप गई है, ज्याग्राफी की बाकी है तो ज्याग्राफी की ही एक किताब दे दी। उसी के लिए हुक्म हो गया। तो अगर इसी तरह से चलेंगे तो क्या कल्याण होगा ?

अब मैं कुछ ध्यान बिजली की तरफ दिलाना चाहता हूं। आज देहातों में सारे प्रयोग हो रहे हैं। कहा जाता है कि ग्रामोद्योग शुरू करेंगे। मगर बिजली का रेट हर एक जिले में भिन्न-भिन्न है। लखनऊ, गोंडा और बाराबंकी की दरों में तो एक विशेष अन्तर है। इसमें भी समता होनी चाहिए। सोशलिस्ट पैटर्न में तो फ्राम एवेरी बाडी एकार्डिंग टु हिज कैपेसिटी टु एवेरीबाडी एकार्डिंग टु हिज नीड, यह होता है। यहां तो सबको एक समान करने की बात है। पश्चिमी जिलों में एक आने, डेढ़ आने पर यूनिट चार्ज होता है जबकि गोंडा, बस्ती, बहराइच के अन्दर आठ आने रेट है। इससे आप क्या समझ सकते हैं कि इतने हाई रेट के ऊपर आदमी क्या काम कर सकता है, कैसे रह सकता है, जीवन की सुविधायें कैसे उपलब्ध हो सकती है ? मैं विशेष कर गोंडा के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे बिजली के मन्त्री जी मौजूद हैं और सौभाग्य से उनका देहात की ओर विशेष ध्यान भी रहता है। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि गोंडा जिले के अन्दर देहात में बिजली देने की कोई योजना नहीं है। वहां देहात में कोई बिजली नहीं पा सकता।

यही हाल मेडिकल का है। यही हाल सड़कों का है। मुझे आश्चर्य होता है आखिर दिल्ली तो बहुत बड़ी चीज है। वहां लोग बाहर से आते हैं। मगर और शहरों में यहां बनारसी बाग में आप जानवर पालने के लिए आलीशान इमारतें बना रहे हैं लेकिन देहात एक मंडी से दूसरी मंडी में जाने के लिए मार्ग बनाने के लिए यह होता है कि पैसा नहीं है, सड़क नहीं बन सकती। जब तक कम्यूनिकेशन नहीं होता है, देहात की तरक्की नहीं हो सकती है। इसके अलावा श्रीमन्, मैं खाद्यान्न के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं। कोआपरेटिव फार्मिंग के विषय में ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। लोग उसको जान चुके हैं और लोग उसको समझ चुके हैं। हमारे उच्च नेताओं ने कहा है और पंडित जवाहरलाल जी ने भी कहा है कि जबरदस्ती नहीं करेंगे। मगर फिर समझ में नहीं आता कि इसका जिक्र ही क्यों किया जाता है ? अगर खुशी-खुशी कोआपरेटिव फार्मिंग करना है तो मौजूदा ऐक्ट में कोआपरेटिव फार्मिंग की सबको सुविधा प्राप्त है। आखिर यह शोरगुल क्यों है कि जबरदस्ती नहीं की जायगी ? इससे कुछ भय उत्पन्न होता है और जरूर कुछ दाल में काला है।

भूमिहीनों को जमीन देने की बात है जो जमींदारों से लेकर दी जायगी। आपको सहकारी समिति बनाकर जमीन दे सकते हैं। उनको कोआपरेटिव फार्मिग के तरीके पर जमीन दी जा सकती है। इस वजह से जो यह जबरदस्ती की बात है उससे भय जरूर पैदा होता है। जिस वक्त यहां पर जमींदारी को मिटाया गया उस समय कहा गया था कि तुमको मालिक बना रहे हैं। भूमिधरों से १० साल का लगान वसूल किया था और उनसे कहा गया था कि तुम्हें मिटा नहीं सकते लेकिन आज सरकार को उससे उज्र हो रहा है।

होल्डिंग के बारे में मुझे यह कहना है कि इसके दो कारण कहे जाते हैं। एक तो सोशल जस्टिस और दूसरा फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये। सोशल जस्टिस जो है वह शहरों में कुछ है और देहात में कुछ है। फूड प्रोडक्शन के बारे में जो कहा जाता है उससे यह सिद्ध है कि न बड़ी जोत से और न छोटी जोत से खाद्यान्न बढ़ सकता है। यह आदमी की क्षमता के ऊपर है। बड़ी जोत से भी ज्यादा पैदा हो सकता है और छोटी जोत से भी ज्यादा पैदा हो सकता है। उदाहरण के लिये मेरठ डिवीजन और गोरखपुर डिवीजन को लिया जाय। गोरखपुर डिवीजन में होल्डिंग छोटी है। ८० फीसदी लोग खेतों पर जुटे हुये हैं। तो फिर क्या बात है कि वे कंगाल हो गये ? अगर बटवारा कर के छोटी

[श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह]

जोत से तरक्की होती तो गोरखपुर को तरक्की करनी चाहिये । मेरठ में ५० फीसदी लोग खेती पर हैं । ५० फीसदी लोग बाहर हैं । ५, ७ एकड़ की एवरेज पर वहां तरक्की नहीं होनी चाहिये ? इससे सिद्ध है कि छोटी जोत से तरक्की नहीं हो सकती ।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट पर इधर से और उधर से बहुत कुछ सुना । लेकिन मैं इस सदन की तवज्जह माननीय वित्त मन्त्री की तकरीर की तरफ दिलाना चाहता हूं । माननीय वित्त मन्त्री ने अपना जो बजट पेश किया है वह दूसरी पंचवर्षीय योजना की चौथे साल की तरक्की की रिपोर्ट समझना चाहिये । इस बजट में कोई भी टैक्स नहीं लगा । कोई बात ऐसी जनता के ऊपर लागू नहीं हुई जिससे मेरे मुखालिफ यह कहने को उठें कि बहुत सारा जुल्म हुआ । मैं यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने उस अवाडी रेजोलूशन के तहत में स्टेट में और सारे हिन्दुस्तान में सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी के ढांचे की बुनियाद डाली है । इससे किसी को इन्कार नहीं. . . .

श्री नन्दराम---मेरा यह वैधानिक प्रश्न है कि यह सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी क्या चीज है । जरा उसको हिन्दी में बताने की कृपा करें ।

श्री एस० जी० दत्त---अब दूसरे शब्दों में आपको समझाना पड़ेगा तो सुन लीजिये कि जसको समाजवादी मिलकियत कहते हैं । आप अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं लेकिन दूसरे करें तो आपकी समझ में नहीं आता यह ताज्जुब है । इसका मुद्दा यह है कि जो पैदावार के जराये हैं वह सामाजिक मिल्कियत हैं । जिन साधनों से देश की पैदावार और दौलत में तरक्की हो वह देश में बराबर-बराबर तकसीम हो जायं । कांग्रेस और उसकी सरकार की नीति में इसके लिये कोई शकोशुबहा की गुन्जायश अब नहीं रह गयी है । अगर कुछ बाकी था तो वह अभी नागपुर सेशन ने दूर कर दिया है और उसके लिये केन्द्र तथा सूबाई सरकारें अब कोशां हैं । अब यह सरकारें देखेंगी कि इस देश की पैदावार बराबर-बराबर तकसीम हो, हर आदमी को बराबर सहूलियतें मिल सकें । पंचसाला योजना की तहत में कांग्रेस सरकार इस देश के लोगों की मुत्तहिदा मेहनत और हिफाजत के लिये बिजली, पानी वगैरह सारे जरियों का इस्तेमाल करके इस देश की दौलत को तरक्की देना चाहती है । इसमें कोई शक नहीं है और आप कह सकते हैं कि इस देश में जब से कांग्रेस सरकार ने हुकूमत की जिम्मेदारी सम्हाली उसकी यह नीति रही कि हर शख्स को रिहायश, खाना-कपड़ा, रोजगार आदि की दूसरी सहूलियतें मिलें और बराबर-बराबर मिलें ।

आपके राजे महाराजे आज खड़े होकर कहते हैं कि साहब यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ । आज वह भी सोशलिस्ट पैटर्न की बात कहते हैं । कल तक जब किसान उनके नीचे दबा हुआ मर रहा था, उनके यह खयाल कहां थे । यह सब हमारी वजह से हो रहा है । जितना कांग्रेस सरकार और उसकी नीति ने हिन्दुस्तान में काम किया है उतना शायद किसी देश में नहीं हुआ । बर्मा, इंडोनेशिया, इंडोचाइना, आप एशिया के किसी मुल्क को देखें जो अभी आजाद हुआ है और ईमानदारी से कहिये कि क्या उन देशों ने भी इतनी तरक्की की है ? देश और विदेश के लोग आकर आपके काम की तारीफ करते हैं, आपकी नीति की तारीफ करते हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि खुद तो आप उपद्रव करेंगे, जैसा राज नारायण जी ने कहा, यह जुल्म किया वह जुल्म किया, लेकिन उसके साथ वह यह भी कहें कि उस दिन जो उन्होंने हाउस में किया था उस संबंध में.....

श्री उपाध्यक्ष---कृपया आप उस संबंध में बात न करें । वह प्रिविलेज कमेटी की बात है ।

श्री एस० जी० दत्त---उन्होंने हवाला दिया था इसलिये मैं कह रहा हूं । उन्होंने डाक्टर सूद के कागज लेकर दिखाये थे ।

श्री उपाध्यक्ष---वह बेकायदगी करते हैं तो आप न करें।

श्री एस० जी० दत्त---बहुत अच्छा। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि...

श्री नन्दराम---व्यवस्था का प्रश्न। उनको यह शब्द वापस लेने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---इसका प्रश्न नहीं उठता। आप कृपा कर बैठें।

श्री एस० जी० दत्त---इस देश में कांग्रेस सरकार अमन से इन्कलाब लाना चाहती है। आप जिस इन्कलाब को लाना चाहते हैं उसके लिये आपको रूस जाना पड़ेगा आपको मालूम है कि जब वहां मजदूर तहरीक चली तो उन्होंने किस तरह से जार से लेकर जमींदारों तक के बच्चों तक को कत्ल कर दिया यह कह कर कि यह सांप के बच्चे हैं। लेकिन हमने सुलह और अमन से अपनी तहरीक चलायी और उन जमींदारों की औलाद को जिन्दा रखा है ताकि वे सबक सीखें कि जिस किसान और मजदूर का तुमने खून चूसा है वह आज मेहनत कर रहा है और हम उसको इंसान बनने का मौका देना चाहते हैं। यह इन्कलाब है और अमन का इन्कलाब है और सोशलिस्टिक पैटर्न आफ स्टेट का इन्कलाब है। आज आजादी है हमारे देश में, आप खड़े होकर नेहरू जी को क्रिटिसाइज करते हैं, जरा रूस में ख्रुश्चेव को क्रिटिसाइज कर लें, आप मंत्रियों को क्रिटिसाइज करते हैं, जरा रूस में क्रिटिसाइज करें तो देखें कि वहां क्या हाल होगा, दूसरे दिन आपका पता नहीं चलेगा।

अब मैं कानपुर के बारे में सरकार से कहना चाहता हूं कि वहां पर जल्द से जल्द कानपुर काटन मिल और अथर्टन वेस्ट काटन मिल का सरकार फैसला करे, क्योंकि मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं और उनकी बेरोजगारी को दूर करना चाहिये। दूसरे मुझे अफसोस के साथ यह कहना है कि कानपुर वर्ल्ड में टी० बी० के लिये मर्कज है फिर भी टी० बी० के ५० बेड्स जो मंजूर हुये थे वह लखनऊ को दे दिये गये हैं और कानपुर को नहीं दिये गये जबकि लखनऊ में ६० बेड्स पहले से थे और कानपुर में ७५ ही थे। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार इसकी ओर भी ध्यान दे।

एक बात मुझे यह अर्ज करनी है हमारे यहां जो मेडिकल कालेज शहीदे आजम गणेशशंकर विद्यार्थी के नाम पर खोला गया है जो कि एशिया का सबसे बड़ा कालेज है उसके लिये इक्वीपमेन्ट्स के लिये कोई फीगर्स इस बजट में नहीं नजर आती है, इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाय। इसके अलावा एच० बी० टी० आई० जो कि एक बहुत बड़ा टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, वहां पर मैं चाहता हूं कि आप रिसर्च सेन्टर खोल दें और उसकी तरक्की के लिये जो कुछ भी हो सके करें।

श्री अब्दुल लतीफ नोमानी (जिला आजमगढ़)---उपाध्यक्ष महोदय, आज चौथा दिन है कि इस सूबे के बजट पर आम मुबाहिसा जारी है। दोनों तरफ के बहुत सारे आदमियों ने अपने-अपने खयालात हाउस में पेश किये। मैं भी मुख्तसिर तौर पर चाहता हूं कि अपने खयालात सदन के सामने रखूं। यह सही है जैसा नेता विरोधी दल ने कहा कि मौजूदा बजट ईयर जो हम खत्म कर रहे हैं उसमें पुलिस ने गोलियां भी चलाईं, यह भी सही है कि काशी विद्यापीठ में कुछ बात हुई, यह भी सही है कि गल्ले की गरानी एक बेमिसाल हद तक बढ़ गयी। इसके साथ-साथ गुजश्ता साल में इससे कम गल्ले की गरानी पर घेरा डालो आन्दोलन चला और कुछ दूसरे गल्ले के आन्दोलन भी हुये। अभी-अभी आपको अपने सूबे में गन्ना काश्तकारों की हड़ताल का भी सामना करना पड़ा। लेकिन इन सारी बातों के बाद जो बजट आपके सामने आया है उसमें देखा जाय और उसको पढ़ा जाय तो यह मानना पड़ता है कि हम पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा बड़ा कदम उठा सके हैं अपने देश के निर्माण के लिये और अपने समाज के कल्याण के लिये।

बहुत दिनों से हमारे देश और प्रदेश में जरूरत थी कि तालीमयाफ्ता बेरोजगारों के लिये कोई छोटा मोटा बन्दोबस्त किया जाय उसके लिये बहुत कुछ इस बजट में बन्दोबस्त है।

[श्री अब्दुल लतीफ नोमानी]

यह जरूरत थी कि हमारे जो छोटे २ सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन में अपनी ताकत भर कुछ न कुछ इजाफा किया जाय, बड़ी खुशी की बात है कि इसमें कुछ न कुछ इजाफा हुआ है ।

इसी तरह से कई बातें ऐसी हैं जिनको देखने के बाद हर इन्साफ पसन्द आदमी यह मानने पर मजबूर होगा कि हमारा मौजूदा बजट पिछले सालों के मुकाबले में क्रान्तिकारी है। ज्यादा कल्याणकारी है, ज्यादा तरक्की पसंदाना है, लेकिन इसके तरक्की पसंदाना होने के साथ-साथ एक बात की चर्चा लोगों ने आमतौर पर की और वह गिजाई गरानी का मसला था और यह मसला उस हद तक पहुंच गया है जिस हद तक हमारे ऐसे जराअती मुल्क में सोचना भी बड़ा मुश्किल है । यह एक मसला है और इस मसले पर हमें भी और विरोधी दलों दोनों को ही सोचना होगा कि उसके अबवाब क्या हैं जिससे गल्ले की गरानी इस कदर बढ़ी हुई है । सूखा और सैलाब वगैरह से १४ प्रतिशत गल्ले की पैदावार कम हो गयी है लेकिन देखना यह भी है कि जो कमी गल्ले की पैदावार में हुई है क्या वह बाहर से आने वाले गल्ले से पूरी हो गयी है या नहीं । अगर वह कमी पूरी हो गयी है तो फिर इस गल्ले की गरानी का कारण क्या है । मैं उस कारण की तरफ सिर्फ इशारा ही करना चाहता हूं । मैंने कंट्रोल का जमाना देखा है । और मैं एक ऐसी बस्ती का रहने वाला हूं जहां सूत पर भी कंट्रोल था। कन्ट्रोल के दामों पर अगर सूत तलाश किया जाता तो कहीं भी मिलता न था , लेकिन बाजार से आप लेना चाहें जिसे हम ब्लेक मार्केट कहते थे, तो जरूरत से ज्यादा भी आप ले सकते थे। गल्ले के मसले में कहीं इस तरह की चीज तो नहीं है ? मरकजी सरकार ने हमारे सूबे की सरकार को हक दिया था कि वह ऐसे लोगों का पता लगाकर कि जिनके यहां स्टाक हो, जब्त कर लें । कुछ गल्ला जब्त भी किया गया, लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरफ काफी कदम नहीं उठाया गया। उसी वक्त जबकि गल्ले की खोज लगाने की जरूरत थी तभी विरोधी दलों ने हमारे प्रदेश में आन्दोलन छेड़ दिया। जाहिर है कि इमर्जेंसी आ जाने पर सभी मसायल से तवज्जुह हट जाती है। एक बार जब तवज्जुह हट जाती है तो फिर दूसरी बार तवज्जुह लाना बड़ा मुश्किल होता है। विरोधी पार्टियों ने इस मामले में सरकार की मदद नहीं की। जब भाव बढ़ रहे थे और सरकार खोज लगाने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त विरोधीपक्ष बजाय इसके कि आन्दोलन करता अगर खोज लगाने में सरकार की मदद करता तो मेरा खयाल है गल्ले की इतनी महंगाई न होती ।

इसी तरह से यह भी सही है कि हमारे मुल्क में जरायम भी बढ़े हैं । लेकिन जरायम बढ़ने के असबाब क्या हैं ? क्या जरायम बढ़ने की वजह गरीबी है ? क्या उसकी वजह मुल्क में जहालत, और नाख्वांदगी है ? यह असबाब भी हो सकते हैं, लेकिन हम दोनों पक्षों के लोगों को सोचना चाहिये कि जरायम बढ़ने में कहीं कुछ न कुछ, किसी न किसी तरह से हमारा हाथ तो नहीं है । आज जिलों में आप जाकर देखिये, देहात में देखिये, शहरों में देखिये, कानून का अहतराम अवाम की निगाह में कुछ रहा ही नहीं है । जो इज्जत या मान्यता कानून की होनी चाहिये, वह नहीं है । क्यों नहीं है ? और वह इसलिये नहीं है कि हममें से पढ़े-लिखे आदमी नेता किस्म के लोग कानून तोड़ते हैं, सत्याग्रह का नाम लेते हैं कानूनशिकनी करते हैं और जब वे अवाम के सामने कानून तोड़ने की मिसाल कायम करते हैं तो अवाम में जो बे पढ़े-लिखे लोग नहीं है उनको भी कानून तोड़ने की हिम्मत अफजाई होती है ।

(इस समय ३ बजकर ४० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

इस तरह से कानून तोड़ने के नाम पर जरायम करने की हिम्मत अफजाई होती है । बहरहाल, जहां तक मैं समझता हूं कि यह जो बजट पेश किया गया है उसमें तालीम की मद में धन दिया गया है, सेहत की मद में धन दिया गया है और इसी तरह से दूसरी-दूसरी मदों में धन दिया गया है जिसको सही तरीके से इस्तेमाल करने पर पूरा-पूरा ध्यान दिया जाय, और दोनों पक्ष के लोग ध्यान दें तो हमारे मुल्क की मुश्किलात में बहुत कमी होगी, यह सही

है। बजट में हर मद के लिये जो रुपया रखा गया है, यह बिल्कुल दुरुस्त है कि हर शख्स उसके लिये माननीय मंत्री को मुबारकवाद देगा लेकिन लोगों को कहने की गुंजायश इसलिये मिल जाती है कि उन मदों के लिये जो रकम रखी गयी हैं उनके खर्च करने में अव्यवस्था हो जाया करती है और सरकार के मंत्री अपनी उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाते। अगर वे अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते हैं तो यह बात बजट में नहीं आती, यह तो व्यवस्था की बात है और व्यवस्था सरकारी आदमी और असरकारी आदमी दोनों के मेलजोल से ही हो सकती है। अगर एक पार्टी इन्तजाम कर रही हो और दूसरी पार्टी खललन्दाजी करना चाहती है तो जाहिर है कि व्यवस्था ठीक नहीं होती। इसका मतलब यह है कि कुछ कमी कहीं पर है। चाहे सरकारी पक्ष के लोगों में कमी हो, चाहे विरोधी पक्ष के लोगों में हो, लेकिन कमी है। यह मैं तसलीम करता हूं, लेकिन जहां तक बजट की मदों का सवाल है मेरी अपनी राय यह है कि कोई भी आदमी इन्साफ के साथ आलोचना करने की हिम्मत नहीं कर सकता है.....

श्री अध्यक्ष––आपका समय समाप्त हो गया।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने वित्त मंत्री जी के भाषण को बड़े गौर के साथ सुना और उनके भाषण को पढ़ा भी। साथ ही साथ इस बात को भी जानने का मैंने प्रयत्न किया कि यह घाटे का बजट क्यों आया करता है। इसको भी मैंने देखने की कोशिश की कि यह कब से आ रहा है। मेरा यह विचार हुआ कि शायद अंग्रेजों के जाने के बाद जब से राष्ट्रीय सरकार बनी तभी से घाटे का बजट आता रहा हो, मगर मेरा यह खयाल गलत निकला। मैंने देखा कि आज के मुख्य मंत्री और उस समय के वित्त मंत्री माननीय बाबू सम्पूर्णानन्द जी सन् १९५० में, उनके बजट भाषण को मैंने देखा तो उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है जिसको मैं उद्धृत करना चाहता हूं––

"इस समय मैं यह भी बता देना उचित समझता हूं कि अतिरिक्त कर लगा कर धन की इस कमी को जो देश में इस समय विद्यमान है, दूर करना वास्तव में व्यावहारिक दृष्टि से सम्भव नहीं है। इस तरीके को अपना कर आय में थोड़ी वृद्धि हो सकती है, किन्तु उस कष्ट को ध्यान में रख कर, जो नया टैक्स लगाने से जनता के कई वर्गों को वहन करना पड़ेगा, सरकार ने दूसरा ही रास्ता अपनाया है"।

उस समय सरकार के मस्तिष्क में यह था कि कर लगाने से जनता तबाह होगी इसलिये कर न लगाया गया हो और श्रीमन् घाटे के बजट के बारे में बाबू सम्पूर्णानन्द के जो विचार थे उनको भी मैं स्पष्ट कर देता हूं। उनके भाषण से उसको भी मैं उद्धृत करता हूं––

"इस स्थल पर मैं सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करता हूं कि उन सब कठिनाइयों के होते हुए भी जिनका मैंने उल्लेख किया है इस राज्य की वित्तीय स्थिति पहले ही की तरह सुदृढ़ है।"

अभी तक किसी भी अवसर पर घाटे का बजट बनाने की नौबत नहीं पड़ी। १९४६–४७ में और १९४७–४८ में क्रमशः १,९५,००,००० और १,२२,००,००० की राजस्व सम्बन्धी बचत हुई। १९४८–४९ में यह बचत, २, ९१,००,००० थी। चालू वर्ष में भी यह आशा की जाती है कि अन्त तक २,७५,००,००० की बचत हो जायगी यानी यह सिद्धान्त उन्होंने स्थापित किया कि घाटे का बजट बनाना अच्छा नहीं है। परन्तु उसके बाद जो बजट बना उसमें मैंने देखा कि बराबर घाटा ही घाटा रहा। दिखलाया गया घाटा और अन्त में सरप्लस हो गया। तो इसको देखते हुए बड़े खेद के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि उसके बाद से जो बजट बने उनके लिये एक शब्द का प्रयोग मैं करूं "भानमती का पिटारा" जिसमें जादूगरी दिखलाई गयी यानी घाटा दिखला कर नफा दिखलाया गया, ताकि जनता के ऊपर कर लग सके और आमदनी बढ़ सके और खर्च को बाद में रोक कर सरप्लस बना दिया गया। खर्च किन-किन मदों में रुका वह भी निवेदन कर दूं। बहुत से लोग उधर से इस बात का दम भरते हैं कि वही जनता के हितचिन्तक हैं। श्रीमन्, देखें कि १९५६–५७ के बजट में जो घाटा था वह पूरा किया

[कुंवर श्रीपालसिंह]

गया विकास योजनाओं पर कम खर्च करने से। ३८ लाख की बचत शिक्षा में, ६१ लाख की चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य में, ५५ लाख की कृषि में १०४ लाख की उद्योग में, १५९ लाख की सामुदायिक विकास और एन० ई० एस० स्कीमों में और ७१ लाख की पशु-चिकित्सा और सहकारिता में बचत हुई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसमें एक भी मद ऐसी है जिसका सम्बन्ध प्रदेश की जनता से न हो, जिसके नाम पर यहां सभी पार्टी वाले दम भरते हैं। इन्हीं में कमी की गयी। यह मौजूदा बजट जो हमारे सामने पेश है उसमें भी ठीक इन्हीं मदों में बचत के लिये कहा गया है कि बचत हुई है पिछले बजट में। योजना और एकीकरण के खर्च में २०७ लाख रुपये की कमी मुख्यतया इस कारण हुई कि भारत सरकार के कहने पर नये एन० ई० एस० ब्लाक खोलने और उन्हें आई० डी० ब्लाकों में बदलने के प्रोग्राम की प्रगति धीमी कर दी गयी। प्लान की कुछ योजनाओं को देर से शुरू करने और कुछ दूसरी योजनाओं को वित्तीय वर्ष के आरम्भ से ही पूर्ण रूप से कार्यान्वित न किये जा सकने के कारण मुख्यतया खर्च में लगभग ३०८ रुपये की कमी शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, पशु-चिकित्सा, सहकारिता, समाज कल्याण, उद्योग और श्रम के अन्तर्गत हुई। इससे क्या यही नहीं सिद्ध होता है कि पहले जो सरकार थी वह बापू द्वारा चलाये गये, विशुद्ध गांधीवाद पर विश्वास करती थी और उसी का उनके मस्तिष्क पर असर था। इसलिये जनता का उनको खयाल रहा, लेकिन जब से उस विशुद्ध गांधीवाद की उज्ज्वल चादर पर समाजवाद की थोड़ी सी छींट पड़ी तो बजट भी घाटे का बनने लगा और उसका रूप ही बदल गया। और अब तो श्रीमन्, यह है कि उस समाजवादी ढांचे को ढंके हुए जो गांधीवाद की शुभ्र ओढ़नी थी उस पर कहीं-कहीं लाल छींटे भी पड़ने लग गये हैं। मेरा खयाल है लाल गुलाब का फूल भी टंक गया है जिसका नतीजा यह हुआ है कि आज हमारे सामने सीलिंग और सहकारी खेती का प्रस्ताव आया है।

श्रीमन्, मैं सीलिंग के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि सीलिंग से आया हमें लाभ होगा या हानि, हमारी उस जनता को लाभ होगा जिसके लिये सीलिंग का नारा लगाया गया या नहीं? मै थोड़े से शब्दों में इसी चीज को श्रीमन् के सामने रखना चाहता हूं। श्रीमन्, आज हमारे प्रदेश में ४७० लाख परिवार ऐसे हैं जो कृषि पर आधारित हैं और ४८० लाख एकड़ जमीन हमारे पास कृषि की है। अब उसमें यह देखना चाहिये कि सीलिंग जो की जायगी उसकी अधिकतम और न्यूनतम सीमा क्या होगी? तो इसके लिये अगर हम नियोजन आयोग की भूमि सुधार समिति की बात सामने रखें तो अच्छा होगा जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है :

"नियोजन आयोग की भूमि सुधार समिति ने कृषि फार्मों का आकार तय करने के लिये सुझाव दिये हैं जिस फार्म की औसत पूर्ण आय १,६०० रु० हो अथवा शुद्ध आय १,२०० रु० जिसमें कौटुम्बिक श्रम की उजरत भी शामिल है, तथा वह एक हल की खेती से कम नहीं है अर्थात् उसका रकबा इतना है जिसे एक औसत परिवार बैलों की एक जोड़ी की सहायता से जोत सके कौटुम्बिक जोत माना जाय।"

अब अगर इसको देखा जाय तो करीब १६ एकड़ के आती है। और १६ एकड़ कैसे आती है, श्रीमन्, बृहद्, जोत-कर में सरकार की तरफ़ से जो आमदनी लगायी जाती है वह ७५ रुपये फी एकड़ लगायी जाती है। तो १,२०० रुपये की आमदनी पर ७५ रुपये फी एकड़ के हिसाब से देखा जाय तो १६ एकड़ के करीब आती है। तो मतलब यह हुआ कि न्यूनतम जोत जो रखी जायगी वह शायद १६ एकड़ होगी, क्योंकि प्लानिंग कमेटी ने इसकी सिपारिश की है। और दूसरे एक चीज उन्होंने यह कही है कि इस किस्म की कौटुम्बिक जोतें ज्यादा से ज्यादा तीन जोत एक परिवार के पास होनी चाहिये, यानी ५० एकड़। तो ५० एकड़ की अधिकतम जोत और १६ एकड़ की न्यूनतम जोत हमारी समझ में आता है कि शायद बने और शायद सीलिंग में यही चीज रखी जाय। अब इस पर अगर यह देखा जाय कि हमारे यहां की भूमि जो बटवारे के लिये रखी जा रही है वह बांटने पर किस प्रकार से बढ़ेगी मैं इस पर अब थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं।

श्रीमन्, हमारे प्रदेश में ५० एकड़ से ऊपर की कुल जोतें ५,३७४ हैं और उनका कुल रकबा ३,३५,४८५ एकड़ है। इसमें से अगर ५० एकड़ रखा जाय तो ५० एकड़ से ऊपर जो जोतें हैं उनका रकबा निकलता है ७८,७८५ एकड़। मतलब यह कि ७८,७८५ एकड़ जो है यही हमें बाटनी पड़ेगी उन परिवारों में जो कि भूमिहीन हैं। अब यह देखना चाहिये कि हमारे प्रदेश में भूमिहीन किसान कितने हैं। इस तरह से जो बटवारा होगा अगर वह बराबर का ही मान लिया जाय तो सवा एकड़ एक आदमी पर पड़ता है और अगर ७५ रुपये एकड़ के हिसाब से ही उसकी आमदनी लगायी जाय तो सौ रुपये साल पड़ती है। अगर सौ रुपये साल सब की आमदनी कर दी जाती है और सबको इस हद पर ले आते हैं तो उनके पास बीबी बच्चों के भोजन के लिये भी नहीं बचेगा। भूमिहीन जो किसान हैं, जिनको खेतिहर मजदूर कहा जाता है यदि आज उनकी आमदनी को देखा जाय तो कम से कम २ रुपये रोज़ की होती है। अगर खाली मियां बीबी को ही एक परिवार मान लिया जाय तो भी ७२० रुपये साल की उनकी आमदनी होती है। उसकी जगह पर आप उनको सौ रुपये साल की आमदनी देते हैं और फिर चिल्लाते हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं।

इसके बाद एक चीज मैं और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे भारत सरकार के एक सचिव साहब चायना गये थे। उन्होंने बतलाया है कि वहां सीलिंग के बाद अधिकतर किसानों के पास एक एकड़ भी जमीन नहीं बची उनको लेकर ही वहां उन्होंने कोआपरेटिव फार्मिंग कराई। और अन्ततोगत्वा जब सहकारी कृषि से उपज नहीं बढ़ी तो उनको कलेक्टिव कर दिया। हमारे यहां भी यही होने वाला है। मैं श्रीमन्, यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस वक्त नागपुर में अभयंकर नगर में यह भयंकर प्रस्ताव जब आया उस समय प्रस्ताव को पेश करते हुये हमारे महान् नेता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि न मैं किसान हूं, न मेरा बाप किसान था मगर मैं इतना जानता हूं कि सीलिंग और कोआपरेटिव फार्मिंग से देश का लाभ होगा। उनके मुकाबिले में जब हमारे प्रदेश के एक नेता जो कि अपने को खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि वे किसान के बेटे हैं, उसके बाप किसान थे और उसके लड़के किसान होंगे ऐसे अनुभवी ने जब सही बात कही तब उनकी बात वहां नहीं सुनी गयी।

एक सदस्य--ये कौन नेता हैं इस प्रदेश के ?

कुंवर श्रीपालसिंह--उनका नाम है माननीय चरणसिंह जी जो हमारे सामने बैठे हुये हैं और जिन्होंने यह किताब भी लिखी है।

अभी कुछ लोग उधर से राजा साहबान का नाम लेकर बड़े जोरों से चिल्लाये थे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राजा साहबान को जो वोट मिले हैं वह मिट्टी के थे और जो आपको मिले हैं वह सोने के थे। जिस वक्त मुकाबला था उस वक्त आपकी ये लन्तरानियां कहां गयी थीं ?

श्री अध्यक्ष--आपका समय समाप्त हो गया।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह (जिला बदायूं)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज चौथा दिन है कि बजट पर बहस चल रही है। मैंने वित्त मंत्री जी के भाषण को सुना और विरोधी दल के नेता का भाषण भी सुना और चार रोज से बराबर भाषणों को सुन रहा हूं।

हमारा लक्ष्य तो निर्धारित है कल्याणकारी राज्य का, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमने कितनी तरक्की की है और हमने इन ११–१२ वर्षों में क्या किया है तो वह कल्याणकारी लक्ष्य जो हमने बनाया था उसमें उतनी प्रगति नहीं हुई। मैं तो यह समझता हूं कि हम उस लक्ष्य की ओर जाने की इच्छा तो कर रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसका कारण हमको देखना पड़ेगा। हम प्रति वर्ष बजट बनाया करते हैं और उस बजट में पर कैपिटा १५ से २० रुपया साल तक लगाने की इच्छा कर रहे हैं और लगाते भी हैं, लेकिन कुछ परिणाम अभी निकल नहीं रहा है। इन्कम, आमदनी पर-कैपिटा कुछ बढ़ नहीं रही है। पर-कैपिटा आमदनी कुछ घटती ही जा रही है। इस वक्त १८३ रुपया पर-कैपिटा है और सन् ४८ और ४९ के मुकाबले में कम ही है, अधिक नहीं है। तो नतीजा कुछ नहीं निकला। हमारे बजटिंग में कुछ डिफेक्ट है, कुछ त्रुटि है। कुछ हमारे नियोजन में त्रुटि है जिसकी वजह से लक्ष्य की ओर हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। मैंने बहुत समझने की कोशिश की है और कुछ पढ़ने को भी मिला।

[श्री हरिश्चन्द्रसिंह]

करप्शन बढ़ता जा रहा है। आमदनी घटती जा रही है, पैदावार भी घटती जा रही है। क्या कारण है ? जो कारण मैं समझ सका हूं वह मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। वह कारण यह है कि हम गांवों को भूल गये हैं। पैदा करने वाले तो गांवों में रहते हैं। वह पैदा करते हैं, बाकी जितने और सज्जन बाहर रहते हैं वह तो हेरा-फेरी में खाया करते हैं। गांवों की ओर हमारा ध्यान कम है। मैंने इस सारे बजट को पढ़ा। उन गांवों की ओर हमने कोई नियोजन वास्तविक रूप से करने की चेष्टा नहीं की है। किसान गांवों में रहता है और वही पैदा करने वाला है। उसके लिये हमने क्या-क्या सुविधायें पहुंचाई है और क्या-क्या सुविधाओं को पहुंचाने की इच्छा कर रहे हैं ? वह कागज में तो पहुंची हैं, लेकिन गांवों में जाकर देखने से पता चलता है कि वह वहां पर मौजूद नहीं है। हमने कुएं कुछ बनाये हैं लेकिन उन कुओं में नालियां नहीं हैं जिससे कि पानी ले सकें। हमने अस्पताल तो बनाये हैं लेकिन उन अस्पतालों में दवाएं नहीं हैं जिनसे वहां के लोगों को फायदा पहुंच सके। हमने सड़कें बनवाने की कोशिश तो की है लेकिन सड़कें बनी नहीं हैं। सड़क हमने शहरों से शहरों को बनाने की कोशिश की है, देहातों में कोई सड़क बनाने की कोशिश नहीं की है। हमने जो रुपया अपना खर्च किया है वह डिपार्टमेन्ट्स के बनाने में खर्च किया है, लेकिन जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको हमने रुपया काफी देने की चेष्टा नहीं की है।

हमारा मुल्क एक गरीब मुल्क है। इस गरीब मुल्क में जो नियोजन हमको करना है वह उसकी गरीबी के हिसाब से करना है। अमेरिका और इंगलैण्ड के हिसाब से नियोजन नहीं करना है हमने सैकड़ों डिपार्टमेंट्स-कल्याण विभाग, मत्स्य विभाग—खोल दिये हैं जिनमें रुपया व्यर्थ खर्च हो रहा है। यदि उस रुपये को कृषि विभाग में खर्च करें, किसानों के लिये खर्च करें तो हम अवश्य कुछ पैदा कर लगे। लेकिन हम रुपया कहीं और डाल रहे हैं। हम बेकारी घटा नहीं रहे हैं। बेकारी बढ़ा रहे हैं और रुपया अपना बेकार खर्च कर रहे हैं। मैं एक चीज की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब तक गांवों का कल्याण नहीं होगा, जब तक गांवों में उत्पादन के साधन नहीं बढ़ेंगे तब तक हम कोई तरक्की नहीं कर सकेंगे। सारा नियोजन हमारा बिलकुल फेल हो जाएगा इसमें कोई शक नहीं है। हमें गांवों में काश्तकार की रक्षा करनी है, उसके लिये हमें कुएं बनवाने है, उसके लिये नहरें बनवानी हैं, उसके लिये खाद और बीज इत्यादि का प्रबन्ध करना है। वह हम कितना कर रहे हैं यह गांवों में जाकर देखने से मालूम हो सकता है। एक चीज सदन के सम्मुख और रखूंगा कि हमारे ग्रामों में साधन-हीन लोग रहते हैं, उनको इस वक्त साधन पहुंचाने की जरूरत है, गांव के आदमी पैदा करते हैं लेकिन पैदा करने के बाद अपनी जरूरतें पूरी करने के लिये वह लोग अपना गल्ला बैसाख और जेठ के महीनों में बाजार में ले जाते हैं, उस वक्त जिस भाव में भी उनका गल्ला बिकता है उसी भाव में वह उनको बेंचना पड़ता है। इसी साल उस वक्त गल्ला १३,१४ और १५ रुपये मन के भाव में बिका और उसके बाद जब अमीर आढ़तियों के कब्जे में पहुंच गया तो वही गल्ला अब ३० रुपया मन बिका और उसका मुनाफा शहर के आदमियों ने उठाया जिनके पास पूंजी थी। इसका फल यह हुआ कि गरीब तो और गरीब हो गया और अमीर और मालदार हो गया। हमारा जो लक्ष्य है उसके अन्तर्गत हमें गरीब को मालदार बनाना है और अगर कोई मालदार बने भी तो अपने परिश्रम और बुद्धि से बने लकिन दूसरों के धन को लूट कर कोई इस व्यवस्था में मालदार नहीं बन सकता। लेकिन खेद है कि मौजूदा व्यवस्था में गरीब मालदार नहीं हो रहा है और मालदार और अधिक मालदार होता जाता है।

एक बात और कहूंगा कि काश्तकारों के लाभ के लिये हमारे यहां सदन से एक गोदाम बिल पास हुआ और उसका कोई जिक्र इस बजट में नहीं आया कि उसके लिये कोई रुपया रखा गया हो। उस वक्त मकसद यह था कि जिस वक्त किसान के पास गल्ला पैदा हो उस वक्त वह अपना गल्ला इन गोदामों में रख कर अपनी जरूरत के लिये ७५ प्रतिशत तक पैसा ले सके और समय आने पर जब गल्ले का भाव ठीक हो जाय तब उसको बेचकर अपना पैसा ले ले। परन्तु इसके लिये कोई प्राविजन बजट में नहीं है।

एक बात और कह कर मैं समाप्त करने की कोशिश करूंगा। एक चीज में मैं विरोधी दल के लोगों स सहमत नहीं हूं। मैं उनसे कहूंगा कि बजाय इसके कि यह कोशिश की जाय कि गन्ने के दाम बढ़ाये जायं कोशिश यह होनी चाहिये कि शकर के दाम कम किये जायं। यदि गन्ने के दाम बढ़ाये गये तो यह प्रदेश के लिये और गल्ले की पैदावार के लिये अनर्थ का कारण होगा। कैश क्राप्स के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि कैश-क्राप्स का क्षेत्र बढ़ता जाता है और अगर गन्ने का भाव बढ़ाया जायगा तो कैश-क्राप्स का क्षेत्र बढ़ता ही जायगा और गल्ले की उपज घटती जायगी और कोई गल्ला पैदा नहीं करेगा। आप देखें कि २५ प्रतिशत से अधिक कैश-क्राप्स का क्षेत्र हो गया है जहां ३ फसल गल्ले की हो सकती हैं वहां गन्ने की एक फसल होती है लेकिन बढ़े हुये दामों क कारण ही लोग कैश-क्राप बोते हैं। काश्तकार समझता है कि अगर एक फसल गन्ने की पैदा करूंगा तो अधिक लाभ होगा और अगर ३ फसल गल्ले की पैदा करूंगा तो हानि होगी।

एक चीज और रह गई कि हमारा जो जस्टिस का बजट है उस पर कोई बहस नहीं होगी। शायद विरोधी दल वालों ने भी इसकी जरूरत नहीं समझी लेकिन किसी भी देश के लिये एक इंडिपेंडेंट जूडीशियरी की बहुत आवश्यकता है। मालूम होता है कि इस विषय में विरोधी दल के लोग भी कुछ कम्प्रोमाइज कर लिये हैं कि डिबेट नहीं किया जायगा।

*श्री मुकुटविहारीलाल अग्रवाल (जिला बाराबंकी)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो सन् ५९–६० ईसवी का बजट प्रस्तुत किया गया है उस पर अपने विचार रखने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। कहा जाता है कि हमारा राज्य कल्याणकारी राज्य है। हम देखते हैं कि १२ वर्षों से बराबर इसी बात की घोषणा की जाती है और उसका जो कुछ नतीजा हमारे सामने दिखाई देता है वह आज अकाल के रूप में और खाद्यान्न की समस्याओं के रूप में दिखाई देता है। आज नये-नये नारे लगाकर, नयी-नयी चटनियां लगाकर रोटियां खिलाने का इन्तजाम किया जाता है और लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश की जाती है, मगर उसका नतीजा क्या होने वाला है? देश में तानाशाही बढ़ रही है, यही शिकायत मिलती है।

आज हमारे सामने सहकारी खेती की बात कही जाती है। कोआपरेटिव फार्मिंग क्या है? यहां पर थोड़े से लोग बैठे हैं जो कई पार्टियों में विभक्त हैं, उन कई पार्टियों को छोड़ दें कांग्रेस की ओर चलें। ट्रेजरी बेंचेज की ओर देखें कि उनमें बैठे हुये लोग सहमत नहीं हो पाते हैं, वही असंतुष्ट है राज्य से, और उनकी बात सुनने के लिये हमारे मंत्रिगण तैयार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में हम यह अपेक्षा करें उन लोगों से जिनको हम दिन-रात बताते आये हैं कि अलग-अलग होने पर किस तरह से फायदा उठा सकते हैं और कोआपरेटिव फार्मिंग करके किस तरह से हानि होगी, तो वह बेकार है। थोड़ी देर के लिये हम यह बात कहते जरूर हैं कि समाजवादी समाज की रचना के लिये हम जा रहे हैं, मगर उस ओर कितना बढ़ रहे हैं? हमारी ट्रेजरी बेंचेज की ओर से धन्यवाद दिये जाते हैं हाउस के भीतर और १०० रुपये से कम तनख्वाह वालों का ढाई रुपया बढ़ाकर बड़े संतोष की सांस लेते हैं। हम देखते हैं कि गत वर्ष में तीस फीसदी गरीब आदमी बढ़ गये हैं। ऐसी स्थिति में हम ढाई रुपया बढ़ाकर किस तरह से संतुष्ट हो जाते हैं, यह बड़े अचम्भे की बात है। हम यह भी कहते हैं कि उससे ऊपर वालों का ५ रुपया बढ़ाकर लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश की है, क्या यह कहीं का न्याय है?

आज देश के अन्दर किस तरह भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, यह हमारे राज्य की सफलता का एक नमूना है। किस तरह से हमारे सम्पूर्ण नेतागण असफल रहे हैं, उसको चेक करने में, उसके उदाहरण आये दिन दिखाई देते हैं। कल हमारे एक कांग्रेस के भाई ने यह बात कही थी कि जितनी तेजी से विरोधी दल बढ़ रहा है उतनी तेजी से ग्रामों के अन्दर तमाम चोरी, डकैती और तमाम चीजें बढ़ रही हैं। उसी तरफ के लोगों को किस तरह से पीसा जाता है, उसका मैं एक उदाहरण बता दूं। रुदौली में ६ महीने हुये एक सज्जन के नाम कोयले का कोटा था, वह कांग्रेस के अध्यक्ष

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुकुटविहारीलाल अग्रवाल]

हैं और कांग्रेस के सर्वे-सर्वा भी है। उनका जब कोयला पकड़ा गया तो ६ महीने हो गये हैं, पूरे जिले का जिला इसी प्रयत्न में लगा हुआ है कि यह कैसे खत्म किया जाय। १६,००० वहां की आबादी है, उसमें जहां पर २ वैगन नहीं खप सकते हैं वहां पर उनको ६ महीने के अन्दर २४ वैगन कोयला दिया गया। जब कि उनके पास साफ्ट कोक का लाइसेंस था उन्होंने डस्ट कोक मंगवा कर मार्केट में बेचा और दूसरों पर आरोप लगाते रहे। जब सर से ऊपर पानी चढ़ा तो उनके खिलाफ मजबूरन कार्यवाही करनी पड़ी।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य को मालूम हो कि आम बहस में कोई व्यक्तिगत बात नहीं उठानी चाहिये। मैं समझता हूं जिस वक्त सम्बन्धित मंत्री के विभाग का अनुदान आयेगा उस समय आपको मौका होगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल--मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। इस तरह की चीजें हो रही हैं। जब कि हमारे ऊपर इस तरह के लांछन लगाये जाते हैं तो हमें भी कुछ कहने के लिये मजबूर होना पड़ता है। अभी हमारी रुदौली तहसील के एक गांव जलालपुर में डकैती पड़ी। एक डाकू मारा गया, एक गांव का आदमी भी मारा गया। एक डाकू जिन्दा पकड़ लिया गया लेकिन पुलिस का नमूना देखिये कि उनके जोश दिलाने पर उसको भी गांव वालों ने मार डाला। जोश दिलाने का मतलब यह था कि वह मार दिया जाय और डकैती का पता न लगे। पुलिस इंक्वायरी करने गयी तो उस सम्बन्ध में एक गांव वाले की हत्या भी हुई पुलिस के डंडों के द्वारा। आज उसकी जांच हो रही है। जांच में तमाम समय लगाया जा रहा है और कोई सफलता नहीं दिखायी देती। हम देख रहे हैं कि जितने भी कार्य हमने किये किसी में भी सफलता नहीं दिखायी देती और आज सारे देश में भ्रष्टाचार और चोरबाजारी का बोल-बाला है। कचेहरियों में जहां न्याय पाने के लिये हम जाते हैं वहां भी खुलेआम बगल में बैठे हुये मुन्शी को बिला एक रुपया दिये हम कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं। आज आवश्कता इस बात की है कि पूर्ण रूप से हम इसके अन्दर परिवर्तन लायें, आन्दोलन करें। हम आशा करते थे कि इस ओर सरकार कुछ न कुछ सोचेगी और १२ वर्षों के बाद इस ओर ध्यान देगी कि आज देश में भ्रष्टाचार और बेकारी क्यों बढ़ रही है।

आज कहा जाता है कि कोआपरेटिव फार्मिंग सफल होगी। देखना यह है कि आज जो कोआपरेटिव के काम खोले गये हैं क्या वे व्यक्तिगत कामों के मुकाबले में अच्छे चल रहे हैं। देहातों में जो कोआपरेटिव की ओर से भट्ठे चल रहे हैं उनकी ईंटों का भाव २७ रुपये हजार है लेकिन व्यक्तिगत भट्ठों की ईंटों का भाव २२ और २३ रुपया हजार ही है। ऐसी स्थिति में हमें यह सोचना चाहिये कि कोआपरेटिव फार्मिंग कहां तक सफल होगी। वक्त से पहले किसी कार्य को करना ठीक नहीं है।

हमारे सामने आज गल्ले की समस्या है। हम उसको सुलझाने की बेहद कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी सभी योजनायें असफल होती हैं। हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने बताया है और माननीय पालीवाल जी ने भी कहा है कि आज हमारी योजना पर जितना पैसा खर्च हो रहा है उसका २५ फीसदी भी जनता के ऊपर खर्च नहीं होता और ७५ फीसदी रुपया बीच में ही बर्बाद हो जाता है। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम कहीं के न रहेंगे।

हमारी जितनी योजनायें हैं कहा जाता है कि वे कल्याणकारी राज्य के लिये हैं। देहात में जब कोई काम किया जाता है तो कहा जाता है कि जनता श्रमदान दे, टैक्स दे। देहात का आदमी माल गुजारी देता है, टैक्स देता है और उसके बाद भी पंचायत टैक्स के नाम पर दस-दस साल के पुराने टैक्स वसूल किये जाते हैं, उनकी कुर्की की जाती है। जिन काश्तकारों के पास खाने को नहीं है उनसे कहा जाता है कि तुम दस साल पुराने टैक्स अदा करो। मैं बाराबंकी जिले की बात कर रहा हूं। हमने इस बार २५ दिन तक अपने क्षेत्र का दौरा किया है और स्थानीय अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वहां कठिनाइयां हैं और उन्हीं की तरक्की के लिये सब बातें की

जाती हैं । हमारी तरक्की के लिये तो बात-बात पर पैसा लिया जाता है लेकिन शहरों में बड़ी-बड़ी कोठियां खड़ी करने पर भी टैक्स नहीं लिया जाता है । मैं मांग करता हूं कि पंचायत टैक्स पूर्ण रूप से माफ किया जाय और लगान में से ५ प्रतिशत रुपया पंचायतों के इन्तजाम के लिये दिया जाय ।

आज पुलिस का सिर्फ एक ही काम है और वह है विरोधियों को दबाना । कारण यह है कि विरोधी उनकी छानबीन करते हैं । कांग्रेस पार्टी की ओर से हर प्रकार का उनको प्रोत्साहन दिया जाता है । इसके भी मैं तमाम उदाहरण दे सकता हूं किन्तु समयाभाव के कारण और व्यक्तिगत हो जाने के कारण मैं नहीं कहना चाहता ।

हम कहते हैं कि हम देश को समानता की ओर ले जा रहे हैं मगर हम जानते हैं कि यहां बैठे हुये बहुत से सदस्य थर्ड क्लास में सफर करते हैं और उनको फर्स्ट क्लास का भत्ता दिया जाता है । यह जनता के साथ घोर अन्याय है । हमने जनता से कहा है कि हम तुम्हारी कठिनाइयों को दूर करेंगे । हमें थोड़े त्याग की जरूरत है । श्रीमन्, मैं आपके द्वारा अपने उस ओर के बैठने वाले लोगों से प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार से हमें पूज्य बापू जी ने रास्ता दिखाया है, उन्होंने चादर ओढ़ कर हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत किया है, हमें उसका ध्यान रखना चाहिये । जिस समय बापू जी इंगलैंड गये थे तो वहां के लोगों ने कहा था कि आपकी वेश-भूषा हमारे देश के अनुकूल नहीं है तो उन्होंने कहा था कि हमारा देश गरीब है । इस लिये हमें उनके चरण चिन्हों पर चलना है । जब तक हम लोग कुरबानी नहीं करेंगे, जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है । देश को उस समय तक हम से कोई आशायें नहीं हो सकती हैं । आज जो योजनायें हमारे सामने खड़ी की जाती हैं वह सब धोखे की टट्टी हैं । हमें भ्रम में डालने की कोशिश की जाती है और सही कार्य करने से रोका जाता है । इन सब बातों की ओर हमें ध्यान देना है और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी । वह बजट में परिवर्तन करके इन सब बातों का सुधार करेगी और आइन्दा ऐसा बजट बनायेगी जिससे जनता को राहत मिल सके ।

श्रीमन्, अब मैं चिकित्सा के बारे में कहना चाहता हूं । देहातों में जो चिकित्सा का प्रबंध है वह देखने के काबिल है । जहां डिस्पेंसरीज़ हैं भी वहां पर जमींदारों और बड़े-बड़े काश्तकारों को ही अच्छी दवायें मिलती हैं और बाकी गरीब जनता को तो पानी मिली दवा ही पर संतोष करना पड़ता है । इसलिये इधर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिनकी कमाई पर हम लोग मौज करते हैं, बड़ी-बड़ी कोठियों में रहते ह, बड़ी-बड़ी मोटरों पर घूमते हैं, क्या वह जनता हमको कभी माफ कर सकेगी आने वाले दिनों में ?

स्टेट ट्रेडिंग के नाम पर सरकार गल्ले का व्यापार जनता से छीनकर अपने हाथ में लेने जा रही है । इसके माने तो यह हैं कि सरकार सब काम अपने हाथ में लेकर जनता को मजबूर कर देना चाहती है कि जनता के पास कोई रोजगार ही न रहे । इससे हमारे देश में बेकारी फैलेगी और उससे बुरे नतीजे देश में हमें देखने को मिलेंगे । बेकारी की स्थिति में चोरी, डकैती और बदमाशी बढ़ेगी । आज हमने देखा है कि सेल्स टैक्स ने हर आदमी को बेईमान बना दिया है । हम नहीं कहते हैं कि सरकार टैक्स न लगाये । अवश्य लगाये लेकिन इस तरह से टैक्स लगाये जिससे गरीब आदमियों को राहत मिल सके । यह नहीं होना चाहिये कि हर समय यही सोचा जाय कि किस तरह से रुपया जनता से लिया जाय ।

आज जो चकबन्दी हो रही है उसके लागू करते ही उसके खत्म करने के बारे में सोचा जा रहा है और कहा जाता है कि सरकार कंसालिडेशन का खर्चा किसानों से वसूल करेगी । यह सोचने की बात है कि वह किसान जो अपना घर तक नहीं बना पाया, लगान नहीं दे पाया, महाजन का कर्जा नहीं दे पाया उससे आप आशा करते हैं कि वह पंचायत का टैक्स दे पायेगा, चकबन्दी का खर्चा दे पायेगा और लगान देगा और जो स्थानीय टैक्स हैं उनको भी देगा । इस तरह की बात असम्भव है । इसलिये हम कहते हैं कि सरकार इधर ध्यान दे । जब हमारी सरकार किसानों की मजबूरियों और परेशानियों की ओर ध्यान देगी तभी हमारा राज्य कल्याणकारी समाज की ओर आगे बढ़ सकेगा ।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने आदरणीय सदन में बोलने का अवसर मुझे प्रदान किया ।

श्री अध्यक्ष—आप जरा माइक पर बोलिये ।

श्री हरीसिंह—जहां तक बोलने का प्रश्न है अभी हमारे एक माननीय सदस्य विरोधी दल क बोल ही रहे थे और किसान की बात कह रहे थे । आज विरोधी दल का प्रत्येक सदस्य जिसका किसान से कोई सम्बन्ध है या नहीं है किसान की बात कर रहा है क्योंकि आज मौका अच्छा है किसान मजदूर की बात करने का । अभी एक माननीय सदस्य ने स्कूलों की बात कही थी कि पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, न उनके पास कोई साधन है, न मकान है, न झोपड़ी है, लेकिन मुझे कहते हुये अफसोस होता है कि हमारे देश भारत वर्ष की जो शिक्षा थी, यहां के जो बड़े-बड़े विद्वान थे वह पेड़ों के नीचे बैठ कर के ही उनको शिक्षा दिया करते थे और वह शिक्षा से बड़े-बड़े विद्वान पैदा होते थे । आज जो शिक्षा आप दे रहे हैं उस शिक्षा से वैसे विद्वान आज नहीं निकल पा रहे हैं । जिस क्षेत्र से हम आते हैं, जिस जनता की हम नुमाइन्दगी करते हैं उसकी बातों को हमें यहां रखना चाहिये । अपने जिले की बात मैं कहता हूं । मैं इंडस्ट्री से शुरू करता हूं । मेरठ का जहां तक सम्बन्ध है इतने दिनों में पांच साल के दौरान में एक भी इंडस्ट्री वहां शुरू नहीं की गई । सिर्फ बड़ी-बड़ी मिलें खुली हैं और मिलों को ही जो भी लोन या कर्जा दिया गया वह दिया गया । मिलों के ही मजदूरों के लिए जो क्वार्टर बनाये गये वह बनाये गए । परन्तु जो खेतिहर मजदूर हैं जो किसान के पास मजदूरी करता है और जिस किसान की आय से यह शासन चलता है और बड़ी-बड़ी मिलें और कारखाने चलते हैं उनके मजदूरों के लिए और उस किसान के लिए न कोई लोन है और न कोई मकान की व्यवस्था है, न उनके बच्चों के लिये कोई शिक्षा की व्यवस्था है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह बताऊं विरोधी दल के माननीय सदस्य जब हम इधर से अपने सच्चे विचार, जो जनता के विचार हैं इस आदरणीय सदन में रखते हैं तब उन पर भी वह वह बातें नहीं कह पाते जो कि उनको कहनी चाहिए सिवाय सरकार को क्रिटिसाइज करके, सरकार का विरोध करने के कि सरकार ने यह किया, सरकार ने वह किया, इसके अलावा और कोई सुझाव नहीं दे पाते क्यों कि वह अवसरवादी हैं । कभी इधर लुढ़क गये, कभी उधर लुढ़क गए । कभी सीमा की बात करते हैं, कभी जमीन के बटवारे की बात करते हैं, किसान का खून जिन लोगों ने हजारों वर्षों तक चूसा आज समझ में नहीं आता है कि क्यों उनके अन्दर बौखलाहट है इस सहकारी खेती और सीमा की बात से ? अध्यक्ष महोदय, एक समय आया जब जमींदारी खत्म हुई । आज जमीन के बटवार का समय आ गया है, जमीन बट क रहगी चाहे आप लाख कोशिश कीजिये । लेकिन एक बात अवश्य है कि यह कम्युनिस्ट पार्टी के जो माननीय सदस्य हैं जिनके पास ढाई-ढाई सौ तीन तीन सौ बीघे जमीन है, वह सबसे ज्यादा कूदते हैं । मैंने पिछले साल भी कहा था कि अपनी जमीन आप पहले बांटिये । कल मेरी एक माननीय सदस्य से बात हुई इसी सिलसिले में, लेकिन वह अपनी जमीन देने के लिये तैयार नहीं हैं । दूसरों का माल छीनने के लिये वह जरूर तैयार हैं । ऐसी कोआपरेटिव खेती या सीमा निर्धारण से जनता का कोई लाभ होने वाला नहीं है ।

तीसरी बात यह कि मेरठ जिले में बाढ़ आयी । बाढ़ से मवाना, मेरठ, सरधना, और गाजियाबाद तहसीलें बिलकुल तबाह हो गई । हमारे बार-बार निवेदन करने पर भी कि वहां की आबपाशी माफ हो, मालगुजारी माफ हो फिर भी जितनी आवश्यकता थी, उतनी माफी नहीं हुई । ऐसे गांव भी मौजूद हैं जहां कि घरों में चूहे दौड़ रहे हैं । पूरब में तो जो झोपड़ी में भी रहते हैं वह भी राजा कहलाते हैं । लेकिन हमारे यहां का तो मामूली किसान भी अपने परिश्रम के द्वारा मेहनत करके अच्छे मकान में रहता है और आज उसका मकान तहस-नहस है और उसके मकान में चूहे निकल रहे हैं । उसकी ६, ७ बीघे जमीन में पानी भरा पड़ा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कोई पैदावार नहीं है । उससे बराबर मालगुजारी ली जा रही है । सरकार से निवेदन है कि उनकी तुरन्त मालगुजारी माफ की जाय । उससे आबपाशी न ली जाय । उन किसानों की हालत बहुत बुरी है । जो तकावी सरकार की तरफ से दी गई है वह तकावी माफ की जाय या कुछ दिनों के लिये उसको स्थगित कर दिया जाय जब तक कि उनकी हालत सुधरे । हम यह भी नहीं कहते कि माफ कर दी जाय, लेकिन सरकार इतनी सुविधा अवश्य कर दे जिससे उनको कुछ राहत मिले ।

आपकी केन डेवलपमेंट सोसाइटी है जिसने किसानों को तबाह कर रखा है । उनके कायदे कानून ऐसे बने हुये हैं कि जिनके पास पैसा नहीं है वह उन किसानों को जिन्दा नहीं रहने देंगे । मेरा निवेदन है कि सरकार इनकी तरफ देखें । इन सोसाइटीज ने जो तकावी दी उसके लिये वह लोगों का खून चूस रहे हैं । मैं जब पद यात्रा के लिये गया तो किसानों की मैंने बहुत शिकायतें सुनी । तब मुझे बहुत दुख हुआ । हमने उनसे वायदे किये हैं कि हम कोशिश करेंगे कि जो जुल्म हो रहे हैं उनको दूर किया जाय ।

चौथी बात स्वास्थ्य के सम्बन्ध में है । हमारे यहां चन्दा हुआ और टी० बी० अस्पताल बनाने का सवाल उठा । उसके लिये ३, ४ लाख रुपया इकट्ठा हुआ । उस अस्पताल में थोड़ी सी चरपाई का भी प्रबन्ध हुआ लेकिन अब पता नहीं है कि उस अस्पताल का क्या हुआ । जो जिला ९ करोड़ रुपया वर्ष में टैक्स, मालगुजारी देता है उसके लिये यह भी इन्तजाम नहीं है । उसके मुकाबले में और कोई प्रान्त में जिला नहीं है । मेरे जिले के साथ सरकार का ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिये । वहां पर न बड़ा अस्पताल है, न इंडस्ट्री है । अपने परिश्रम से एक कालेज बनाया है । मगर सरकार वहां पर विश्वविद्यालय नहीं बना रही है जब कि हम उसके लिये ५, ७ वर्ष से बराबर चिल्ला रहे हैं । जहां पर आमदनी कम है वहां पर यह सरकार विश्वविद्यालय खोल रही है । अगर हमारे जिले की आमदनी का आधा रुपया भी वहां पर व्यय कर दिया जाय तो एक नहीं ६ विश्वविद्यालय वहां पर कायम किये जा सकते हैं चाहे वह इंडस्ट्री के हों या विज्ञान के हों । लेकिन मुझे खेद है कि हमारी मांग पर यह सरकार ध्यान नहीं देती । मेरा निवेदन है कि सरकार हमारी मांग पर ध्यान दे ।

जहां तक हरिजन समस्या का सम्बन्ध है उनके लिये भी कोई विशेष बात नहीं है । आज तक वहां पर लड़कों को किताबें नहीं मिली हैं जब कि बजट खत्म होने के लिये आ रहा है । यह हरिजन सहायक विभाग का जो धन्धा है जिसके लिये हम भी प्रचार करते हैं उसने भी वहां पर कोई काम नहीं किया है । मेरा सरकार से निवेदन है कि हरिजनों की समस्याओं पर ध्यान दे । जहां तक उनके लिये नौकरी का सवाल है वह संरक्षण के अनुसार पूरा होना चाहिये । हर एक सदस्य इस बात को महसूस करता है कि हरिजनों के लिये बराबर ध्यान दिया जाना चाहिये । इस सूबे की सब की मानी हुई सरकार है उसको हरिजनों की उन्नति के लिये अवसर देना चाहिये जो लोग आगे बढ़े हुये हैं उनको और भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा । इसलिये सरकार से मेरा निवेदन है कि चाहे वह खेतिहर मजदूर हों या हरिजन हों या मजदूर हों या और भी जो गरीब लोग हैं उनकी सुविधा के लिये ध्यान दें । जो लोग राजनीतिक पीड़ित हैं उनकी भरसक सहायता सरकार को करनी चाहिये और मदद देने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिये क्योंकि वे आज बेचारे बहुत दुखी हैं ।

आज यहां पर मैं देखता हूं कि जो सेठ साहूकार हैं वे किसानों की हमदर्दी की बात करते हैं कि किसानों को सुविधा मिलनी चाहिये, लेकिन महज इन किताबों के पढ़ने से यह मसला हल होने वाला नहीं है । जो बात कही जाय वह कार्यान्वित की जाय । जिन किसानों का गन्ना लिया जाय उनको माकूल कीमत दी जाय । उनका गन्ना सूखने न पावे । हमको यह नहीं करना चाहिये कि मिलों के दरवाजे पर हड़ताल करा दें । जैसे कि गेंदासिंह जी करते हैं । किसानों को पूरी कीमत १ रुपया १२ आना मिलना चाहिये जो कि इस सदन ने उनके लिये तय की है । मेरा यह आप से नम्र निवेदन है कि यह जो दिक्कतें मैंने आपके सामने बयान की हैं उनको आप दूर करने की कोशिश करें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निश्चित मत है कि पूंजीवादी हथियारों से समाजवादी परिणाम नहीं निकल सकते। मेरा यह भी विचार है कि जो बजट पिछले कई सालों से पेश किये जाते रहे हैं और जिनको (प्लान्ड) बजट कहा जाता रहा है, जो उनमें भारी असंतुलन आया है, उसका मुख्य कारण यह है कि यह बजट उन नियमों के आधार पर बने हैं कि जो सन् १९२२ में एक नौकरशाही के बजट के लिये बनाये गये थे। उन्हीं नियमों के आधार पर अब यह 'प्लान्ड' एकोनामी का 'सोशलिस्टिक' बजट बनाया जा रहा है। श्रीमन्, यह बजट 'मैनुअल', जिसके आधार पर यह बजट बनता है, किसी कानून के आधार पर नहीं बना। यह केवल एक 'मैनुअल' है। असेम्बली या लेजिस्लेचर की कोई सेंक्शन इसके लिये नहीं है। संविधान के आर्टिकिल २८३ (२) के अनुसार कंसालिडेटेड फंड के जो नियम बनने चाहिये थे, उनके लिये कोई ऐक्ट आज तक नहीं बना। कई बार सरकार एलान कर चुकी है कि बजट मैनुअल रिवाइज हो रहा है, लेकिन वह आज तक रिवाइज होकर हमारे सामने नहीं आया। सरकार ने सन् १९५१-५२ में कुछ ऐसा घोषित कर दिया था कि हम 'फाइनेंशियल इयर' में परिवर्तन करने के लिये केन्द्रीय सरकार से लिखा पढ़ी कर रहे हैं। अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिये पहिली अप्रैल से 'फाइनेंनशियल इयर' बनाया था। हमारा 'फाइनेंशियल इयर' दिवाली से शुरू होना चाहिये, लेकिन सब सोये हुए हैं, यह सरकार भी केन्द्रीय सरकार भी और प्लानिंग कमीशन भी, और यही मुख्य कारण है कि जो यह बड़ा भारी घाटा दिखाया जाता है, वह अन्त में 'सरप्लस' में बदल जाता है। उदाहरण के लिये पिछले ५ सालों में ३५,०५,००,००० का घाटे का इस्टीमेट किया गया था वह १०,३८,००,००० के सरप्लस में बदल गया। इतना बड़ा इनबैलेंस (inbalance) असंतुलन ब्रिटिश पद्धति के अनुसार कभी हो नहीं सकता। तो ब्रिटिश बजट प्रणाली हमने यहां चलायी है। वहां ब्रिटेन में कोई फस्ट या सेकिंड फाइव इयर प्लान नहीं है, लेकिन हमारा बजट बनाया गया है उनकी पद्धति के अनुसार। स्वीडन या दूसरे देश जो नियोजित 'पैटर्न' पर अपने यहां व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, उनके तरीके की हमने नकल करने की चेष्टा नहीं की। केन्द्र में भी यही प्रणाली है और यहां भी। तो सबसे बड़ा असंतुलन जो हो रहा है उसका कारण यही बेडौल प्रणाली है और इस ओर सरकार का रत्ती भर भी ध्यान नहीं है।

कुछ डेलीगेशन आफ पावर्स केन्द्र में की गयी, कि जो 'लैप्सेज' हो जाती हैं वह न होने पाये मंजूरी तो फरवरी में हो जाती है, लेकिन बजट में जो हम ग्रांटों की स्वीकृति देते हैं, उसकी प्रशासकीय स्वीकृति दिसम्बर या जनवरी में दी जाती है। ८-८ और ९-९ महीने केवल विभाग में ही 'सेक्शन' हेतु लग जाते हैं। इन पर ग्रान्ट तब मंजूर की जायगी जब साल समाप्त होने लगेगा। क्या कारण है? आज यहां पर्याप्त डेलीगेशन आफ पावर्स नहीं हैं। फाइनेंस विभाग के कुछ अधिकारों का विकेन्द्रीयकरण नहीं हुआ। केन्द्र में फाइनेन्स डिपार्टमेंट की कुछ पावर्स को अब विकेन्द्रित किया जा रहा है, लेकिन यहां पर हम लोग सो रहे हैं। किसी भी हेड आफ दि डिपार्टमेंट को पर्याप्त 'फाइनेंशियल पावर्स' नहीं है। वही पुराने रूल्स हैं, उनमें कोई लचीलापन नहीं। इसीलिये रुपया खर्च नहीं होने पाता और लैप्स हो जाता है और प्लान अधिकांशतः धरा रह जाता है।

अब सवाल यह है कि पीपुल्स बजट यह बने कैसे? आज सीक्रेसी आफ बजट बहुत अंशों में नहीं रह गयी है। 'प्लान' का बजट क्या होगा यह प्लानिंग कमीशन ने तीन साल पहले ही बता दिया। जब हमारे मुख्य मंत्री यहां से दिल्ली गये तो वहां से छप कर आ गया कि इतना रुपया इस वर्ष के लिये एलाट हुआ है। तो आज 'सीक्रेसी आफ बजट' सही माने में नहीं रह गयी है। जब कहा जाता है कि प्लान के लिये हम 'कोआपरेशन' लेना चाहते हैं, और हमको अपने 'रिर्सोसेज' मालूम हैं और अपना 'एक्सपेंडिचर' मालूम है तो क्यों नहीं बजट बनाने में भी स्वीडन की तरह सब पार्टियों का कोआपरेशन लिया जाता है? क्यों नहीं बजट बनाने

के पहले लेजिस्लेचर की राय ली जाती सब मामलों में? इसके लिये फाइनेंस कमेटी को समाप्त करने के बजाय उसके अधिकार बढ़ाये जाने चाहिये थे और उसके बाद 'आल-पार्टीज' 'रिप्रेजन्टेटिव्ज' की एक कमेटी बननी चाहिये थी और सबकी यथासम्भव सलाह से बजट बनाना चाहिये था, ठीक उसी तरह जिस तरह कि सेलेक्ट कमेटी में बिल बनाने में लेजिस्लेचर की राय ली जाती है। बजट बनाने में पोलेटिकल पार्टियों के प्रतिनिधियों की सलाह ली जानी चाहिये थी, वह नहीं ली जा रही है। फाइनेंस कमेटी को दुबारा स्थापित होना चाहिये। इस दृष्टिकोण से काम होना चाहिये। जो केन्द्रीय सरकार का करोड़ों रुपया मिलता है, वहां भी वही गल्ती है। फरवरी-मार्च के महीने में केन्द्र ने ३२ लाख रुपया दे दिया, तीन दिन फाइनेंशियल ईयर को रह गये हैं, कहा खर्च करो, कहां खर्च कर सकते हैं। तो हमें कुछ व्यावहारिक होना चाहिये। जिस तरह से डी० पी० ओज० के पर्सनल लेजर एकाउन्ट खोले गये हैं उसी प्रकार से डेवलपमेंट कमिश्नर का भी लेजर एकाउन्ट खुलना चाहिये, हर डिपार्टमेंट के हेड का पर्सनल लेजर एकाउन्ट खुलना चाहिये।

इसी प्रकार जो रेवेन्यू रिजर्व फंड है, उसकी भी अलग कहानी है। लोग तो सोचते हैं कि सर्पल्स हो गया ५ साल में १०, ३८ लाख रुपया और वह रेवेन्यू रिजर्व फंड में क्रेडिट नहीं किया गया, तो सर्पल्स कहां गया। जो रेवेन्यू सर्प्सल हो गया वह इसी फंड में क्रेडिट किया जायेगा। आज भी रेवेन्यू रिजर्व फंड में केवल लगभग ११ करोड़ रुपये हैं। इसमें अगर 'सर्प्लस' जोड़ दिया जाय, तो २१,६९ लाख होना चाहिये। मैं तो एक बात और दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार को मालूम है कि इस साल भी १,७६ लाख रुपया घाटा नहीं होने जा रहा है। कोई भी इन्तजाम नहीं किया गया है रेवेन्यू रिजर्व फंड से इस १,७६ लाख रुपये को निकालने का। कोई प्राविजन नहीं है, बल्कि यह किया जा रहा है कि रेवेन्यू रिजर्व फंड का जो अनइन्वेस्टेड बैलेन्स है, जिसे इन्वेस्ट नहीं किया गया है 'इनवेस्ट' कर केवल २८,७६ हजार रुपया 'अनइन्वेस्टेड बैलेंस' रह गया है। तो यह १८६ लाख का घाटा कैसे पूरा होगा? आज यह सरकार जानती है और विधान मंडल को एक प्रकार से भ्रम में डाल रही है। कहा जाता है कि हमारा घाटा, १,८६, लाख का होगा। कैसे इस 'डेफिसिट' को मीट करेंगे? क्योंकि वह जानते है कि घाटा होगा ही नहीं--सरप्लस होगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि टैक्सेशन प्रपोजल के बारे में दो साल से सरकार का रवैया बदलता जाता है। बजट में तो कहते हैं कि कोई नया टैक्सेशन नहीं लगाया गया, पिछले वर्ष कहा गया कि टैक्सेशन नहीं होगा, लेकिन फिर ४ विधेयक, एक मोटर वेहिकिल्स पर, एक स्टाम्प ड्यूटी पर, एक कोर्ट फीस पर और एक सेल्स टैक्स पर, आये और टैक्स बढ़ाया गया लेकिन जब एनुवल पालिसी बताई गई है तब कहा गया कि कोई टैक्सेशन नहीं होगा। इस वर्ष भी बजट भाषण में छपा है कि कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। बहुत से लोगों ने इसका स्वागत भी किया कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन टैक्सेशन के सम्बन्ध में यह भी नहीं कहा गया कि नहीं लगायेंगे। वित्त मन्त्री जी को चाहिये था कि स्पष्ट तस्वीर साल भर की हमारे सामने रखते कि क्या 'प्रपोजल्स' हैं।

एक बात श्रीमन्, और है, और बड़े आश्चर्य की बात है कि राज्य पर कर्जा बढ़ रहा है, दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। सन् १९४८ की तुलना में साढ़े १२ गुना कर्जा बढ़ रहा है। १९४० में ४,०३९ लाख था और अब लगभग ३७५ करोड़ होने जा रहा है। अकेली केन्द्रीय सरकार को हमें १९१ करोड़ देना होगा। इसमें २,८६३ लाख रुपया केवल ब्याज और सिंकिंग फंड में जा रहा है, यानी हमारी रेवेन्यू इनकम का एक चौथाई से ज्यादा। तो एक तरफ इतना कर्जा बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडीचर है वह घट रहा है। आज सिद्धान्त यह है कि पूंजी व्यय जो होता है, वह बारोड़ फंड से होता है, कर्ज से होता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह कहां का सिद्धान्त है कि कर्जा बढ़ रहा है और जो कर्ज से खर्च होने वाला है पूंजी व्यय, वह घट रहा है? हम कैपिटल एक्सपेंडीचर के फीगर्स देखें। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूंजी-व्यय

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

घटा है। सन् ५६-५७ में में ४२,९७,००,००० का था जो कि ५९-६० में घटकर ३२,१४,००,००० रह गया है, यानी पूरे १० करोड़ का पूंजी व्यय घट रहा है क्यों आप कर्जा बढ़ा रहे हैं और पूंजी-व्यय घटा रहे हैं। कैपिटल बजट प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर के लिये होना चाहिये, लेकिन आश्चर्य है कि यह कैपिटल बजट अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडीचर के लिये ज्यादा खर्च हो रहा है। ऑर्डिनरी आइटम्स, जैसे कहीं पंखा लगेगा या मकान बनेगा, इनमें ज्यादा खर्चा हो रहा है। इसमें भी प्लान के लिये कम और ऑर्डिनरी आइटम्स के लिये ज्यादा है। इस वर्ष कैपिटल एक्सपेंडीचर प्लान पर केवल ५८,५९,००० है और ऑर्डिनरी एक्सपेंडीचर पर १,४१,५४,००० है। कैपिटल एक्सपेंडीचर जो केवल योजना में खर्च होना चाहिये था, वह योजना के बाहर की मदों में खर्च हो रहा है। यह कहां का वित्तीय नियंत्रण या प्लानिंग है ?

इसी प्रकार यह भी हो रहा है कि विधान मंडल को कान्फिडेंस में नहीं लिया जाता। जिन खर्चों की स्वीकृति विधान मंडल से ली जानी चाहिये वह नहीं, ली जाती है। इसकी मिसाल है कि रामपुर में एक फैक्ट्री, एक इंजीनियरिंग कम्पनी थी, जिस पर गवर्नमेंट का ४३,८७,००० रुपये कर्जा था। इसके लिये तय कर दिया गया कि इसके १०,१० रुपये का ४३,८७० शेयर खरीद लिये जावें, लेकिन लेजिस्लेचर से सेंक्शन नहीं ली गई। इसी प्रकार गवर्नमेंट ने इसी कम्पनी को ६०,४३२ रुपये ब्याज का माफ कर दिया। वह गवर्नमेंट का नहीं था, स्टेट फाइनेंस का लोन था और इसकी लेजिस्लेचर से स्वीकृति नहीं ली गई। इसी प्रकार सरकार ने इसी कम्पनी को ५९,१०८ शेयर सब्सीडी के रूप में देने का फैसला किया जिससे ५,८४,००० रुपये का नुकसान इस राज्य को हुआ। उसकी भी सेंक्शन लेजिस्लेचर से नहीं ली गई। किस नियम के आधार पर ऐसा किया गया ? मार्टिन बर्न को लोन दिया गया। क्यों नहीं इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन के द्वारा यह लोन दिया जाता ? रिजर्व बैंक आफ इंडिया से तय हो चुका है कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन लोन देने के लिये हमारा एजेंट होगा। १० लाख रुपये के ऊपर का लोन सेंट्रल इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन देगा। यह नीति के आधार पर तय हो चुका है तो उसका उल्लंघन क्यों हो रहा है ? इस बजट में २० लाख रुपया मार्टिन बर्न को देने के लिये रखा गया है। अपनी नीयत का स्वयं उल्लंघन, इससे बड़ा वित्तीय पाप और कौन हो सकता है ?

मैं सरकार से मांग करता हूं कि सिंचाई और बिजली में जो हमारा घाटा हो रहा है उसकी जांच होनी चाहिये। ट्यूबवेल्स में इस वर्ष घाटा २,४१,००,००० रुपये का नेट होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि इसकी जांच की जरूरत है। राज्य इतने बड़े भारी नुकसान को सहन नहीं कर सकता है।

बजट के मेमोरेंडम इस मानी में भी अधूरा है कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री का क्या बैलेंस शीट है, यह इससे पता नहीं चलता है। यू० पी० हैंडीक्राफ्ट, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री, मैकेनाइज्ड स्टेट फार्म, स्टेट डेयरी, पब्लिकेशन ब्यूरो टरपेन्टाइन फैक्ट्री, इन सबमें राज्य का धन लगा हुआ है। क्या वजह है कि इन सबका हिसाब बजट में नहीं छापा जाता है हमसे कहा जायगा कि ३ साल के बाद एप्रोप्रिएशन रिपोर्ट में इस हिसाब को देखिये। जब सरकार गंगा ग्रिड की, रोडवेज की और कैसा यानी कानपुर बिजली कम्पनी की बातें इसमें छापती है तो क्यों नहीं उनको भी छापती है ?

माननीय नेता विरोधी दल ने बजट के परिणामों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा। मैं दूसरे दृष्टिकोण से एक बात अन्त में कहना चाहता हूं। लोअर मिडिल क्लास और सरकारी कर्मचारी अधिकतर अपनी सेविंग पोस्टआफिस सेविंग्स एकाउण्ट में रखते हैं सन् ५५-५६ में इन डिपोजिट्स का माहवारी औसत ७५,४२,००० रुपये था जो ५७-५८ में घट कर ४९,००,००० रुपये रह गया। इससे स्पष्ट है कि लोअर मिडिल क्लास और सरकारी

कर्मचारियों की क्या हालत है । सरकारी कर्मचारियों की पर कैपिटा आमदनी बढ़ाना सरकार का दायित्व है । कोई सरकारी कर्मचारी स्वयं अपनी 'पर-कैपिटा' इनकम नहीं बढ़ा सकता और बढ़ाता है तो वह भ्रष्टाचारी है । इसलिये इस सम्बन्ध में कुछ उसूल तय करने के लिये दूसरी पे कमेटी बनाने की आवश्यकता है, उनकी मंहगाई बढ़ाने की तथा केन्द्रीय मंहगाई के अनुरूप करने की भारी आवश्यकता है । मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर विचार करेगी ।

श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)---अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का स्वागत करता हूं । हमारे वित्त मंत्री जी ने जो अपनी नीति उपस्थित की है और जो मंसूबे अपने भाषण में बतलाये हैं उनकी भी मैं सराहना करता हूं । बड़े-बड़े मंसूबे हैं और एक नीति उन्होंने उपस्थित की है ।

(इस समय ४ बजकर ५२ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

आज हमारे सामने खाद्य की समस्या, अन्न संकट, एक भयंकर रूप धारण किये हुये हैं । इसके कारण हमें समझने हैं । इसका एक बड़ा कारण बहुत साफ है कि जब तक हम अपने को देहात की ओर नहीं ले जाते, जब तक हम गांवों की बातें नहीं करते, जब तक हम गांव की तरफ जाकर किसानों की सुविधाओं को नहीं देखते और जो अन्न के पैदा करने वाले किसान हैं उनके बारे में हम कुछ न सोचें तब तक पैदावार का बढ़ना, जिसके लिए आज हर तरफ से प्रयास किया जा रहा है, हो नहीं सकता । सही है कि बजट में उन तमाम साधनों का जिक्र किया गया है जिनसे अन्न की पैदावार बढ़ सकती है और वे हैं सिंचाई, बीज का वितरण, खाद का वितरण, और इसी प्रकार से अन्य साधनों का जिक्र किया गया है । लेकिन सबसे बड़ी बात पैदावार बढ़ाने के लिए ह्यूमन फैक्टर है । हमें उन किसानों की तरफ भी निगाह उठानी है कि किस महौल में वे रहते हैं, उनकी क्या दशा है । यदि गांव की तरफ एक निगाह दौड़ाई जाय तो जाहिर होगा कि वहां हर किसान अपने को सुरक्षित नहीं पाता है । जब तक वह इन तमाम सुविधाओं के बावजूद अपने को सुरक्षित नहीं पावेगा, तब तक वह कभी भी दिल लगाकर खेती नहीं कर सकता है । उसका नतीजा यह होगा कि पैदावार बढ़ नहीं सकती । इसमें दो राय नहीं हो सकती कि जो भी कानून सरकार ने या इस सदन ने बनाये हैं वे अवश्य ही गरीबों के लिए बनाये हैं लेकिन मैं निसंकोच यह कह दूंगा कि गो कि ये योजनायें गरीबों के लिए बनती हैं, लेकिन उसका फायदा गरीबों और किसानों को नहीं मिलता पाता है । इसका कारण क्या है ? कारण यह कि हम एक प्रजातंत्र प्रणाली को अपनाये हुये हैं और एक समाजवाद के ढंग का समाज बनाना चाहते हैं । एक ओर तो हमारा यह ऊंचा लक्ष्य और दूसरी ओर इस डेमोक्रेसी और ब्योरोक्रेसी का संघर्ष चल रहा है और उससे जो दशा उत्पन्न हुई है उसका असर पैदावार पर भी पड़ रहा है । एक ओर तो प्रजातंत्र अपना अस्तित्व कायम रखने के लिये प्रयत्न कर रहा है और दूसरी ओर ब्यरोक्रेसी ने जो विरासत अंग्रेजों से पायी है उसको कायम रखने के लिये कटिबद्ध है । चाहे तो वह सरकारी अधिकारी हों चाहें और कोई हो, लेकिन हमें इस प्रजातंत्र के ढांचे में अपने को ढालना है । यदि हम पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं तो गांवों के अन्दर जाकर एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहिये जिससे हम अपनी पैदावार को, उन तमाम साधनों को लेकर, बढ़ा सकें और उसका पूरा पूरा फायदा उठा सकें ।

श्रीमन्, आज गांवों की सबसे बड़ी समस्या पंचायतों की समस्या है । आज पंचायतों की क्या हालत है । मैंने पहले भी यह मांग की थी कि इस विषय में एक हाई पावर कमेटी की स्थापना की जाय जो जाकर पंचायतों के वर्किंग का पता लगाये और पंचायत राज ऐक्ट के वर्किंग पर अपनी रिपोर्ट दे । उसकी रोशनी में पंचायत राज एक्ट में संशोधन करके मजबूत

[श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव]

ढंग से पंचायतों की स्थापना की जाय। जब तक हमारे गांवों की स्थिति मजबूत नहीं होती, अगर जनतंत्र की यह बुनियादें मजबूत नहीं होतीं तो बड़ी मुश्किल होगी हमें गांवों का ढांचा बनाने में, गांवों की आर्थिक और सामाजिक समस्या कैसे हल हो सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष---सदन में शांति नहीं है। सदन में शांति रहनी चाहिये।

श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव--आज हम नियोजन के दौर से गुजर रहे हैं और अगर हम इस बजट को गौर से देखें तो हमें मालूम होगा कि एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बजट का नियोजन के आधार पर ही रखा गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह कह देना चाहता हूं कि नियोजन हमें महज इस खयाल से नहीं करना चाहिये कि जो आंकड़े या रिपोर्ट आ जांय केवल उसी के आधार पर धन का प्राविधान कर दिया जाय और प्राथमिकता की ओर ध्यान नहीं दिया जाय। इसको मैं प्लानिंग नहीं मानता हूं। आपका ध्यान मैं बहराइच जिले में एक ऐसे क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं जिसके एक ओर उत्तर में हिमालय पहाड़ है और तीनों तरफ दरियाओं से घिरा हुआ है। आने-जाने का वहां कोई साधन नहीं है। वह क्षेत्र चावल की मंडी और लकड़ियों की खान है। वहां पर आने-जाने के साधन न होने के कारण जनता को बेहद तकलीफ है, लेकिन उसके लिये बजट में कोई भी जिक्र नहीं किया गया गो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में सड़कों तथा पुल पुलियों के लिये सिफारिश की गयी है, लेकिन इस बजट में उसका कोई प्राविधान नहीं किया गया है। वहां की जनता ने, यह सोच कर कि उनको प्रशासन और न्याय की सुविधा मिल जाय, और आने-जाने का मार्ग न होने की कठिनाई से भी बच जांय, यह मांग की है उनके लिये एक तहसील मंजूर कर दी जाय, लेकिन बावजूद तमाम कोशिशों के और नुमायंदगी के जो इस संबंध में हो सकती थी, इस बजट में भिनगा तहसील का कोई जिक्र तक नहीं है। तो मैं कैसे कहूं श्रीमन्, जबकि बजट के अन्दर दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो चीजें हमें मिलनी चाहिये वे भी नहीं मिल रही हैं। बाहर की तो बातें ही जाने दीजिये। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उस इलाके में एक जनाना अस्पताल का प्राविधान किया गया था, परन्तु आज तक उसका पता नहीं है। क्यों, क्या बात है, यह कहां की सिफारिश आती है और किस आधार पर उन आइटमों को प्राथमिकता दी जाती है जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में मंजूर है? यदि मैं श्रीमन्, यह कहूं कि बहुत से ऐसे आइटम्स हैं जो पहली पंचवर्षीय योजना में मंजूर थे, लेकिन आज तक उनका कहीं नाम निशान भी नहीं है और न उनका कहीं प्राविधान किया गया है।

इस सम्बन्ध में मैं आपको बतलाऊं कि इकौना में बिजली लगाने का प्राविधान पहली पंचवर्षीय योजना में किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना बीत गयी और दूसरी पंचवर्षीय योजना भी बीती जा रही है, लेकिन कहीं बिजली का नाम निशान नहीं है। श्रीमन्, मैं बहुत अदब से अर्ज करूंगा कि यदि इस तरह से प्लान की भी उपेक्षा की गयी, यदि इस तरह से महज व्हिम के आधार पर प्लानिंग की गयी तो वह प्लानिंग कभी सफल नहीं होगी। श्रीमन्, उसको सफल बनाने के लिये अपने को भी प्लान करना पड़ेगा। आपको इसको पोपुल प्लान कहने के लिये तैयार हैं, लेकिन वह पोपुल प्लान किसी भी हालत में नहीं कहा जा सकता है जबतक कि जनता की आवश्यकताओं की प्राथमिकता के अनुसार उसके अन्दर उसका प्राविधान न किया जाय। यदि जनता की इच्छा कुछ, और सरकार की इच्छा कुछ या किसी विशेष अधिकारी की इच्छा कुछ और हो तो उस हालत में वह जनता का प्लान नहीं कहा जा सकता है। आपके प्लान पोपुल प्रोग्राम विद पोपुल पार्टिसिपेशन हो तभी वह प्लान सफल हो सकेगा। उसके अन्दर जनता की आवश्यकताओं और जनता की मांगों की प्राथमिकता देनी होगी और बजट में उसका प्राविधान करके वह जो मनसूबा जनता के फायदे का है उसे पूरा करना चाहिये।

*उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९-(क्रमागत)†

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं आखिर में यह निवेदन कर रहा था कि फूड ग्रेन्स पर टैक्स नहीं होना चाहिये, क्योंकि उसका बोझ गरीब आदमियों पर पड़ता है। उसके पहले मैंने यह निवेदन किया था कि इस ऐक्ट के द्वारा एक्स्ट्रा आर्डिनरी पावर सरकार में वेस्ट की गयी है जिसकी मिसाल देश के किसी सेल्स टैक्स ऐक्ट में तथा इन्कम टैक्स ऐक्ट में नहीं मिलती और जो मार्शल-ला की तरह से है। श्रीमन्, कल की बात का जिक्र करने से पहले मैं आपकी आज्ञा से एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। जब मैं इन पावर्स के बारे में निवेदन कर रहा था तो कदाचित् गलती से मैंने उद्देश्य और कारणों का जिक्र करते हुए टिप्पणी पढ़ दी जिसमें मैंने धारा ८ का जिक्र किया था। मेरा अभिप्राय उद्देश्य और कारणों से ही था, लेकिन जब मैंने फिर उद्देश्य और कारणों को पढ़ा तो मैंने उसमें और भी अधिक अपनी शिकायत के समर्थन में बातें पायीं। इस ऐक्ट में जो मूलभूत बातें हैं, सारभूत बातें हैं, उनके ऊपर पर्दा डाला गया है। उद्देश्य और कारणों में जिन बातों का जिक्र किया गया है तो उसमें कुछ बड़ी भी बातें हैं और कुछ छोटी भी बातें हैं, और उससे ऐसा लगता है कि जनता को बड़ा भारी रिलीफ देने के लिये यह बिल लाया गया है। जब हम इसके और अन्दर जाते हैं तब तो मेरा चार्ज और भी बढ़ जाता है।

श्री उपाध्यक्ष--नये नियम के मुताबिक स्टेटमेंट भी दिया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--स्टेटमेंट भी मैंने देखा है, लेकिन गलती से मैंने उद्देश्य और कारणों का कल जिक्र कर दिया था इसलिये मैंने उस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दे दिया ताकि मेरी बात काटने के लिये बाद में उसे अस्त्र न बनाया जाय। श्रीमन्, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि इतने एक्स्ट्रा आर्डिनरी पावर्स इस ऐक्ट के द्वारा लिये जा रहे हैं, लेकिन इसके उद्देश्य और कारणों में इसका कहीं जिक्र भी नहीं है कि इसमें इतना बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। जो टर्न ओवर यानी जिस चीज के ऊपर सेल्स टैक्स लगता है उसकी परिभाषा बदली जा रही है, जिस आदमी के ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा यानी कमीशन एजेंट, उसकी भी परिभाषा बदली जा रही है। जिससे टैक्स का सारा ढांचा बदल जायगा। सेल पर अब तक टैक्स लगता था, परचेज टैक्स दूसरी चीज हो सकती थी। टर्नओवर के मानी यह थे कि जो किसी आदमी का सेल हो उसे टर्नओवर कहते थे, लेकिन इसके द्वारा उसकी खरीद भी टर्नओवर होने जा रही है। मैं कल यह भी निवेदन कर रहा था जो देखने में छूट मालुम होती है वह छूट नहीं है उसी के प्रतिपादन में एक बात और निवेदन कर दूं। इस बिल में एक और भयंकर बात दिखलाई पड़ेगी और वह यह कि जब काश्तकार अपना गल्ला लाता था शहर में और वह किसी कमीशन एजेंट के यहां बेचता था और उसका टर्नओवर साल भर में १२ हजार से कम होता था तो वह बिलकुल छूटा हुआ रहता था और उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था क्योंकि कमीशन एजेंट पर टैक्स नहीं था। कमीशन एजेंट अपने प्रिन्सिपल्स के बिहाफ पर बेचता था। वह टैक्स से मुक्त था। अगर उसके प्रिन्सिपल्स का टोटल टर्न ओवर १२ हजार से ज्यादा होता था तब टैक्स लगता था। इसके मानी यह होते थे कि वे काश्तकार जो गांव से गल्ला लाते थे और उनका टर्नओवर १२ हजार से अधिक होता था तब तो उन पर टैक्स लगता था वर्ना वे टैक्स से मुक्त थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज वह किसान जो गल्ला लेगा और उस कमीशन एजेंट को सप्लाई करेगा बेचने के लिये उसको टर्नओवर माना जायगा और वह टैक्सेबिल हो जायगा और उस सारे टर्नओवर पर कमीशन एजेंट को टैक्स देने की जिम्मेदारी होगी और १ रुपये सैकड़े से वह जिम्मेदार होगा। प्रत्यक्ष है कि ८

---

†१९ फरवरी, १९५९ की कार्यवाही से।

*११ फरवरी, १९५९ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

आना सैकड़ा तो कमीशन एजेंट कमीशन लेगा तो १ रुपया टैक्स अपने पास से नहीं देगा। कोई कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता कि १ आदमी ८ आना कमीशन ले और १ रुपया टैक्स अपने पास से दे। इसलिये उसको अधिकार होगा कि वह टैक्स जो सरकार को देना होगा उसका बोझ वह गांव के विक्रेता पर डाल दे चाहे उसका टर्नओवर १२ हजार से कम हो या ज्यादा हो। कल मैं इस बात को समझ नहीं पाया था। यह इस बिल का दुर्भाग्य है कि हमेशा यह जल्दी में आया और जल्दी में पास किया गया। ज्यों-ज्यों इसे समझा गया त्यों त्यों इस में भयंकरता दिखलाई पड़ती है। अब जब इसे समझ पाया तो यह भयंकर चीज दिखलाई पड़ी कि इसका परिणाम यह होने जा रहा है कि जो किसान मुक्त था १२ हजार से कम बिक्री होने पर उस गरीब पर भी हम टैक्स लगाने जा रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव अगर स्वीकार कर लिया गया तो इस आशंका को संशोधन करने का प्रयत्न किया जायगा।

इसके बाद एक्सट्रा-आर्डिनरी पावर्स की बात का जिक्र करना चाहता हूं और चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उसका जवाब दें। आज तक जो पावर्स मूलभूत अधिनियम की धारा १४ में हैं उसमें जुर्माने का अधिकार है, प्रासिक्यूसन का अधिकार है। यह बतलाया जाय कि उसके अन्तर्गत कितने प्रासिक्यूशंस हुए। अगर वे सारे अधिकार काफी नहीं थे और उन अधिकारों के होते हुए, प्रयोग करने पर, आप इन चीजों को नहीं रोक सके तो ठीक था कि आप ज्यादा ताकतें चाहते, आप विलफुली शब्द को निकाल देते जिसका कि उदाहरण हिन्दुस्तान के किसी भी ऐक्ट में नहीं मिलेगा, लेकिन इनका प्रयोग नहीं किया गया, प्रयोग न करें, एरियर्स बढ़ जायं और फिर ज्यादा ताकतें लें मैं इसका मतलब नहीं समझ पाया।

मुझे बड़ा दुख है। मैं फिर दोहराता हूं कि इस लेजिस्लेशन का इतिहास ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें सदा ही यह नीति रही है कि पावर्स ले ली जाती है और उनका प्रयोग नहीं होता। एक-एक बात के लिये एक अमेंडमेंट आ जाता है। मूल अधिनियम की धारा ७ (डी) के लिये एक अलग अमेंडमेंट बिल आया था और यह बताया गया था कि गरीबों को मदद पहुंचाने के लिये यह धारा लायी जा रही है इस तरह से कि १२,००० रु० से १५,००० रु० तक जिनका विक्रय धन हो उनके हिसाब-किताब देखने की जरूरत नहीं है उनसे एक कम्पोजीशन फी के रूप में ले लिया जायगा। १९५६ में यह बिल आया था और वह ऐक्ट बना। इस ऐक्ट का नम्बर २९ सन् १९५६ था। उसमें यह भी था कि यह उस रोज से प्रचलित माना जायगा जिस दिन राज्य सरकार गजट में घोषणा करेगी। लेकिन वह घोषणा आज तक नहीं हुई। तो यह एक अजीब सी बात है। इस सदन में जब बात आती है तब हमसे एक बात कही जाती है और जब उसको कार्य रूप में परिणत करना होता है तब दूसरी तरह से वह की जाती है। मैं निवेदन करूंगा मूल अधिनियम में, जो चालू है, यदि उसमें ताकतें दी गई हैं उनका प्रयोग किया गया होता और प्रयोग करने के बाद वह नाकाफी साबित हुआ होता तब ही इसका औचित्य होता। उनको जितना चाहें बढ़ाया जाता, लेकिन मंत्री जी बतायें और विभाग से मालूम करें कि कितने केसेज में उसका प्रयोग किया गया? और यदि वे इस निश्चय पर आवें कि प्रयोग ही नहीं हुआ तब और ताकत जिसमें मार्शल ला की बू आती है लेने की क्या जरूरत है? एक दिन अपना रिटर्न दाखिल करने में देरी हुई, अपना रुपया देने में देरी हुई तो मैं मुजरिम हो गया चाहे उस देरी का सफिशियेंट रीजन हो। कौन सा न्याय है? मैं समझता हूं लीगल जूरिस्प्रूडेंस का खून किया जा रहा है।

श्रीमन्, इसके बाद मैं कल जिस बात पर निवेदन कर रहा था उस पर आता हूं। इसमें एक मौलिक बात थी कि फूड ग्रेन्स पर सेल्स टैक्स नहीं लगना चाहिये, यह मेरा हमेशा कथन रहा है और हमेशा इस मांग और आवाज को उठाता रहूंगा। मैं मंत्री जी को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें औचित्य है और मुझे विश्वास है कि एक दिन वह आवेगा

जब वे इसको जरूर स्वीकार करेंगे। इसके सपोर्ट में मुझे केवल दो बातें कहनी हैं। पहली बात तो यह है इसी सदन में १२ फरवरी, १९५८ को पिछले वित्त मंत्री जी ने यह घोषणा की थी, जब कि एक सेल्स टैक्स संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ था, कि वे उत्सुक हैं कि फूड ग्रेन्स पर सेल्स टैक्स जल्द से जल्द उठ जाय। सरकार इस ओर पूरी कोशिश के साथ देख रही है और जल्द से जल्द उस अपार्चुनिटी को सीज करेगी जब कि फूड ग्रेन्स पर सेल्स टैक्स हट जायगा। इसके माने यह है कि फूड ग्रेन्स पर सेल टैक्स हट जाय। इस सिद्धान्त को सरकार स्वीकार कर चुकी है और पार्लियामेंट ने भी ऐसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट द्वारा इसको स्वीकार किया है, टैक्सेशन इनक्वायरी कमीशन ने भी इसकी सिफारिश की कि जब तक अनिवार्य न हो फूड ग्रेन्स पर सेल्स टैक्स न लगाया जाय। सरकार ने इस भवन में इसकी घोषणा की है। माननीय उपमंत्री जी सर हिला रहे हैं कदाचित उनका मतलब यह है कि ऐसी घोषणा नहीं हुई लेकिन जो शब्द मैं कह रहा हूँ वह तो पिछले वित्त मंत्री श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम की स्पीच में है उसी के आधार पर कह रहा हूं। उसमें यह कहा गया था। इसी सदन में हमको यह बात बतायी गई थी। मुझे यह भी शिकायत है कि इस विभाग के आंकड़े इतने अटपटे होते हैं कि उन पर पूरा भरोसा कर नहीं सकते जब वे हमारे सामने आते हैं। जिस वक्त फूड ग्रेन्स के लिये सब से पहली दफा हमारे सामने टैक्सेशन मेजर आया था तो हमें यह आशा दिलाई गई थी कि इससे १,५०,००,००० रु० की आमदनी होगी। यह बहुत बड़ी रकम है। सारे प्रदेश में हाहाकार मचा, ७ दिन की हड़ताल हुई, लेकिन हम लोगों ने कलेजे पर पत्थर रख कर उस बिल का समर्थन किया केवल इस आशा में कि डेढ़ करोड़ रुपया इससे आयेगा और वह भी खर्च इस प्रदेश के हित में ही होगा। यदि हम एक तरफ अपने प्रदेश की जनता पर जुल्म कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं की सुविधा के लिये इस रुपये को लगायेंगे, लेकिन श्रीमन्, राज्य को ५६–५७ में गन्ना के सेल्स टैक्स में १७,७२,६४० रुपये की आय हुई। मान लें कि वह पहला साल था लेकिन ५७–५८ को देखें। उसमें भी टोटल रिसीट्स थीं ३०, ४७, ८७२ रुपये। उसके बाद ५८–५९ आया। उसकी कुल रिसीट्स की फिगर्स हमारे प्रयत्न करने के बावजूद नहीं मिल सकीं और मिल भी नहीं सकती थीं। उसमें भी सरकारी अनुमान है २० लाख ५० हजार का। यह कहा जा सकता है कि लोगों ने पूरा नहीं दिया। पहले साल १७ लाख, दूसरे साल ३० लाख और तीसरे साल भी २० लाख ५० हजार। यह कहा जा सकता है कि यह अनुमान अधूरा था लेकिन ऐसा ठीक न होगा। लोगों से पूरा लेने की कोशिश की जायगी और उसी पर यह अनुमान आधारित होगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—व्यवस्था का प्रश्न। श्रीमन्, हाउस में इस समय कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गई)

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—श्रीमन्, मेरा खयाल है कि डिवीजन तो होना नहीं है इसलिये घंटी की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—लेकिन बिना कोरम के कोई कार्यवाही भी तो नहीं हो सकती।

(गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—श्रीमन्, दूसरी बात हमसे यह कही गयी थी कि हमारा सेल्स टैक्स का जो टारगेट है वह दूसरे सोर्सेज से पूरा हो जाय तब कदाचित हमें आवश्यकता नहीं होगी कि फूडग्रेन्स पर टैक्स लगाया जाय। ठीक ही था। कौन कल्याणकारी राज्य चाहेगा कि गरीबों पर बोझ डालने वाला टैक्स लगाया जाय?

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि आपने जो यह बजट-डिस्कशन शुरू कर दिया इसका सब बिल के खंडों से क्या संबंध है। मैं बजट डिस्कशन की इस वक्त इजाजत नहीं दे सकता।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है लेकिन मैं उसकी सीमा के अन्दर हूं और सीमा के बाहर जाऊंगा तो आप मुझे रोक दीजियेगा। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन कर दूं कि मैं बजट का डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स फूड-ग्रेन्स पर नहीं लगना चाहिये और इतनी आशाओं के बाद जब यह संशोधन आया तब उसमें यह प्राविजन होना चाहिये और जब यह प्रवर समिति में जाय तो उसमें इस प्रश्न पर अवश्य विचार हो।

इसके अतिरिक्त श्रीमन्, ५६–५७ में ५ करोड़ ५६ लाख का अनुमान था और वसूल हुआ ९ करोड़ १९ लाख ७६ हजार ८५६ रुपये और ५७–५८ में ९,८०,९९,००० हजार रुपये वसूल हुए और ५८–५९ में जितना एस्टीमेट था उससे ज्यादा हुआ। तब श्रीमन्, इस कसौटी पर भी देखने से मेरी यह बात सिद्ध होती है कि हमारा जितना टैक्स वसूल करने का लक्ष्य था वह पूरा हो गया। हमने उस वक्त भी निवेदन किया था कि और चीजें भी हो सकती हैं जिन पर कर लगाया जा सकता है। तो उन चीजों पर तो लग गया लेकिन फूड ग्रेन जिस पर कि नहीं लगना चाहिये था उस पर भी लगाया गया। मेरी मांग है कि फूड ग्रेन्स पर कतई टैक्स न हो और यदि बिलकुल मजबूरी हो तो इसमें जो टैक्स की दर बताई गई है एक रुपया सैकड़े की और वह मल्टीपल है सिंगिल प्वाइंट नहीं है, वह नहीं होनी चाहिये। जो पिछला संशोधन विधेयक आया था सन् ५८ में उसके उद्देश्य और कारणों में लिखा था कि सरकार द्वारा खाद्यान्नों की खरीद पर एक ही बार कर लगाने के निर्णय को कार्यान्वित करने के विचार से, ऐसे माल की खरीद पर जिसे राज्य सरकार विज्ञापित करे, कर लगाने की व्यवस्था करके ऐक्ट को यथोचित रूप से संशोधित करने का प्रस्ताव है। यह उद्देश्य और कारणों में लिखा हुआ है और इन्हीं कारणों के आधार पर इस सदन में उसको पेश किया गया था। उस वक्त यह कहा था कि फूडग्रेन्स पर अगर टैक्स लगेगा अगर नितान्त आवश्यकता हुई तो वह सिंगिल प्वाइंट टैक्स होगा, लेकिन यदि श्रीमन्, यह भी संभव नहीं हो पाया था तो उसकी दर तो ऐसी होनी चाहिये थी जो ठीक होती। जब मल्टीपल से सिंगिल प्वाइंट लाने के लिये डिस्कशन हुआ था उस वक्त कहा गया कि गल्ला चार हाथों में जाता है उस वक्त ४ परसेंट लगाया था जब कि कदाचित २ पैसे पर सरकार बिलकुल तैयार थी। तो उस वक्त हमने यह बताया था कि क्योंकि चार जगह गल्ला हाथ चेंज करता है इसलिये हम चार पैसा कर एक प्वाइंट पर करें तो ठीक है। आज मैं फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके मानी हैं कि चार परसेन्ट का टैक्स गल्ले पर लगाया जा रहा है। यह भारी अन्याय है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी को भी देखने की कोशिश करें। उसने सिफारिश की कि गल्ले पर टैक्स नहीं लगना चाहिये, लेकिन जब-जब मल्टीपल का जिक्र आया तो आधा परसेन्ट या चौथाई परसेन्ट को भी काफी माना है। इसलिये टैक्स लगे तो आधे परसेन्ट से ज्यादा लगाना उचित नहीं होगा।

एक बात मैं दोहराना चाहूंगा कि २५ हजार से ५० हजार तक की लिमिट है उसके लिये कुछ रिलीफ और देने की बात सोचनी पड़ेगी, वरना जिस रूप में देने की बात सोच रहे हैं वह बिल्कुल बेकार हो जायेगी। आप जितने चाहें टैक्स लगायें। टैक्स लगाना आपकी नीति से संबंध रखता है, लेकिन उस नीति का सही प्रतिपादन हो।

आपके ऐक्ट के अन्दर, सरकार के ऐक्ट के अन्दर प्राविजन है कि अपील की जा सकती है। अपीलैट आथर्टी एक जज होता है। वह ज्यूडीशियरी का आदमी होता है। यह आशा की जाती है कि वह स्वतंत्र निर्णय दे सकेगा। उस डिस्ट्रिक्ट जज को यह अधिकार होना चाहिये था और हमारे देश के और कानूनों में यह अधिकार है कि जिस आदमी को अपील सुनने का अधिकार हो उसे यह भी अधिकार होना चाहिये कि अपील सुनने तक वह स्टे कर सके। यानी जिस फैसले के खिलाफ अपील की जा रही है उस फैसले के परिणाम को स्टे कर सके। मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर कुछ टैक्स गलत लगा और उसकी अपील करता हूं तो जितना टैक्स

में स्वीकार करता हूं वह तो मुझे दाखिल कर देना चाहिये उसको बिना दाखिल किये अपील नहीं होनी चाहिये, लेकिन जो विवादग्रस्त टैक्स है उस टैक्स को उस वक्त तक जब तक कि अपील का निर्णय न हो जाय रोकने का अधिकार जज अपील्स को होना चाहिये । लेकिन ताज्जुब सा होता है कि उस अधिकार को एक्सप्रेसली एक्सक्लूड किया गया है । मैं समझता था कि जब यह संशोधन विधेयक आया था और सब दिक्कतों पर ध्यान दिया गया था तो यह भी एक ऐसी कठिनाई थी जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिये था और अपील सुनने वाले अधिकारी को फैसले तक स्टे आर्डर करने का अधिकार होना चाहिये था ।

इस संबंध में इतना और निवेदन करूंगा कि कदाचित मंत्री जी की तरफ से यह कहा जाय कि जज रिवीजन को तो यह अधिकार है, उसको अधिकार अवश्य है, होना भी चाहिये था, वह स्टे आर्डर कर सकता है लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि वह तो सारे प्रदेश में एक ही होता है । उसके लिये छोटे-छोटे आदमियों को लखनऊ आना और प्रार्थना-पत्र देना, सारा इंतजाम करना और रुपया लगाना अधिक कष्टप्रद हो जाता है । मैं निवेदन करूंगा कि जब सरकार एक सिद्धान्त को स्वीकार करती है, यानी यह कि वह पावर जज रिवीजन में रहे तो फिर वही पावर अपील सुनने वाले जज के पास क्यों न हो ? मैं चाहता हूं कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाय ।

एक बात मैं यह और निवेदन करूंगा कि इस बात की व्यवस्था आज तक हमारे सेल्सटैक्स ऐक्ट में नहीं है कि जो बिक्री-कर के मुताल्लिक रूल्स ऐण्ड रेगुलेशन्स हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी जनता को रहे हालांकि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने इस पर काफी जोर दिया है । हमें दुख है कि हमारे सूबे में आजतक सरकार की ओर से या विभाग की ओर से कोई भी पुस्तिका बिक्री-कर के बारे में सूचना देते हुए नहीं निकली है । अन्य सभी प्रदेशों में ऐसी पुस्तकें हैं परन्तु हमारे यहां कोई सेल्स टैक्स मैनुअल भी नहीं है । इस तरह की कोई हिन्दी की किताब बिक्री-कर पर नहीं है, न पुस्तकालय में है न विभाग में है और न मंत्री जी के पास ही मिल सकती है । यदि अधिनियम भी संशोधनों सहित हिन्दी में मिलने लगे तो बड़ी आसानी हो सकती है । इस तरह का अगर कोई सेल्स टैक्स मैनुअल तैयार हो जाय तो जनता भी अन्धेरे में न रहे और सब को उसके रूल्स ऐण्ड रेगुलेशन्स मालूम हो जायं ।

इसके अलावा इस विधेयक के खंड १२ में इंस्पेक्टिंग अफसरों को बड़े व्यापक अधिकार दिये गये हैं । वे किसी पर शक होने पर मकान में घुस कर सारे एकाउन्ट्स वगैरह सीज कर सकते हैं, वह अपने सर्वे के लिये ऐसा कर सकें यह ठीक है मैं इसे स्वीकार करता हूं । मैंने कल भी निवेदन किया था कि हम नियंत्रण के संबंध में जितने भी कड़े हो वह ठीक है लेकिन केवल न्याय के आधार पर । हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था की जाय कि जो अफसर सर्वे करते हों वह अगर सीज्योर करें या यकायक किसी की किताबों पर कब्जा करें तो वह ऐसा करने से पहले लिखित कारण अपने नोटिस में लिखें ताकि अगर कभी मामला किसी अधिकारी के पास अपील आदि में जाय तो पता चल जाय कि इस ऐक्शन की जरूरत थी या नहीं थी । दूसरे अगर इसी सर्वे के आधार पर किसी असेसी के खिलाफ फैसला हो जाता है तो कम से कम उस फैसले की नकल असेसी को मिलनी चाहिये । यह न्याय के उसूल के खिलाफ है कि किसी के खिलाफ एक चीज को फैसले का आधार माना जाय और उसकी कापी को गोपनीय रखा जाय । इस तरफ विभाग स्वयं भी ध्यान दे रहा है लेकिन मैं चाहूंगा कि ऐक्ट में इस प्रकार की व्यवस्था हो जाय कि जब कोई अधिकारी इस तरह का सर्वे करे तो वह पहले ही सर्वे की रिपोर्ट लिखें । अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट को रखें और उसकी कापी मांगने पर असेसी को निःशुल्क मिल सके और एक कापी उसकी फाइल में रहे जिसका अवलोकन वह नियमानुसार कर सके, इससे उसको न्याय मिल सकेगा ।

इसके बाद श्रीमन्, मैं एक बात और कहना चाहता था । दफा ५ में बड़ा बल दिया गया है, हम यह करने जा रहे हैं कि जो आधी छूट है उसको पूरी करने जा रहे हैं । तो मैं वास्तव में स्वयं ठीक से समझ नहीं पाया इसको अच्छी तरह से, इसलिये मैं क्षमा चाहूंगा यदि मेरा निवेदन ठीक न हो, लेकिन मैं इस पर यह चाहूंगा कि यह स्पष्ट किया जाय कि इसका

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

मतलब क्या है । अब इस छूट की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी मुझे तो इसमें भी शक है । क्योंकि जब कि हमारा सेंट्रल सेल्स टैक्स छूट देता है, २८६ धारा कांस्टीट्यूशन की जो है उसके अनुसार तय कर दिया गया कि जो बिक्री हमारे देश के बाहर होगी उस पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा, तब यह छूट वाकई देने का अवसर भी आयेगा या यह भी ऐसे ही हमें बताने के लिये है ? मैं यह निश्चित नहीं कहता कि इसमें कोई दुर्भावना है या कोई मंशा नहीं है लेकिन इस पर प्रकाश चाहूंगा। मेरे खयाल से सेक्शन ५ तो रिडंडेंट हो जायगा, लेकिन अगर आवश्यकता हो तो मैं हृदय से समर्थन करूंगा ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति को इसके भेजे जाने का समर्थन करता हूं । मैंने संशोधन दिया था कि इसकी परिधि बढ़ा दी जाय, यह निकाल दिया जाय । मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं समझता तो यह हूं कि परिधि बढ़ाना इसकी आवश्यक है, लेकिन चूंकि मेरा विश्वास है कि हमें व्यावहारिक अपना ऐक्शन लेना चाहिये अतः मैं परिधि निकालने की बात जो सरकार को भी ग्राह्य मालूम होती है मानने को तैयार हूं, क्योंकि अगर यह सेलेक्ट कमेटी को नहीं जाता है तब हम इन सारी बातों का परिमार्जन नहीं कर सकेंगे । तो जिस रूप में माननीय मंत्री को प्रवर समिति में इसका जाना स्वीकृत हो मैं उस पर संतोष करने के लिये तैयार हूं । अगर माननीय मंत्री इस बात को मंजूर कर लें कि वह परिधि बढ़ाना इसमें स्वीकार कर सकते हैं तब तो ठीक है, वरना मैं अपने संशोधन को कायम रखता हूं, इसलिये कि कम से कम हम प्रवर समिति में बैठ कर जितनी इसकी सारी खराबियां हैं, जिनकी ओर मैंने संक्षेप में संकेत किया, उनका तो परिमार्जन कर सकें ।

श्री ब्रजभूषण शरण (जिला देहरादून)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक में जो सिद्धान्त निहित है आमतौर से मैं उनसे सहमत हूं । हमारे सेल्स टैक्स ऐक्ट में बहुत सी कमियां थीं जिनसे रोज-रोज परेशानी असेसीज को, सेल्स टैक्स आफिसर्स को, सभी संबंधित आदमियों को मालूम होती थी, उनको दूर करने के लिये यह संशोधन विधेयक लाया गया है ।

साधारणतया किसी कानून में जब कोई व्यवस्था ऐसी देने का अधिकार हो जिससे किसी दूसरे के अधिकार पर कुछ असर पड़ता हो तो उसे अपील की गुंजायश होनी चाहिए । इस कमी को इस संशोधन विधेयक ने बहुत हद तक पूरा किया है । एग्जेम्पशन भी निश्चित करने का अधिकार सेल्स टैक्स आफिसर को था, परन्तु अभी तक उसके विरुद्ध यदि कोई शिकायत हो तो उसकी अपील करने का अधिकार नहीं था, मगर इस संशोधन विधेयक के जरिये से वह अधिकार दिया गया है ।

अगर एक्स -पार्टी कोई आर्डर हो जाय, एकतरफा कोई हुक्म हो जाय सेल्स टैक्स आफिसर का तो अभी तक उसको सेट एसाइड करने का, हटाने का कोई तरीका सेल्स टैक्स ऐक्ट में नहीं था, जो न्यायसंगत नहीं मालूम होता था । उस कमी को पूरा करने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है और मैं उसका स्वागत करता हूं, परन्तु इस बिल में एक दो बातें ऐसी भी हैं कि जिनसे मैं सहमत नहीं हूं और इसलिए इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने का मैं समर्थन करता हूं ।

एक तो इस संशोधन विधेयक से अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स बढ़ रहा है, जो अभी तक १ रुपया ९ आने सैकड़ा है, वह २ रुपया सैकड़ा हो जायगा । मालूम ऐसा होता है इसके शब्दों को देखने से नये सिक्कों की प्रणाली प्रचलित होने की वजह से ही यह तब्दीली की गयी है, परन्तु ऐसा नहीं है । इसमें जो टैक्स १ रुपया ९ आने प्रति सैकड़ा लगा हुआ है वह २ रुपये होने जा रहा है ।

इसके अलावा एक और अधिकार इसमें दिया जा रहा है कि सेल्स टैक्स अफसर या असिस्टेंट सेल्सटैक्स अफसर को जब कभी कोई इस तरह की बात समझ में आये कि कोई आदमी टैक्स छिपाने की गरज से अपना वही खाता या कागजात छिपा रहा है तो उसे उसके घर में घुस कर

उन कागजात को अपने कब्जे में कर लेने का अख्तियार होगा। यह एक इतना बड़ा अधिकार है कि जो आमतौर से किसी बहुत बड़े अधिकारी को होना चाहिये था। अब तक का जो सेल्स टैक्स ऐक्ट है और जो उसके रूल्स हैं और जो उसकी नीति है उसके मुताबिक तो यह अधिकार सेल्स टैक्स अफसर को भी नहीं था बगैर सेल्स टैक्स कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर की पूर्व आज्ञा के। शायद हमारे वित्त मंत्री महोदय के ध्यान में इस वक्त यह बात न हो कि हमारे प्रदेश में देखने में तो यही मालूम होता है कि असिस्टेंट सेल्स टैक्स अफसर सेल्स टैक्स अफसर से केवल एक ही सीढ़ी नीचे है लेकिन उसमें अधिकतर सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के क्लर्क और स्टेनोग्राफर ही हैं। तो ऐसी सूरत में इतना बड़ा अधिकार इतने छोटे अफसर को दे देना बगैर किसी नियंत्रण के मैं इसे मुनासिब नहीं समझता।

इस संशोधन विधेयक से एक और भी सुझाव नजर आता है कि जहां-जहां शब्द "निर्धारित" है वहां-वहां शब्द "विज्ञापित" रखने की कोशिश की जा रही है। सेल्स टैक्स ऐक्ट और उसका यह संशोधन विधेयक, यह अजीब बात है। ऐसा मालूम होता है कि हल्के-हल्के हम इस तरफ जा रहे हैं कि एक ऐक्ट लाया जायगा मार्च के महीने में और उसमें हम यह पास कर दिया करेंगे कि साल भर के लिये गवर्नमेंट को यह अधिकार देते हैं कि वह जो मुनासिब समझे नोटिफाइ करके टैक्स वसूल कर ले और जो मुनासिब समझे खर्च कर दे। चूंकि आहिस्ता-आहिस्ता झुकाव यह है कि निर्धारित के माने प्रेस्क्राइब्ड और प्रेस्क्राइब्ड के माने जो रूल्स बनेंगे और उनके मातहत जो अख्तियार दिये जायंगे वे इस सदन को मेज पर रखे जायंगे जिनमें उसे संशोधन करने का अख्तियार भी होगा। मगर नोटिफिकेशन न कभी सदन की मेज पर आयेगा और न हमें उसमें संशोधन करने का अख्तियार होगा। इसलिये आहिस्ता-आहिस्ता सरकार नोटिफिकेशन के जरिये अख्तियार लेना चाहती है।

कल माननीय जगदीशशरण जी ने इस संशोधन विधेयक की धारा १३ का जिक्र करते हुये बताया था कि 'विलफुली' का शब्द इसमें अब नजर नहीं आता जिससे मुझे कुछ भयंकर परिणाम नजर आता है। माननीय वित्त मंत्री जी ने न मालूम कौन सा सेल्स टैक्स ऐक्ट पढ़ कर सुना दिया था कि 'विलफुली' एक जगह दिया गया है और बाकी सब जगह लग जायगा।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---श्रीमन्, कोरम पूरा नहीं इसलिये आज की कार्यवाही स्थगित ही कर दी जाय तो क्या हर्ज है?

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन का कार्य पुनः आरम्भ हुआ।)

श्री ब्रजभूषणशरण---मैं यह निवेदन कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कि कोई धारा १४ पढ़ कर सुना दी गई जिसमें एक जगह शब्द "विलफुली" आया था उससे निष्कर्ष निकाला गया कि बाकी सब जगह वही लगा दिया जायगा। जैसा कि माननीय जगदीशशरण जी ने कहा कि ऐसा सेल्स टैक्स ऐक्ट उपलब्ध होना मुश्किल है जिसके लिये कहा जा सकता हो कि यह सही सेल्स टैक्स ऐक्ट है और इसमें आखिर तक सब संशोधन मौजूद हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस समय हम विचार करते हैं तो हमें वही चीज दी जाती होगी जिसमें आखिरी फैसला विधान सभा का हो। इसके मुताबिक मुझे यह कहीं नजर नहीं आया। इसमें वह शब्द है जो संशोधन विधेयक में प्रस्तुत है। मूल अधिनियम की धारा १४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय। इस समय जो माननीय मंत्री जी के पास सेल्स टैक्स ऐक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि 'विलफुली' शब्द है और वह सब जगह के लिये एप्लाई करेगा। यह लिख दिया जायगा कि :---

"१४ (१) कोई व्यक्ति जो .....

इस अधिनियम के अधीन उस पर निर्धारित कर जो नियत समय के भीतर न दे, अथवा"

मेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें से विलफुली की बात हट जायगी और वह इससे रिप्लेस हो जायगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन का कार्य पुनः आरम्भ हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---मैं सरकार से कहूंगा कि अब मैं मौका नहीं दूंगा। जब उसका विधेयक है तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि पूरा रहे। अगर अब कोरम नहीं होगा तो सदन स्थगित कर दिया जायगा।

श्री ब्रजभूषणशरण---मैं निवेदन कर रहा था कि यह बिल्कुल बदल जायगी और 'विलफुली' शब्द मदद नहीं कर सकेगा परन्तु मैं जगदीशशरण जी की इस व्याख्या से कि टर्नओवर बदले जाने से गरीबों पर बोझ पड़ेगा, सहमत नहीं हूं। अगर कमीशन एजेंट पर टैक्स लगेगा तो वह काश्तकार से क्यों वसूल करेगा वह तो खरीदार के ऊपर बोझ पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि मेरा खयाल था कि सेल्स टैक्स फूड ग्रेन्स पर नहीं लगना चाहिए। लेकिन आंकड़ों से मालूम होता है कि साल भर में २० लाख रुपये होगा। इसके माने हैं कि साल भर में दो पुराने पैसे फी आदमी पड़ता है। इसलिये कोई भयंकर बात नहीं है जो इतना शोर मचाया जाय। एक गोविन्दसिंह जी ने एतराज उठाया था कि एक ही जुर्म के लिए दो दफा कैसे सजा दी जायगी? मैंने माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक को बहुत गौर से पढ़ा। मुझे कहीं नहीं इसमें ऐसा नजर आया कि एक ही गलती या भूल के लिए दो दफा सजा निर्धारित हो। (व्यवधान) अगर टैक्स जमा न करे तो यह तो जनाब आज भी है कि आई०पी० सी० में आप रोज देखते हैं कि किसी जुर्म के लिए अगर ५० रुपये जुर्माना की सजा हो जाती है तो जुर्माना न देने पर एक महीने की कैद काटने के लिए जेल भी भेज दिया जाता है और कैद पूरी काट चुकने के पहले रियलाइजेशन का वारंट जारी कर दिया जाता है। तो जेल भी काट चुकेगा और वह जुर्माना वसूल भी हो जायगा। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि संविधान के खिलाफ हो जायगा। एक बात माननीय गोविन्दसिंह जी ने और माननीय जगदीशशरण जी ने भी कही कि यह जो अपीलेट अथारिटी है उसे वसूली रोकने का भी अधिकार होना चाहिए। माननीय गोविन्दसिंह जी ने तो यह कहा कि लेजिस्लेशन की हिस्ट्री में यह उन्हें कहीं नजर नहीं आया कि टैक्स के खिलाफ अगर किसी ने अपील किया हो तो अपीलेट अथारिटी को वसूली रोकने का अधिकार न हो। मैं माननीय गोविन्दसिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट पढ़ लें। उसमें तो यह है कि जब तक टैक्स जमा नहीं किया जायगा तब तक अपील इंटरटेन नहीं की जायगी। इसी तरह म्युनिसिपल ऐक्ट में है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह कोई इतनी बड़ी परेशानी की धारा नहीं है। मगर फिर भी जैसा मैंने आपसे नम्र निवेदन किया कुछ ऐसी चीजें जरूरी हैं जैसे विज्ञापित और निर्धारित, यह और कुछ कमियां रह गई हैं जो पूरी की जा सकती हैं। वह पूरी करने के लिए मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने का समर्थन करता हूं।

श्री शिवप्रसाद नागर---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सेल्स टैक्स विधेयक पर कल से बहस शुरू हुई है। इसके ऊपर माननीय अग्रवाल जी ने अपना भाषण जो इस सदन में दिया उसके लिए मैं उनका बहुत मशकूर हूं। उन्होंने इस सेल्स टैक्स विधेयक की सारी खामियां इस सदन के सामने रखीं और इस सेल्स टैक्स अमेंडमेंट बिल की सारी धज्जियां उड़ा दीं। सिर्फ मैं ही नहीं सारे प्रदेश की जनता उनकी मशकूर होगी। उस तरफ के लोग अवश्य मशकूर नहीं होंगे।

एक बात और कहना चाहता हूं कि इस अमेंडमेंट में विस्तृत अधिकार दिये गए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत पुरानी बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। एक बार शिव जी ने भस्मासुर को भी ऐसे ही विस्तृत अधिकार दे दिये थे। इस विधेयक में बिल्कुल उसी प्रकार के विस्तृत अधिकार दे दिये गये हैं और इतने विस्तृत अधिकार दे दिये गये हैं कि वे पदयात्री कहीं उन बाजारों से गुजरे होते जहां पर यह सेल्स टैक्स देने वाले गल्ले के छोटे-छोटे दूकानदार बैठते हैं

तो वहां पर उन्हें भी शायद आटे दाल का भाव मालूम हो गया होता। परन्तु बदकिस्मती से वह उस रास्ते से निकले जिसमें यह नहीं पड़ते थे। उसी से उनके सामने कोई शिकवा नहीं आया। (व्यवधान) अब कोई इक्के पर, कोई ऊंट पर, कोई लढ़िया पर, कोई घोड़े पर गया।

श्री उपाध्यक्ष---मेरा जहां तक खयाल है इस विधेयक क बाद कोई पद-यात्रा हुई नहीं।

श्री शिवप्रसाद नागर---हां, उपाध्यक्ष महोदय,यह मेरी गलतफहमी थी, आपने दूर कर दी। आपका शुक्रिया। इस विधेयक के पहले ही पद-यात्रा हो गई थी और शायद उसी की वजह से इसमें इतनी देरी हुई। उसी पद-यात्रा की वजह से यह सप्लीमेंटरी बजट, और यह अमेंडमेंट इतनी देर में आया। मेरा खयाल है कि उसी की कशमकश में यह रह गया और उसके बाद जल्दी-जल्दी में तैयार करके इसको रख दिया और जल्दी का काम जैसा होता है आप जानते ही हैं, ऐसा काम कभी ठीक नहीं होता। जल्दी-जल्दी में छप्पर छाया गया तो सारी बरसात चूयेगा। उसी तरह पद-यात्रा के बाद जल्दी जल्दी में यह विधेयक ला दिया गया जिससे इसमें इतनी कमियां रह गई हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी पद-यात्रा की अजीब शकल है। मैं एक हलवाई की बात कहना चाहता हूं जो इसी सेल्स टैक्स विधेयक से सम्बन्धित है। एक दूकानदार की हलवाई की दूकान थी। वह देशी घी की मिठाई बनाता था। उसकी बड़ी शोहरत थी। सारे लखनऊ शहर में लोग वहीं से मिठाई मंगाने लगे। तो उस हजरतगंज के चौराहे की दूकान पर मिठाई खूब बिकने लगी। उन्होंने कहा कि भाई बहुत बिक्री होती है और अब तो यह दशा आ गई है कि अगर पत्ते में गुड़ रख कर भी दे दिया जाय तो लोग इन्कार नहीं करेंगे। जब उसकी बिक्री बढ़ गई तो उसके बाद यह हुआ कि उन्होंने सोचा कि पत्ता में गुड़ रख कर दे दो, लोग इसको मिठाई समझेंगे। जब यहां तक बिक्री हुई तो उन्होंने डालडा लगाना शुरू कर दिया। दूसरे मुहल्ले में देशी घी की मिठाई बनने लगी और वहां पर जाकर लोग खरीदने लगे और इनकी बिक्री कम हो गई। जब बिक्री कम हो गई और गाहकों ने वहां पर आना बन्द कर दिया तब इन सझियारों की नागपुर में एक मीटिंग हुई और तय हुआ कि पद-यात्रा की जाय तो वे खोंचा लगा कर गली-गली और मुहल्ले-मुहल्ले, गांव-गांव फिरने लगे गरम जलेबी ताजे तिकोने लगे चिल्लाने कि इस तरह से ही कुछ बिक्री होगी। यह दशा इस पद-यात्रा की हो गई है। मगर फिर भी सौदा बिकना कठिन सा हो रहा है। इसलिये इस बार जो यह सेल्स टैक्स विधेयक आया है इसने पद-यात्रा का और भी नाश मार दिया।

सबसे पहली चीज इसमें यह होनी चाहिये थी और सेल्स टैक्स विधेयक में जो मूल संशोधन आना चाहिये था वह यह कि अनाज पर से सेल्स टैक्स बिल्कुल नहीं लिया जायगा और वह हटा दिया जायगा। इस तरह से इस प्रदेश की जनता को बड़ी राहत मिलती। मगर होता क्या है? होता यह है कि उसके ऊपर जो अधिकार दिये गये वह इतने विस्तृत अधिकार दिये गये कि सब तरह के अधिकार उनको दे दिये। कहा यह गया है कि इससे बहुत राहत मिलेगी। मैं आपके सामने बयान करूं कि इसमें राहत का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। इस अनाज पर से यह सेल्स टैक्स खत्म कर देते तो उत्तर प्रदेश की जनता को राहत मिलती। कैसे मिलती वह इस तरह से कि उस वक्त गाड़ीवान से माल जो खरीदता है वह आढ़ती खरीदता है। वह एक कमीशन एजेन्ट होता है। वह सेलर नहीं है और न परचेजर है। एक बीच का आदमी है जो दूसरे को सप्लाई कर देता है। उसके लिये कुछ पैसा वह ले लेता है। तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद वहीं से वह गल्ला दूसरे के पास जाता है उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। वहां से तीसरे के पास जायगा तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह से वह ४, ५ के पास पहुंचता है। तब जाकर वह रिटेलर के पास पहुंचता है। जिस समय वह रिटेलर के पास जाता है उसके पहले ५ जगहों पर सेल्स टैक्स का पेमेन्ट हो चुकता है। तब अगर गरानी नहीं होगी तो क्या होगी। अगर हमारी सरकार इसको यह कहे कि गल्ले पर सेल्स टैक्स छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस उत्तर प्रदेश की जनता को इस विधेयक से कोई राहत नहीं मिलेगी।

[श्री शिवप्रसाद नागर]

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मूल अधिनियम की धारा ३ थी जिसमें अभी तक, जैसा कि एक सदस्य ने कहा, ३ पाई फी रुपया था। अब उसको २ रुपया सैकड़ा किया जा रहा है। अब उसको २०० नये पैसे देने पड़ेंगे। यानी पहले था १ रुपया ९ आना सैकड़ा अब उसके ऊपर २ रुपया सैकड़ा होने जा रहा है। क्या यह राहत मिलेगी? अगर इस राहत को राहत कहा जाय तो ठीक है और हमें कोई शिकायत नहीं है। इस उत्तर प्रदेश की ६।। करोड़ जनता को और सारे दूकानदारों को इस बात की सख्त शिकायत है कि यह टैक्स बढ़ाया जा रहा है इस राहत की आड़ में। ७ आना सैकड़ा का इजाफा इस मूल अधिनियम की धारा ८ में न मालूम क्यों किया गया यह मेरी समझ में नहीं आया। हमारे मंत्री महोदय ने बजट भाषण में कहा है "अब सरकार ने यह निश्चय किया है कि अगले वित्तीय वर्ष से गल्ले के उन व्यापारियों से कोई बिक्री-कर न लिया जाय, जिनका वार्षिक विक्रय धन २५,००० रु० सालाना से कम हो" लेकिन इस बिक्री-कर विधेयक में ऐसा कहीं नहीं है। मैंने इसे सारा पढ़ डाला लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। हो सकता है कि मैं चूंकि कम पढ़ा लिखा हूं इसलिये ढूंढ़ने में गलती हो गई हो, इसलिये अगर कहीं हो तो कृपया बता दें। तो इस तरह की ढोल पीटी गई, आवाज बहुत है लेकिन ढोलम-पोल है।

उपाध्यक्ष महोदय, धारा १३ में बहुत से अधिकार दे डाले हैं कि सेल्स टैक्स अधिकारी बही खाता वगैरह पर कब्जा ले लेगा लेकिन यह नहीं लिखा है कि रात में उन पर कब्जा करेगा या दिन में। मैं अपने जिले की बात सेल्स टैक्स आफिसर के सम्बन्ध में कहता हूं। जब रात को आठ बजे तफरीह करने गये जब कि दूकानदार अपनी दूकानें बन्द करके अपने घर को जाते हैं। एक लाला जी को रास्ते में रोक लिया और कहा कि दूकान लौट चलो। दूकान खुलवा कर उनके बही खातों पर अधिकार कर लिया। अब इधर तो उन बहीखातों की जांच हो रही है और यदि उधर एक लफंगे महाशय ने उनके घर पर जाकर कुंडी खटखटाई। घर वाले समझे कि लाला जी दूकान बन्द करके आये होंगे। उन्होंने कुंडी खोल दी। उसने घुस कर अन्दर से कुंडी बन्द कर ली और पिस्तौल दिखा कर सारा माल बांध लिया। उधर तो सेल्स टैक्स आफिसर उनके बहीखाते बांध रहा है और इधर वह उनका सामान बांध कर चलता हो। जब वे घर आते हैं तो घर का हाल देखकर सर पीट कर रह जाते हैं। तो इसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि रात में या दिन में किस वक्त कब्जा किया जायगा। यह अधिकार बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे कि भस्मासुर को शंकर जी ने दिये थे। पता नहीं वह अधिकार शंकर जी ने किस सायत पर दिये थे और यह अधिकार सरकार किस सायत पर देने जा रही है।

धारा ३ में जो अधिकार दिया है, उतना बड़ा ब्लंडर कोई अनपढ़ आदमी भी नहीं करता। इसमें यह संशोधन है कि "प्रतिबन्ध यह है कि कर-निर्धारण के एक पक्षीय आदेश के रद्द किये जाने के लिये कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र तब तक नहीं लिया जायगा जब तक कि उसके साथ कर की धनराशि के, जिसे व्यापारी ने देय स्वीकार किया हो, भुगतान का संतोष-जनक प्रमाण न हो।" इसमें यह नहीं है कि भुगतान "करने का" संतोष-जनक प्रमाण न हो या "न करने का" संतोष-जनक प्रमाण न हो। इसलिये यह अधूरा है और यह एक ब्लन्डर है। इसके अलावा इसमें प्राविजनल फीस का ब्यौरा आया है। मान लीजिये किसी पर ६ लाख रुपये पर प्राविजिनल फीस है और ६ हजार रुपया जमा करने के बाद उसके ऊपर कोई दैवी प्रकोप आ गया, कोई चोरी या डकैती हो गयी, उसके रोजगार में आफत आ गयी और उसकी पूंजी उतनी नहीं रही जितनी कि पहले थी। यानी ६ लाख की पूंजी नहीं रही। अब उसने एक लाख की अनुमानित बिक्री पर एक हजार रुपया जमा कर दिया, लेकिन उससे अब कहा जाता है कि नहीं वही ६ हजार रुपया जमा करो। अब उसकी हालत पर गौर फरमाइये। इस वक्त वह बेकार है और ६ लाख रुपया उसके पास है नहीं अब उसके पास ६ लाख तो क्या ६ हजार रुपया भी नहीं है लेकिन अधिकारी का डंडा कहता है कि नहीं तुम एक हजार नहीं ६ हजार रुपया जमा करो।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आपका भाषण खत्म हो गया क्योंकि समय खत्म हो गया।

श्री शिवप्रसाद नागर--भाषण तो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत सी बातें मुझे कहनी हैं, वैसे जैसी आपकी आज्ञा हो।

श्री उपाध्यक्ष--ठीक है, अब आप कल जारी रखिये।

(इसके बाद सदन ६ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२० फरवरी, १९५९ ई०।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०८ पर)

अगस्त, १९५८ से ३० नवम्बर, १९५८ तक कच्ची व पक्की फसल कटाई के थानों में दर्ज किये गये तथा उनमें से जांच किये गये मामलों की पृथक-पृथक थानेवार संख्या

क्रम-संख्या	नाम थाना		पक्की फसल		कच्ची फसल	
			दर्ज किये गये मामलों की संख्या	जांच किये गये मामलों की संख्या	दर्ज किये गये मामलों की संख्या	जांच किये गये मामलों की संख्या
१	मधुबन	..	१	१	३३	..
२	अतरौलिया	..	४	४	२७	..
३	पवई	..	..	..	६	..
४	तरवा	..	..	..	३	..
५	अहिरौला	..	..	..	१०	..
६	देव गांद	..	..	..	२४	..
७	निजामाबाद	..	७	६	३०	..
८	मऊ	..	३	३	२	१
९	रातापार	..	२	१	२२	..
१०	चिरैयाकोट	..	६	६	१२	३
११	कोतवाली	..	१	१	९	..
१२	दोहरीघाट	..	२	१	७	..
१३	गम्भीरपुर	..	१	१	३४	१
१४	महाराजगंज	..	५	२	५२	..
१५	सरायमीर	..	३	१	१४	..
१६	घोसी	..	३	३	१०	..
१७	बरदह	..	३	३	६	..
१८	कन्धरापुर	..	३	३	३६	२
१९	जीयनपुर	..	१	१	१४	..
२०	मुहम्मदाबाद	..	४	४	१२	..
२१	मुबारकपुर	..	६	५	२२	..
	योग	..	५५	४६	३८५	७

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१२ पर)

अनशनकारियों की मुख्य मांगे निम्नलिखित हैं :—

१—लगान, तकावी तथा अन्य प्रकार के सरकारी बकायों की वसूली इन अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में तुरन्त रोक दी जाय और जिन अधिकारियों ने वसूली में अमानुषिक अत्याचार किये हैं उन्हें कठोर दण्ड दिया जाय ।

२—जो किसान तकावी मांगे उन्हें खेती के कार्य के लिये और भुखमरी के समय जीवन रक्षा के लिये कम से कम २० रु० प्रति एकड़ तकावी दी जाय । यदि उनके पास बैल न हो और बैल की तकावी मांगे तो उन्हें बैल के लिये भी तकावी दी जाय ।

३—सस्ते गल्ले की दूकानें गांवों में खोली जांय ।

४—सस्ते गल्ले की दूकानों में होने वाले भ्रष्टाचार की जांच करने के लिये गुप्तचर विभाग नियुक्त किये जावें और भ्रष्टाचार में दूकानदार या सरकारी विभाग के अधिकारी जो भी शामिल हों उन्हें कड़ा दण्ड दिया जाय ।

५—बड़े पैमाने पर टेस्ट वर्क्स खोले जांय ।

६—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो काम इन अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में करने के लिये स्वीकृत किये गये हैं उन्हें तुरन्त शुरू किया जाय जिससे जनता की क्रय शक्ति बढ़े ।

७—आवश्यक बांधों के निर्माण पर फौरन कार्य शुरू किये जायं । यू० पी० फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड ने गोरखपुर कमिश्नरी में बाढ़ नियंत्रण के निमित्त लगभग २ करोड़ रुपये के लागत की जो स्कीमें स्वीकृत थी । और जिन पर रुपये के अभाव के कारण कार्य बन्द कर दिया गया है उन्हें तुरन्त चालू किया जाय ।

८—अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में निःसहाय और अपाहिजों को मुफ्त गल्ला पर्याप्त मात्रा में बांटा जाय ।

९—अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में विद्यार्थियों की फीस माफ कर दी जाय ।

१०—मिलों पर गन्ने का बकाया मूल्य फौरन गन्ना किसानों को दिलाया जाय और अगले सीजन में गन्ने का दाम १ रु० १२ आना मन किया जाय ।

११—लेहड़ा, नेडरा, बर्डपुर, पिप्पी इत्यादि स्टेटों में जो सिंचाई व्यवस्था थी और जो अब लापरवाही के कारण समाप्त हो गई है उसका पूर्णतया निरीक्षण करके फिर से चालू कर दिया जाय।

१२—गोरखपुर और बस्ती जिले में मवेशियों के लिये चारे का इन्तजाम किया जाय और जहां जंगल हों उन्ह चराई के लिय खोला जाय और जहां कदीमी जोत लिये गये हों, उन्हें चरागाह घोषित किया जाय ।

१३—इन १५ जिलों की बाढ़, सूखा और बेकारी की समस्या को सदैव के लिये, हल करने के लिये घाघरा, राप्ती, गंडक और उनकी सहायक नदियों के नियंत्रण के लिये उनकी बहुधन्धी नदी घाटी योजना तुरन्त विस्तार से बनाई जाय और उस पर कार्य इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चालू किया जाय, जिससे त्रितीय पंचवर्षीय योजना में यह कार्य सम्पन्न हो जाय ।

अनशनकारियों की मुख्य मांगों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण

१—जहां फसल को अधिक क्षति हुई थी लगान स्थगित किया गया । लगान की किश्तों की वसूली के लिये भी दबाव नहीं डाला गया । सभी वसूलियां नियमानुसार बन्द नहीं की जा सकती । वसूली में अमानुषिक अत्याचार की कोई शिकायत नहीं मिली ।

२—खाद, बीज, बैल, कुंओं इत्यादि के लिये बड़े पैमाने पर किसानों को तकावी बांटी गई है और बांटी जा रही है ।

३—काफी संख्या में सस्ते गल्ले की दूकानें खोली जा चुकी हैं ।

४—जब कभी दूकानों में भ्रष्टाचार की शिकायत मिली, जांच की गई । काफी संख्या में दूकाने मन्सूख कर दी गईं और दूकानदार हटाये गये । कुछ की पूरी जमानत और कुछ की आंशिक जमानत जब्त होने का आदेश दिया गया ।

५—गोरखपुर जिले में गत वर्ष प्रत्येक तहसील में टेस्ट वर्क खोले गये थे । अन्त में मजदूरों की कमी के कारण बन्द हो गये । इस समय किसी प्रकार के टेस्ट वर्क आरम्भ करने की आवश्यकता नहीं है ।

बस्ती जिले में जून १९५८ में टेस्ट वर्क जारी किये गये थे जो आधे माह जुलाई तक जारी रहे ।

देवरिया जिले में भी टेस्ट वर्क चलाया जाता रहा । यह कार्य वर्षा प्रारम्भ होने के कारण स्थगित करना पड़ा ।

६—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो भी कार्य स्वीकृत किये गये थे उन पर कार्य आरम्भ किया जा चुका है ।

७—आवश्यक बांधों के निर्माण-कार्य पर फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड से धनराशि अभी स्वीकृत न होने के कारण सम्पूर्ण कार्य बन्द हैं ।

८—गोरखपुर और बस्ती जिले के अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में असहायों को अगस्त और सितम्बर मास में गल्ला निःशुल्क दिया गया ।

९—देवरिया जिले में बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में विद्यार्थियों की फीस व्यापक पैमाने पर माफ की गई ।

बस्ती जिले में बाढ़-पीड़ित क्षेत्र के विद्यार्थियों की फीस माफ करने पर विचार किया जा रहा है ।

गोरखपुर जिले में पिछले वर्ष बाढ़-पीड़ित क्षेत्र के विद्यार्थियों की फीस माफ की गई थी । इस वर्ष सरकार द्वारा इसके लिये कोई धन स्वीकृत नहीं हुआ है ।

१०—मिलों पर गन्ने का बकाया मूल्य लगभग सब दिया जा चुका है । जहां तक गन्ने के दाम को १ रु० १२ आना प्रति मन करने का प्रश्न है, यह कार्य भारत सरकार द्वारा ही सम्भव है ।

११—गोरखपुर जिले में लेहड़ा इत्यादि स्टेटों में जो सिंचाई योजना थी उस पर धनराशि उपलब्ध न होने के कारण काम नहीं हो रहा है । परगनाधीश अपने दौरे के सिलसिले में इसका निरीक्षण करेंगे ।

बस्ती जिले में नेउरा, बर्डपुर इत्यादि स्टेटों में जो सिंचाई की व्यवस्था थी वह अब भी चालू है । इन स्टेटों में नहरों, कुल्लों, नुल्लों की मरम्मत व देखभाल सरकार द्वारा की जा रही है ।

१२—गोरखपुर जिले में बाढ़ के दिनों में सरकारी जंगल के १३ ब्लाक पशुओं के चराने के लिये खोल दिये गये थे । इस समय चारे का अकाल नहीं है । बस्ती जिले में मवेशियों के चारे के लिये ५०० गांठ जंगली घास की १९५७–५८ में बांटी जा चुकी हैं और १,००० मन भूसा जून १९५८ तक बेंचा जा चुका है । सरकारी व प्राइवेट जंगलात जानवरों के मुफ्त चरागाह के निमित्त खोल दिये गये हैं ।

१३—फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा धनराशि स्वीकृत होने पर इन नदियों के नियंत्रण का कार्य आरम्भ कर दिया जायगा । जैसे-जैसे धनराशि उपलब्ध होगी वैसे-वैसे कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१२ पर)

नाम तहसील				संख्या ग्राम जिनमें लैसेंसदार बन्दूक मौजूद हैं	संख्या उन ग्रामों की जिन में कोई लैसेंसदार नहीं है
कोल	..	..	..	२११	९०
हाथरस	..	..	..	२३३	१४०
खैर	..	..	..	१९८	१२०
अतरौली	..	..	..	२२०	९१
सिकन्दराऊ	..	..	..	२१५	७३
इगलास	..	..	..	१५६	१०८

सत्यमेव जयते

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१२ पर)

सन् १९५७ में हुयी डकैतियों की जिलेवार सूची

	जिलों के नाम	डकैतियों की संख्या
	१	२
मेरठ क्षेत्र	मेरठ	३०
	बुलन्दशहर	२७
	मुजफ्फरनगर	२६
	सहारनपुर	२०
	देहरादून	२
	टेहरी-गढ़वाल	..
	योग ..	१०५
वाराणसी क्षेत्र	वाराणसी	२
	मिर्जापुर	४
	गाजीपुर	६
	जौनपुर	५
	बलिया	३०
	आजमगढ़	२६
	योग ..	७३
लखनऊ क्षेत्र	लखनऊ	१६
	सीतापुर	३०
	हरदोई	३०
	बाराबंकी	२८
	खीरी	३१
	रायबरेली	१८
	उन्नाव	२२
	प्रतापगढ़	१८
	योग ..	१९३
कानपुर क्षेत्र	कानपुर	१२
	फतेहपुर	१०
	इलाहाबाद	२५
	बांदा	९
	हमीरपुर	१९
	जालौन	९
	झांसी	२४
	योग ..	१०८

विधान सभा प्रदेश

	जिलों के नाम				डकैतियों की संख्या
	१				२
	बरेली	..	..	..	२२
	बिजनौर	..	..	..	१२
	पौरी गढ़वाल	..	..	..	–
	बदायूं	..	..	..	२३
बरेली क्षेत्र	नैनीताल	..	..	..	४
	अल्मोड़ा	..	..	..	–
	मुरादाबाद	..	..	..	२३
	पीलीभीत	..	..	..	११
	शाहजहांपुर	..	..	..	३१
	रामपुर	..	..	..	९
				योग ..	१३५
	आगरा	..	..	..	१४
	मथुरा	..	..	..	१९
	एटा	..	..	..	२२
आगरा क्षेत्र	अलीगढ़	..	..	..	२५
	मैनपुरी	..	..	..	३०
	इटावा	..	..	..	३६
	फतेहगढ़	..	..	..	१५
				योग ..	१६१
	गोरखपुर	..	..	..	२३
	बस्ती	..	..	..	१४
गोरखपुर क्षेत्र	गोंडा	..	..	..	१६
	बहराइच	..	..	..	३३
	देवरिया	..	..	..	१४
	फैजाबाद	..	..	..	१४
	सुल्तानपुर	..	..	..	१५
				योग	१२९
	जी० आर० पी०	..	..	..	३
				कुल योग	९०७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

No. 2296/XVII—243-1954

(देखिये तारांकित प्रश्न ६९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१३ पर)

FROM

SRI J. K. TANDON,
SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH,

TO

THE SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA,
MINISTRY OF TRANSPORT (RAILWAYS),
NEW DELHI.

Legislative Department *Dated Lucknow, June* 29, 1954.

Subject : **Members of the State Legislative Assembly and Council—Free transit by Railway**

SIR,

I AM directed to invite a reference to section 6 of the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954, which provides *inter alia* that every member shall be provided with one free non-transferable Second Class Pass which shall entitle him to travel by any Railway in India at any time. The duties of a member of the State Legislature are similar to those of a member of Parliament. The circumstances in which and the reasons for which this provision has been made are equally applicable in the case of members of the State Legislature. I am therefore, to request that concession of one free non-transferable Second Class Pass for travel within the State should be extended to members of the State Legislature also. The State Government feel that the Government of India will have no objection in accepting the above proposal if the Ministry of Transport should for any reason still consider it necessary to levy any force, the State Government would be willing to pay a nominal or concessional charge.

I am to request for a very early reply in the matter.

Yours faithfully,
J. K. TANDON,
Secretary.

No. 3201/XVII—243-54

FROM

SRI J. K. TANDON,
SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH,

TO

THE SECRETARY,
GOVERNMENT OF INDIA,
MINISTRY OF TRANSPORT (RAILWAYS),
NEW DELHI.

Legislative Department *Dated Lucknow October* 13, 1954.

Subject : **Members of the State Legislature—Free transit by Railway**

SIR,

WITH reference to Government of India, Ministry of Railways letter no. 1058—Ta-54-B, dated Septemger 14, 1954 on the above subject,

I am directed to say that in letter no. 2296/XVII—243-1954, dated June 29, 1954, this State Government had expressed their willingness to pay a nominal concessional charge should the Ministry of Transport find it difficult to issue free non-transferable Second Class Passes to the members of the State Legislature for travel within the State. This portion of the proposal of the State Government do not appear to have been considered by Railway Board. It is, therefore, requested that the Railway Board may also kindly examine this aspect of the question and levy, if necessary, only a very moderate charge keeping in view the fact that whatever payment will have to be made on this account will be paid by the State Government.

Yours faithfully,
J. K. TANDON,
Secretary.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAY
(RAILWAY BOARD), NEW DELHI
No. 1058—TG-54/B
Dated September 14, 1954.

To

THE SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF U. P.,
LEGISLATIVE DEPARTMENT,
LUUCKNOW

Subject : **Issue of free passes to the members of the State Legislature**

DEAR SIR,

WITH reference to your letter no. 2296/XVII, dated June 29, 1954, I am directed to state that the Railway Board have given the matter their most careful consideration; but they regret their inability to agree to issue free passes to the members of your State Legislature.

Yours faithfully,
S. K. GUHA,
Joint Director, Traffic (G),
Railway Board.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAY
(RAILWAY BOARD), NEW DELHI
No. 1058—TG/54-B
Dated November 19, 1954.

To

THE SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH, LUKCNOW

Subject : **Issue of passes to the members of State Legislature**

DEAR SIR,

WITH reference to your letter no. 3210/XVII—243-54, dated the 13th October, 1954, I am directed to state that your offer to pay a nominal charge to the Railways for issuing free passes to the members of the State Legislature, was given due consideration before arriving at the decision communicated in the Board's letter no. 1058—TG/54-B, dated September 14, 1954.

Yours faithfully,
SURJAN SINGH,
Officer on Special Duty (C),
Railway Board.

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१५ पर)

वांछित सूचना

मैनपुरी जिले में इस समय कुल ९ सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं जिनमें से पांच इंस्पेक्टर अन्तरिम जिला परिषद्, मैनपुरी के कर्मचारी हैं, तीन सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें दो जन-स्वास्थ्य विभाग के अधीन हैं और एक नियोजन विभाग के तथा एक नगरपालिका, मैनपुरी का कर्मचारी है। अन्तरिम जिला परिषद् के ५ सैनिटरी इंस्पेक्टरों को एक ही सर्किल में कार्य करने की अवधियां निम्नलिखित हैं--

एक सैनिटरी इंस्पेक्टर जून सन् १९५४ से,
दो सैनिटरी इंस्पेक्टर जनवरी सन् १९५५ से,
दो सैनिटरी इंस्पेक्टर जुलाई सन् १९५६ से,
उन तीन सैनिटरी इंस्पेक्टरों की अवधियां जो सरकारी कर्मचारी हैं निम्नलिखित हैं--
एक सैनिटरी इंस्पेक्टर, अक्तूबर सन् १९५६ से,
एक सैनिटरी इंस्पेक्टर, अप्रैल सन् १९५८ से,
एक सैनिटरी इंस्पेक्टर, जून सन् १९५८ से,

नगरपालिका, मैनपुरी के अधीन सैनिटरी इंस्पेक्टर अपने स्थान पर १ मई, १९२९ से कार्य कर रहा है।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१६ पर)

सूची

परिवार नियोजन केन्द्र जो स्थापित किये जा चुके हैं।

नगर केन्द्र

१--डफरिन अस्पताल, लखनऊ,
२--डफरिन अस्पताल, इलाहाबाद,
३--डफरिन अस्पताल, बरेली,
४--डफरिन अस्पताल, बलिया,
५--डफरिन अस्पताल, मेरठ,
६--लेडी लयाल डफरिन अस्पताल, आगरा,
७--ईश्वरी मेमोरियल अस्पताल, वाराणसी।

ग्रामीण केन्द्र

आगरा	१--बाह	कानपुर	१६--घाटमपुर
	२--खेरागंज		१७--कल्यानपुर
अलीगढ़	३--टप्पाल	लखनऊ	१८--सरोजनी नगर
	४--हुसायन		१९--बक्शी का तालाब
इलाहाबाद	५--छैलखास		
	६--मंढा	मेरठ	२०--लोनी
अल्मोड़ा	७--चम्पावत	नैनीताल	२१--खतिमा
आजमगढ़	८--लालगंज	रामपुर	२२--सैदनगर
बहराइच	९--कैसरगंज	सहारनपुर	२३--ननऊता
बाराबंकी	१०--रुदौली	सुल्तानपुर	२४--कुरीभार
बरेली	११--मौजीपुरा	मिर्जापुर	२५- दुधी
देवरिया	१२--कैप्टेनगंज	गोरखपुर	२६--निचलौल
फैजाबाद	१३--जलालपुर		
जालौन	१४--एट		
झांसी	१५--चिरगांव		

सत्यमेव जयते संसद

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१८ पर)

सूची

जिला अलीगढ़ में हरिजन कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष १९५७–५८ में हरिजनों को पीने के पानी के कुयें बनाने, मकान निर्माण करने तथा उद्योग धन्धों के लिये दी गई सहायता का विवरण ।

तहसीलवार निम्नलिखित सहायता दी गई :

नाम तहसील	कुयें	मकान	उद्योग धन्धे
१	२	३	४
	रु०	रु०	रु०
हाथरस	७४५	२००	२,२००
सिकन्दराराव	१७२	..	..
कोएल	६६५	..	३,६००
अतरौली	..	..	१,४५०
खैर	२५०	९००	३००
इगलास	..	..	१,१००
योग ..	१,८३२	१,४१०	८,६५०

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१८ पर)

No. 2670/XXVI—834-1955

FROM

SRI CHHEDI LAL, I.A.S.,
JOINT SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH,

TO

THE DIRECTOR, HARIJAN WELFARE,
UTTAR PRADESH, LUCKNOW.

Harijan Sahayak Department *Dated Lucknow, September* 22, 1956.

Subject : **Reconstitution of District Harijan Sahayak Sub-Committees**

SIR,

IN continuation of G. O. no. 410/XXVI—834-55, dated August 16, 1956, I am directed to convery the sanction of the Governor to the extension of the term, for a further period of one year with effect from October 1, 1956, of the District Harijan Sahayak Sub-Committee of the District Planning Committees.

2. The newly constituted District Harijan Sahayak Sub-Committees shall consist of the following members:

(1) Vice-Chairman of the District Planning Committee . . *Chairman.*

(2) Superintendent of Police .. ..
(3) District Co-operative Officer .. ..
(4) District Inspector of Schools .. ..
(5) Scheduled Caste M. L. As., M. L. Cs. and M. P.s residing in the district .. .. ..
(6) Members of the State Backward Classes and Harijan Welfare Board, residing in the district ..
(7) One Scheduled Caste representative of the District Board to be nominated by the District Board ..
(8) One Scheduled Caste representative to be nominated by the District Magistrate from amongst members of all Municipal Boards in the district .. } *Members.*
(9) One Scheduled Caste Harijan worker actively associated with welfare work, to be nominated by District Magistrate .. ..
(10) One representative of other Backward Classes, to be nominated by District Magistrate .. ..
(11) One non-official interested in the welfare of Scheduled Castes, Backward Classes, and ex-criminal tribes to be nominated by the District Magistrate.. ..
(12) One member to be nominated by the State Government .. ..

(13) Additional District Magistrate (Planning) or the District Planning Officer .. .. .. *Secretary*

(14) Regional Harijan Welfare Officer (or District Harijan Welfare Officer when appointed) .. .. *Joint Secretary.*

3. The function of the newly constituted District Harijan Sahayak Sub-Committees will be the same as laid down in paragraph 8 of G. O. no. 1598/XXVI—47-48 dated June 27, 1949.

4. The meetings of the Sub-Committee shall be held once in every quarter, but in case of emergency it may meet more often.

5. The Sub-Committes are also hereby authorised to co-opt where necessary, for a particular meeting, not more than two other persons connected with or interested in the Welfare of Scheduled Castes, Backward Classes and ex-criminal tribes.

6. The orders are being issued with the concurrence of the Planning Department.

Yours faithfully,
CHHEDI LAL,
Joint Secretary.

No. 2670(i)/XXVI—834-1955

Copy, with a spare copy for the District Planning Officer, forwarded to all the District Magistrates in continuation of G. O. no. 410/XXVI—834-55, dated August 16, 1956, with the request that steps may please be taken to constitute the new District Harijan Sahayak Sub-Committees of the District Planning Committee at an early date. The nomination of non-official members shall also be completed and recommendations for nominations by Government on these Committees should be made to the Director, Harijan Welfare, Uttar Pradesh for transmission to Government (*vide* item no. 12), without delay. Meeting of the newly constituted Sub-Committees may be held in case of urgent necessity even though the State Government's nominee may not have been appointed by such time.

No. 2670(ii)/XXVI—834-1955

Copy forwarded to all Commissioners of Divisions and Collectors-in-Charge of Divisions for information.

No. 2670(iii)/XXVI—834-1955

Copy forwarded to all Departments of the Secretariat for information.

No. 2670(iv)/XXVI—834-1955

Copy forwarded to—

(1) Personal Assistant to Chief Minister.
(2) Personal Assistant to Minister for Education and Harijan Sahayak.
(3) Personal Assistant to Minister for Excise and Registration.
(4) Personal Assistant to Deputy Minister, Education and Harijan Sahayak, for information of Chief Minister and Ministers concerned.

No. 2670(v)/XXVI—834-1955

Copy forwarded for information to—

(1) The Development Commissioner, Uttar Pradesh.
(2) The Director of Education, Uttar Pradesh.
(3) The Chief Probation Officer, Uttar Pradesh.

No. 2670(vi)/XXVI—834-1955

Copy also forwarded to the Accountant General, Uttrar Pradesh, Allahabad, for information in continuation of G. O. no. 410/XXVI—834-55, dated August 16, 1956.

By order,
CHHEDI LAL,
Joint Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

विधान सभा सचिवालय

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—३४३ एल० ए०—१९५९—८४५।